मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

झाँसी नगर के विशेष संदर्भ में

समाजशास्त्र विषय में पीएच०-डी० उपाधि हेतु
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

शोध निर्देशक

डॉ. आर. पी. निमेष
एम.ए., पी.एच.डी.
उपाचार्य, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, समाज विज्ञान संस्थान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

शोधकर्त्री

विजयश्री शुक्ला
एम.ए.

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, उ०प्र०
२००५

मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

झाँसी नगर के विशेष संदर्भ में

समाजशास्त्र विषय में पीएच०-डी० उपाधि हेतु
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

शोध निर्देशक

डॉ. आर. पी. निमेष
एम.ए., पी.एच.डी.
उपाचार्य, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, समाज विज्ञान संस्थान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

शोधकर्त्री
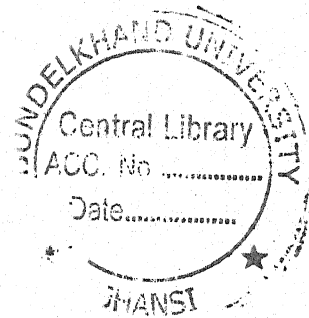
विजयश्री शुक्ला
एम.ए.

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, उ०प्र०

२००५

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शोधकर्त्री विजयश्री शुक्ला, शोध पंजीकरण संख्या १९३६ ; बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी ने अपना अनुसंधान कार्य
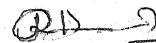
''मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन : झाँसी नगर के विशेष सन्दर्भ में''

शोध शीर्षक पर मेरे मार्गदर्शन में पूर्ण किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

(१) मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास में यह मौलिक कार्य है।

(२) आपने विभाग में २४ महीने से अधिक समय उपस्थित होकर अपना अनुसन्धान कार्य पूर्ण किया है।

(३) आप पर बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी का कुछ देय अवशेष नहीं है।

(४) मैंने यह शोध प्रबन्ध शोध समिति के निर्देशानुसार तथा शोध संक्षिप्तिकी के अनुरूप ही पूर्ण कराया है।

अत: उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में, मैं इस शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन की प्रबल संस्तुति एवं अनुशंसा करता हूँ।

दिनाँक- २१ / ११ /२००५

(डॉ० राजेन्द्र प्रसाद निमेष)
उपाचार्य
डॉ० भीमराव अम्बेडकर समाज विज्ञान संस्थान,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

उपोद्घात

प्रस्तुत अनुसन्धानकार्य मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं के समाजशास्त्रीय अध्ययन पर आधारित है जो आनुभविक तथ्यपरक वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत ही नहीं करता, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ज्वलन्त समस्या के सन्दर्भ में उन तथ्यों को उजागर तथा रेखांकित करता है जो मलिन आवासों के निवासियों द्वारा पग-पग पर सहन की जाती हैं। मलिन आवासों के निवासियों में शिक्षा, जागरूकता, मूलभूत नागरिक, सुविधाओं यथा- बिजली, पानी, हवा, प्रकाश, गोपनीयता आदि का अभाव तो है ही साथ ही वे निर्धनता, ऋणग्रस्तता, बेकारी, दुर्बल स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों, अशुद्ध पर्यावरण, मद्यपान, धूम्रपान, मादक द्रव्य व्यसन, अपराध, बाल अपराध आदि की समस्याओं से भी संघर्षरत है । इनके जीवन में निराशा, तनाव, हीनता की भावना, हिंसा, मारपीट आदि का भी समावेश होता है। सरकार द्वारा इनके सुधार के लिये किये प्रयत्नों का इन लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है तथा ये प्रयत्न अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। प्रस्तुत शोध कार्य इसी प्रयोजन से प्रेरित एक लघु प्रयास है जो मलिन आवासों के निवासियों की विभिन्न समस्याऐं उजागर तो करेगा ही साथ ही समस्या समाधान हेतु व्यावहारिक सुझाव भी बतायेगा।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् है :-

१. मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक एवं जनांकिकीय आवश्यकताओं का अध्ययन करना।

२. मलिन आवासों के विकास में सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कारकों के स्तर का अध्ययन करना।

३. मलिन आवासों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना।

४. मलिन आवासों के सुधार एवं विकास के संदर्भ में सरकारी तथा गैरसरकारी अभिकरणों द्वारा किये गये प्रयत्नों की समीक्षा करना।

५. मलिन आवासों के पर्यावरण का वहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य के साथ सहसम्बन्ध के स्तर को खोजना।

शोध अध्ययन के उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ इस शोधप्रबन्ध का अध्यायीकरण किया गया, जो निम्न प्रकार है :-

१. अध्याय प्रथम में शोध अध्ययन की विस्तृत प्रस्तावना का वर्णन किया गया है।

२. अध्याय द्वितीय में शोध पद्धति का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

३. अध्याय तृतीय में पूर्व में हुये शोध विषयक साहित्य का पुनरावलोकन किया गया है।

४. अध्याय चतुर्थ में मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक एवं जनांकिकीय विशेषताओं का विवेचन किया गया है।

५. अध्याय पंचम में मलिन आवासों के विकास में सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक व सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को प्रस्तुत किया गया है।

६. अध्याय षष्ठम में मलिन आवासों की विभिन्न समस्याओं की पहचान सम्बन्धी व्याख्या की गयी है।

७. अध्याय सप्तम में मलिन आवासों के सुधार एवं विकास में सरकारी तथा गैरसरकारी अभिकरणों द्वारा किये गये प्रयत्नों और उनके प्रभावों के स्तर की व्याख्या की गयी है।

८. अध्याय अष्टम में मलिन आवासों के पर्यावरणीय स्वास्थ्य का सिंहावलोकन किया गया है।

९. अध्याय नवम में शोध विषय के निष्कर्ष, सारांश तथा अनुसन्धानकर्ता के समक्ष आने वाली कठिनाईयों व उनके समाधानों को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य शोध समिति के निर्देशानुसार शोध संक्षिप्तिकी के अनुरूप पूर्ण किया गया है। सम्प्रति ; इसकी उपादेयता एवं महत्व की अनुभूति तो पाठकगण तथा विषय के विद्वान मनीषी ही भलीभांति कर सकते हैं कि शोधकर्त्री अपने प्रयास में कितनी सफल रही है।

शोधकर्त्री

Vijayshree Shukla

(विजयश्री शुक्ला)

शोध प्रतिवेदन के प्रति आभार

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की समाजशास्त्र विषय में "डाक्टर ऑफ फिलासफी" की उपाधि प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है। इस शोध प्रबन्ध की आधारशिला रखने हेतु सर्वप्रथम बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की शोध समिति बधाई की पात्र है, जिसने प्रथम दृष्टया शोध की रूपरेखा/शोध संक्षिप्तिकी अनुमोदित करके अनुसन्धानकार्य हेतु मार्ग प्रशस्त कर मेरा उत्साहवर्द्धन किया है।

प्रत्येक नवीन कार्य के लिये कोई न कोई प्रेरणास्रोत अवश्य हुआ करता है। मुझे अनुसन्धानकार्य करने हेतु प्रेरित करने के लिये प्रेरणास्रोत अंकुरित करने का श्रेय मुख्य रूप से डॉ० (श्रीमती) किरन शर्मा जी, जो कि प्रवक्ता समाजशास्त्र हैं, को ही जाता है क्योंकि जैसे ही समाजशास्त्र विषय में मैंने प्रथमश्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की, तभी से आपने मुझे अनुसन्धानकार्य करने हेतु प्रेरित ही नहीं किया अपितु मेरी भेंट गुरूवर डॉ० आर०पी०निमेष, एम०ए०, पी०एच०डी० उपाचार्य डॉ० बी० आर० अम्बेडकर समाजविज्ञान संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी से करायी। आपने सहर्ष शोध शीर्षक चयन कराकर मेरी रूचि का शीर्षक अनुमोदित ही नहीं किया अपितु मेरा मार्गदर्शन करना भी सहज स्वीकार कर लिया, जिसके लिये मैं अपने मानस के गहरे भाव से आभार प्रकट करती हूँ। आपने निरन्तर मार्गदर्शन के साथ-साथ विषम परिस्थितियों में मुझे उत्साहित किया तथा जब भी आपसे अपेक्षा की आपने मुझे पर्याप्त समय और मार्गदर्शन प्रदान किया। एक बार पुन: मैं आपके विद्वतापूर्ण निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ तथा अपने-आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आपके जैसे विद्वान गुरू का शिष्यत्व मुझे प्राप्त करने का अवसर मिला।

मैं डॉ० एन०एन० अवस्थी, विभागाध्यक्ष, डॉ० बी०आर० अम्बेडकर समाजविज्ञान संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं डॉ० एस०डी० सिंह, प्रोफेसर समाजशास्त्र, नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिकोहाबाद, डॉ० ए० के० श्रीवास्तव, प्रोफेसर समाजशास्त्र, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ, डॉ० पाण्डेय, डायरेक्टर एण्ड प्रोफेसर, समाज विज्ञान

संस्थान, डॉ० बी०आर० अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा, डॉ० ज्ञानेन्द्र गौतम, निदेशक, सोशल वर्क स्कूल, बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी, भोपाल, डॉ० जे० पी० नाग, चेयरमैन, शोध समिति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, डॉ० (श्रीमती) संध्या सिंह, प्रवक्ता समाजशास्त्र, आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाँसी एवं डॉ० पी०के० सिंह, प्रवक्ता समाजशास्त्र, महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करना अपना कर्त्तव्य समझती हूँ।

विशेष आभार एवं धन्यवाद श्री पी० के० श्रीवास्तव जी नगर उपायुक्त, नगर निगम झाँसी एवं श्री वी० के० वर्मा जी सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, झाँसी का जिन्होंने शोधकार्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियाँ देकर मेरी सहायता की है।

मैं पूज्यनीय माता श्रीमती शान्ति शुक्ला एवं पिता श्री आर०आर० शुक्ला जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे उच्चशिक्षा दिलवायी तथा शोधकार्य के दौरान मुझे पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन से मुक्त रखा तथा जिनके आशीर्वाद से मैं अपना शोधकार्य पूर्ण कर सकी।

मैं अपनी बहनों तथा भाईयों एवं समस्त इष्टमित्रों की भी आभारी हूँ जिन्होंने शोधकार्य करने में मेरा उत्साहवर्द्धन किया एवं अपना स्नेहाशीर्वाद प्रदान कर मेरा मार्ग प्रशस्त किया।

विशेष आभार एवं कृतज्ञताज्ञापन व धन्यवाद उन समस्त उत्तरदाताओं का जिन्होंने प्रथम दृष्टया नि:संकोच अपने व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धी सूचनायें प्रदान कर मेरे अध्ययन को पूरा करने में सहायता की है। साथ ही उन समस्त महानुभावों, जिनके नामों का पृथक से उल्लेख करना यहाँ सम्भव नहीं हो सकता है, को पुन: पुन: धन्यवाद जिन्होंने मेरी आधी-अधूरी कँटीली राह को प्रकाशित कर जाज्वल्यमान बनाया है।

शोधकर्त्री

Vijayshree Shukla

(विजयश्री शुक्ला)

अनुक्रमणिका एवं अध्यायीकरण

****

संलग्न - तालिकाओं की सूची

****

अध्याय - १

प्रस्तावना

---

* शोध विषय का सामाजिक महत्व
* शोध समस्या की व्यापकता
* मलिन आवासों की समस्या और सरकारी प्रयत्न
* मलिन बस्तियों के उदय एवं विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
* भारत में मलिन बस्तियों का विकास
* मलिन आवासों का विभिन्न स्तरों पर स्वरूप
* शोध समस्या का निरूपण
* शोध अध्ययन के उद्देश्य

अध्याय- १

प्रस्तावना

शोध विषय के अध्ययन की आवयकता

व्यक्ति के रहने के लिये आवास समाज में मनुष्य की एक प्रमुख मौलिक आवश्यकता है। आवास का स्तर समाज तथा व्यक्ति के व्यवहार के ढंग, मूल्यों तथा विचारों का दर्पण होता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की सभ्यता को विश्व की सर्वाधिक प्राचीन तथा महान सभ्यता होने का गौरव अपनी आवास व्यवस्था के कारण ही प्राप्त हुआ है। आवास का मानव समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि यही वह स्थान है जिसमें एक ओर मनुष्य का जन्म होता है, उसका विकास होता है तथा उसकी मृत्यु होती है तो दूसरी ओर उसका शारीरिक व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व में परिवर्तित होता है। आवास ही वह स्थान है जहां व्यक्ति अपने जीवन की प्राथमिक, घरेलू तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, उसकी कार्यक्षमता, संवेदनात्मक सुरक्षा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा सभी आवासीय दशाओं से प्रभावित होते हैं।

एक सामाजिक संगठन के रूप में आवास परिवार के निम्नलिखित प्राथमिक कार्यो को पूरा करने की संतुष्टि प्रदान करता है :-

१- बच्चों को पैदा करना, उनकी देखभाल करना तथा उनका पालन पोषण करना,

२- यौन संतुष्टि प्रदान करना तथा

३- परिवार के भौतिक, सांस्कृतिक तथा अनुरागात्मक सम्बन्धों के समन्वय का अंशदान।

पारिवारिक दृष्टिकोण से आवास मात्र आश्रय स्थल ही नहीं बल्कि व्यक्ति की अपने तथा अपने परिवार की समाज के प्रति सेवा, सुविधा और उनकी उपयोगिता को निहित किये रहता है इसमें स्कूल जाने, चिकित्सा पाने, बाजार, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा काम पर आने जाने आदि की सुख सुविधाऐं भी शामिल होती हैं। एक व्यक्ति के परिवार के महत्व के साथ ही आवास सुविधा का समाज तथा राष्ट्र के लिये भी सीधा महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। गन्दे, पुराने, टूटे-फूटे, भीड़ भरे तथा बेतरतीब बने आवासीय क्षेत्र उनमें रहने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ शेष समाज के लिये भी भार है और भयभीत करने वाले भी हैं।

आवास का तात्पर्य आश्रयस्थल से लिया जाता है परन्तु आवास आश्रयस्थल से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बी०गोमाथिनायुगम (१९६९) के अनुसार - ''मनुष्य आवास की तलाश में धूमता रहता है जलवायु से बचाव के लिये तथा छोटे बच्चों की रक्षा के लिये जो कि अधिक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है।''[1]

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आवास व्यवस्था के शारीरिक (भौतिक ढाँचे सुरक्षा के लिये), सामाजिक (प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे - रोटी, कपड़ा आदि), मनोवैज्ञानिक (स्व तथ आत्म के विकास के लिये), पारिवारिक (उत्पत्ति तथा पालन पोषण) तथा सांस्कृतिक आयाम हैं।

बेयर (१९६५) ने जिसने आवास व्यवस्था को एक सीमित परिप्रेक्ष्य में देखा, निष्कर्ष निकाला कि - ''यह एक बड़ा भारी तथा टिकाऊ और स्थिर उत्पाद है जो एक निश्चित स्थान पर बन जाने पर वहीं उपयोगी होता है। एक बार बन जाने पर कई वर्षो तक उसका अस्तित्व रहता है - अधिकतर उसकी उपयोगिता पूरी हो जाने के बाद भी। वह भूमि का एक हिस्सा बन जाता है।''[2]

---

1. Gomathinayugam V., (1969) : Social Welfare, March.
2. Beyer, (1965) : Housing and Society, Mcmillan Company, New York.

फिर भी, ममफोर्ड (१९३८) ने कहा है कि "रहने का स्थान अथवा आवास एक ऐसी व्यवस्थित इमारत है जिसमें खाना आसानी से बनाया, खाया और रखा जा सके, जिसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधा हो, जिसमें बाहरी दुनिया के हस्तक्षेप के आराम और नींद ली जा सके, जिसमें सहयोग और देखभाल की उचित परिस्थितियों में छोटे बच्चों का लालन-पालन हो सके और जिसके द्वारा मकान या आवास की विश्वसनीय और सामाजिक परिभाषा हो सके"।[1]

मकान का अर्थ केवल चारदीवारी और ऊपर की छत ही नहीं है। इसका अर्थ है एक ऐसा आवास जो मजबूत हो, आवश्यक साजो समान से युक्त हो, स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से योग्य हो और कम से कम आराम से रहने, सोने और एकांत बनाये रखने लायक हो, जो अनैतिकता तथा शारीरिक खतरों के वातावरण से बच्चों को दूर रख उनकी उचित शिक्षा, मनोरंजन की आवश्यकता तथा उनके सामाजिक अस्तित्व को बनाये रख सके।

सिंह तथा पोथन (१९८२) ने आवासों के महत्व पर प्रकाश डालते हुये बताया है कि - "आवास केवल मनुष्य की जीवन भर की आवश्यकता ही नहीं है बल्कि यह बच्चों, वयस्कों, स्त्रियों और पुरुषों के जीवन को बेहतर बनाते हैं और व्यक्ति तथा परिवार को साथ-साथ रखते हुये उसके समाजीकरण को निश्चित दिशा प्रदान करते हैं और बेहतर जीवन में योगदान करते हैं। साथ ही आवास व्यक्ति की योग्यता तथा उत्पादकता को भी बढ़ाते हैं सबसे सन्तोषजनक बात यह है कि अच्छा आवास कभी भी बेकार नहीं जाता बल्कि ६० से ८० वर्ष तक या उससे भी ज्यादा समय तक परिवार तथा राष्ट्र के लिये पूंजी बना रहता है।"[2]

दिन भर काम करने के बाद आवास ही मनुष्य का अंतिम शरणस्थल है। यहां वह अपनी शारीरिक, सामाजिक तथा संवेदनात्मक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। यहीं पर उसे ऊर्जा तथा योग्यता प्राप्त होती है। यहीं पर वह आराम करता

---

1. Mumford L., (1938) Culture of Cities, New York
2. SIngh S.D. and K.P. Pothen, (1982), Slum Children of India, Deep and Deep Publications, New Delhi.

और अपने हितों की देखभाल करता है। आवास ही भावनात्मक सुरक्षा और अनुराग का घर है। यही धर्म, संस्कृति और देवी देवताओं के रहने का स्थान है। आवास राष्ट्र के लिये इसलिये आवश्यक नहीं है कि ये स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करते हैं और समान अवसर तथा न्यूनतम स्तर जैसे राजनीतिक सिद्धान्तों से जुड़े हैं बल्कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी आवास सशक्त भूमिका निभाते हैं।

''सामाजिक स्वास्थ्य, स्थिरता और लोगों के अच्छे जीवन को संभव बनाने के लिये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाको विकसित करने में आवास एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आवास केवल प्रकृति से सुरक्षा के लिये बनाया गया आश्रय स्थल ही नहीं है बल्कि यह निश्चित स्थिति और घर के लिये आवश्यक कई प्रकार की सुविधाओं के लिये भी जरूरी है। आवास राष्ट्र के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता तथा विकास पथ का बड़ा सूचक है।''[१]

अच्छे आवासों का कोई निश्चित मानदण्ड नहीं है। फिर भी, निम्नलिखित मानदण्ड न्यूमेयर[२] (१९५३) द्वारा बनाये गये हैं जो स्वीकार्य हैं।

अ. अच्छा आवास वह है, जो अच्छी तरह बना हो, परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त आकार का हो, परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करने में सक्षम हो तथा एक इकाई के रूप में परिवार के लिये मकान में कुछ हद तक गोपनीयता बनी रहनी चाहिये।

ब. अच्छा आवास वह है, जो तकनीकी रूप से सुविधाजनक, स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर होना चाहिये, शारीरिक रूप से कम से कम खतरे वाला होना चाहिये और परिवार के स्वास्थ्य में अधिकाधिक योगदान करने वाला होना चाहिये।

स. यह अच्छी तरह से सजा हुआ होना चाहिये जो कलात्मक संतुष्टि, खुशी तथा घर जैसा वातावरण दे।

---

1. Bhargava Gopal, (2001), Development of India's Urban, Rural and Regional Planning in 21st Century Policy Perspective, Gyan Publishing House, New Delhi, Page-49.
2. Neumeyer M.H., (1953), SOcial Problems and the Changing Society, D. Van Nortrand Company Inc.

द. आवास अच्छे पड़ोस में स्थित होना चाहिये तथा बाजार, कार्यालय, विद्यालय, बाग-बगीचे आदि के लिये सुविधाजनक होना चाहिये।

दूसरी ओर बुरे आवास वह हैं जो वहां के निवासियों के लिये खतरनाक हों विशेषत: उनके स्वास्थ्य के लिये। वुड ने बताया है कि - "बुरे आवास वह हैं जहां पर्याप्त प्रकाश और ताजी हवा की कमी हो, भीड़ भाड़ युक्त तथा गंदगी से परिपूर्ण हो, जलापूर्ति का अभाव हो, स्वच्छ पेशाबघर तथा स्नान की सुविधा की कमी हो, सीबर प्रणाली की कमी हो तथा जहां कूड़े-करकट आदि के निस्तारण की सुविधा न हो।"[१]

शोध विषय का सामाजिक महत्व

मलिन आवासों में अधिकांशत: कारखानों, फैक्ट्रियों, कृषि उत्पादन मंडियों के श्रमिक, भवन बनाने वाले श्रमिक, चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक, दरिद्र किसान, चपरासी आदि मजदूर वर्ग के लोग निवास करते हैं। इनकी आय बहुत कम होती है जिसके कारण ये लोग भूमि का क्रय करके अपना स्वयं का मकान नहीं बना सकते हैं। प्रात: से सायं तक ये अपने जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। न तो इनके पास धन है और न ही समय जिससे ये अपने रहने को मकान बना सकें। ये श्रमिक झोपड़ी, कोठरी अथवा बाँस के छप्परों से कुटिया बनाकर अथवा टीन के शैड से निर्मित मकान, लकड़ी के छोटे-२ केबिन बनाकर घास-फूस, फटे पुराने कपड़ों, पालीथिन आदि से झोपड़ी बना लेते हैं और एक ही कमरे में कई-कई परिवार रहते हैं। भारत में ऐसी मलिन बस्तियां नाले, नदी, रेल की पटरियों के किनारे, फुटपाथ पर देखने को मिलती है। नगरों में मकान कम हैं और रहने वाले व्यक्ति अधिक होते हैं। परिणाम स्वरूप मलिन बस्तियों की निरन्तर वृद्धि हो रही है।

---

1. Wood E.E., The Housing of the unskilled Wage Earner.

मलिन आवासों में निवास करने वाले अधिकांश व्यक्ति श्रमिक हैं और किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने व विकसित करने के लिये उत्पादन की इकाई अर्थात श्रमिकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मलिन आवासों के निवासियों की महत्ता को निम्न बिन्दुओं द्वारा सहज ही अभिव्यक्त किया जा सकता है।

१. मलिन आवासों के निवासी समाज के उच्च तथा मध्यम वर्ग के निवासियों के लिये उत्तम तथा अति उत्तम आवास बनाने में खून-पसीना एक कर देते हैं परन्तु स्वयं बाल्यावस्था से लेकर वृद्धवस्था तक मलिन बस्तियों में ही जीवन निर्वाह करते हैं। उन्हें अपने श्रम का उचित लाभ नहीं मिलता है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें राष्ट्रीय उत्पादन का लाभ इन तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। परन्तु इनके हिस्से में वह लाभ नहीं आता। अतः दूसरों को घर बनाकर खुद बेघर रहने वाले इन मजदूरों का समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है।

२. मलिन आवासों के निवासी राष्ट्रीय उत्पादन की निश्चयात्मक तथा निर्माणात्मक इकाई हैं। चाहे सार्वजनिक निर्माण का क्षेत्र हो अथवा औद्योगिक उत्पादन का।

३. मलिन आवासों के निवासियों में अधिकांश श्रमिक वर्ग के होते हैं जिनकी कार्यक्षमता के कारण ही भारत का भौतिक तथा आर्थिक विकास सम्भव हो सका है।

४. भारत की नगरीय जनसंख्या का लगभग २५ प्रतिशत मलिन आवासों में निवास करता है। जनसंख्या के इतने बड़े भाग के निवासी सर्वथा उपेक्षित तथा सामान्य जनमानस से कटे होते हैं। मलिन आवासों की इतनी बड़ी जनसंख्या अपने आप में महत्त्वपूर्ण है।

मलिन आवासों के निवासियों के सम्बन्ध में समय-२ पर अनेक शोध अध्ययन किये गये है। प्रस्तुत शोध अध्ययन की महत्ता को इस प्रकार समझा जा सकता है :-

१. मलिन आवासों के निवासी अधिकांशत: श्रमिक वर्ग के हैं और किसी भी अर्थव्यवस्था कों सुचारू रूप से चलाने के लिये राष्ट्रीय उत्पादन की निश्चयात्मक इकाई श्रमिक ही हैं अत: इनके रहने की दशाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु आवश्यक भी है।

२. मलिन आवासों के निवासी समाज के अन्य वर्गो के लिये कार्य करते हुये अभाव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनका निम्न सामाजिक एवं आर्थिक स्तर राष्ट्र के लिये कलंक है। अत: इनका अध्ययन करके ही इनके सुधार का प्रयास किया जा सकता है।

३. विश्व के प्रत्येक प्रमुख नगरों में मलिन बस्तियाँ पायी जाती हैं। हमारे देश के भी हर महानगर में मलिन बस्तियों की उपस्थिति इनकी सर्वव्यापकता को प्रमाणित करती है। यह एक सर्वव्यापक समस्या है। अत: इनका शोध अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है।

४. मलिन बस्तियों के निवासियों का शोध अध्ययन इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां के निवासी अस्वास्थ्यकर पर्यावरण में संक्रामक रोगों के लिये शीघ्र प्रभावी होते हैं साथ ही ये लोग कुपोषण से ग्रसित होते हैं और शुद्ध हवा, पानी, बिजली, प्रकाश आदि से भी वंचित होते हैं। इनका सामाजिक अध्ययन व्याधिकी सुधार की दृष्टि से भी अनिवार्य है।

५. मलिन बस्तियों का अध्ययन इसलिये भी आवश्यक हैं क्योंकि यहीं वे परिस्थितियां पाई जाती है जहां बाल अपराध का उद्भव तथा आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होता है। साथ ही, बाल आवारापन, भगोड़ापन, बच्चों में मादक द्रव्य व्यसन तथा यौन अनैतिकता पाई जाती है। अत: बाल अपराधियों

के सुधार तथा उनमें इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये कारगर कदम उठाने की दृष्टि से इनका शोध अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

६. मलिन बस्तियों की महिलाऐं अशिक्षित होती हैं तथा अपने अधिकारों के प्रति जरा भी जागरुक नहीं होती हैं। मलिन आवासों में रहने वाली महिलाओं को दहेज, तलाक जैसी समस्याओं के साथ-२ घरेलू हिंसा तथा यौन अपराधों का भी शिकार होना पड़ता है। यहां की स्त्रियाँ बेहतर सुख-सुविधाओं के लिये देह व्यापार में संलग्न रहती हैं। अत: महिलाओं के समुचित उत्थान तथा उन्हें जागरुक बनाने के लिये और उनके सुधार के लिये इनका अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है।

७. मलिन आवासों को विघटन के केन्द्र कहा जाता है। यहां के अधिकांश व्यक्ति तनाव, अवसाद, निराशा तथा बेचैनी के शिकार होते हैं। उनमें आत्महत्या तथा अपराध, मद्यपान, जुआखोरी की प्रवृति पायी जाती है। इनकी ये व्यक्तिगत समस्याऐं परविार को भी विघटित करती हैं और जिस समाज में अधिसंख्य परिवार विघटित होते हैं वहां सामाजिक तथा सामुदायिक विघटन अपने आप अपने पैर पसार लेता है। एक विघटित समाज कभी भी विकास नहीं कर सकता है। अत: राष्ट्र व समाज के निर्माण के दृष्टिकोण से इन मलिन बस्तियों का अध्ययन कर वैयक्तिक, पारिवारिक तथा सामाजिक विघटन को रोका जा सकता है।

८. मलिन आवास गन्दगी, नशा, बीमारी, अनैतिकता तथा अपराध को बढ़ावा देते हैं तथा अन्त में अस्पतालों, जेलखानों तथा पागलखानो की स्थापना जरूरी बनाते हैं जिनमें हम मानवीय परित्यक्तों का, जो अक्सर समाज की अपनी ही उपेक्षा का परिणाम होते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं। अत: यदि इन बुराइयो से समाज को बचाना है तो इनका अध्ययन करके ही इनका समाधान किया जा सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मलिन आवासों का शोध अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।

शोध समस्या की व्यापकता

हमारे देश की जनसंख्या जिस तेजी के साथ बढ़ी है उसी गति से उनके लिये निवास की व्यवस्था नहीं हो पायी है। भारतीय शहरों में गन्दी बस्तियों की भीषण समस्या है। ''भारत में शहरी जनसंख्या का ३० प्रतिशत गन्दी बस्तियों में निवास करता है और यह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।''[1] नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ मलिन बस्तियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जिसके फलस्वरूप भारत में मलिन बस्तियों की संख्या तथा जनसंख्या दोनों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

मलिन बस्तियों में न तो पारिस्थितिकीय व्यवस्था होती है और न ही सामाजिक संगठन की सुविधाऐं। इनमें निवास करने वाले व्यक्ति निर्धन, बेरोजगार और कम आय वाले व्यक्ति हैं। ''यह वे आवासीय अनाथालय हैं जहां जीवन की समस्त असुविधायें एक साथ देखने को मिलती है। जहां व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के नाम पर वे पशु की तरह रहते और जीते हैं। औद्योगिक क्रान्ति ने उद्योगों का विकास किया किन्तु अपने करोड़ों श्रमिकों को रहने के लिये घर नहीं दिये।''[2]

गन्दी बस्तियों में गृह-विहीन, बेकार नशावृत्ति वाले, वेश्याऐं तथा वेश्यागामी, जुआड़ी, श्रमिक, अपराधी और भिक्षुक लोग रहते हैं । इन लोगों से स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन की लेशमात्र भी आशा नहीं की जा सकती। नगरीय सामुदायिक जीवन की गतिविधियों में गन्दी बस्तियों के लोग जरा भी रुचि नहीं रखते हैं। इसके स्थान पर नगर विघटन की क्रियाओं हेतु गन्दी बस्तियां केन्द्र बन जाती हैं। इन बस्तियों में जुऐ के अड्डे, अपराधियों की शरण स्थली, भिक्षुकों के गृह, वेश्यालय तथा नशावृत्ति विकसित होते हैं। यहां स्वस्थ सामाजिक और सामुदायिक जीवन विकसित नहीं होता है। धरती के ये नरक सभ्य मानव जाति के लिये

---

1 Dr. Kumar, Urban Sociology, (1992) Laxmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3 P. 239.

2. Singh V.N. and Singh Janmejay, Nagariya Samajshastra, (1988), Vivek Prakashan Jawahar Nagar, Delhi-7 p. 138.

लिये कलंक हैं। ये वे स्थान हैं जहां से असंख्य बुराइयां उत्पन्न होती हैं और सम्पूर्ण समाज को निगल जाती हैं। आवासों की दुर्दशा अनेक आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक एवं पारिवारिक दोषों को जन्म देती हैं।

''गन्दे वातावरण में रहने के कारण लोगों की मनोवृत्ति अपराधी बन जाती है। उनमें चोरी, वेश्यावृत्ति, शराबखोरी और जुआ खेलने की आदतें जन्म लेती हैं। चूँकि एक कमरे में कई-कई लोग रहते हैं तो यहां कुछ भी गोपनीय नहीं रहता है। शीघ्र ही बच्चे बुरी आदतों को ग्रहण कर लेते हैं। गरीबी के कारण बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं जिससे बाल अपराध एवं गुण्डागर्दी पनपती है। पर्याप्त आवास व्यवस्था के अभाव में लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है मानव के लिये शुद्ध हवा, जल एवं रोशनी आवश्यक है। इनके अभाव में कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं और श्रमिकों की कार्यक्षमता घट जाती है तथा उनका स्वास्थ्य गिर जाता है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन पर पड़ता है तथा औद्योगिक तनाव एवं संघर्ष पैदा होते हैं। जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की आय कम हो जाती है और वह गरीबी की स्थिति से छुटकारा पाने में असमर्थ होता है। निर्धनता के कारण व्यक्ति का उच्च जीवन स्तर व्यतीत करना सम्भव नहीं हो पाता यहां तक कि लोग अपनी आवश्यक दैनिक आवश्यकताओं को भी जुटाने में असमर्थ होते हैं।

आवास की दुर्व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को विघटित कर देती है। वह असामान्य जीवन व्यतीत करने लगता है, शराब एवं मादक द्रव्यों का सेवन करने लगता है। जुआ खेलने, वेश्यागमन करने एवं अपराधी प्रवृत्तियों में लगे रहने से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग मानसिक चिन्ता, बेचैनी, ऊब एवं निराशा के शिकार हो जाते हैं। व्यक्ति का परिवार के प्रति लगाव समाप्त होने लगता है, परिवार में असामन्जस्य बढ़ता है और व्यक्ति परिवार की उपेक्षा करने लगता है। आत्महत्या, पृथक्करण और तलाक की स्थिति

पैदा होती है जिसके परिणामस्परूप पहले स्वयं व्यक्ति का तथा बाद में परिवार का विघटन हो जाता है। व्यक्ति व परिवार की हानि से अन्ततः समाज व समुदाय को हानि होती है और सामाजिक व सामुदायिक विघटन का जन्म होता है। इस प्रकार नगरीय व्याधिकी और विकार का प्रमुख स्वरूप गन्दी बस्तियों में देखने को मिलता है।

''मलिन आवासों के निवासी जीवन भर हाड़तोड़ मेहनत करके मलिन बस्तियों में ही जीवन व्यतीत करने को बाध्य होते हैं। ये दरिद्र, अशिक्षित तथा रोग ग्रस्त होते हैं। जिसके कारण ये सामान्य जनमानस से कटे एवं उपेक्षित होते हैं। ये लोग भाग्यवादी होते हैं''[१] इनमें जागरुकता का अभाव पाया जाता है। इन लोगों में सामुदायिक नेतृत्व का अभाव होता है। चुनाव के समय नेतागण इनकी जागरुक न होने की भावना का लाभ उठाते हैं तथा इनको वोट बैंक मानकर चलते हैं। सरकार द्वारा इनके सुधार के प्रयत्न जमीनी नेतृत्व न होने तथा इन लोगों के अपने अधिकारों के प्रति जागरुक न होने के कारण सफल नहीं हो पाते हैं।

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद २१ में राज्य को निर्देश दिये गये हैं कि राज्य व्यक्तियों के कल्याण के पर्याप्त साधनों को जुटाये, उनके जीवनस्तर को ऊँचा उठाये तथा आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करें। फिर भी, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार को आवास समस्या की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। एन.बी.ओ. के अनुसार ''आवासों की कमी जो १९७१ में १४.५ मिलियन आवास इकाई थी सन् १९८१ में बढ़ कर २१.१ मिलियन हो गई और सन १९८५ में यह संख्या २४.७ मिलियन तथा सन् १९९० में बढ़कर २९.२ मिलियन आवास इकाई हो गई।''[२] एक अन्य आंकड़े बताते हैं कि सन् १९७१ में ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की कमी ११.६ मिलियन थीं, बढ़ कर १६.५ मिलियन आवास इकाई हो गई। इसी प्रकार यह आंकड़े शहरी क्षेत्रों में क्रमशः २.९ तथा ४.८ मिलियन आवास

1. Sanadhdhya Kriti, (2002), "Jhansi Nagar Ki Malin Bastiyon Ke Nivasiyon Ka Samajik – Arthik Adhdhyan"
2. Prominent Facts on Housing, (1990), Document of National Building Organization, Government of India.

इकाई हो गये। इसका अभिप्राय यह है कि आवासों की आवश्यकता प्रति दस सालों में बढ़ती ही जा रही है।

नेशनल सेम्पल सर्वे (एन०एस०एस०) ने आवास दशाओं एवं सुविधाओं के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र किये हैं, जैसे - प्रति परिवार कमरों की संख्या, मकान का क्षेत्रफल, इमारतों के प्रकार, पीने के पानी के स्रोत, स्नानघरों की संख्या आदि। एन.एस.एस. के आंकड़ों के अनुसार-शहरी क्षेत्र में ४४ प्रतिशत परिवार मात्र एक कमरे में रहते हैं। २८ प्रतिशत दो कमरों में, १२ प्रतिशत तीन कमरों में तथा १६ प्रतिशत चार या उससे अधिक कमरे में रहते थे। लगभग २५ प्रतिशत मकानों की दीवारें तथा छतें मिट्टी की बनी थी। इसी प्रकार २१.१० प्रतिशत परिवारों के पास प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल ८५.७ वर्ग फीट था। इनमें से मात्र ४३ प्रतिशत परिवारों की जलापूर्ति का साधन नल था।

ग्रामीण क्षेत्र में, ३४ प्रतिशत परिवार एक कमरे में, ३२ प्रतिशत दो कमरों में, १५ प्रतिशत तीन कमरों में तथा १९ प्रतिशत चार या अधिक कमरों में रहते थे। इनमें से ६१ प्रतिशत मकानों की दीवारें तथा छतें मिट्टी की बनी थी। १४.३ प्रतिशत परिवारों के पास प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल ५० वर्गफीट था जबकि कुल मिलाकर सभी के पास प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल ५९.५ वर्गफीट था तथा ०.५ प्रतिशत से भी कम परिवारों के पास जलापूर्ति का स्रोत नल था।

विश्वविद्यालयों, योजना आयोग की शोध कार्यक्रम समिति के अन्तर्गत शोध संस्थानों तथा भारत सरकार द्वारा कराये गये नगरों के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में आवास दशाओं तथा सुविधाओं से सम्बन्धित आंकड़े प्रकट करते हैं कि :-

१. बड़े शहरों में एक कमरे के मकानों की बहुतायत है,

२. मकानों में भयानक भीड़ भाड़ है।

३. नगरीय जनसंख्या के लिये ऐसे मकानों की अधिकता है जहां प्राथमिक नगरीय

सुविधाओं जैसे-जलापूर्ति, नालियां, सीवरेज, शौचालय, कूड़े करकट के निस्तारण आदि की गंभी कमी है।

भारतीय शहरों में मलिन बस्तियों का होना सामान्य बात है। मलिन बस्तियां नगरीकरण की वृद्धि के साथ-साथ तीव्र गति से बढ़ रही हैं।

मलिन बस्तियां गंदगी से भरपूर, तंग गलियों, उबड़ खाबड़ रास्तों, टूटे-फूटे मकानों, छोटे-छोटे कमरों में भीड़ भाड़ तथा आवश्यक सुविधाओं की पूर्णतया कमी का दृश्य प्रस्तुत करती हैं। ये मलिन बस्तियां व्यक्ति और समाज का संकटपूर्ण परिणाम हैं। इनका स्वास्थ्य पर प्रभाव विनाशकारी है। यहां सामान्य मृत्यु दर तथा नवजात शिशु मृत्युदर बहुत ,अधिक है तथा युवा पीढ़ी के अनेक बीमारियों से पीड़ित होने का प्रतिशत अधिक हैं। यहां श्रेष्ठ पारिवारिक जीवन असंभव ही है। यहां स्वस्थ्य मनोरंजन की सुविधा तथा सामुदायिक सेवाओं का स्तर निम्न है।

विभिन्न शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की जनसंख्या के सम्पूर्ण विस्तृत क्षेत्र के बारे में ठीक-ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता है। छठवीं पंचवर्षीय योजना (१९८०-८५) में अनुमान लगाया गया कि देश की सम्पूर्ण शहरी जनसंख्या का २० प्रतिशत मलिन बस्तियों में रहता है।''[१] एन०बी०ओ० ने मलिन बस्तियों की जनसंख्या के विस्तार को विभिन्न शहरों की श्रेणियां में बांटा है। इसके अनुसार ''मलिन बस्तियों की जनसंख्या का ३९.७७ प्रतिशत महानगरों में तथा ३४ प्रतिशत जनसंख्या ऐसे शहरों में निवास करती है। जहां की आबादी १ लाख से १० लाख के बीच है और बाकी २६.३३ प्रतिशत जनसंख्या दूसरे शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इस प्रकार, मलिन बस्तियों की संपूर्ण जनसंख्या का ७४ प्रतिशत देश के १५२ शहरों और नगरों में निवास करता है।''[२]

---

1. Document on Sixth Five Year Plan (1980-95), Government of India.
2. Document on National Building Organization (1990), Government of India.

मलिन बस्तियों में परिवर्तित होते नगर[1]

वर्ष	कलकत्ता	मुम्बई	दिल्ली	चेन्नई	बैंगलोर	अहमदाबाद
१९७६-७७	५.५%	६.६%	७.६%	९.९%	१.७%	५.४%
१९८१	३२.३%	२८.३%	१८.०%	१३.६%	३.०%	८.०%
१९९०	४३.९%	४१.३%	३२.१%	२१.१%	१०.४%	११.१%

उपरोक्त आंकड़ों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय नगर बड़ी बड़ी मलिन बस्तियों में परिवर्तित होते जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के नगरों में आवासों का स्वरूप[2]

नगर	स्वयं के मकान % में	किराये के मकान % में	बिना किराये के क्वाटर्स % में
गोरखपुर	४३.३%	४९.०%	१२.७%
कानपुर	१७.१७%	७६.०३%	२.५६%
लखनऊ	३९.०%	४९.७%	११.३%

भारत के नगरों में नियोजित निवास स्थानों की कमी है। यहां स्वस्थ वातावरण में निर्मित आवासों का अन्य देशों की अपेक्षा अधिक अभाव पाया जाता है। यहां मकानों की समस्या तो अपर्याप्त होने के कारण विकसित है ही, साथ ही मकान नियोजन और व्यवस्था से नहीं बनाये जाते हैं। यह समस्या नगरों में अपना विकराल रूप धारण किये हुये है। यहां निवास हेतु समुचित मकानों के अभाव के साथ-साथ अस्वास्थ्यकरआवासों का बाहुल्य है। भारत की १९७१ की जनगणना के अनुसार आवास व्यवस्था के स्वरूप की दृष्टि से निम्नांकित सारणियों के आंकड़े उल्लेखनीय स्थान रखते हैं :-

1. India Today, Jan. 31, 1988
2. Tomar R.B. Singh and Goyal D.D. (1990), Nagariya Samaj Vigyan, Agra-3.

भारतीय मकान जनगणना[1]

मकानों के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
खुद के मकान	५७३८७१	२८.० प्रतिशत
सर्विस डब्लिंग्स	३५५९४	१.७ प्रतिशत
किराये के मकान	११७४३६५	५७.५ प्रतिशत
स्थानीय संस्थाओं के मकान	६७०००	३.३ प्रतिशत
भवन निर्माण समितियों के मकान	२२९२६२	९.२ प्रतिशत
चन्दे पर बने मकान	५८९१	०.३ प्रतिशत
योग	२०८६००३	१०० प्रतिशत

उपरोक्त सारणी से ज्ञात हो जाता है कि भारत में सन् १९७१ में मात्र २८ प्रतिशत लोगों के ही पास स्वयं के मकान थे।

नगरों के आवास के प्रकार और निवासी जनसंख्या का प्रतिशत[2]

आवास के प्रकार	जनसंख्या का प्रतिशत	प्रति कमरे में रहने वाले व्यक्तियों का औसत
१. एक कमरे के आवास	४६.८१	४.१९
२. दो कमरे के आवास	२४.९३	२.७६
३. तीन कमरे के आवास	११.६९	२.४२
४. चार कमरे के आवास	६.७५	१.७८
५. पांच कमरे के आवास	९.१६	१.३३

भारत के प्रमुख महानगर मुम्बई में केवल ४ प्रतिशत लोगों के पास स्वयं के निवास स्थान हैं। नगरों में अधिकांशत: लोग किराये के मकानों में रहते हैं। नगरों में लोग

1. All India Census Report, 1971, Registrar, General of India, New Delhi, Page - 480
2. Ibid.

किराये के लालच में मकान बनवाते हैं। ये मकानों के किराये तो ऊँचे रखते हैं, परन्तु उसके निर्माण एवं मरम्मत के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण रखते हैं। इन किराये के मकानों में स्थान, हवा, प्रकाश, जल आदि की सुविधाओं का अभाव स्वाभाविक है। नगरीयकृत औद्योगिक नगरों में मकानों की इतनी कमी है कि लोगों को एक कमरे में अपने परिवार का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। नगरों में लगभग ६० प्रतिशत परिवार एक कमरे में, २५ प्रतिशत दो कमरों में तथा १५ प्रतिशत लोग तीन व अधिक कमरों के मकानों में रहते हैं।

''पूना नगर के एक सर्वेक्षण से प्रतीत हुआ कि मात्र २५ आयत फीट क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति को प्राप्त है। इस दृष्टि से हुबली नगर में २७.७ प्रतिशत परिवारों को भीड़ भाड़ वाले निवास स्थानों में रहना पड़ रहा है। इस भीड़ भाड़ की समस्या से पूना नगर में ३१ प्रतिशत और जमशेदपुर में ५० प्रतिशत परिवार प्रभावित हैं।''[1]

''भीड़भाड़ और व्यक्तियों की दूसरे व्यक्तियों के प्रति उदासीनता एक अन्य समस्या है जो शहरी जीवन में उत्पन्न हो रही है। कुछ घरों में इतनी भीड़ भाड़ है कि पांच या छः व्यक्ति एक कमरे में रहते हैं कुछ शहरों के पास पड़ोस में बहुत अधिक भीड़ भाड़ के कई हानिकारक प्रभाव होते हैं। यह विचलित व्यवहार को बढ़ावा देती है, बीमारियां फैलाती है और मानसिक बीमारियों, मदिरापान और साम्प्रदायिक दंगों के लिये परिस्थितियां उत्पन्न करती है।''[2]

नगरीय आवास व्यवस्था की लापरवाही का प्रमाण जहाँ तहाँ कूड़े करकट के ढेरों तथा गन्दे पानी के गड्ढ़ों से मिलता है। पाखानों की उचित व्यवस्था न होने से वहां की हवा तथा भूमि की गन्दगी बढ़ जाती है। घर न तो ऊँचे चबूतरों के बने होते हैं, न उनमें खिड़कियां और हवा तथा प्रकाश का पर्याप्त प्रवेश होता है। प्रवेश का प्रायः

---

1. Tomar, Rambihari Singh and Goyal Dwarika Das, (1997), Shri Ram Mehra and Company, Agra Page – 410..
2. Ahuja Ram, (1997), Indian Social Problems, Page - 277

एक ही दरवाजा होता है और इसमें भी सिर नीचे किये बिना प्रवेश नहीं पाया जा सकता। कमरा एक ही होता है और उसमें गोपनीयता लाने के लिये मिट्टी के तेल के पीपों की चद्दर या टाट का परदा लगा दिया जाता है, जिससे प्रकाश और हवा का प्रवेश और भी अधिक सीमित हो जाता है। ऐसे मकानों में मजदूर पैदा होते, सोते, खाते-पीते, जीते और मरते हैं। पीले, मुर्झाये चेहरे, चिपके गाल, उभरती हड्डियां, फटे-गन्दे कपड़े यहां का सौन्दर्य हैं। इन्हें पता नहीं ये कब जवान होते हैं और कब बूढ़े हो जाते हैं। कब इन्हें टी०बी० हो जाती है और कब कैन्सर। ये तो मौत के मुंह में जन्म लेते हैं। इनका जिन्दा रहना और मरना समाज के लिये कोई अर्थ नहीं रखता है। मलिन बस्तियों में इनका जीवन नाली के कीड़ों जैसा ही है।

आवासीय रूप रेखा :-

मकानों की संख्या[1] : (रिहायशी इमारतें) (मिलियन में)

	१९७१	१९८१	१९९१	२००१	२०११*	२०२१	२०३१	२०४१
नगरीय क्षेत्र	१८.५	२८.०	२९.३	५९.४	८०.७	१०५.८	११७.०	१२६.७
ग्रामीण क्षेत्र	७४.५	८८.७	१०८.७	११९.७	१३१.४	१४१.६	१५३.१	१६२.०
योग	९३.०	११६.७	१४८.०	१७९.१	२१२.१	२४७.४	२७०.१	२८८.७

विशेष :- *२०११ से २०४१ के लिये अनुमानित

रहने योग्य मकानों की संख्या[2] (मिलियन में)

	१९७१	१९८१	१९९१	२००१	२०११*	२०२१	२०३१	२०४१
नगरीय क्षेत्र	१६..१	२३.७	३६.०	४४.९	६६.२	७५.४	८३.८	९१.६
ग्रामीण क्षेत्र	६६.४	७७.८	९७.८	१०८.२	१२०.२	१३०.८	१४०.४	१४९.३
योग :-	८२.५	१०१.५	१३३.८	१६४.१	१८६.४	२०६.२	२२४.२	२४०.९

विशेष :- *२०११ से २०४१ के लिये अनुमानित

परिवारों की संख्या[3] (मिलियन में)

	१९७१	१९८१	१९९१	२००१	२०११*	२०२१	२०३१	२०४१
नगरीय क्षेत्र	१९.१	२९.३	४०.७	५९.४	६८.८	८०.२	८९.३	९७.९
ग्रामीण क्षेत्र	७८.०	९४.१	११२.५	१२१.०	१३०.७	१३६.७	१४२.१	१४५.६
योग	९७.०	१२३.४	१५३.२	१७८.५	१९९.५	२१६.९	२३१.४	२४५.५

विशेष :- *२०११ से २०४१ के लिये अनुमानित

1 Prominent Facts on Housing, 1997 Document of national Building Organization, Government of India.
2 Ibid
3 Ibid

उपरोक्त सारणियों से ज्ञात हो जाता है कि भारत में कुल परिवारों की संख्या की तुलना में रहने योग्य मकानों की संख्या कम है जिसके कारण भारत में आवासों की कमी की समस्या उत्पन्न हुई है। नगरीय क्षेत्रों में आवासों की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है। खासतौर से शहरों में, भूमि की कमी के कारण आवास निर्माण एक कठिन काम बन गया है। महानगरों में तथा अन्य बड़े शहरों में बहुत सारे लोग आवासों की भयंकर कमी की समस्या से ग्रस्त हैं। ''सांतवी योजना के प्रारम्भ में मकानो की अनुमानित कमी लगभग २५.० मिलियन इकाइयां थी। शहरी क्षेत्रों में १९९० तक यह कमी ९.७ मिलियन इकाइयो तक बढ़ गई। अकेले दिल्ली शहर में, जहां १९५७ से १९९० के बीच २.० मिलियन से ८.५ मिलियन की जनसंख्या वृद्धि हुई, प्रत्येक वर्ष ६०००० व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है जिन्हें नये आवास प्रदान करने की आवश्यकता होती है।''[1]

एक यू०एन०आई० की रिपोर्ट के अनुसार देहली की जनसंख्या के लगभग ७० प्रतिशत व्यक्ति निम्न स्तर की परिस्थितियों में रहते है। १९९२ में देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या लगभग ४५ मिलियन थी। इसमें से दिल्ली में उसकी जनसंख्या के ४४ प्रतिशत लोग मलिन बस्तियों में रहते थे, बम्बई की झोपड़ पट्टी व चाल में ४५.० प्रतिशत, कलकत्ता की बस्तियों में ४२.० प्रतिशत और मद्रास की चेरीज़ में ३९.० प्रतिशत। बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, नागपुर और जयपुर आदि महानगरों में भी स्थिति कोई इससे अधिक अच्छी नहीं थी।''[2] भारत में १९९१-२००१ के दौरान आवासों की कमी को अग्रांकित सारणी में दर्शाया गया है :-

---

1. Ahuja, Ram, (1997), Indian Social Problems, Page – 176
2. The Hindustan Times, 21 June, 1993 and December, 1993

भारत में आवासों की कमी[1] (मिलियन में)

वर्ष	नगरीय क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में	योग
१९९१	१४.६७	८.२३	२२.९०
१९९२	१४.५३	८.०१	२२.५४
१९९३	१४.३७	७.९७	२२.३४
१९९४	१४.२१	७.९१	२२.१२
१९९५	१४.०४	७.८२	२१.८६
१९९६	१३.८५	७.७१	२१.५६
१९९७	१३.६६	७.५७	२१.२३
१९९८	१३.४५	७.३६	२०.८१
१९९९	१३.२३	७.१८	२०.४१
२०००	१३.००	६.९३	१९.९३
२००१	१२.७६	६.६४	१९.४०

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता हैं कि साल दर साल जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण आवासों की कमी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सन् २००० में यह कमी १९.९३ मिलियन आवास इकाई थी तथा सन् २००१ में यह संख्या १९.४० मिलियन आवास इकाई हो गई। आवासों की कमी कई कारकों के परिणामरूपरूप होती है जैसे - भूमि की ऊँची कीमतें, निर्माण सामग्री के बढ़ते मूल्य, कम आमदनी, फंड की कमी, सार्वजनिक क्षेत्र का अपर्याप्त विभाजन आदि।

---

1. Documents of National Building Organization, Cited from Ansari, P.N., Housing Situation : The Malaise and Some Suggestions, Yojana, Volume 43, No. 43, March. 1999.

आवासों की कमी (लाख में)[1]
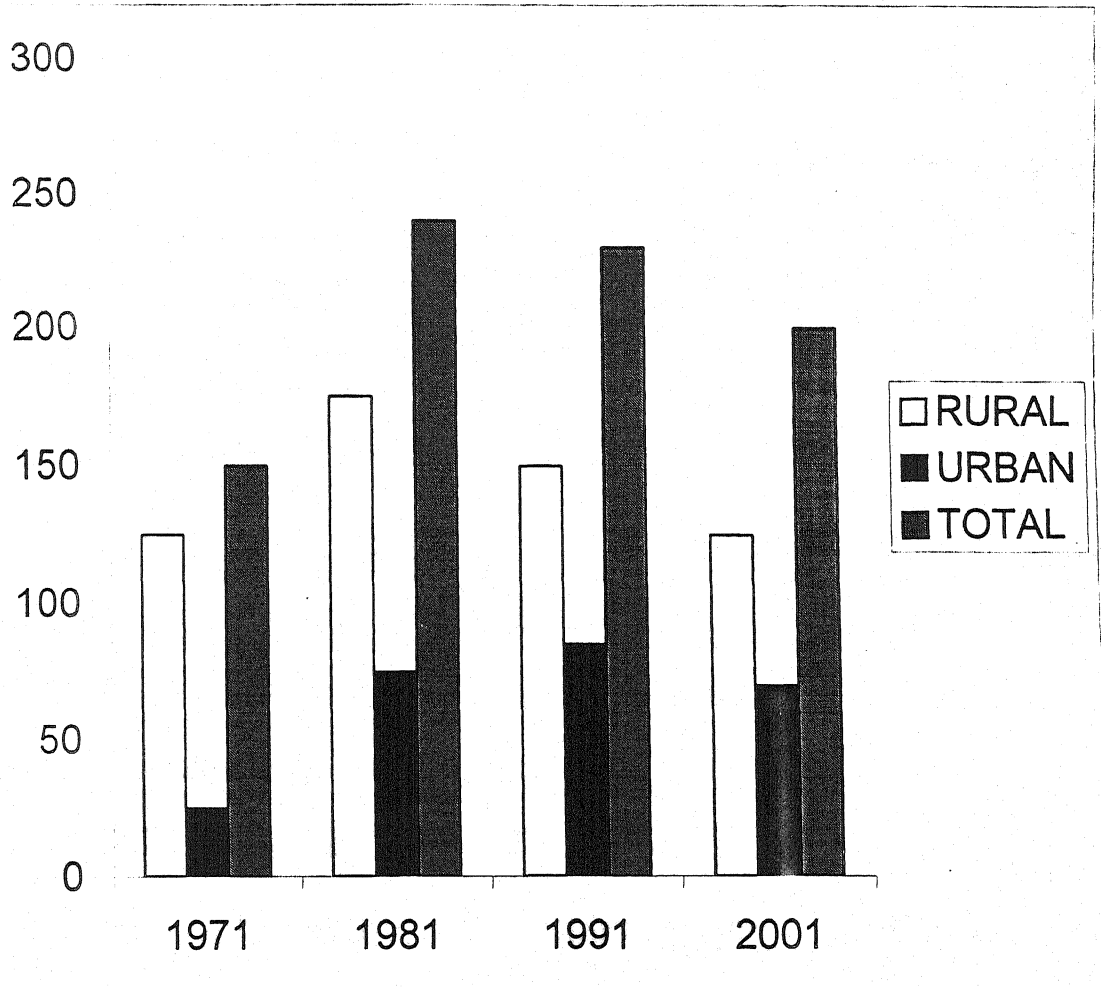
उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि आवासों की कमी की समस्या ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में समान रूप से विद्यमान है। यह समस्या १९७१ के मुकाबले १९८१ में विकराल हुई तथा १९८१ से १९९१ और २००१ में आवासों की कमी की तुलना से भी कोई संतोषजनक हल निकलता नहीं दिखाई देता है क्योंकि १९८१ से २००१ की अवधि में जनसंख्यावृद्धि के कारण यह सुधार नगण्य ही है।

भारत जैसे विकासशील देश में आवासों की कमी गंभीर समस्या बन गयी है क्योंकि एक ओर तो जनसंख्या के अनुपात में मकानों की संख्या नहीं बढ़ रही है और दूसरी ओर मकान निर्माण सामग्री के मूल्य में निरन्तर वृद्धि हो रही है। नयी सहस्राब्दी में मकानों की कमी एक चुनौती बनकर सामने आयी है।

1. Prominent Facts on Housing 1997, National Building Organization, Ministry of Urban Affairs Government of India.

भारतीय शहरों में आवास समस्या तथा मलिन बस्तियों की वृद्धि से सम्बन्धित सर्वेक्षण में भारत में मलिन बस्तियों की समस्या की विशालता को निरूपित किया गया है। तेजी से बढ़ते हुए नगरीकरण की प्रक्रिया मलिन बस्तियों की वृद्धि की समस्या को साथ लाई। यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि नगरीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी और मलिन बस्तियों की संरचना भी जारी रहेगी।

योजना आयोग (टास्क फोर्स) के अनुसार - ''सन् १९८१ में देश में मलिन बस्तियों की जनसंख्या ३२ से ४० मिलियन के बीच थी जो कि संपूर्ण शहरी आबादी का २० से २५ प्रतिशत था।''[1]

राष्ट्रीय आवास संगठन के अनुसार-''सन् १९८१ में भारत की जनसंख्या का लगभग १९ प्रतिशत मलिन बस्तियों में निवास करता था। क्लास-१ शहरों में (१ लाख से ३ लाख की जनसंख्या वाले शहर) तुलनात्मक रूप से नगरीय जनसंख्या का १८.१२ प्रतिशत हिस्सा मलिन बस्तियों की जनसंख्या का था। क्लास-१ शहरों की पूर्ण मलिन बस्तियों का लगभग ५६ प्रतिशत महानगरों में रहता था''।[2]

टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार ''चयनित राज्यों (११) की नगरीय जनसंख्या का २६ प्रतिशत हिस्सा मलिन बस्तियों में निवास करता है।''[3]

पुरानी दिल्ली में पिछले ५० वर्षो में शहर के सभी भागों पर मलिन आवासीय दशाओं ने अधिकार कर लिया है। शहर का लगभग २४ प्रतिशत कटरा और बस्तियों में निवास करता है। मुम्बई नगर निगम के अनुसार-मुम्बई में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ८५ मलिन बस्तियां थी। सन् १९३६-३७ में इनकी संख्या १४४ हो गई और सन् १९६९ में वहां २०६ झोपड़ पट्टी कालोनियाँ थीं जिनमें १०८ से २७३ झोपड़ियाँ थीं। जिनमें ६३१ से ८८८ लोग रहते थे। पुणे नगर की झोपड़पट्टियों

---

1. Task Force on Planning Commission, Government of India.
2. Documents of national Building Organization, 1981, Government of India.
3. Documents of Town and Country Planning Organization, Ministry of Urban Affairs, Government of India

में सन् १९३७ में ८०० झोपड़ियां थी जो सन् १९५१ तक ६३०० तथा सन् १९६८ तक बढ़ कर १७४८२ हो गई। कलकत्ता में सन् १९८० में २७ लाख लोग मलिन बस्तियों में रहते थे। यह जनसंख्या सन् १९८४ तक बढ़ कर ३० लाख हो गई। कलकत्ता में लगभग ३००० मलिन बस्तियां हैं। कोलकाता महानगर जिला प्राधिकरण द्वारा सन् १९६६-१९८६ की मूल विकास योजना में कलकत्ता की भयावह समस्या का नवीन चित्र दर्शाया गया है। सी०एम०डी०ए० के नमूना सर्वेक्षण के अनुसार ३३.८ प्रतिशत मकानों में पक्की दीवारें नहीं थी। सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार लगभग ४९००० लोग फुटपाथों पर जीवन व्यतीत करने वाले थे।

चेन्नई में सन् १९३३ में जहां १८९ मलिन बस्तियां थी वहीं मात्र तीन दशक बाद सन् १९६३ में यह संख्या बढ़ कर ५४८ हो गई। सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार चेन्नई की कुल आबादी का लगभग एक चौथाई हिस्सा (२३.८ प्रतिशत) मलिन बस्तियों में निवास करता था।''[1] सन् १९६९ के अंत में कराये गये एक सर्वेक्षण में मलिन बस्तियों की संख्या ६५० से ऊपर बताई गई।''[2] एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार चूँकि मलिन बस्तियों के उन्मूलन के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं फिर भी यहां लगभग १००० मलिन बस्तियां हैं जिनमें नगर की एक तिहाई आबादी रहती है।

अहमदाबाद में सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार- ''कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत हिस्सा लगभग दो मिलियन (बीस लाख) लोग नगर के २५ में से १५ नगर निगमीय वार्डो में रहते थे।''[3] एक अन्य अनुमान के अनुसार '' मलिन बस्तियों की आबादी एक दशक में ही दुगुनी हो गई हैं यहां २५०००० लोग मलिन बस्तियों में रहने वाले तथा ९००० लोग फुटपाथों पर रहने वाले हैं।''[4]

---

1. Census 1961 : 9, Special Volume on Madras Slums. Government of Idnia.
2. Times of India, November 21, 1969 : 8.
3. Census 1961a 332, Government of India
4. Times of India, June 25, 1971.

बंगलौर शहर की जनसंख्या सन् १९७१ में १६.४ लाख थी जो ७६ प्रतिशत बढ़ कर सन् १९८१ में २९.१ लाख हो गई। बंगलौर में सन् १९७२ में मलिन बस्तियों की संख्या १९५ थी जो सन् १९८२ में बढ़ कर २८७ हो गई। इसी प्रकार मलिन बस्तियों की जनसंख्या १.३ लाख से बढ़ कर ३ लाख हो गई जो शहर के कार्पोरेशन क्षेत्र के ११ प्रतिशत हिस्से अर्थात् ३४५१ एकड़ में निवास करती हैं। नगरीकरण की तीव्र वृद्धि संतुलित विकास की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं देती है बल्कि नगरीकरण के परिणामस्वरूप जनसंख्या, मलिन बस्तियों तथा प्रव्रजन के तीव्र विकास का संकट और बढ़ जाता है। यह सामान्यत: देखा जाता है कि छोटे तथा मध्यम शहरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत बड़े शहरों की तुलना में कम होता है। कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई (३.२ मिलियन, २.६ मिलियन तथा १.३ मिलियन) को पछाड़ते हुए मुम्बई का (३.३ मिलियन) मलिन बस्तियों की सर्वाधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान है। अन्य शहरों जैसे - कानपुर में ६८०००० तथा बंगलौर में ५१०००० लोग मलि न बस्तियों में रहते हैं। मलिन बस्तियों के तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति ने नगर नियोजकों, प्रशासकों तथा नीति निर्धारकों को गंभीर संकट में ला खड़ा किया है।''[1]

भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सम्बन्ध शहरों की संपूर्ण जनसंख्या से है जो सन् १९८१ से लगातार बढ़ रही है। सन् २००० में इसमें तीव्र वृद्धि हुई है। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या में सन् १९८१ से सन् २००० की अवधि में तीव्र वृद्धि हुई जिसे निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है :-

---

1 Bhargava Gopal (2001), Development of India's Urban, Rural and Regional Planning in 21st Century, Gyan Publishing House, New Delhi.

भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या[1]

वर्ष	नगरीय जनसंख्या	मलिन बस्तियों की जनसंख्या का प्रतिशत	
१९८१	१६२	३२ (२०%)	४२ (२४.७%)
१९८५	१८८	३८ (२०.२%)	४६ (२५%)
१९९०	२२५	४५ (२०%)	५६ (२४.९%)
२०००	३१०	६२ (२०%)	७८ (२५.२%)

भारतीय महानगरों में मलिन आवासीय जनसंख्या[2]

अनुमानित आंकड़े (मिलियन में)

महानगरों के नाम	मलिन आवासीय जनसंख्या				
	१९८१	१९९१	२००१	२०११*	२०२१
१. ग्रेटर बाम्बे	२.८३	४.३१	६.५९	८.२९	१०.०४
२. कलकत्ता	३.०३	३.५९	४.२६	५.१२	६.०४
३. दिल्ली	१.८०	२.६३	३.८५	५.०५	६.१९
४. मद्रास	१.३६	१.७२	२.१५	२.८८	३.७२
५. हैदराबाद	०.५०	०.८४	१.४१	२.२५	३.१६
६. बंगलौर	०.३१	०.४३	०.६०	१.२०	१.९३
७. अहमदाबाद	०.५४	०.६७	०.८७	१.४८	२.२५

---

1. Task Force on Planning for Urban Development, Planning Commission, Government of India Estimates Cited From Sudesh Nangia, "Slum of Urban India : Planning and Policy Actions", The Civil Affairs, December, 1987.
2. Town and Country Planning Organization, Ministry of Urban Development, Govt. of India, Handbook of Housing Statistic, Part-1, 1996

महानगरों के नाम	मलिन आवासीय जनसंख्या				
	१९८१	१९९१	२००१	२०११*	२०२१
८. पुणे	०.२७	०.४१	०.६०	१.२०	१.९७
९. कानपुर	०.६१	०.७९	१.०२	१.६४	२.४२
१०. नागपुर	०.४२	०.५३	०.६८	१.२६	२.०१
११. लखनऊ	०.२९	०.४६	०.७५	१.४२	२.२३
१२. सूरत	०.२३	०.३९	०.६५	१.३०	२.०९
१३. जयपुर	०.३०	०.४४	०.६५	१.२७	२.०५
१४. कोच्चि	०.१७	०.२८	०.४७	१.०५	१.८०
१५. बड़ोदरा	०.१२	०.१८	०.२६	०.४०	०.५३
१६. इन्दौर	०.१३	०.१७	०.२२	०.७४	१.४६
१७. कोयम्बटूर	-	०.२३	०.२८	०.४०	०.८४
१८. पटना	०.५८	०.७०	०.८४	१.४१	२.१५
१९. मदुरै	-	०.२२	०.२६	०.४२	०.९१
२०. भोपाल	०.०६	०.०९	०.१४	०.२१	०.३२
२१. विशाखापट्नम	०.१५	०.२६	०.४६	०.९८	१.७२
२२. लुधियाना	०.३१	०.५२	०.८५	१.३६	२.०७
२३. वाराणसी	०.२६	०.३४	०.४३	०.५९	१.०१
कुल योग-	१४.२७	२०.२८	२८.२९	४२.९२	५७.८१

विशेष:- * २०११ तथा २०२१ के लिये अनुमानित

आवासों एवं मलिन बस्तियों की समस्या को हल करने के लिये किए गऐ सरकारी प्रयास :-

आवास एवं गन्दी बस्तियों की समस्या को हल करने के लिये केन्द्र सरकार, नगरपालिकाओं एवं बीमा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। भारत में दिनों दिन स्वास्थ्यप्रद आवास की समस्या बढ़ती जा रही है। १९९१ में भारत में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या ४.८८ करोड़ थी, यद्यपि कुछ योजनाओं द्वारा अब तक ५० लाख लोगों के लिए ही आवास की सुविधा जुटायी गयी है। विभिन्न योजनाओं के द्वारा पानी की सुविधाएं देने, नालियों की व्यवस्था करने, गलियों को सुधारने और शौचालय बनाने की व्यवस्था भी की गयी है। नगरों में बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास की समस्या को हल करना अति आवश्यक है। भारत में आवास एवं गन्दी बस्तियों की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए किए गए प्रयास निम्न प्रकार है :-

(१) <u>आवास - वित्त</u> - केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं जीवन बीमा निगम द्वारा अपने कर्मचारी एवं बीमादारों को भवन - निर्माण हेतु कम ब्याज पर धनराशि प्रदान की जाती है। आवास एवं नगर विकास निगम भी वित्त प्रदान करता है। अनुसूचित बैंक भी आवास के लिए धन प्रदान करते हैं। जहां पहली पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में कुल निवेश के ३४ प्रतिशत के बराबर निवेश किया गया, वहीं सातवीं योजना में यह निवेश मात्र १० प्रतिशत रह गया। आठवीं योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु ६,३७७ करोड़ रूपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आवास नीति के एक भाग के रूप में सरकार द्वारा निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :

१- १९८८ में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक गृह-ऋण खाता योजना, वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा आवास के लिए पुनर्वित योजना तथा हुडको (Housing and Urban Development Corporation (HUDCO)) के माध्यम से भूमि विकास और वित्तीय कार्यक्रम चला रहा है। इसने मार्च १९९५ तक भवन निर्माण हेतु २९८.२८ करोड़ रूपयों का ऋण दिया है।

२- हुडको की गतिविधियों का विस्तार हुआ है। उसने वर्ष १९९९-२००० के दौरान आवास तथा शहरी मूलभूत ढांचे से सम्बन्धित योजनाओं के लिए ८,८९९ करोड़ रूपये के ऋण मंजूर किए। इस अवधि के दौरान ४,४१२.४० करोड़ रूपए के ऋण जारी किए गए। मार्च, १९९९ को हुडको ने 'हुडको विकास' नाम से व्यक्तिगत आधार पर वित्त उपलब्ध कराने की एक योजना आरम्भ की जिसके अन्तर्गत देश भर में १,८२,३७० मकानों के लिए १,२५९.९७ करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई। हुडको ने ९८ प्रतिशत आवास कमजोर वर्गो और कम आय वाले समूहों को दिए हैं।

३- नेहरू रोजगार योजना के तहत सरकार नगरों में रहने वाले गरीब परिवारों को आवास की सुविधा के लिए चार हजार रूपए प्रति परिवार सहायता देती है।

(२) <u>१९८४ में भारत सरकार ने भवन -</u> निर्माण एवं अनुसन्धान के लिए 'राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन' (National Building Organization) की स्थापना की जो आवास सम्बन्धी तकनीकी सलाह देने, इमारती सामान के प्रयोग में सुधार और आवास सम्बन्धी सामाजिक - आर्थिक पहलुओं पर अनुसन्धान करने का कार्य करता है। इसके अन्तर्गत वल्लभ विद्यानगर (आनन्द),

बंगलौर, कोलकाता, चण्डीगढ, नई दिल्ली, श्रीनगर और जोधपुर में कई ग्रामीण आवास शाखाएं कार्य कर रही हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के क्षेत्रीय आवास के केन्द्र रूप में कार्य करती हैं। पिछले तीन दशकों में योजनाओं के माध्यम से आवास पर सरकारी खर्च १,२९३ करोड़ रूपये हुआ। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा सहायता एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा लगभग १,८०० करोड़ रूपए खर्च किए गए। निजी क्षेत्रकों द्वारा १२,७४० करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान है।

(३) राज्य क्षेत्र की योजनाएं - विभिन्न राज्यों ने आवास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बना रखीं हैं। वे निम्न प्रकार हैं :

(क) समेकित (Integrated) सहायता प्राप्त आवास योजना - यह योजना १९५२ में औद्योगिक श्रमिकों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को मकान बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। यह सहायता उसे दी जाती है जिसकी मासिक आय ५०० रूपए से अधिक न हों।

(ख) कम आय वर्ग आवास योजना - १९५४ में निम्न वर्ग आवास योजना आरम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत उन लोगों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिनकी मासिक आय ७०० रूपयों से अधिक नहीं हो। इस योजना में अधिकतम ऋणराशि १४,५०० रूपए तक हो सकती है।

(ग) मध्यम आय वर्ग योजना - इसका प्रारम्भ १९५९ में हुआ। यह राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार अथवा जीवन बीमा निगम द्वारा प्राप्त ऋणों द्वारा चलायी जाती है। इस योजना से उन व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय ७२०१ से १८००० रूपयों के बीच हो।

ऋण की अधिकतम राशि २७५०० रूपए तक हो सकती है। इसी प्रकार से बने बनाए मकान खरीदने के लिए भी ऋण प्रदान किए जाते हैं।

(घ) ग्रामीण आवास योजना- यह योजना १९५७ में शुरू हुई। इसके अन्तर्गत ग्रामों में मकान बनाने के लिए एक व्यक्ति को ५००० रूपए तक का ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गांवों में वातावरण सुधारने तथा गलियों व नालियों के निर्माण के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है।

(ङ) किराया आवास योजना- यह योजना राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए है जो १९५९ से प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाकर किराए पर देती हैं।

(च) भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना - इसका प्रारम्भ १९५९में हुआ। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें और केन्द्र शासित क्षेत्रों में शासन शहरी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण कर उसका विकास करता है ताकि कम आय वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिए उचित मूल्य पर प्लाट मिल सके।

(छ) इन्दिरा आवास योजना १९८५-८६ से प्रारम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और मुक्त किए गए बन्धुआ मजदूरों और गैर - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में आने वाले ग्रामीण गरीबों के लिए मकान बनाए जाते हैं।

(४) <u>केन्द्रीय क्षेत्रों की योजना-</u> केन्द्र द्वारा बागान श्रमिकों के आवास के लिए निम्नांकित योजना चलायी जा रही है :-

<u>बागान श्रमिक आवास योजना -</u> यह योजना १९५६ में प्रारम्भ की गयी। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार बागान मालिकों को बागान श्रमिकों हेतु बिना ब्याज लिए ५० प्रतिशत ऋण और ३७.५ प्रतिशत अनुदान देती है। यह योजना असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, आदि छः राज्यों में लागू है। अनुमान है कि बागान श्रमिकों की संख्या ५,५३,७२३ है जिनमें से ३,८५,१०९ श्रमिकों को आवास की सुविधा दी जा चुकी है।

(५) शहरी भूमि का समाजीकरण - १७ फरवरी १९७६ में शहरी भूमि (सीमा तथा नियमन) अधिनियम लागू किया गया। इसका उद्देश्य सट्टेबाजी को रोकना एवं शहरी भूमि के समाजीकरण की नीति को क्रियान्वित करना है। यह अधिनियम खाली पड़ी भूमि की मिल्कियत की सीमा तय करता है और सीमा से अधिक भूमि को सरकार द्वारा अधिकार में करने का प्रावधान करता है।

(६) गन्दी बस्तियों के पर्यावरण का सुधार- यह योजना १९७२ में प्रारम्भ की गयी। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत गन्दी बस्तियों में पीने के पानी, जल-मल निकास, गुसलखाने व शौचालय बनाने, रोशनी का प्रबन्ध व गलियों को चौड़ा एवं पक्का करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(७) नगर विकास- नगरों में योजनाबद्ध विकास का कार्यक्रम भी चालू है। तीसरी योजना से ही इस पर विशेष ध्यान दिया गया और केन्द्र सरकार ने इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को ३ करोड़ की राशि प्रदान की थी। १९६९ से ही राज्य सरकारें शहरों के लिए मास्टर प्लान व क्षेत्रीय प्लान बना रही है। १९७९-८० से छोटे और मंझले दर्जे के शहरों के समन्वित विकास के लिए शुरू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत् २३७ नगरों का विकास किया जा चुका है।

(८) फुटपाथ पर रहने वालों के लिए कार्य योजना- शहरी विकास मंत्रालय ने महानगरों में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए आवास योजना बनाई है। यह १० लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में लागू की गयी। ८वीं योजना में इस योजना के अन्तर्गत ५ लाख लोगों को लाभ पहुंचाया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमान लगाया गया कि योजना- अवधि में १५९.५ लाख रहने की नई इकाइयां बनवाने तथा ५२.२ लाख पुरानी इकाइयों को उन्नत करने में करीब ७७५०० करोड़ रूपऐ खर्च होंगे जिसमें से अधिकांश भाग निजी निगम क्षेत्र से खर्च होगा। सार्वजनिक क्षेत्र से ७००० करोड़ रूपए खर्च होंगे।

१९८५-८६ में केन्द्रीय सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूरों के लिए प्रारम्भ की गयी। इस योजना के तहत रहने की इकाई (मकान) बनवाने हेतु प्रति इकाई के लिए १२,७०० रूपए सहायता के रूप में दिए जाते हैं।

आवास योजना तथा आश्रय - स्थल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत ६.२५ प्रतिशत ब्याज दर पर ३००० रूपए कर्ज तथा १००० रूपए सरकारी सहायता के रूप में दिए जाते हैं। इस योजना के तहत लाभग्राही नगरीय क्षेत्रों में निर्धन तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग आते हैं। यह योजना उन नगरों के लिए विशेषत: लागू है जहां कि जनसंख्या १ लाख से २० लाख तक है।

झुग्गी बस्तियों के विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम - यह कार्यक्रम १९९६ में कानपुर में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों (Slums) के विकास के लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त सहायता दी जाती है। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्याप्त और सन्तोषजनक जल-आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं, प्रौढ़ शिक्षा आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक मूलभूत

सुविधाओं, आश्रय की व्यवस्था, शहरी गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण, प्रशिक्षण, कार्यकुशलता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम की शुरूआत से केन्द्र सरकार १,२८६.४५ करोड़ रूपये जारी कर चुकी है जिसमें से वर्ष १९९९-२००० तक ४८३.५८ करोड़ रूपए का उपयोग कर करीब २.९० करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया।

नगरों में पटरियों (Footpaths) पर रहने वालों के लिए कार्य-योजना नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों के लिए है जो पूर्णत: आश्रय स्थल रहित है। इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय स्थल (शरणार्थी -स्थल) उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पटरियों पर निवास करने वाले लोगों की पुनर्वास योजना के तहत उन नगरों को लिया गया है जिनकी जनसंख्या १० लाख से अधिक है। ऐसे नगरों में रैन - बसेरा तथा शौचालयों की व्यवस्था की गयी है। आठवीं योजना में इस कार्य-योजना के तहत ५ लाख लोगों को लाभ पहुंचाया गया। देश के विभिन्न भागों में हुडको द्वारा १९९१ से ३० जून, १९९७ तक २४००० फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लाभ हेतु ५६ योजनाएं स्वीकृत की गयीं। केन्द्र में बनी भारतीय जनता पार्टी एवं सहयोगी दलों की नई सरकार ने प्रतिवर्ष में २० लाख नये मकान बनवाने का निश्चय किया है जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

मलिन आवासों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु झाँसी जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा चलायी गयी योजनायें :-

(1) <u>बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना : इस योजना को दो भागों में बांटा जा सकता है :-</u>

(अ) इस योजना में मलिन बस्तियों के निवासियों को आवास सरकारी भूमि पर जो नगर निगम या नजूल की हो ऐसी भूमि पर बनाकर दिये जाते हैं। प्रत्येक

मकान में एक कमरा, रसोईघर, लैट्रिन, बाथरूम होता है। मकान की लागत रू० ४०००० निर्धारित की गई है। प्रति आवास कम से कम १५ वर्ग मीटर क्षेत्र कवर किया जाता है। रू० ४०००० की लागत में रू० ५००० लाभार्थी को जमा करने पड़ते हैं। रू० १५००० का लोन (ऋण) बैंक के माध्यम से जमा किया जाता है। जिसे १० वर्षो में आसान किश्तों पर मय ब्याज के बापस करना पड़ता है जबकि रू० २०००० लाभार्थी को अनुदान स्वरूप दिये जाते है।

(ब) इस योजना के तहत लाभार्थी के स्वयं की जमीन पर आवास बनाकर दिये जाते हैं। इन योजनाओं में ५० प्रतिशत का आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति को, १५ प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्गो को तथा ३ प्रतिशत आरक्षण शारीरिक विकलांगों को प्राप्त है।

(2) निर्मल भारत अभियान योजना:- इस योजना के तहत शहरी मलिन बस्तियों में सार्वजनिक शौचालय एवं सामुदायिक केन्द्र का जिला नगरीय विकास अभिकरण के माध्यम से निर्माण कराया जाता है। इसके तहत ५० प्रतिशत खर्च (लागत का) स्थानीय निकायों, अन्य स्वायत्त संस्थाओं या सांसद निधि अथवा विधायक निधि से लगाया जाता है एवं ५० प्रतिशत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है।

(३) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार ऋण योजना :- इस योजना का संचालन पूरे देश में दिनांक १.१२.१९९७ से प्रारम्भ हुआ। इस योजना के तहत शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों का आर्थिक स्तर सुधारने के दृष्टिकोण से शासन द्वारा विभिन्न रोजगार शुरू करने के लिए रू० ५०००० तक का ऋृण बैंक के माध्यम से दिया जाता है। जिसमें १५ प्रतिशत अनुदान

स्वरूप, ५ प्रतिशत लाभार्थी को मार्जिन मनी के रूप में जमा करना पड़ता है तथा शेष बैंक के माध्यम से दिया जाता है।

(४) स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना:- इस योजना के अन्तर्गत शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को कौशल सुधार के दृष्टिकोण से समूह बनाकर प्रशिक्षण का कार्य कराया जाता है। जिससे वह अपना व्यवसाय कर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन सके। प्रशिक्षण का कार्य मास्टर ट्रेनर के द्वारा कराया जाता है। इसमें लगने वाले कच्चे माल का प्रबन्ध शासन द्वारा कराया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि ३ से ६ माह की होती है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को रू० १०० प्रतिमाह प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है। प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं रू० ६०० मूल्य की किट प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत कुर्सी बिनना, फूल बनाना, सॉफ्ट ट्वायज बनाना, पर्स-बैग आदि बनाना, रेडियो रिपेयरिंग, अन्य तकनीकी प्रशिक्षण दिये जाते है।

(५) स्वयं सहायता समूह योजना:- इस योजना के अन्तर्गत शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के जीवन - स्तर को ऊपर उठाने तथा आर्थिक सहयोग के दृष्टिकोण से १० से १५ महिलाओं के समूह बनाये जाते हैं इस योजना में सभी महिलाओं को एक निश्चित रकम, जो वो स्वयं निर्धारित करती हैं, को बैंक के माध्यम से खाते में जमा करायी जाती है। वर्ष के अन्त में जितनी राशि समूह द्वारा जमा की जाती है उतनी ही राशि शासन द्वारा दी जाती है। इस योजना की विशेषता है कि जो महिला पूरे वर्ष में रू० ७५० जमा करती है उस महिला का एवं उसके पति का रू० २५००० का बीमा शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप मुफ्त में कराया जाता है।

(६) बालिका समृद्धि योजना:- इस योजना के तहत वर्ष १९९७ के बाद पैदा हुई दूसरी पुत्री तक रू० ५०० की राशि शासन द्वारा दी जाती है। इस राशि में रू० ४०० एन०एस०सी० के रूप में दिये जाते है, रू० ९५ की बीमा राशि द्वारा बालिका के माता पिता का बीमा कराया जाता है तथा रू० ५ नगद दिये जाते है।

(७) कन्यादान योजना:- इस योजना के अन्तर्गत शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली गरीब बालिकाओं के विवाह के लिये सामूहिक विवाह कराकर रू० २५०० प्रति बालिका के लिये शासन द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

(८) सुलभ शौचालय:- जिन मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है, वहां इस योजना के तहत सुलभ शौचालय काम्प्लैक्स का निर्माण डूडा के माध्यम से कराया जाता है। जिसके रख रखाव हेतु संविदा पर व्यवस्था की जाती है। इन शौचालयों के रख रखाव के लिये प्रतिमाह न्यूनतम शुल्क के रूप में कुछ राशि प्रति परिवार को देनी पड़ती है।

(९) राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना:- इस योजना के तहत शहरी मलिन बस्तियों में खडण्जा निर्माण, नाली निर्माण, पेयजल हेतु हैण्डपम्प की स्थापना एवं सड़कों के दोनों ओर प्रकाश व्यवस्था के लिये विद्युत खम्भों की स्थापना के कार्य कराये जाते हैं।

अन्य योजनाओं के तहत डूडा द्वारा मूत्रालय का निर्माण, सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण तथा समय - समय पर शासन द्वारा प्रेषित योजनाओं के तहत मलिन बस्तियों के परिवारों को लाभान्वित कराया जाता है।

प्रस्तुत सारणी विभिन्न वर्षो में ई०आई०यू०एस० योजना के तहत व्यय धनराशि, भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

Plan Wise Financial Qutlays, Expenditure, Physical Targets and Achievements of Environment Improvement of Urban Slum Scheme[1] (EIUS)

Period	Financial Qutlay			Total Qutlay (O) Total Expenditure (E)	Physical Target	Physical Achievement
	Under	Central	Total			
6th Plan	151.19	20.97	172.16	172.16 (O)	94.58	93.38
				186.00 (E)		
7th Plan	236.06	-	236.06	236.06 (O)	76.90	99.80
				241.98 (E)		
1990-91	65.29	-	65.29	65.29 (O)	15.40	19.36
				65.99 (E)		
1991-92	63.42	-	63.42	63.42 (O)	12.96	16.23
1992	79.64	-	79.64	79.64 (O)	11.78	11.72
				81.79 (E)		
1993-94	62.84	-	62.84	62.84 (O)	13.18	13.01
				62.84 (E)		
1994-95	78.47	-	78.47	78.47 (O)	14.63	16.66
				78.47 (E)		
1995-96	108.33	-	108.33	108.33 (O)	15.89	17.41
				108.33 (E)		
1996-97	-	-	-	15.71	20.10	-
Total	845.24	20.97	866.21	866.21 (O)	271.03	307.67
				866.21 (E)		

1. Figure given in columns 2,3,4,5 are in Rs. crores.
2. Figures given in column 5 are yearwise allocated outlays (O) and total expenditure (E).
3. Physical targets/achievements are persons in lakhs.
4. The per capita assistance permissible under the EIUS scheme since 1972 is given below:

---

1. Training Programme on Tackling Urban Slums Background Material held on 17-21 November, 1999

1972 (3rd year of 4th Plan) Rs. 120

1978 (3rd year of 5th Plan) Rs. 150

1.4.1984 (last year of 6th plan) Rs. 250

1.4.1985 (Ist year of the 7th Plan) Rs. 300

1.4.1991 (Annual Plan) Rs. 525.

1.4.1995 (4th year of the 8th Plan) Rs. 800

Source: Training Programme on Tackling Urban Slums Background Material held on 17-21 November, 1999 sponsored by Department of Personnel and Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions organized by Town and country Planning Organization, Ministry of Urban Development

प्रस्तुत तालिका में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में आवासों में निवेशित धनराशि पर प्रकाश डाला गया है :-

Table No. 1 (14)

Investment of Housing in Different Five year Plans[1]

Plan Period	Investment in Housing			Percent of Investment in Housing of Total Investment in Economy
	Public	Private	Total	
	(Rs. in Crores)			
1st	250	900	1150	34
2nd	300	1000	1300	19
3rd	425	1125	1550	15
4th	625	2175	2800	12
5th	796	3640	4436	9.3
6th	1491	18000	19491	12.3
7th	2458	29000	31458	9
8th	6377 + 25000 (Institutional)	Not ascertain		Around 1.5

Source : Ministry of Urban Development

1 Cited from Ansari, P.N., Housing Situation: The malaise and Some suggestions, Yojana March, 1999.

<u>मलिन बस्ती सम्बन्धित अधिनियम-</u> ''मलिन बस्तियों और फुटपाथों पर रहने वाले व्यक्तियों की कानूनी सुरक्षा'' से सम्बन्धित रिपोर्ट तथा सुप्रीमकोर्ट के फैसले के अनुसार, यह घोषित किया गया कि मलिन बस्तियों और फुटपाथों पर रहने वालों की कानूनी उपायों द्वारा सुरक्षा की जाये और उन्हें तब वैकल्पिक स्थान व आवास प्रदान किया जाये जब भी स्थानीय निकायों द्वारा उन्हें हटाया जा रहा हो।

नगरीय मास्टर प्लान में अतिक्रमण रोकने और भूमि उपयोग प्रावधानों को लागू करने के लिये उपयुक्त कानून बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि आपसी समझौते में विवादों से बचा जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण रोकने और अवैधानिक निर्माण रोकने के लिये विभिन्न कानून हैं, जो इस प्रकार है : (१) पब्लिक प्रीमाइसिस एक्ट, १९७१ (जिसमें सार्वजनिक भूमि से अवैध निवासी को हटाये जाने की व्यवस्था है), (२) दिल्ली (रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर) लैण्ड्स एक्ट, १९७२, (३) द दिल्ली डेवलपमेन्ट एक्ट, १९५७; जिसका भाग ३० अवैध निर्माणों और उनके विकास पर रोक लगाता है। (४) द दिल्ली म्यूनिसीपल कार्पोरेशन एक्ट, १९५७, (जो अवैध निर्माण तथा उनके विकास पर रोक लगाता है।) (५) दि दिल्ली म्यूनिसीपल कार्पोरेशन एक्ट, १९५७, अवैध निर्माण को रोकता है। सक्षम अधिकारियों के पास जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध अवैध निर्माणों को तोड़ने, सील करने और कानूनी कार्यवाही करने के अधिकार हैं। उपरोक्त अधिनियमों में दण्ड दिलाने और जेल भिजवाने का भी प्रावधान है।

दिल्ली लैण्ड्स (रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर) एक्ट, १९७२ के भाग ||| के अनुसार कोई भी व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम १८९४ के अन्तर्गत या अन्य कानूनों द्वारा किसी अन्य प्रयोजन के लिये अधिग्रहीत भूमि को

बेचने के लिये स्थानान्तरण करने, गिरवी रखने, उपहार में देने या अन्य कार्यो के लिये देने में अपना मतलब नहीं रखेगा। क्योंकि यहां झुग्गी झोपड़ियों के बलपूर्वक ग्रहण करने और पुन: बेचने के कई उदाहरण हैं। मलिन बस्तियां महानगरों में और अन्य बड़े शहरों में अधिकाधिक संख्या में बढ़ती जा रही हैं। इस प्रक्रिया में, जो भूमि मास्टर प्लान में विशिष्ट उपयोग की है, वह आपसी समझौते के कारण हड़प ली जाती हैं। अत: मास्टर प्लान में भूमि उपयोग की योजना बिगड़ जाती है। निजी विकास करने वाले और कालोनी बसाने वाले अवैधानिक अधिग्रहण करते और निर्माण करते हैं तथा महानगरों व अन्य बड़े शहरों में वास्तविक भू-सम्पत्ति को बढ़ावा देते हैं। इस गतिविधि को रोकने के लिये कानून बनाये जाने की आवश्यकता है। मलिन बस्ती को जर्जर इमारतों, जगह की कमी, अत्यधिक भीड़ भाड़ और मूलभूत आवश्यकताओं की कमी जैसे पानी, नालियां और गंदगी निकास व्यवस्था की कमी आदि द्वारा संघटित माना जाता है।

केन्द्रीय अधिनियम जो स्लम एरियाज़ (इम्प्रूवमेन्ट एण्ड क्लियरेन्स) एक्ट, १९५६ (जो १ जुलाई १९७६ को संशोधित किया गया) अधिकतर कुछ केन्द्र शासित प्रदेशों की मलिन बस्तियों पर लागू होता है जहां किरायेदारों को मकान खाली से सुरक्षा प्रदान करता है।

आश्चर्यजनक रूप से ''स्लम क्लियरेन्स एण्ड इम्प्रूवमेन्ट एक्ट, १९५६'' का निवासी के रहने - बसने की बैधता से कोई लेना देना नहीं है। यह अधिनियम संरचनात्मक गुणवत्ता, स्वास्थ्य दशाओं और सुविधाओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में रहने के स्थान की अपर्याप्तता से ही सम्बद्ध है। इसका कानूनी बैधता अथवा अवैधता से कोई लेना देना नहीं है।

विभिन्न राज्यों के मलिन बस्ती अधिनियम इस प्रकार है :- (१) आन्ध्र प्रदेश स्लम इम्प्रूवमेन्ट एक्ट १९५६, मलिन बस्तियों में मूलभूत सेवाओं जैसे - सीवरेज,

जलापूर्ति, सड़कें और नालियों आदि की उपलब्धता और सुरक्षा के लिये बनाया गया है। आन्ध्र प्रदेश में मलिन बस्तियों से सम्बन्धित अधिनियम का सम्बन्ध मुख्य रूप से शहरी निर्धनों के आवास के लिये भूमि अधिग्रहण से ही है। (२) मध्य प्रदेश स्लम इम्प्रूवमेन्ट एक्ट, १९५६ मलिन बस्तियों में नागरिक सेवाओं में सुधार का प्रबन्ध करता है और भूमि अधिग्रहण योजनाओं की रूपरेखा बनाने पर भी जोर देता है। (३) असम स्लम एरिया (इम्प्रूवमेन्ट एण्ड क्लियरेन्स) एक्ट, १९५९ में सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और रहने के अनुकूल वातावरण बनाये रखने के लिये मलिन बस्ती में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। (४) पंजाब स्लम एरिया (इम्प्रूवमेन्ट एण्ड क्लियरेन्स) एक्ट, १९६१ में मलिन बस्तियों के किरायेदारों को मकान खाली कराने से बचाने की सुरक्षा प्रदान की गई है। (५) उत्तर प्रदेश स्लम एरिया (इम्प्रूवमेन्ट एण्ड क्लियरेन्स) एक्ट, १९६२ मलिन बस्ती के निवासियों को पुनर्वास की उचित व्यवस्था और किरायेदारों को मकान खाली करने से बचाने की सुरक्षा देता है। (६) तमिलनाडु स्लम एरिया (इम्प्रूवमेन्ट एण्ड क्लियरेन्स) एक्ट, १९७१ मलिन बस्ती में जन स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वस्थ पर्यावरण बनाने, जलापूर्ति और गंदगी निकासी आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में हैं। यह अधिनियम मलिन बस्ती के निवासियों के लिये अच्छे आवासों की व्यवस्था करता है। बाद में सुधरी हुई निवास परिस्थितियों पर भूमि अधिग्रहण विकास एवं सुधार के लिये ध्यान दिया गया है और पुनर्विकास एवं उन्मूलन और निवासियों के पुनर्वास हेतु उचित मूलभूत नागरिक सेवाओं की व्यवस्था की गई है। यह कानून मुख्यतः तमिलनाडु राज्य की मलिन बस्तियों के उन्मूलन एवं सुधार से सम्बन्धित है। (७) महाराष्ट्र स्लम एरिया (इम्प्रूवमेन्ट एण्ड क्लियरेन्स) एक्ट, १९७१ जिसमें १९८७ में संशोधन किया गया, में पुनर्वास कार्यक्रमों और किरायेदारों को हटाये जाने से सुरक्षा की व्यवस्था के जरिये सुधार और उन्मूलन पर भी ध्यान दिया गया है। (८)

पश्चिम बंगाल स्लम एरिया (इम्प्रूवमेन्ट एण्ड क्लियरेन्स) एक्ट, १९७२, गुजरात स्लम एरिया (इम्प्रूवमेन्ट एण्ड क्लियरेन्स) एक्ट १९७३ में मलिन बस्ती क्षेत्रों के सुधार एवं उन्मूलन पर अत्यधिक जोर देते हुए नागरिक सेवाओं की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। सन् १९९४ में सरकार ने मलिन बस्ती उन्मूलन अभियान को छोड़ दिया और उसके सुधार की रूप रेखा ने महत्व प्राप्त कर लिया है। तमिलनाडु में ज्यादा जोर सुधार पर ही दिया गया है और मलिन बस्ती के मौजूदा आवासीय क्षेत्रों का निपटारा कर लिया गया है और बने - बनाये आवास के लिये चिन्हित कर दिया हैं इस प्रकार तमिलनाडु मलिन बस्ती उन्मूलन और मुख्यत: सुधार कानून मलिन बस्ती क्षेत्रों के सुधार की बनी - बनाई रूप रेखा से सम्बन्धित है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने नगरीय मलिन बस्ती क्षेत्रों के निवासियों की गृह व्यवस्था तथा मूल भूत आवश्यक सुविधाओं को जुटाने की ओर विशेष ध्यान दिया। भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन' की भी स्थापना की है जो आवास समस्या को सुलझाने के लिये महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। देहरादून स्थित 'केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधानशाला' भी इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है।

इतना सब होते हुऐ भी सरकारी प्रयत्न जो मलिन बस्ती के निवासियों की समस्याओं को समाप्त करने के लिये किये गये हैं, पर्याप्त नहीं कहे जा सकते।

मलिन बस्तियों के उदय एवं विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-

मलिन बस्तियों के जन्म, उनकी उत्पत्ति तथा विकास को जान पाना बहुत मुश्किल है। यह एक सामान्य विश्वास है कि नगरीकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र की जनता के नगरीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पलायन की गति को बढ़ा देती है। दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में निम्नवर्ग के लोग समुदाय में प्रभावपूर्ण भागीदारी के

योग्य न होने के कारण तथा आवास सुविधाओं की कमी के कारण शहरों के किनारों पर रहना प्रारम्भ करते हैं और धीरे-धीरे ये क्षेत्र मलिन बस्तियों का रूप धारण कर लेते हैं। परन्तु, मलिन बस्तियों की उत्पत्ति की व्याख्या इतने साधारण रूप में नहीं की जा सकती है। वरन मलिन बस्तियाँ एक विशेष समाज में अनेक कारकों तथा परिस्थितियों का परिणाम होती है।

कुछ समाजशास्त्रियों ने मलिन बस्तियों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। राबर्ट ई. पार्क तथा बर्गेस, जोरबाग, होमर होयत, अब्राहम और जे.एम. मैकिन्टोस आदि समाज शास्त्रियों ने मलिन बस्तियों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्त प्रस्तुत किये है।

१. बर्गेस (१९६७:५५-५६) का विश्वास था कि मलिन बस्तियों का विकास केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र के बिना नहीं हो सकता है। किसी भी शहर के विकास की शुरूआत में यह क्षेत्र जो कि उच्चवर्ग का घर होता था, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विस्तार के साथ-२ शौकीन रिहायशी इलाका होता है। शहर के विकास के साथ ही यह क्षेत्र शहर के केन्द्र से दूर होता जाता है। इसके पास पड़ोस में औद्योगिक केन्द्र तथा थोक व्यापारिक केन्द्रों की भरमार होती है। इन केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्रों के चारों ओर कम आमदनी वाले मजदूर रहते और काम करते हैं। इन इमारतों के मालिक इन इमारतों की समय-२ पर मरम्मत नहीं कराते जिसके कारण ये इमारतें टूट-फूट जाती हैं और यह क्षेत्र भीड़ भाड़ युक्त हो जाता है और एक मलिन बस्ती का निर्माण हो जाता है।

''यह क्षेत्र बर्बादी का क्षेत्र भी कहलाता है जो केन्द्रीय क्रियाकलापों से घिरा रहता है और उनकी गरीबी, अवनति, बीमारी और छिपे तौर से बुराइयों और अपराध को समेटे हुऐ मलिन बस्ती और व्याधिक भूमि कहलाता है।''[१]

---

1. Burgess Park (1967), The City, Chicago, The University of Chicago Press, P.P. 55-56

२. श्री हार्वे डब्ल्यू. जोरवाघ (१९२९:१३२) ने शिकागो के उत्तर में स्थित मलिन बस्तियों पर टिप्पणी करते हुऐ कहा है कि, ''यह एक अव्यवस्थित और खण्डित क्षेत्र है जो विभेदकारी है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां कब्जा करने की प्रवृत्ति से भूमि की कीमत का सट्टा होने लगता है, किन्तु किराया कम रहता है, कुछ समय के लिये छोटा व्यवसाय उस क्षेत्र में शुरु हो जाता हैं जिसकी रिहायशी उद्देश्य के लिये कोई आवश्यकता नहीं रहती। यह धीरे-धीरे शहर के दूसरे क्षेत्रों से भिन्न और अलग प्रकार के लक्षणों से युक्त हो जाता है। यहां प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है तथा अत्यधिक प्राप्ति की आशाऐं आन्तरिक रूप से बाहर गतिशीलता बनाये रहती है और असमायोजित व्यक्तियों, मादक द्रव्यों के आदी और विधिविहीनों को अपने में समाहित कर लेते हैं। ये सारे लक्षण खासतौर से कुछ यूरोपियन शहरों में देखे गये हैं मलिन बस्तियों के परिवारों के सभी ब्यौरे कम या अधिक एक ही प्रकार की आर्थिक असफलता, दुर्भाग्य, शराबखोरी, जुआ, परिवार पर नियन्त्रण की न्यूनता आदि जो परिवार को मलिन बस्ती में रखे और सबसे दूर रहें, के विवरण देते हैं।[1]

शहरी भूमि के उपयोग के ऐसे परिवर्तन और प्रकार मलिन बस्तियों की वृद्धि करते हैं। यह निष्कर्ष बर्गेस तथा जोरवाघ दोनों का है। परन्तु मलिन बस्तियों की वृद्धि का यह पैमाना अमेरिकी नगरों में पाया जाता है, दुनिया के अन्य भागों में नहीं इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि मलिन बस्तियों की यह वृद्धि एक ही पैमाने के अनुसार सभी स्थानों पर होती है क्योंकि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां जगह-जगह बदलती रहती है।

---

1. H.W. Zorbaugh, (1929), The Gold Cost and The Slum, Chicago, The University Press of Chicago, Page 132

३. श्री होमर होयत (१९३९:७५-७७) ने शहरी ढ़ाँचे में परिवर्तन के सिद्धान्त को कुछ सुधारों के साथ समझाया है। उसके सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार पाई चित्र भिन्न अनुभागों में बंटा रहता है उसी प्रकार नगर विकास विभिन्न क्षेत्रों में बँटा रहता है। होमर होयत के अनुसार, ''औद्योगिक क्षेत्र नदियों की घाटियों तथा जल स्रोतों के आस-पास होते हैं और केन्द्र के बाहर रेल पटरियों के किनारे तथा कारखानों के समीप श्रमिकों के आवास झोपड़ पट्टी के रूप में बने होते हैं।[1]

४. लैटिन अमेरिकी शहरों में भी मलिन बस्तियों के विकास का यह ढाँचा नहीं देखा जा सकता जो कि केन्द्रीय क्षेत्र के आस-पास हो। श्री स्कोनर की राय है कि उत्तरी अमेरिकी नगरीय क्षेत्रों की तरह अन्य शहर क्षेत्रीय ढाँचे का अनुसरण नहीं करते हैं। लैटिन अमेरिका की मलिन बस्तियाँ शहर के बाहरी हिस्से में विकसित हुई हैं। इन बाहरी मलिन बस्तियों में रहने की दशा और स्वास्थ्य व सफाई का स्तर अत्यन्त निम्न बताया गया है और नगरीय अधिकारी इनकी दशा सुधारने के अपने प्रयासों में अप्रभावी और शक्तिहीन है''।[2] कुछ लोग मानते हैं कि मलिन बस्तियों की रचना आवासों की कमी के कारण हुई है।

५. एक अन्य सिद्धान्त के अनुसार ''मलिन बस्तियों के उद्‌भव तथा विकास के बारे में बताया गया है कि मलिन बस्ती उन्मूलन कार्यक्रमों के कारण कम आमदनी वाले परिवारों के लिये उपलब्ध मकानों की संख्या घट गई है और इस तरह नये-नये क्षेत्रों में भीड़ भाड़ अधिक हो गई है''[3]

यद्यपि ये सर्वेक्षण मलिन बस्तियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तथा उनके विकास और प्रकार के विषय में कुछ अन्तर्दृष्टि देते हैं परन्तु स्वतन्त्र रूप से इनमें से

---

1. Homer Hoyt, (1939), The Structure and Growth of Residential Neighbourhood in American Cities, Washington D.C. Federal Housing Administration, Page : 75-77
2. Leo F. Schonore, "On the special Pattern of Cities in Two American City, In the Study of Urbanisation, Ed. Phillip Schonore, Mcmillan House, New York, Page - 266
3. Miles L. Colean, (1953), "Renewing Our Cities" , New York, The Twentieth Century Fund, page - 22

किसी एक प्रस्ताव को पूर्णत: स्वीकार कर लेना कठिन है। ये सारे प्रस्ताव पश्चिमी समाज वैज्ञानिकों द्वारा पश्चिम की मलिन बस्तियों के अध्ययन के आधार पर बनाये गये हैं और वे विकासशील समाज के कई क्रियाशील संयुक्त सामाजिक-आर्थिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक तत्वों की अनदेखी कर देते हैं।

विश्व के विभिन्न भागों में मलिन बस्तियों ने विशिष्ट स्वरूप प्राप्त कर लिया है। कुछ लेखकों ने मलिन बस्तियों की प्रकृति को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। उनमें हरबर्ट गैन्स तथा चार्ल्स जे. स्टोक्स मुख्य है।

१. हरबर्ट गैन्स (१९६२:१५) जो एक समाजशास्त्री है ने बोस्टन के पश्चिमी छोर की इतालवी मलिन बस्तियों का शहरीकरण किये जाने के पहले अध्ययन किया। उसके अनुसार, वहाँ दो प्रकार के कम किराये वाले पड़ोस हैं :- प्रवेश क्षेत्र और समाज बहिष्कृत लोगों का क्षेत्र। शहर में नये-नये आने वाले प्रवेश क्षेत्र में ही प्रथमत: स्थान पाते हैं यहां वे शहरी संस्कृति की दौड़ भाग और शहरी संस्थाओं के व्यवहार और संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं। यह 'शहरी गाँव' जैसा है।

दूसरे प्रकार के कम किराये वाले पड़ोस में जो लोग सफल नहीं हो पाते, प्रभुत्वशाली होते हैं। यह 'शहरी जंगल' है। वास्तविक जीवन में ये प्रकार एक दूसरे का उल्लंघन करते हैं और इनके बीच अन्तर कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाता फिर भी वे पहचाने जाते हैं।[१]

भारतीय समाज में अधिकांश मलिन बस्तियां शहरी जंगलों की अपेक्षा शहरी गाँवों के समान हैं। भारतीय मलिन बस्तियों में शायद ही ऐसे शहरी जंगल हैं। मलिन बस्तियाँ बुराइयों और दुर्भाग्य के केन्द्र नहीं हैं। विकसित समाज के अपराधी और भ्रष्ट व्यक्ति ही वहां शरण पाते हैं। वे मलिन बस्तियों की दशाओं के उत्पाद नहीं हैं। वे केवल कम आय वाले वर्गो के केन्द्र हैं जो मुख्य समाज में धुलमिल न पाने की अपनी असमर्थता के कारण वहाँ रहते हैं।

---

1. Herbert Gans, (1962), The Urban Villagers, New York, The Free Press of Glencoe, Page – 15

२. चार्ल्स स्टोक्स (१९६२) ने मलिन बस्तियों से सम्बन्धित एक अन्य सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है। स्टोक्स ने मलिन बस्तियों को 'द स्लम्स ऑफ होप' (आशा की मलिन बस्ती) तथा 'द स्लम्स ऑफ डेस्पायर' (निराशा की मलिन बस्ती) में विभाजित किया है। 'स्लम्स ऑफ होप' एक ठहराव है। एक व्यक्ति या परिवार वहाँ कुछ समय तक रह सकता है परन्तु यहाँ उनमें परिवर्तन की भावना रहती है। स्लम्स ऑफ डेसपायर एक दूसरा ठहराव है। यह अंतिम छोर है और यहां से कहीं और जाने को रास्ता नहीं है।

सतही तौर पर मलिन बस्तियां दो भागों 'द स्लम्स ऑफ होप' और 'द स्लम्स ऑफ डेसपायर' में विभाजित की जा सकती है और लम्ब रूप से प्रत्येक को 'ऐस्केलेटर' (वर्ग संरचना में ऊँचा उठने वाले) तथा नॉन एस्केलेटर (वर्ग संरचना में ऊँचा न उठने वाले) दो भागों में बाँटा जा सकता है। एक 'एस्केलेटर वर्ग' उन व्यक्तियों का समूह हैं जो वर्ग संरचना में ऊँचा उठने की आशा रखते हैं जबकि 'नॉन एस्केलेटर वर्ग' वह है जिनमें ऊँचा उठने की सुविधा की मनाही है।

स्टोक्स आगे लिखता है कि मलिन बस्तियों की संरचना देशान्तरण की दर और प्रवासी लोगों के एकीकरण और घुलमिल जाने के चरित्र पर निर्भर करती है। स्पष्टत: मलिन बस्तियों के विकास की प्रक्रिया ऊँचा उठने की आशा रखने वाले 'ऐस्केलेटर वर्ग' के लिये बाधाओं के साथ ही अधिक आय तथा योग्यता वाले वर्गो से दूरी पर निर्भर करती है।[1]

३. **सीले ने मलिन बस्तियों को चार मूल प्रकारों में बाँटा है। वे हैं**

अ. स्थायी आवश्यकता वाले
ब. अस्थायी आवश्यकता वाले
स. स्थायी अवसरवादी
द. अस्थायी अवसरवादी

---

1. Charless J. Stokes, (1962), A Theory of Slums, Land Economics a Quarterly Journal of Planning, Housing and Public Utilities, Madison, VOl. 38

स्थायी आवश्यकता वालों में सुस्त, 'समायोजित' गरीब तथा समाज बहिष्कृत लोग होते हैं। अस्थायी आवश्यकता वालों में सम्मानित गरीब और फँसे हुऐ लोग होते हैं। स्थायी अवसरवादियों में छिपे हुऐ, वेश्यागामी तथा भीड़ जुटाने वाले होते हैं और अस्थायी अवसरबादी साहसी, आगे बढ़ने वाले व प्रारम्भिक अवस्था वाले लोग होते हैं।[1]

एक भारतीय शहर में इस प्रकार की मलिन बस्तियों का पाया जाना मुश्किल है। प्रत्येक मलिन बस्ती आशावान और निराशावादी लोगों का झुण्ड है। एक मलिन बस्ती में ऐस्केलेटर तथा नॉन ऐस्केलेटर दोनों वर्गो के लोग होते हैं। यहाँ ऐसे भी लोग होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अवसर प्राप्त करने के लिये आपस में द्वन्द भी करते हैं। इसीलिये यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि कहां से स्लम्स ऑफ होप्स की शुरुआत होती है और कहां से इनकी समाप्ति। इसी प्रकार का मामला स्लम्स ऑफ डेस्पायर के साथ है। विभिन्न लेखकों द्वारा सुझाये गये उपरोक्त प्रस्ताव केवल पश्चिमी देशों के सन्दर्भ में ही मलिन बस्तियों को समझने में सहायक होते हैं।

वास्तव में, सच पूछा जाये तो नगरीय केन्द्रों में मलिन बस्तियों का विकास स्वाभाविक है। चार्ल्स अब्राहम (१९७०:५५-७५) के अनुसार - "राष्ट्र मलिन बस्तियों की रोकथाम में समर्थ रहा है। मलिन बस्तियां शहरों में शीघ्र विकसित होती हैं और लोगों के इधर-इधर आने के दबाव के कारण उभरती हैं।" उन्होंने फिलीपींस की मलिन बस्तियों के विकास की प्रक्रिया को समझाया है जिनकी शुरुआत द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद हुई। एक शरणार्थी शिविर और खुली जगह थी। वहाँ चारों ओर कोई नहीं था, इसलिये उन्होने जमीन में बांसों के खम्बे गाड़ लिये और अपने लिये रात भर में 'एक हिलता डुलता मकान' बना लिया दूसरे दिन, उन्होंने देखा कि रात भर में उसी के जैसे कई दूसरे बाँस के मकान बन गये हैं।[2] वास्तव में, मलिन बस्तियां एक विशेष

---

1. Jhon R. Seeley, (1959), 'The Slums, its Nature : Use and Users' Journal of The American Institute of Planners, Vol. XV No. 1, Feb. 1959.
2. Charles Abramas; "The slum : its Origin, in Slums and Urbanisation, Ed. A.R. Desai and S.D. Pillai, Popular Prakashan, Mumbai, 1970, pp. 55-75

प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक -आर्थिक तथा सांस्कृतिक दशाओं की उपज होती है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक विकास में बाधक होने के साथ ही भीड़ भाड़ युक्त, विनाशकारी अस्वच्छ परिस्थितियों, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, पानी, सीवरेज तथा शौचालय की कमी आदि से प्रभावित होती हैं।

भारत में मलिन बस्तियों का विकास :-

भारत में मलिन बस्तियों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ जिससे नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। साथ ही जनसंख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। ''सन् १९८१ में भारत की जनसंख्या ६८.५१ करोड़ थी जिसमें से २१.८१ प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। सन् २००१ में देश की जनसंख्या बढ़ कर १०२.७ करोड़ हो गयी जिनमें से २७.७८ प्रतिशत लोग नगरीय क्षेत्रों में रह रहे थे। सन् १९९१ में गन्दी बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या लगभग ४.८८ करोड़ थी जो वर्तमान में बढ़ कर लगभग ६.१३ करोड़ हो गई जो कि नगरीय जनसंख्या का लगभग २५ प्रतिशत है।''[१]

भारत में मलिन बस्तियों का विकास प्राकृतिक है और आधुनिक युग में प्रक्रियात्मक है। छोटे-छोटे ग्राम बड़े ग्रामों में विकसित होते हैं। बड़े ग्राम कस्बों में तथा कस्बे नगरों का रूप धारण कर लेते हैं। नगर चारों ओर विकसित होते हैं। जब नगरों में आर्थिक दशाओं की स्थिति अच्छी होती है तो वहां जनाधिक्य बढ़ जाता है। यह जनाधिक्य सब प्रकार की भूमि पर निवास करता है, यहाँ तक कि अस्वास्थ्यपूर्ण क्षेत्र में भी निवास व्यवस्थाएं विकसित हो जाती है। नगरों में कल-कारखाने, स्टेशन,

1. Gupta M.L. and Sharma D.D., (2002), Sociology, Sahitya Bhavan Publications Agra-3, Page – 107.

फैक्ट्रियां आदि का विकास होने से वहां स्वस्थ वातावरण नहीं रह पाता। रोजी रोटी की तलाश में मजदूर नगरों में आकर बसने लगते हैं परन्तु उनकी निवास सम्बन्धी आदतें वे ही रहती हैं जो गांवों में थी। फलत: वे निम्न स्तर के मकान बनाकर या किराये पर लेकर रहने लगते हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है। ''भारत में मलिन बस्तियों के तीन स्वरूप पाये जाते हैं'' :-

१. नगर के मध्य में :-

भारत में नगरों के मध्य जो मलिन बस्तियाँ पायी जाती हैं, उनके विकास के अनेक तत्व हैं, प्रथम, राज्य केन्द्रों के स्थानान्तरण से कई मकान खाली हो जाते हैं, उनमें विघटित लोग निवास करने लग जाते हैं। द्वितीय बाजारों के स्थानान्तरण से भी नगर के मध्य मलिन बस्तियाँ विकसित हो जाती हैं। तृतीय, राजधानी के परिवर्तन से भी कई प्रकार की बस्तियों का विकास हो जाता है।

२. औद्योगिक क्षेत्रों के समीप :-

औद्योगिकीकरण के कारण भी भारत में मलिन बस्तियों का क्षेत्र अत्यधिक बढ़ा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से औद्योगिक क्षेत्रों की श्रमिक बस्तियों ने मलिन बस्तियों का रूप धारण कर लिया है। नवीन उद्योगों की स्थापना तथा स्थानान्तरण से पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के प्रति उपेक्षा बरती जाती है। यहाँ की भूमि की कीमत कम होने तथा किराया कम होने के कारण यहां के मकान मालिक मकानों का जीर्णोद्धार नहीं कराते हैं। ये मकान प्रतिकूल परिस्थिति वाले तथा असुविधाजनक होते हैं। श्रमिकों की आय उन्हें यहीं रहने को बाध्य करती है। इस तरह से नगरों में विभिन्न प्रकार के कटरे, चालें एवे बाड़े विकसित होकर मलिन बस्तियों का रूप धारण कर लेते हैं।

३. नगरों की सीमा पर :-

भारतीय नगरों की सीमा पर जो मलिन बस्तियाँ विकसित हुई है, वे या तो ग्रामों से आये श्रमिकों की हैं अथवा उनमें निम्न जाति के लोग एवं अस्पृश्य रहते हैं। यहाँ बस्तियाँ सार्वजनिक भूमि पर विकसित होती हैं। इन्हें 'फ्रिंग्स मलिन बस्तियाँ

कहा जाता है। ये मलिन बस्तियां कुछ झोपड़ियों का एक छोटा सा समूह होती हैं। इन स्थानों के उपयोग पर किसी प्रकार की रोकटोक नहीं होने के कारण ये निवास व्यवस्था हेतु चुन लिये जाते हैं। ये बस्तियां अधिकांशत: ग्रामीणों द्वारा बनाई जाती हैं। ग्रामीणता के तत्व एक ग्राम या जिले के लोगों को एक साथ रहने को बाध्य करते हैं। देशान्तर श्रमिक भी नगरों की सीमाओं पर साथ-साथ झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगते हैं। यहाँ क्षेत्रीयता, स्थानीयता, जातियता और अस्पृश्यता का अधिक प्रकोप होने के कारण सामाजिक पृथकता का विकास होता है।''[1]

अत: ये तीनों प्रकार की मलिन बस्तियां भारतीय नगरों में पायी जाती है। इनके विकास का क्रम भिन्न-भिन्न हो सकता है लेकिन इनके लक्षणों में काफी समानता पायी जाती है।

मलिन आवासों का विभिन्न स्तरों पर स्वरूप :-

नगर विकास के साथ-साथ मलिन बस्तियों का भी विकास होता है। नगरों के विकास की प्रक्रिया आज अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है। इस कारण मलिन बस्तियों का विकास सभी देशों में हो रहा है। 'अमेरिका' जैसे सबसे विकसित तथा शक्तिशाली देश में भी इनका अस्तित्व विद्यमान है। अमेरिका में मलिन बस्तियों के विकास का एक लम्बा इतिहास रहा है। यहां विभिन्न प्रकार की मलिन बस्तियां पायी जाती हैं। यहां का शिकागो महल जो रहने के स्थान में बदल गया हैं वह भी मलिन बस्ती है। प्रत्येक देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही मलिन बस्तियां स्थापित होती हैं। मलिन बस्तियां झोपड़ी, सराय, छोटी-छोटी कोठरियों, खपरैलों और बांस से बने हुए कच्चे मकान, टीन के शेड से निर्मित मकान, लकड़ी के छोटे-छोटे केबिन आदि से स्थापित हो जाती हैं। एक स्थान पर सैकड़ो ऐसे मकान जो निर्धनता के कारण बनते हैं, मलिन बस्तियों का स्वरूप धारण कर लेते हैं। 'लीमा' तथा 'पेरू' में लकड़ी के डिब्बेनुमा मकान मलिन बस्ती के

---

1. Tomar, Rambihari Singh and Goyal, Dwarika Das, (1997), Shri Ram Mehra and Company, Agra-3 page – 421-422.

रूप में समझे जाते हैं। विदेशों में एक मकान वाली अनेक बस्तियां भी मलिन बस्तियों के अन्तर्गत आती हैं और छ: मंजिले मकानों वाले क्षेत्र भी मलिन बस्तियों में आते हैं।

आवास की समस्या ने नयी मलिन बस्तियों के स्थापित होने में जहां सहायता की है वहीं असंख्य जर्जर मकान जिन्हें छोड़ कर व्यक्ति अच्छे मकानों में चला गया है, इन जर्जर छोड़े हुए घरों में निर्धन व्यक्ति रहने लगे हैं, जिसने मलिन बस्ती का रूप धारण कर लिया है। इस तरह नयी मलिन बस्तियां स्थापित होती जा रही है और पुरानी मलिन बस्तियों के निर्धन व्यक्ति उसे इसलिये नहीं छोड़ते कि इससे सस्ता घर नगर में कहीं और उपलब्ध नहीं होता है। एशिया और अफ्रीका की स्थिति तो यह है कि मलिन बस्तियों के घर व्यक्ति उन चीजों से बनाता है जिसे व्यक्ति कूड़ा कचरा समझकर फेंक देते हैं। मलिन बस्तियों के लिये कोई निश्चित पर्यावण निर्धारित करना कठिन है। यह कहीं भी विकसित हो सकती है जैसे फिलीपाइन्स में यह दलदली क्षेत्रों में, छोटे-छोटे पहाड़ी क्षेत्रों में और युद्ध में जो स्थान नष्ट हो गये थे, वहां स्थापित हो गयी हैं। लैटिन अमेरिका में छोटी पहाड़ियों की ढलानों पर मलिन बस्तियाँ है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के कराची में कब्रिस्तान और सड़क के किनारे तथा रावलपिण्डी में पटरियों के किनारे इन्हें देखा जा सकता है। इसी प्रकार दक्षिणी स्पेन की प्राचीन गुफाओं में इनके दर्शन किये जा सकते हैं।

दिल्ली की मलिन बस्तियाँ :-

अलग-अलग स्थानों पर मलिन बस्तियों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मलिन बस्तियों को 'बस्ती' तथा 'कटरा' कहा जाता है। दिल्ली का चावरी बाजार, चांदनी चौक, सदर बाजार आदि कटरा (मलिन बस्तियों) के अन्तर्गत आते हैं और अधिसूचित मलिन बस्ती क्षेत्र हैं तथा दूसरे प्रकार की मलिन बस्तियां 'झुग्गी झोपड़ियों' के अन्तर्गत आती है जैसे :- शादीपुर झुग्गी

झोपड़ी, अर्जुन दास झुग्गी झोपड़ी, मायापुरी चौक, सीताराम बाजार, अजमेरी गेट, पहाड़ गंज, मुल्तानद्धार, बहादुरगढ़ रोड की झुग्गी झोपड़ियाँ आदि।

''भारत सेवक समाज'' ने १९५८ में पुरानी दिल्ली के कटरा का अध्ययन किया। उस समय दिल्ली में १७८७ मलिन बस्तियां थी। इनमें से ६१ बस्ती तथा १७२६ कटरा थे। जिनमें ४८५०० परिवारों के २२५००० लोग रह रहे थे। बस्ती १६२ एकड़ भूमि में और कटरा ३८५ एकड़ भूमि में फैले हुऐ थे। ६० प्रतिशत कटरा में रोशनदान नहीं थे, मात्र २ प्रतिशत में नालियां बनी हुई थीं तथा ३१ प्रतिशत बस्तियों में पानी, शौचालय, बिजली आदि की उचित व्यवस्था नहीं थी। कई लोग अपने निवास में पशुओं को भी रखते थे। इन बस्तियों के ३२ प्रतिशत लोग अशिक्षित थे। ३०.५ प्रतिशत मजदूरी करते थे, २० प्रतिशत व्यापार, ७.६ प्रतिशत नौकरी, ८.८ प्रतिशत घरेलू कार्य तथा शेष लोग अन्य कार्यो में लगे हुऐ थे। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की आय रू० २५ से लेकर रू० ३०० प्रतिमाह थी। सर्वेक्षण के निदर्शनों में ६७ प्रतिशत परिवारों में एक ही व्यक्ति कमाने वाला था तथा २२ प्रतिशत परिवारों में २ व्यक्ति''।[१]

दिल्ली में मलिन बस्तियों का प्रारम्भ साठ के दशक से हुआ। सत्तर के दशक में पुनर्वासित कालोनियों में १० लाख से अधिक लोग बसाये गये थे। दिल्ली की नयी बस्तियाँ ४४ झुग्गी झोपड़ी पुनर्वासित कालोनियों के अस्तित्व में आने के बाद बनीं। जहां दो लाख से अधिक लोगों में से प्रत्येक को २५ वर्ग यार्ड का भूमिखण्ड आवन्टित किया गया था जहां आज १५ लाख से अधिक लोग रहते हैं। इसके बावजूद २१वीं सदी में बड़ी जनसंख्या मलिन आवासों में रहने को बाध्य है। ''यह स्पष्ट है कि दिल्ली की मलिन बस्तियाँ एक भयानक अनुपात में बढ़ रही हैं और इस वृद्धि के अनेक कारण हैं, जैसे :-

1. Sanadhdhya, Kriti, (2002). "Jhansi Nagar Ki Malin Bastiyon Ka Samajik – Arthik Adhdhayan."

१- हर साल दो लाख से ज्यादा प्रवासी रोजी की तलाश तथा इसी प्रकार के अन्य सामाजिक आर्थिक कारणों जैसे -बेघरबार होना, गरीबी, अज्ञानता, भुखमरी तथा सामाजिक भेदभाव आदि के कारण दिल्ली आते हैं। ये प्रवासी कम आमदनी वाले कार्यो जैसे :- जूता पालिश, भार ढोना, कुलीगिरी आदि में लग जाते हैं और कार्यस्थल के ही समीप अनाधिकृत रूप से रहने लगते हैं।

२- गरीब लोग, जिनके पास जीने के लिये आवश्यक धन की कमी होती है, स्वयं के मकान बना सकने की स्थिति में नहीं होते हैं और झोपड़ियों में रहने को बाध्य होते हैं।

३- राजनीतिक रैलियां भी दिल्ली की मलिन बस्तियों के बढ़ने का एक कारण रहीं हैं। बहुत सारे लोग देश के हर प्रान्त, शहर तथा कोने - कोने से अनेकों राजनीतिक रैलियों में भाग लेने आते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश इनमें से लगभग एक चौथाई लोग वापस अपने स्थानों को नहीं लौटते हैं और दिल्ली में ही बस जाने का प्रयत्न करते हैं।

४- सरकारी कार्यालयों की बहुलता तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र होना भी दिल्ली की ओर प्रवासियों के बड़े प्रवाह का एक कारण है जो कि रोजी रोटी की तलाश में यहां आते हैं।

५- मलिन बस्तियों में रहने वाले सामान्यत: भीड़ भाड़ युक्त क्षेत्रों में रहते हैं जहां न्यूनतम नगरीय सुविधाओं जैसे - पानी, विद्युत तथा सीवेरेज की कमी होती है और लोग खुले स्थानों पर मलमूत्र निस्तारण के लिये बाध्य हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां इन मलिन बस्ती क्षेत्रों पर हावी हो जाती हैं और एक महामारी का रूप ले लेती हैं।''[1]

---

1. Bhargava Gopal, (2002), Development of India's Urban, Rural and Regional Planning in 21st Centruy : Policy Perspective, Gyan Publishing House, New Delhi, Page – 79-80

एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में २२ लाख जनसंख्या वाली १०८० से भी ज्यादा झुग्गी - झोपड़ी कालोनी हैं। लगभग २० लाख लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं और १५ लाख से अधिक लोग अनाधिकृत निर्माण स्थलों पर रहते हैं। दिल्ली की जनसंख्या एक बिलियन से अधिक है और इसका तीन - चौथाई भाग मलिन बस्तियों में निवास करता है।

मलिन बस्तियों के निवासियों की दशा से सम्बन्धित एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में यमुना पार के क्षेत्र की कुछ बड़ी मलिन आवासीय कालोनियों के अलावा अधिकांश छोटी मलिन बस्तियां नये और बड़े निर्माण स्थलों पर बन गयी हैं। यहां ठेकेदार मजदूरों का शोषण करते हैं और उन्हें कम तनख्वाह देते हैं। एक इमारत बन जाने के बाद मजदूर स्थायी रूप से इमारत के नजदीक दूसरे कामों को ढूंढने के लिये रहने लगते हैं। इस प्रकार, अनेकों नयी - नयी मलिन बस्तियां दिल्ली के चारों ओर फैलती जा रही हैं।

दिल्ली में झुग्गी- झोपड़ियों की २२ लाख की आबादी पर्याप्त जलापूर्ति और शौच आदि की उचित व्यवस्था के बिना रह रही है। खुले में शौच आदि के कारण गंभीर बीमारियां यहां के रहने वालों में फैल रही है। आश्चर्यजनक रूप से दिल्ली के राजनीतिज्ञ वोट बैंक की खातिर मलिन बस्तियों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, फिर भी यहां के निवासियों के लिये प्राथमिक सुविधाओं को जुटाने के लिये कुछ भी नहीं करते हैं।

<u>मुम्बई की मलिन बस्तियाँ-</u>

भारत के किसी दूसरे राज्य की तुलना में मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली मलिन बस्तियों की सूची में मुम्बई ४.५ मिलियन जनसंख्या के साथ सबसे ऊपर है। वास्तव में, आकार, जनघनत्व तथा रहने की दशाओं के आधार पर मुम्बई की मलिन बस्तियां पूरे विश्व में सबसे खराब हैं। मुम्बई में मलिन बस्तियां बनने

का कारण इस नगर का राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र होना है। यही कारण है कि पूरे भारत वर्ष के कोने - कोने के कई गांवों के लोग आकर्षित होकर मुम्बई आते हैं। पिछली आधी शताब्दी में इसकी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है तथा साथ - साथ यहां की मलिन बस्तियाँ भी खतरनाक ढंग से बढ़ रही हैं। ''वास्तव में, धारावी मलिन बस्ती जिसका क्षेत्रफल ३३० एकड़ है, इस प्रकार की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है जिसमें लगभग ३२०० झोपडियां बनी हुई है जो बांस, लकड़ी, पुरानी टीन, पॉलीथीन आदि की बनी हुई है। धारावी की मलिन बस्ती दरिद्रता, बीमारियों, अस्वास्थ्यकर पर्यावरण तथा असामाजिक गतिविधियों के कारण एशिया ही नहीं संपूर्ण विश्व में सबसे अलग है।''[१]

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद म्युनिसिपल कार्पोरेशन द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार मुम्बई में ३३० एकड़ भूमि में ८५ मलिन बस्तियां बनी हुई थी। वर्तमान में वहां १४४ मलिन बस्तियां है जो ८७७ एकड़ भूमि में फैली हुई हैं। इनमें ८३४५१ परिवारों के लगभग ४.१७ मिलियन लोग निवास करते हैं। इन मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों में से ५० प्रतिशत से अधिक परिवारों की मासिक आमदनी रू० १००० से भी कम है। इन मलिन बस्तियों में अधिकांश श्रमिक वर्ग के लोग हैं जो उद्योगों में मजदूरी करते हैं इन निवासियों में बड़ी संख्या में वे लोग भी सम्मिलित हैं जो सफेदपोशों के लिये अवैधानिक कार्यो में संलग्न रहते हैं इनके अलावा यहां के निवासी असुरक्षित कार्यो में लगे हैं तथा कुछ बेरोजगार ग्रामीण शरणार्थी भी हैं। मुम्बई शहर में तीन प्रकार की मलिन बस्तियां पाई जाती हैं :-

(अ) चाल:-

मुम्बई में दशकों पहले बनाई गई स्थायी बहुमन्जिली इमारतें 'चाल' कहलाती हैं। लाभ कमाने की दृष्टि से कई लोगों ने व्यक्तिगत भवन बनवाये हैं, जिन्हें चाल

---

1. Gupta M.L. and Sharma D.D.; (2002), Samajshastra, Sahitya Bhavan Publications, Agra-3, Page – 108

कहते हैं। इन चालों में तीन से छ: मंजिलों वाले मकान बने हुए हैं। यहां के अधिकांश श्रमिक चालों में निवास करते हैं जहां पर कि एक ही कमरे में १५-२० व्यक्ति रहते हैं। ये कमरे १५'' x १२'' के होते है। इनमें हवा, रोशनी, सफाई आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और न ही इनका निर्माण स्वास्थ्य की दृष्टि से किया गया है। चालों में कमरे छोटे और एक के बाद एक बने होने के कारण इनमें प्राकृतिक हवा व रोशनी नहीं पहुंच पाती है। अधिकांश चालें ५० से ७० वर्ष पुरानी हैं। असहनीय किराये के बोझ से बचने के लिये प्राय: ५-६ श्रमिक परिवार एक कोठरी किराये पर ले लेते हैं। इनमें वे गोदाम में भरे हुऐ माल की तरह रहते हैं।

(ब) पतरा चाल:-

यह वे मलिन बस्तियां है जहां अस्थायी या अर्द्धस्थायी निवास के ढांचे अधिकृत तथा अनाधिकृत दोनों प्रकार की भूमि पर बने हुऐ हैं जिनमें स्वच्छता का अभाव है। ये मलिन बस्तियाँ चालों का ही दूसरा रूप है। चूंकि ये मलिन बस्तियाँ एक मंजिल की हैं और लोहे की पतरों तथा कठोर धातु से बनी हैं, इसलिये ये 'पतरा चाल' कहलाती है।

(स) झोपड़ी पट्टी :-

वे क्षेत्र जहां अनाधिकृत रूप से भिखारियों, अत्यन्त दरिद्र लोगों, कूड़ा बीनने वालों, बर्तन मांजने वालों आदि लोगों के द्वारा झोपडियों की श्रृंखला सी बना ली गई हैं, 'झोपड़ी पट्टी' कहलाती हैं। इन झोपड़ियों को बनाने के लिये लकड़ी, पॉलीथीन, लोहे की पुरानी चादरें, मिट्टी, ईट आदि का प्रयोग किया गया है, किन्तु इस प्रकार मलिन बस्तियों की संख्या मुम्बई में कम है। वास्तव में समस्या प्रथम दो प्रकार की मलिन बस्तियों की है।

चेन्नई की मलिन बस्तियाँ:-

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई (पहले मद्रास) में मलिन आवासों को 'चेरी' कहा जाता है। तमिल भाषा में बस्तियों को चेरी कहते हैं। प्रारम्भ में चेरी हरिजन बस्तियों को कहते थे। किन्तु अब यह शब्द मलिन बस्तियों के लिये प्रयुक्त होता है। मद्रास शहर को कूम नदी दो भागों उत्तरी एवं दक्षिणी मद्रास में बांटती है। शहर के दक्षिणी भाग के पास अडियार नदी बहती है तथा उत्तरी मद्रास से होकर ओटेरी नाला बहता है। शहर की १११ बस्तियां पूर्व में समुद्री किनारे की तरफ हैं। सन् १९३३ में मद्रास में १८९ मलिन बस्तियां थीं जिनमें १५९४२ झोपडियां थी सन् १९५३-५४ में मद्रास म्यूनिसीपल कार्पोरेशन द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार ३०६ मलिन बस्तियां थीं, जिनमें ५७४३६ परिवारों के २६५००० लोग रहते थे। सन् १९६१ में पी०के० नाम्बियार के सर्वेक्षण में मद्रास में मलिन बस्तियों की संख्या ५४८ बतायी गयी थी जिनमें ५९५७३ झोपड़ियां बनी हुई थी। इनमें ९७८५ परिवारों के ४१२१६८ लोग (शहर की कुल जनसंख्या का २३.८ प्रतिशत) रहते थे। श्री नाम्बियार ने अपने अध्ययन में यह पाया कि चेरियों में अन्य स्थानों की अपेक्षा जन्म दर तथा मृत्यु दर अधिक थी। इनमें से जन्म दर ४३ प्रति हजार तथा मृत्यु दर १८ प्रति हजार थीं। इसी प्रकार प्रति हजार जनसंख्या पर २५ व्यक्ति बढ़ जाते हैं। इन बस्तियों में बाहर से आने वाले प्रवासी अधिकांशत: मैसूर, केरल व आन्ध्र प्रदेश के थे। एक चेरी में लगभग ५० व्यक्ति रहते थे। मकानों के अभाव के कारण विवाह के बाद लड़कियां अपने माता - पिता के परिवार को छोड़ देती हैं। चेरी में रहने वाले ८५ प्रतिशत व्यक्ति तमिलभाषी थे। शेष निवासियों में तेलुगू, मलयालम एवं उर्दू भाषा बोलने वाले लोग आते हैं। चेरियों में ८५.५ प्रतिशत लोग हिन्दू थे। स्कूल जाने वाली आयु के ३० प्रतिशत बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे थे तथा ४.४९ प्रतिशत बच्चे छोटी उम्र होने के बावजूद धनोपार्जन के कार्यों में लगे हुऐ थे। अधिकांश व्यक्ति चपरासी, भवन

निर्माण कार्य एवं मछली पकड़ने के कार्यों में लगे हुऐ थे। इनमें से अधिकतर लोग अपने कार्य - स्थल पर पैदल ही जाते थे। ७७ प्रतिशत लोगों की आमदनी रू० २६ से १०० रूपये प्रतिमाह थी। इन चेरियों में ७९ प्रतिशत निवास की झोपड़ियां मिट्टी की बनी हुई थी। जिनका निर्माण रू० १०० से भी कम धन में हुआ था कुछ लोगों ने पुरानी चादरों तथा लकड़ी, घास व खजूर के पत्तों से झोपडियां बना लीं थीं। अधिकांश झापेड़ियाँ एक कमरे वाली थीं। भोजन बनाने, खाने तथा सोने आदि के लिये एक ही कमरा था। जिनमें गोपनीयता का सर्वथा अभाव होता है। वर्षा ॠतु में इनमें रहने वाले लोगों को बहुत कठिनाईयां भुगतनी पड़ती हैं।

इन चेरियों में रहने के लोगों ने कई कारण बताये जैसे - निजी निवास न होना, कार्यस्थल के नजदीक होना, मकान का किराया कम होना, कभी - कभी किराया न होना तथा रिश्तेदारों का नजदीक होना आदि। चेरियाँ अधिकांशत: सड़क से २ से ४ फीट नीचे बनी हुई हैं। अत: इनमें जल - निकास एक प्रमुख समस्या है। शहर का गन्दा पानी तथा वर्षा का पानी इन चेरियों में घुस जाता है। इनमें शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं है। ६७.२ प्रतिशत चेरियों में शौचालय नहीं बने हुए हैं तथा ३२ प्रतिशत में रोशनी की कोई सुविधा नहीं है, लोग तेल के दीपक जलाकर रोशनी करते हैं।

कोलकाता की मलिन बस्तियाँ-

कोलकाता शहर में मलिन आवासों को 'बस्ती' कहा जाता है। कोलकाता में मलिन बस्तियों की शुरूआत १९वीं सदी में औद्योगिकीकरण के साथ ही हो गई थी। औद्योगिकीकरण ने जनसंख्या के विशाल भाग को आकर्षित किया। नये - नये उद्योग धन्धों की शुरूआत हुई। इन उद्योगों में सस्ते मानव श्रमिकों की पूर्ति करने के दौरान यहां मलिन बस्तियाँ वैधानिक रूप में अजीव सी तीसरी दर्जे की व्यवस्था के अन्तर्गत बसती चली गयीं, जिसमें जमींदार अपनी जमीन को कुछ बिचौलियों को

किराये से देते थे जिन्हें 'ठीका किरायेदार' कहा जाता था और जो उस जमीन पर झोपड़ियों का निर्माण कर उन्हें प्रवासियों को किराये से दे देते थे। इस तरह से पूरे शहर में बड़ी मात्रा में मलिन बस्तियों के झुण्ड बनते चले गये। परन्तु ठीका किरायेदारों का इस जमीन पर स्थायी अधिकार नहीं था और वे कभी भी बेदखल किये जा सकते थे।

''स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात कोलकाता शहर में बड़ी संख्या में शरणार्थियों का प्रवासियों के रूप में प्रवेश हुआ जिससे भूमि की कीमत में भारी उछाल आया। सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के सुधार के त्वरित कदम उठाये गये और ''ठीका किरायेदार अधिनियम'' बनाया गया। जिसमें ठीका किरायेदारों को भूमि पर अधिक स्थायी अधिकार दिये गये। परन्तु जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण सार्वजनिक भू-क्षेत्रों जैसे - नहर के किनारे, रेलवे भूमि पर, पुलों के नीचे, सड़कों के किनारे पार्कों में तथा अन्य खुले स्थानों और निजी भूमि पर भी नये प्रकार की मलिन बस्तियां उभरती चली जा रही हैं।''[१]

कोलकाता की मलिन बस्तियों का अध्ययन करते हुऐ श्री एस०एन० सेन ने लिखा है, ''कोलकाता में मलिन बस्तियाँ कच्ची तथा अर्द्धकच्ची बनी हुई हैं। कोलकाता की सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग २६ प्रतिशत मलिन बस्तियों में निवास करता है। इन बस्तियों के मकानों की दीवारें तथा छतें कच्ची बनी हैं। मात्र २ प्रतिशत मकानों में ही पृथक से पेशाबघर एवं नल लगे हुऐ हैं तथा पृथक स्नानगृह बने हुऐ हैं। कच्चे मकानों में ५ प्रतिशत तथा अर्द्धकच्चे मकानों में ७ से ८ प्रतिशत में पृथक रसोईघर पाये गये। लगभग १/७ प्रतिशत मकानों में पेशाबघर नहीं थे और ८२ प्रतिशत लोग सामूहिक पेशाबघर का उपयोग करते थे। इसी तरह ४४ प्रतिशत

---

1. Bhargava Gopal, (2001), Development of India's Urban, Rural and Regional Planning in 21st Century, Gyan Publishing House, New Delhi, Page – 89.

मकानों में कोई नल नहीं था और ५४ प्रतिशत लोग सामूहिक नल से पानी भरते थे। बिजली की भी इन बस्तियों में उचित व्यवस्था नहीं थी। २/३ प्रतिशत मकानों में रहने वाले परिवारों को ३० वर्ग फुट भूमि प्राप्त थी। लगभग सभी मकानों में रोशनदानों का अभाव था। अत: हवा और रोशनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती थी। सार्वजनिक शौचालयों में लोगों की लाइनें लगी रहती थीं और ये माह में दो बार ही साफ किये जाते थे। स्त्रियों के लिये पृथक स्नानगृह नहीं थे। शैक्षणिक तथा नागरिक सुविधाओं का इनमें अभाव था और अध्ययन के समय मुश्किल से ही कोई बच्चा स्कूल जाता था।'' इनकी स्थिति का उल्लेख कोलकाता निगम ने इस प्रकार किया है ''एक बस्ती प्राय: झोपड़ियों का झुण्ड होती है जो बिना किसी योजना या व्यवस्था के बनी होती है, जिनमें न सड़कें होती हैं ,न नाले, न हवा तथा रोशनी का प्रबन्ध होता है और न सफाई का। इनमें से अधिकांश दु:ख, सामाजिक बुराइयों, गन्दी बीमारियों और रोग की पोषक होती हैं। इन बस्तियों के पोखरों में जहरीली वनस्पति उगी रहती है तथा पाखाना पड़ा रहता है जो गर्मी की तेज धूप के साथ वातावरण को दूषित करता हुआ बीमारी फैलाता है। इसी पोखर में से प्राय: जल को पीने के लिये प्रयोग में लाया जाता है। इन बस्तियों में जाने के रास्ते तो अनेक होते हैं किन्तु वापस निकलने के लिये उनका पता लगाना प्राय: कठिन होता है।'' प्रसन्नता की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षो से प्रसिद्ध बिड़ला ग्रुप ने जूट मिल के श्रमिकों के लिये स्वच्छ आवासों की व्यवस्था की है। परन्तु आश्चर्यजनक रूप से कोलकाता में इमारतें बनवाने वाले पर्यावरणीय प्रबन्ध तथा नागरिक सुविधाओं के दबाव की परवाह किये बिना बहुमन्जिली इमारतों का निर्माण जारी रखे हैं।

अन्य प्रमुख भारतीय शहरों की मलिन बस्तियाँ -

उपरोक्त शहरों के अलावा भारत देश के लगभग प्रत्येक प्रमुख शहर में मलिन बस्तियों की विद्यमानता है। बंगलौर शहर में सन् १९७६-७७ के दौरान शहर की संपूर्ण

जनसंख्या का १.७ प्रतिशत, सन् १९८१ में ३.० प्रतिशत तथा सन् १९९० में १०.४ प्रतिशत मलिन बस्तियों में निवास करता था। बंगलौर में सन् १९७२ में १९५ मलिन बस्तियां थीं जो मात्र एक दशक में बढ़ कर सन् १९८२ में २८७ हो गई थी अहमदाबाद शहर में सन् १९७६-७७ के दौरान संपूर्ण जनसंख्यामें से ५.४ प्रतिशत, सन १९८१ में ८.० प्रतिशत सन १९९० में ११.१ प्रतिशत मलिन बस्तियों के निवासी थे। इसी प्रकार पुणे नगर में सन् १९३७ में ८०० झोपड़ियां थीं जो सन् १९५१ में बढ़ कर ६३०० तथा सन् १९६८ में बढ़ कर १७४८२ हो गई थीं। वहां २५०००० लोग मलिन बस्तियों में तथा ९००० लोग फुट पाथों पर रहते हैं। इसी तरह इन्दौर में दो मलिन बस्तियां ऐसी हैं जो ग्रामीणता तथा प्रान्तीयता के तत्वों से मिलकर बनी हैं। भिण्डी खो मलिन बस्ती में मराठा मिल के श्रमिक रहते हैं, जो अहमदनगर से आये हैं तथा पाटनीपुरा नामक मलिन बस्ती में राजस्थान से आये हुऐ चमार श्रमिक रहते हैं। ये मलिन बस्तियाँ अपने रहन सहन के ढंग में एक दूसरे से बहुत पृथक हैं और इस भिन्नता का कारण उनके मूल क्षेत्रों की परम्पराऐं हैं। ''औद्योगिक नगर ग्वालियर में ३४ मलिन बस्ती क्षेत्र हैं। इनमें से गेण्डेवाली रोड की मलिन बस्ती सबसे बड़ी है। यहां १५०० परिवार रहते हैं। जिनमें अधिकांशत: श्रमिक और निम्न जातियों के लोग हैं। इन मलिन बस्तियों को ग्वालियर में 'गोठ' कहा जाता है।''[1]

चाय के बागानों की बस्तियाँ -

चाय बागानों में बनी गन्दी बस्तियों को बैरक कहते हैं इन बस्तियों में तीन प्रकार के मकान पाये जाते हैं - (१) कच्चे, (२) अर्द्ध पक्के तथा (३) पक्के। आसाम के चाय बागानों के निवास स्थान असन्तोषजनक हैं। वे ऐसे स्थानों पर बने हुऐ हैं जहां पानी इकट्ठा हो जाता है पीने के पानी के कुऐं ढंके हुऐ नहीं है। यहां सर्वथा सफाई का अभाव है और घरों में स्नानगृह भी नहीं बने है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के

1. Tomar, Rambihari Singh and Goyal, Dwarika Das, (1997), Nagariya Samaj Vigyan, Shri Ram Mehra and Company, Agra-3, Page – 423.

चाय बागानों की बैरकों की ऊँचाई बहुत कम है तथा दीवारें बांस की बनी हैं, जिन पर मिट्टी लिपी होती है। इनमें रोशनी का उचित प्रबन्ध नहीं है। काफी बागानों तथा ट्रावनकोर के रबर बागानों में भी बैरक बने हुऐ हैं। नये बनने वाले बैरकों में आधुनिक सुविधाओं का प्रबन्ध किया जा रहा है।

कोयले के खानों की बस्तियां-

कोयले की खानों में बनी श्रमिक बस्तियों को धोरा या धोवरा कहते हैं। इनमें एक कमरा और बरामदा बना होता है। एक धोवरे में १५ से २० तक व्यक्ति रहते हैं। इनमें श्रमिक और उसका पूरा परिवार तथा सम्बन्धी भी रहते हैं, जो गांवों से काम की खोज में यहां आ जाते हैं। धोवरों में भी हवा, पानी, रोशनी, सफाई एवं स्वच्छता का अभाव पाया जाता है। इनमें पाखाने तथा गन्दे पानी के निकालने की उचित व्यवस्था नहीं है। श्रमिक नहाने के लिये गड्ढ़ों, पोखरों तथा गन्दे तालाबों पर जाते हैं। वर्तमान में कोयला खान श्रम कल्याण निधि ने श्रमिकों के लिये आवास की सुविधा जुटाना प्रारम्भ कर दिया है।

कानपुर की मलिन बस्तियाँ-

प्रमुख औद्योगिक नगरों में एक कानपुर उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है तथा इसे 'भारत का मेनचेस्टर' के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक भीड़ वाला क्षेत्र है। यहां पर कपड़ा मिलों के अतिरिक्त चमड़ा शोधन, चमड़े की बस्तुएं बनाने वाले कारखाने, इन्जीनियरिंग उद्योग, जूट उद्योग, आटा उद्योग, रासायनिक उद्योग तथा रोलिंग मिल्स प्रमुख हैं। इतने अधिक उद्योग यहां पर स्थित होने के कारण ही कानपुर घनी आबादी तथा गन्दगी से भरा क्षेत्र माना जाता है। सन् १९९१ की जनगणना के अनुसार कानपुर में जनसंख्या घनत्व ७०६२ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है तथा केवल ३३.६ प्रतिशत कुल भू- उपयोग का आवासीय क्षेत्र है। आज भी कानपुर के अधिकांश श्रमिक मलिन बस्तियों में

असहनीय दशाओं में रहते हैं। कानपुर में मलिन बस्ती को 'अहाता' कहा जाता है जो अत्यधिक गन्दे तथा भीड़ से परिपूर्ण होते हैं। यहाँ कमरे बहुत छोटे - छोटे हैं किन्तु किराया अधिक है। इन अहातों के मकानों में हवा, रोशनी, पानी, धूप तथा स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव है और ये घने बसे हुऐ हैं। एक - एक कमरे में १० से १५ व्यक्ति रहते हैं। कई कमरे तो स्नानगृह जितने छोटे हैं, उनकी तुलना में तो घोड़े , गाय, भैंस व जानवरों के लिये भी अधिक स्थान होता है। अहातों में गन्दे पानी को निकालने के लिये नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही बिजली तथा नल की। कई लोग तो गोदामों की तरह भूमि के नीचे बने मकानों में रहते हैं। इन श्रमिक बस्तियों की दयनीय दशा देखकर पण्डित जवाहर लाल नेहरू इतने उत्तेजित हो गये थे कि उन्होंने कहा था, ''ये गन्दी बस्तियां मानवीय पतन की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को सूली पर लटका देना चाहिये।''

कानपुर शहर के अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मलिन बस्तियों की विद्यमानता है। लखनऊ की तरह गोरखपुर तथा बनारस शहर में भी अनेक लोग मलिन आवासों मे निवास करने को बाध्य हैं। सन् १९८१ में लखनऊ शहर में ०.२९ मिलियन, सन् १९९१ में ०.४६ मिलियन तथा सन् २००१ में ०.७५ मिलियन लोग मलिन बस्तियों में रहते थे। वाराणसी शहर में यह संख्या सन् १९८१ में ०.२६ मिलियन, सन् १९९१ में ०.३४ मिलियन तथा सन् २००१ में ०.४३ मिलियन हो गई थीं। आगरा शहर में भी रतनपुरा तथा जगदीशपुरा आदि मलिन बस्तियों के ही उदाहरण है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में झांसी नगर की मलिन बस्तियों का अध्ययन किया गया है। ''नगर पालिका परिषद, झांसी - स्मारिका २०००'' के अनुसार - झाँसी नगर में ५८ मलिन बस्तियां है जो २८ वार्डो में बंटी हुई हैं।

शोध समस्या का निरूपण

औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने अनेक समस्याओं को नगर में उत्पन्न करने का श्रेय प्राप्त किया है। निर्धन ग्रामीण व्यक्ति जीविका की खोज में नगरों और विशेषतया औद्योगिक नगरों में बड़ी संख्या में आ रहा है। जिससे औद्योगिक केन्द्रों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है एवं उसी के अनुपात में मकानों का निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीण निर्धनों को यहां कोई न कोई काम तो मिलता है किन्तु रहने के लिये उचित स्थान नहीं मिल पाता है। भूमि का महत्व नगर में अत्यधिक है। निर्धन श्रमिकों की आय इतनी नहीं होती है कि वह भूमि खरीद कर स्वयं का मकान बना सके। मजबूरी में उसे कम किराये पर उपलब्ध एक - एक कमरे में पूरे परिवार के साथ जीवन बिताना पड़ता है। कभी - कभी एक ही कमरे में कई - कई परिवार एक - साथ रहते हैं। ये मकान घास, खपरैल, बांस, टीन, लकड़ी, पॉलीथिन, फटे - पुराने कपड़ों, आदि से बने होते हैं। इन बस्तियों में गंदगी स्थायी होती है। इनमें पर्याप्त हवा, पानी, बिजली, रोशनी, शौचालय, स्नानघर आदि का अभाव होता है। जिनमें खटमल, चूहे, मच्छर, मक्खी तथा बीमारियों के कीटाणुओं की बहुतायात होती है। ये बस्तियां नगर के नरक, कलंक और अभिशाप है। भारत में वर्तमान में लगभग ६.१३ करोड़ लोग इन मलिन बस्तियों में रह रहे हैं तथा ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में मलिन बस्तियों के पृथक - पृथक नगरों में अलग- अलग नाम हैं जैसे कलकत्ता में बस्ती, मुम्बई में चाल या झोपड़पट्‌टी, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कटरा या बस्ती, चेन्नई में चेरी, कानपुर में अहाता, चाय बागान क्षेत्र की मलिन बस्तियों को बैरक तथा कोयले की खानों की बस्तियों को धोरा या धोवरा कहते हैं। अलग - अलग क्षेत्रों में इनका नाम चाहे अलग - अलग हो परन्तु अपने स्वरूप तथा रहन - सहन की दशाओं में सभी मलिन बस्तियां एक दूसरे से पूर्णतया मिलती जुलती हैं।

मलिन बस्ती (Slums) शब्द का चलन १८वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ है। इस शब्द का उपयोग औद्योगिक शहरों के घने बसे हुऐ गन्दे तथा टूटे - फूटे आवासों के

लिये किया जाता है। मलिन बस्ती एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें न रहने योग्य आवासों में भी लोग रहते हैं। ये क्षेत्र अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त होते हैं।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी- में मलिन बस्ती (Slums) को इस प्रकार वर्णित किया है "शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित एक गली, तंग भूमि या मैदान, जिसमें निम्न आयवर्ग के लोग अथवा दरिद्र व्यक्ति निवास करते हों और इस तरह की प्रत्येक तंग गली या मैदान शहर की धनी आबादी के पड़ोस में रहने वाले गन्दे और खराब चरित्र वाले लोगों से भरी होती है।"

एडवांस लरनर्स डिक्शनरी आफ करैण्ट इंग्लिश- के अनुसार "मलिन बस्ती (Slums) शब्दका उपयोग ऐसी गली, तंग भूमि अथवा मैदान के लिये किया जाता है जिसमें बने मकान गन्दे तथा भीड़ भाड़ युक्त हों।"

गन्दी बस्ती की कोई एक परिभाषा नहीं है। कई विद्वान मलिन बस्ती तथा रोगग्रस्त क्षेत्र में कोई भेद नहीं करते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने मलिन बस्तियों की परिभाषाऐं इस प्रकार दी हैं :-

James B. Conant (1961:7) writes, "in each one (of the largest American Cities) one can find neighbourhoods composed of various minority groups, many of these areas are now designated as 'Culturally deprived' or 'Culturally different, but earlier they would have been more simply designated as slums[1].

जेम्स फोर्ड (१९३६:११) ने मलिन बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया है :- "मलिन बस्ती, एक ऐसा रिहायशी क्षेत्र है जिसमें बने मकान इतने खराब या निम्न स्तर के या तकलीफदेह हों जो कि उनमें रहने वालों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, चरित्र और कल्याण के लिये भयावह हों"[२]

---

1. James B. Conant, (1961), Slums and Suburbs, New York, McGraw-Hill, Page-7
2. James Ford, (1936), SLums and Hou sing, Housing Conditions, Policy, Cambridge, Harvard University Press, Page – 11.

According to UNESCO document "a slum is a building a group of buildings, or area characterised by overcrowding, deterioration, insanitory conditions or absence of facilities or amenities which, because of these conditions, or absence to any of them, endanger, the health, safety or morals."[1]

बर्गल (१९५५:४१८) के अनुसार - ''मलिन बस्तियां नगर में वे क्षेत्र हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास दशा होती है। एक मलिन बस्ती सदैव एक क्षेत्र होता है। एक अकेला मकान पतन की निकृष्ट अवस्था में होने पर भी एक मलिन बस्ती नहीं कहा जा सकता है।''[२]

Harvey W. Zorbaugh (1929:128) Writes, "The slum is distinctive area of disintegration and disorganisation. It is an area in which encroaching business lends a speculative value to the land. But rent are low; for while little business has actually come into the area, it is no longer desirable for residential purposes. It is an area of freedom and individualism. Over large stretches of the slum men neither know nor trust their neighbours. Aside from a few marronned families, a large part of the native population is transient prostitutes, criminals, out-laws, hoboes"[3] जोरबाध द्वारा मलिन बस्ती की जो परिभाषा की गई है वह पश्चिमी देशों की मलिन बस्तियों के सन्दर्भ में सही हो सकती है, परन्तु दक्षिण - पूर्वी एशिया के बहुत से शहरों तथा खासतौर से भारतीय शहरों में, मलिन बस्तियाँ निम्न वर्ग के लोगों का केन्द्र होती है। वे शहर के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का अभिन्न अंग हैं। उनका जीवन अलग - थलग जरूर होता है। परन्तु विघटित विखण्डित नहीं। यह ऐसा क्षेत्र नही है। जहां प्रत्येक व्यक्ति मनमाना व्यवहार कर सके बल्कि व्यक्ति का व्यवहार पारिवारिक

---

1. UNESCO Document, Quoted by Nels Anderson in Urban Community from Urban Land Policies, New York, 1952, Page - 410
2. Bergal E.E., (1955), Urban Sociology, New York, McGraw Hill, page-418
3. H.W. Zarbaugh, (1929), The Gold Coast and the Slum, Chicago, The University of Chicago Press, Page - 128

और धार्मिक संस्थाओं द्वारा बहुत कुछ नियन्त्रित होता है। वेश्याऐं तथा अपराधी केवल मलिन बस्तियों में ही नहीं बल्कि मलिन बस्तियों के बाहर भी पाये जाते हैं। वेश्याऐं और अपराधी शहरी जीवन में मलिन बस्ती को एक अलग प्रतिष्ठान नहीं बनाते हैं। कई अपराधी अपराध करके मलिन बस्तियों में शरण लेते हैं क्योंकि मलिन बस्तियों में उनकी पहचान छिप जाती है। इसलिये उनको मलिन बस्तियों से जोड़ना गलत है।

मार्शल बी० क्लीनार्ड (१९६६:४) ने अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। क्लीनार्ड के अनुसार ''मलिन बस्ती, अपर्याप्त आवास, सुविधाओं की कमी, अत्यधिक भीड़ भाड़ और आबादी की विशेषताओं से युक्त क्षेत्र है। यह एक जीवन विधि है और सामाजिक अलगाव तथा उदासीनता की विशेषता लिये स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता की कमी विचलित व्यवहार आदि को दर्शाने वाली उपसंस्कृति हैं।''[१] केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५६ में बनाये गये मलिन बस्ती क्षेत्र अधिनियम (Slum Area Act, 1956) में मलिन बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ''मलिन बस्ती प्रमुख रूप से एक ऐसा निवासी क्षेत्र है, जहां के आवास नष्ट हो गये हो एवं अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त हो, जिसकी डिजाइन त्रुटिपूर्ण हो, जहां रोशनदान, प्रकाश एवं सफाई का अभाव हो या इनमें से कुछ कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिये हानिप्रद हो।''[२]

The Government of Karnataka also defines it slums in its act which is known as slum clearance Act. The act describes the slum as follows:-

---

1. Marshall B. Clinard, (1966), Slums and Community Development Experimental in self help, New York, The Free Press London, Collier MacMillan Ltd. Page – 4
2. The Slum Area Act., 1956, Government of India

(a) Any area is or is likely to be a source of denger to health, safety or convenience of the public of that area, of its neighbourhood, by reason of the area being low lying, insanitary, squalid over crowded or otherwise.

(b) The buildings in any area, used or intended to be used for human habitation area:

(i) In any respect unfit for human habitation and

(ii) by reason of dilapidation overcrowding faulty arrangement and design of such building narrowness or faulty arrangement of streets, lack of ventilation, light or sanitation facilities to safety, health or moral. It may by notification declares such area to be a slum area[1].

भारतीय शहरों के सन्दर्भ में मलिन बस्तियाँ निम्नलिखित प्रकार के क्षेत्रों को कहा जाता है :-

(अ) मलिन बस्ती एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी विशेषताऐं है - अपर्याप्त आवास सुविधाऐं, अत्यधिक भीड़ भाड़, गलियों का दोषपूर्ण रख रखाव, रोशनदान, प्रकाश और स्वच्छता की सुविधाओं की भयंकर कमी।

(ब) मलिन बस्ती वे क्षेत्र हैं जहां अग्रलिखित विशेषताएं पायी जाती हैं - जीवन का अपना अलग ढंग, मूल्यों और प्रतिमानों की अलग उपसंस्कृति तथा नगरीय समुदाय में पूर्ण एकात्मीकरण के बिना लोगों का इस क्षेत्र में रहना।

(स) मलिन बस्ती ऐसा क्षेत्र है जो परिवार के स्तर के बाहर कम से कम सामाजिक रूप से संगठित हो।

---

1. The Mysore Slum Areas Improvement and Clearance Act., 1973, Government of Karnataka, 1974 Page - 4

(द) मलिन बस्ती ऐसा क्षेत्र है जहां के निवासी हाशिये पर होने की तीव्र भावना से ग्रसित, असहाय, दूसरों पर निर्भर, आत्महीनता की भावना से ग्रस्त, भविष्य की योजनाओं की कमी वाले, पलायनवादी प्रवृत्ति के, घोर भाग्यवादी, अंधविश्वासी तथा उच्च स्तर की सहनशीलता वाले होते हैं।

(य) मलिन बस्ती ऐसा क्षेत्र है जहां के निवासी कम आमदनी वाले, अत्यधिक बेरोजगारी से पीड़ित और रोजगारहीन, बचत करने में असमर्थ और विकासशील अर्थ व्यवस्था में प्रभावपूर्ण भागीदारी की संभावना को घटाने वाले होते हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में मलिन बस्ती का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां मूलभूत नागरिक सुविधाओं जैसे - स्वच्छ पेयजल, उचित प्रकाश, वायु, धूप, सीवरेज, स्नानघर, रसोईघर, शौचालय आदि का अभाव हो, जहां अत्यधिक छोटे मकानों में भीड़ भाड़ युक्त वातावरण हो, गलियों तथा मकानों में स्वच्छता का अभाव हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर निम्नकोटि का हो, जहां के निवासी अशिक्षित, अंधविश्वासी, बेरोजगार, कम आमदनी वाले, अलग सांस्कृतिक मूल्यों वाले तथा आत्महीनता की भावना से ग्रस्त हो।

उद्देश्य :-

मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन (झाँसी नगर के विशेष सन्दर्भ में) निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। :-

१. मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक एवं जननांकीय आवश्यकताओं का अध्ययन करना।

२. मलिन आवासों के विकास में सामाजिक, आर्थिक, मनौवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कारकों के स्तर का अध्ययन करना।

३. मलिन आवासों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना।

४. मलिन आवासों के सुधार एवं विकास के संदर्भ में सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा किये गये प्रयत्नों की समीक्षा करना।

५. मलिन आवासों के पर्यावरण का वहां के निवासियों के स्वास्थ्य के साथ सहसम्बन्ध के स्तर को खोजना।

****

अध्याय-२

शोध पद्धति

* अध्ययन क्षेत्र
* अनुसंधान का प्रारूप
* निदर्शन
* तथ्यों के स्रोत
* तथ्य संकलन
* तथ्यों का वर्गीकरण
* तथ्यों का सारणीयन
* तथ्यों का विश्लेषण तथा व्याख्या
* तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन
* प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण

अध्याय-२

शोध पद्धति

मानव विश्व का सर्वाधिक बौद्धिक, चिन्तनशील एवं जिज्ञासु प्राणी है उसकी इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वह समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं एवंउनके निराकरण के लिये सजग प्रहरी बन कर समाधान खोजने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। यहाँ तक कि समस्या से सम्बन्धित ज्ञान का स्पष्टीकरण करना, नवीन ज्ञान की खोज करना तथा उसका सत्यापन करना, उसके लिये एक जटिल समस्या होता है। समस्या से सम्बन्धित पक्षों के विषय में यथार्थ ज्ञान किन-किन तरीकों तथा प्रविधियों द्वारा किया जाये। ताकि अनुभवसिद्ध तथ्यों को ज्ञात करके निरीक्षण, परीक्षण तथा सत्यापन के आधार पर मानव व्यवहार से सम्बन्धित क्रियाशील अन्तर्निहित प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की जा सके एवं विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं एवं नवीन तथ्यों के बीच पाये जाने वाले प्रक्रियात्मक सम्बन्धों की खोज की जा सके। इसके लिये उसे यह सोचना पड़ता है कि ऐसा करने के लिये शोध अध्ययन किस प्रकार किया जाये? ताकि संग्रहीत सूचनाऐं विश्वसनीय, तर्कसंगत तथा वस्तुनिष्ठ रूप में प्राप्त हो सके क्योंकि, ''किसी भी अध्ययन विषय का विकास उसकी उचित अध्ययन विधियों के विकास पर निर्भर करता है, न कि विषय सामग्री पर''[1] इसलिये सामाजिक अध्ययन पद्धतियों का उल्लेख करते हुऐ सर्वश्री सैलटिज जहोदा तथा कुक ने इन्हें बौद्धिक (नोरमेटिव) तथा व्यवहारिक (एप्लाइड) दो भागों में वर्गीकृत किया है। सामान्य शब्दों में बौद्धिक उद्‌देश्य को

---

1. करलिंगर, एफ.एन., दि फाउण्डेशन ऑफ विहेवियरल रिसर्च, रिनेहार्ट एण्ड विन्सटन प्रेस हाल्ट, न्यूयार्क, 1964, पृष्ठ–4

सैद्धान्तिक ज्ञान और व्यवहारिक उद्‌देश्य को उपयोगितावादी कहा जा सकता है। इनका स्पष्टीकरण करते हुये प्रोफेसर कपिल ने लिखा है कि बौद्धिक शोध के अन्तर्गत सामाजिक जीवन, सामाजिक समस्याओं तथा प्रघटनाओं के सन्दर्भ में मौलिक सिद्धान्तों व नियमों की गवेषणा की जाती है, जो इस ओर संकेत करती है कि एक अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिये? जबकि व्यवहारिक शोध के अन्तर्गत मानव व्यवहार से सम्बन्धित समस्या का गहन अध्ययन करके उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें व्यवहारिक सुझाव दिये जा सकें। ''स्पष्टतः व्यवहारिक शोध के अन्तर्गत किन्हीं उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिये अतिरिक्त (नवीन) ज्ञान की प्राप्ति की जाती है।''[1] परन्तु सर्वश्री करलिंगर एफ.एन. (१९६४:२७) के अनुसार अनुसंधान कार्य प्रायः निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं:-

१- विशुद्ध मौलिक अनुसंधान, २- क्रियात्मक अनुसंधान,

३- व्यवहारिक अनुसंधान

जिस प्रकार विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि मानव है, उसी प्रकार मानव की सर्वोत्तम सृष्टि मानव समाज व उसकी विचित्र घटनाऐं है। यह मानव बुद्धिजीवी है, जिज्ञासा से भरपूर ज्ञानपिपासु है। इसीलिये यह सच ही कहा गया है कि मानव केवल प्रकृति का ही नहीं स्वयं अपना भी अध्ययन करता है। आकाश, धरती, पेड़ - पौधे, पशु-पक्षी, नदी और समुद्र का अध्ययन उसके सम्मुख अनेक आश्चर्यजनक अनुभवों को उपस्थित करता है और उसके ज्ञान-विज्ञान के भण्डार को भरता रहता है, परन्तु स्वयं अपना, अपने समाज का, अपने व्यवहारों का या फिर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन मानव के लिये और भी रोचक, अत्यन्त आश्चर्यजनक

---

1. Singh, S.D., (1980), Vaigyanik Samajik Anusandhan Avam Sarvekshan Ke Mool Tatva, Kamal Prakashan, Indoure (M.P.) Page-59.

अनुभवों से भरपूर और अनेक अनोखेपन से समृद्ध होता है। पर यह अध्ययन मनमाने ढंग से नहीं अपितु निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किये जाने पर ही सत्य को ढूँढा जा सकता है। सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में सत्य की खोज ही सामाजिक शोध है।

''मानव क्रिया के सभी क्षेत्रों में शोध का अर्थ ज्ञान तथा बोध की निरन्तर खोज है। परन्तु वही ज्ञान व बोध वैज्ञानिक होते है जिनमें वैज्ञानिक शोध के दो आवश्यक तत्व अवश्य विद्यमान हों- इनमें से प्रथम तत्व है निरीक्षण-इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखकर हम कतिपय तथ्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा तत्व है - कारण दर्शाना - जिसके द्वारा इन तथ्यों का अर्थ, उनका पारस्परिक सम्बन्ध एवं विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान से उनका सम्बन्ध निश्चित किया जाता है।''[1] यही दोनों तत्व आदि सामाजिक तथ्यों के सम्बन्ध में किये गये अनुसंधान में विद्यमान हैं तो उसे सामाजिक शोध कहते हैं।

इस दृष्टि से सामाजिक शोध किसी सामाजिक समस्या को सुलझाने या किसी उपकल्पना की परीक्षा करने, नवीन घटनाओं को खोजने या कतिपय घटनाओं के बीच नवीन सम्बन्धों को ढूँढने के उद्देश्य से किसी यथार्थ विधि का उपयोग है। यह यथार्थ विधि इस प्रकार की होनी चाहिये जो कि वैज्ञानिक शर्तो को पूरा करती हो तथा जिसकी सहायता से अनुसंधान किये गये विषय का सत्यापन सम्भव हो। दूसरे शब्दों में सामाजिक घटनाओं या विद्यमान सिद्धान्तों के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिये प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक विधि सामाजिक शोध है।

अतः स्पष्ट है कि सामाजिक शोध एवं वैज्ञानिक नियमानुसार, उस मानवीय क्रियाकलाप की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा सामाजिक जीवन में हमारे ज्ञान

---

1. मुखर्जी, आर.एन., (2001), अष्टम संस्करण, सामाजिक शोध व सांख्यिकी,,मातृ आशीष तिलक कालोनी, सुभाष नगर, बरेली, पृष्ठ–1

की वृद्धि सम्भव होती है तथा अनेक घटनाओं व उनके कारणों में पाये जाने वाले पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में हम नवीन जानकारी प्राप्त करते हैं। सामाजिक शोध के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि ज्ञान प्राप्ति की वह विधि है जो कि निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग तथा निष्कर्षीकरण की सामान्य वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है यदि उसी पद्धति के द्वारा न केवल अज्ञात सामाजिक घटनाओं को खोजा जा सकताहै परन्तु ज्ञात सामाजिक घटनाओं की भी विवेचना या विश्लेषण किया जाता है। इस अर्थ में सामाजिक शोध ''एक वैज्ञानिक योजना है जिसका कि उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों की पुन: परीक्षा एवं उनमें पाये जाने वाले अनुक्रमों, अन्त: सम्बन्धों, कारण सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है।''[१] इसीलिये श्री मौसर (१९६१:३) ने ठीक ही कहा है कि, ''सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिये किये गये व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक शोध कहते हैं।''[२]

सामाजिक अनुसंधान कोई सरल व सीधा कार्य नहीं है और इसलिये प्रत्येक व्यक्ति इसे कर भी नहीं सकता। केवल कुछ पुस्तकीय ज्ञान ही शोध कार्य के लिये पर्याप्त नहीं है। इसके लिये अन्य अनेक बाह्य तथा आन्तरिक गुणों का होना आवश्यक है। इसका कारण भी स्पष्ट है। सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं से सम्बन्धित होता है और सामाजिक घटनाऐं अमूर्त, परिवर्तनशील, जटिल तथा व्यक्ति प्रधान होती है। इसीलिये इनका अध्ययन प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन से कहीं अधिक कठिन होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का तात्पर्य वास्तव में मानव द्वारा मानव के विषय में अध्ययन है जैसा कि

1 Pauline V. Young, Scientific Social survey & research, Asia Publishing House, Bombay, 1960, P-44\
2 C. A. Moser, Survey Methods in social Investigation, Hieneman, London, 1961. P-3

इस शोध का विषय है - ''मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक - आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं का एक समाज शास्त्रीय अध्ययन।''

सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके उनके विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता और न ही काल्पनिक घोड़ा दौड़ाकर अथवा दार्शनिक विचारों का सहारा लेकर किसी यथार्थ और प्रयोगसिद्ध निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। श्री अगस्त काम्टे का यह निश्चित मत था कि ''वैज्ञानिक अध्ययन में सट्टेबाजी का कोई स्थान नहीं होता।'' दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक व दार्शनिक चिंतन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सत्य या काल्पनिक होना संयोग की बात है और उनके सत्य - असत्य का निर्णय अगर असम्भव नहीं तो कठिन तो अवश्य ही है। कुछ भी हो वैज्ञानिक अध्ययन संयोग या अनुमान पर कदापि निर्भर नहीं हो सकता और न ही होना चाहिये। इसलिये प्रत्येक विज्ञान अपने प्रयोगसिद्ध अध्ययन कार्य के लिये एक या एकाधिक निश्चित व व्यवस्थित अध्ययन प्रणालियों को अपनाता है। इन्हीं को शोध पद्धति कहते है और ये विधियां ही वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार हैं। ये पद्धतियां आधारभूत रूप में सभी विज्ञानों में समान या एक जैसी होती है, केवल अध्ययन वस्तु की प्रकृति के अनुरूप इनके रूप या स्वरूप में कुछ आवश्यक परिवर्तन प्रत्येक विज्ञान में कर लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पद्धति (Method) वह प्रणाली (Procedure) है जिसके अनुसार कार्य का संगठन, तथ्यों की विवेचना तथा निष्कर्षो का निर्धारण किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र

झाँसी उ०प्र० के दक्षिण-पश्चिमी पठारी भाग में स्थित है। यह २४°११ से २५°५७ उत्तरी अक्षांश में तथा ७८°१० से ७९°२५ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।
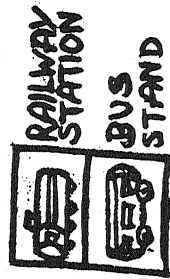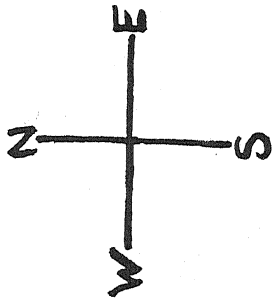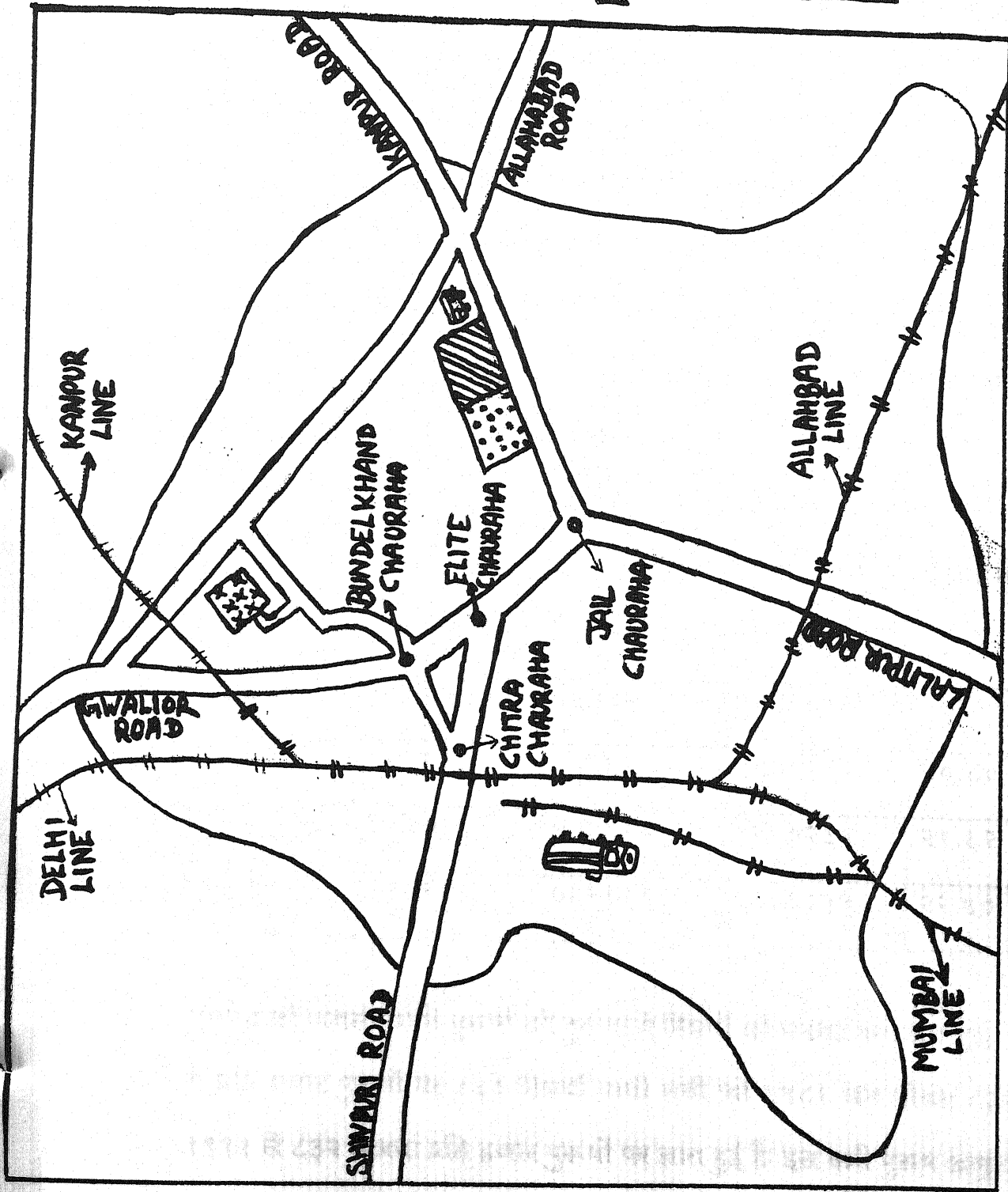
MAP OF JHANSI CITY

जनपद झांसी के पूर्व में मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला, पश्चिम में उ.प्र. का ललितपुर जिला, उत्तर में जिला जालौन तथा दक्षिण में जनपद बांदा स्थित है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल २३६२ वर्ग किमी है जो कि उत्तर प्रदेश की कुल भूमि २०४४११ वर्ग किमी का ०.७ प्रतिशत है।

(१) जनपद की दशकीय जनसंख्या का आकार तथा वृद्धिदर:

झाँसी मण्डल का जनपद झांसी पथरीला जनपद है जिसके कारण इसके आकार में कोई विशेष परिवर्तन ज्ञात नहीं हुआ है। यह जनपद झाँसी जनपद की पांच तहसीलों को मिलाकर बना है जो कि आकार की दृष्टि से बड़ा है। किन्तु जनसंख्यात्मक दृष्टि से छोटा है। सन् १९७१ से २००१ तक दो दशकीय जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि दर में परिवर्तन का प्रदर्शन निम्न तालिका में किया गया है।

झांसी जनपद की दशकीय जनसंख्या तथा वृद्धि दर

वर्ष	लिंग वार जनसंख्या का वितरण			दशक वृद्धिदर
	पुरूष	स्त्री	योग	
१९७१	५५५२५२	४६२७६१	१०१८०१३	--
१९८१	६६०६६४	५६९६२१	१२३०२६५	२०.८०
१९९१	७००७३५	४४९५२९	१२६०२६४	२१.६२
२००१	७३६९२६	५६९१२८	१३०६०५४	२२.६०

जनपद की जनसंख्या में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम ज्ञात हुई। १९७१ में प्रति हजार पुरूषों पर ८६० स्त्रियाँ पायी गयी जो १९८१ कम होकर ८३४ तथा १९९१ से ८३२ स्त्रियां प्रति हजार पुरूषों पर ज्ञात हुई है। इस स्त्री पुरूष अनुपात का एक विस्तृत अध्ययन निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

(२) स्त्री पुरूष अनुपात का वितरण व दशक वृद्धिदर

वर्ष	पुरूष	स्त्री	समस्त योग	दशकीय वृद्धि	स्त्रियां प्रति १००० पुरूष
१९७१	५५५२४२	४६२७६१	१०१८०१३	--	८६०
१९८१	६९०६४४	५६९६२१	१२६०२६५	२४२२५२	८८४
१९९१	७३६९२६	५९६१२८	१३३३०५४	२७२७८९	८३२
२००१	८३००७५	६९५१२७	१५२५२०२	२३४९४८	८३४

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि झांसी जनपद में १९७१ में ५५५२५२ पुरूष वर्गीय और ४६२७६१ स्त्री वर्गीय जनसंख्या थी जो कि १९८१ में बढ़ कर पुरूष वर्ग में ६९०६४४ और स्त्री वर्ग में ५६९६२१ हो गयी। इस प्रकार १९७१ से १९८१ के बीच जनसंख्या में २४२२५२ का कुल दशकीय परिवर्तन हुआ। १९९१ के अनुसार पुरूषों की जनसंख्या ७३६९२६ तथा स्त्रियों की जनसंख्या ५९६१२८ थी इस प्रकार १९८१ से १९९१ के बीच होने वाला दशकीय परिवर्तन २७२७८९ रहा। सन् २००१ में पुरूष, स्त्री अनुपात ८३४ हो गया।

(३) जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय विभाजन लिंगभेदानुसार:-

दशक १९८१ की तुलना में १९९१ में ग्रामीण व शहरी तथा स्त्री व पुरूष वर्ग के जनांकिकी आकार में परिवर्तन निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। तालिका के आंकड़ों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि जनपद झांसी के ग्रामीण अंचलों में जनसंख्या वृद्धि की दर नगरीय जनसंख्या की तुलना में काफी अधिक है। वर्ष १९८१ तथा वर्ष १९९१ के स्त्री तथा पुरूषों की जनसंख्या के तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत् है -

ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का वितरण

विवरण	पुरूष	स्त्री	योग
१- १९८१ की जनगणना			
ग्रामीण	३१००३५	३९३४२७	७०३४६२
शहरी	१८९२६०	१७६०५१	३६५३११
२- १९९१ की जनगणना			
ग्रामीण	५२४३०६	८२९०१३	९५३३१९
शहरी	१६६३३८	१४०६०८	३०६९४६
३- २००१ की जनगणना			
ग्रामीण	६१७८८७	५०७६०७	११२५४९४
शहरी	२१९०३९	१८८५२१	४०७५६०

(४) जनपदीय जनसंख्या का धर्म सापेक्ष विभाजन:

जनपदीय जनसंख्या को धर्म के आधार पर हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्मो में बांटा गया है। इसका कुल जनसंख्यात्मक प्रतिशत का एक विवेचन निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

जनसंख्या का धर्म सापेक्ष विभाजन (प्रतिशत) में

क्रमांक	धर्म वृत्तिका	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
१.	हिन्दू	९२.२८
२.	इस्लाम	७.१४
३.	ईसाई	०.०३
४.	सिख	०.०३
५.	बौद्ध	०.०६
६.	पारसी	०.३५
७.	अन्य	०.०१
	समस्त योग	१००.००

(५) जनसंख्या का शैक्षणिक स्तर सापेक्ष विभाजन

विवरण	शिक्षित पुरूषों का प्रतिशत	शिक्षित स्त्रियों का प्रतिशत	कुल जनसंख्या का शिक्षित प्रतिशत
१- १९९१ की जनगणना			
ग्रामीण	४३.२	१५.९	३१.०
शहरी	५८.५	३९.९	४९.९
योग	४५.२	१८.१	३३.१
२- २००१ की जनगणना			
ग्रामीण	५७.५	२३.१	४२.१
शहरी	६६.१	४७.६	५७.६
योग	५१.७	२९.८	४६.२

(6) झाँसी नगर की मलिन बस्तियों का जनसंख्यावार विवरण

झाँसी नगर की समस्त मलिन बस्तियों का जनसंख्या वार विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :-

झाँसी नगर की मलिन बस्तियों का जनसंख्यावार विवरण

वार्ड संख्या	वार्ड का नाम	क्रम संख्या	मलिन बस्ती का नाम	जनसंख्या
१.	तालपुरा	१.	तालपुरा	१०६५०
२.	खुशीपुरा	२.	खुशीपुरा	९६००
३.	नई बस्ती	३.	नई बस्ती	१२०००
४.	बाहर ओरछा गेट	४.	बाहर ओरछा गेट	५४००
		५.	मदकखाना	२१००
		६.	मोहनीबाबा	२५५०
५.	बाहर सैंयर गेट	७.	बाहर सैंयर गेट	५८५०

वार्ड संख्या	वार्ड का नाम	क्रम संख्या	मलिन बस्ती का नाम	जनसंख्या
६.	मसीहागंज	८.	मसीहागंज	६६००
७.	नैनागढ़	९.	नैनागढ़ हरिजन बस्ती	२५५०
८.	ईसाई टोला	१०.	ईसाई टोला	१३५०
		११.	पुरबिया टोला	९००
		१२.	बिहारीपुरा	९००
		१३.	सुमेरनगर	७५०
९.	नैनागढ़ दक्षिणी भाग	१४.	नैनागढ़ कसाई बाबा	२२५०
		१५.	महावीरनपुरा	१८००
१०.	स्कूल पुरा	१६.	स्कूल पुरा	२४००
		१७.	बिल्लेश्वर	१०५०
		१८.	महाराजपुरा	७५०
		१९.	टोला बदलूराम	९००
		२०	सिल्वटगंज	४५०
१२.	बंगलाघाट	२१.	बंगलाघाट	६०००
		२२.	अन्दर लक्ष्मीगेट	६००
१३.	गुदरी	२३.	गुदरी	२२८६
		२४.	सूजे खाँ	१७५५
		२५.	अन्दर बड़ागाँव	३३००
१४.	नन्दनपुरा	२६.	नन्दनपुरा	८६२७
		२७.	खोड़न	६००
		२८.	पीरिया	७५०
१५.	अलीगोल	२९.	अलीगोल	२१२४
		३०.	भैंरोखिड़की	१३५०
		३१.	बाहर उन्नाव गेट	१४१६
		३२.	सराय	१३५०
१६.	हीरापुरा	३३.	हीरापुरा	७५०
		३४.	प्रतापपुरा	७५०

वार्ड संख्या	वार्ड का नाम	क्रम संख्या	मलिन बस्ती का नाम	जनसंख्या
१८.	पुलिया नं०९	३५.	पुलिया नं०९	१०६५०
१९.	सागरगेट	३६.	सागरगेट	३०००
२०.	बाहर दतिया गेट	३७.	बाहर दतिया गेट	१५००
२१.	छनियापुरा	३८.	छनियापुरा	८१०
		३९.	अन्दर ओरछागेट	५४००
२२.	तलैया	४०.	कुष्टयाना	२४००
२३.	बाहर खण्डेराव गेट	४१.	बाहर खण्डेराव गेट	६००
२४.	मेवाती पुरा	४२.	मेवाती पुरा	६०००
		४३.	अन्दर उन्नाव गेट	३१५०
		४४.	अन्दर भाण्डेरीगेट	१३५०
		४५.	बाहर भाण्डेरी गेट	२७००
		४६.	इतवारीगंज	६१५०
२६.	सिविल लाइन उत्तरी भाग	४७.	ग्वालटोली	१३५०
२७.	सिविल लाइन पश्चिमी भाग	४८.	गोंदू कम्पाउण्ड	१५००
२८.	मुकरयाना	४९.	मुकरयाना	३९००
		५०.	बिसातखाना	१५००
		५१.	राई का ताजिया	१०५०
		५२.	दरीगरान	२८५०
२९.	प्रेमगंज	५३.	सिंगलपुरा	७५०
३०.	टोरिया नरसिंह राव	५४	टोरिया नरसिंहराव	३९००
		५५..	अन्दर दतिया गेट	९४८
३२	डडियापुरा	५६.	डडियापुरा	४७५८
३४	लक्ष्मनगंज	५७.	पन्नालाल	९००
		५८.	पुरानी नझाई	३०००

स्रोत :- जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष १९९७-९८ में किया गया सर्वेक्षण

अनुसंधान का प्रारूप

समाजशास्त्रीय शोध अध्ययनों में कई आधारों पर भिन्नता पाई जाती है। कुछ शोध कार्य किसी जिज्ञासा को शान्त करने के लिये तो कुछ केवल ज्ञान प्राप्ति के लिये किये जाते हैं, कुछ का लक्ष्य उपकल्पनाओं का निर्माण तथा कुछ का किसी उपकल्पना की सत्यता की जांच करना होता है। किसी शोध का लक्ष्य किसी घटना का यथार्थ चित्रण करना, किसी का सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु विकल्पों का पता लगाना तथा कुछ का सामाजिक नियोजन एवं नियोजित परिवर्तन की प्रभावशीलता का पता लगाना और समाज कल्याण तथा विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन में योगदान करना है। इन विभिन्न लक्ष्यों या प्रयोजनों के आधार पर सामाजिक शोध कार्य किया जाता है।

प्रत्येक सामाजिक शोध के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति तब तक नहीं की जा सकती तब तक योजनाबद्ध रूप में शोधकार्य का प्रारम्भ नहीं किया गया हो। इसी योजना की रूपरेखा को शोध प्ररचना (Research Design) कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक सामाजिक शोध की समस्या या उपकल्पना जिस प्रकार की होगी, उसी के अनुसार शोध प्ररचना का निर्माण किया जाता है जिससे शोध कार्य को एक निश्चित दिशा प्राप्त हो सके और शोधकर्ता इधर - उधर भटकने से बच जाये।

जैसा कि पहले ही कहा गया है कि कोई भी सामाजिक शोध बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के नहीं होता है। इस लक्ष्य का उद्देश्य विकास और स्पष्टीकरण शोध कार्य की अवधि में नहीं होता, अपितु वास्तविक अध्ययन प्रारम्भ होने से पूर्व ही इसका निर्धारण कर लिया जाता है। शोध के उद्देश्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न विषय के कतिपय पक्षों को उद्घाटित करने के लिये पहले से ही बनाई गई योजना की रूप रेखा को शोध प्ररचना कहते हैं।

श्री एकॉफ ने प्ररचना का अर्थ समझाते हुऐ लिखा है कि ''निर्णय क्रियात्मक करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्ररचना कहते हैं।''[1]

अत: यह स्पष्ट है कि सामाजिक शोध प्ररचना के अनेक प्रकार हैं और शोधकर्ता अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सर्वाधिक उपयुक्त समझकर इनमें से किसी एक प्रकार का चयन कर लेता है और वह कौन सा प्रकार है यह ज्ञात होते ही शोध कार्य की प्रकृति व लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे, यदि हमें यह ज्ञात हो जाये कि शोध प्ररचना अन्वेषणात्मक है तो स्वत: ही यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी सामाजिक घटना के अन्तर्निहित कारणों की खोज करना ही उस शोध का उद्देश्य है। इस प्रकार शोधकार्य तथ्यों का विवरण मात्र होगा अथवा नवीन नियमों को प्रतिपादित किया जायेगा, उसका उस शोध कार्य में परीक्षण व प्रयोग का अधिक महत्व होगा, इन सब बातों को ध्यान में रखकर शोध कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एक रूपरेखा बनाई जाती है, उसी को शोध प्ररचना कहते हैं।

समस्त शोधों का एक ही आधारभूत उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। परन्तु इस ज्ञान की प्राप्ति विभिन्न प्रकार से हो सकती है और उसी के अनुसार शोध प्ररचना का स्वरूप भी अलग-अलग होता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, निदानात्मक तथा परीक्षणात्मक शोध प्ररचनाओं को प्रयोग में लाया जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है। अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना के बारे में श्री सेलटिज व उनके साथियों ने लिखा है ''अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना उस अनुभव को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है जो कि अधिक निश्चित अनुसंधान के हेतु सम्बद्ध उपकल्पना के निरूपण में सहायक होगा।''[2]

---

1. K. L. Ackoff, Design of Social Research, P-5.
2. Seltiz, Jahoda, Deutach, cook-Research Mehods in social Relations, P-33

इसी प्रकार के विचार श्री हंसराज ने अभिव्यक्त करते हुऐ प्रगट किये हैं, ''अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिये उपकल्पना का निर्माण करने तथा उससे सम्बन्धित अनुभव प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है।''[1]

शोधकर्त्री ने मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक - आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं को स्पष्ट करने के लिये अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना का चयन किया। मान लीजिये हमें किसी विशेष सामाजिक स्थिति में तलाक प्राप्त व्यक्तियों में यौन व्यभिचार के विषय में अध्ययन करना है तो उसके लिये सबसे पहले उन कारकों का ज्ञान आवश्यक है जो इस प्रकार के व्यभिचार को उत्पन्न करते हैं। अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना इन्हीं कारकों को खोज निकालने की एक योजना बन जाती है।

शोधकर्त्री द्वारा अपनाई गई इस शोध प्ररचना की सफलता के लिये शोधकर्त्री ने :-

१- सम्बद्ध साहित्य का अध्ययन किया,

२- अनुभव सर्वेक्षण- उन सभी व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित किया जिनके विषय में उसे यह सूचना मिली कि शोध विषय के सम्बन्ध में उनको पर्याप्त अनुभव या ज्ञान है। ऐसे लोगों का व्यवहारिक अनुभव शोधकर्त्री के लिये प्रथ प्रदर्शक बना, तथा

३- अन्तर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण जिससे शोधकर्त्री की अध्ययन वस्तु के सम्बन्ध में व्यवहारिक अन्तर्दृष्टि पनपी तथा शोध में अधिक सहायता मिली। प्रत्येक समुदाय के जीवन में दृष्टि आकर्षक, कुछ अत्यन्त सरल व स्पष्ट, कुछ व्याधिकीय, कुछ व्यक्गित विशिष्ट गुण सम्बन्धी घटनाऐं होती हैं जो कि अर्न्तदृष्टि को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होती है।

---

1 Hansraj – Theory and Practice in social Research, P-69

निदर्शन -

'कुछ' को देखकर या परीक्षण कर 'सब' के बारे में अनुमान लगा लेने की विधि को निदर्शन कहते हैं। इस प्रविधि की आधारभूत मान्यता यह है कि इन 'कुछ' की विशेषताएं 'सब' की आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि 'कुछ' का चुनाव ठीक तरह से किया जाये। 'सब' की परीक्षा करना या देखना असुविधाजनक, धनसापेक्ष और समय सापेक्ष हो सकता है।''[1] प्रतिनिधित्व करने वाले निदर्शनों का अध्ययन ही श्रेयस्कर है। शोध में निदर्शन प्रविधि का प्रयोग अत्यन्त लोकप्रिय है और वह इस अर्थ में कि रोज के जीवन में एक अनाड़ी आदमी भी इसका डटकर प्रयोग करता है। बाजार में गेहूँ, चावल अथवा दाल खरीदते समय बोरियों को खुलवाकर उनका एक - एक दाना कोई नहीं परखता अपितु बोरी में से एक मुट्ठी भर दाने निकालकर उनकी जांच कर ली जाती है और फिर उस मुट्ठी भर दाने का मूल्यांकन होता है। वह सम्पूर्ण गेहूं, चावल अथवा दाल के लिये होता है। पर हम उस मुट्ठी भर दाने को लेने में सावधानी बरतते हैं, ढेर या बोरी के भीतर हाथ डालकर मुट्ठी भर लेते हैं ताकि दुकानदार द्वारा ऊपर ही ऊपर सजाया हुआ माल ही केवल हाथ न लगे क्योंकि वह माल सम्पूर्ण ढेर या बोरी में रखे हुऐ माल का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। इसलिये सावधानी की आवश्यकता है और इस कार्य में हम जितना सफल होंगे उतना ही माल खरीदने में हमें कम धोखा होगा। यही व्यवहारिक सामाजिक शोध की निदर्शन प्रविधि है जिसका प्रयोग परिशुद्ध रूप में वैज्ञानिक शोध करने में किया जाता है। अनुसंधान कार्य मोटे तौर पर दो पद्धतियों के आधार पर किया जा सकता है। यदि हम केवल अध्ययन विषय की जनसंख्या या इकाइयों को ही पद्धति के चुनाव का आधार बनाये। ये दोनों पद्धतियां जनगणना पद्धति एवं निदर्शन

---

1. मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ (2001) ,सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन 7,यू.ए.जवाहर नगर, दिल्ली, पृष्ठ–279

पद्धति हैं। जनगणना पद्धति को हम (Census) तथा निदर्शन पद्धति को (Sampling Method) कहते हैं। जैसे एक स्कूल के बच्चों का सामाजिक अध्ययन करना है तो स्कूल के प्रत्येक बच्चे से पूछताछ करेंगे। निदर्शन पद्धति में प्रत्येक कक्षा के कुछ छात्रों को प्रतिनिधि चयन कर पूछ ताछ करेगे। निदर्शन के बारे में श्री याटन का मत है कि "निदर्शन शब्द का प्रयोग केवल किसीसमग्र चीज की इकाइयों के एक सेट या भाग के लिये किया जाना चाहिये जिसे इस विश्वास के साथ चुना गया है कि वह समग्र का प्रतिनधित्व करेगा।"[1] इसी प्रकार के विचार गुडे एवं हाट (१९५२:२०९) ने प्रगट किये हैं- एक निदर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है किसी विशाल सम्पूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है।"[2]शोध कार्य में निर्दशन प्रविधि ही कई तरह से अधिक लाभप्रद सिद्ध हुई है क्योंकि इसके प्रयोग से समय की बचत, श्रम की बचत, अधिक गहन अध्ययन की सम्भावना, निष्कर्षो की परिशुद्धता तथा अन्य अनेक लाभ होते है।

निदर्शन प्रविधि का तात्पर्य उस विधि से है जिसकी सहायता से प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जाता है। अध्ययन निष्कर्षो के लिये यह अतिआवश्यक है कि निदर्शन समग्र का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिये निदर्शन चुनाव का काम मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। इसलिये सुनिश्चित प्रविधियों को अपनाना आवश्यक है।

१- <u>दैव निदर्शन प्रणाली -</u>

प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में अनुसंधानकर्ता के स्वयं के पक्षपात तथा मिथ्या झुकाव अथवा पूर्वाग्रह की संभावना से बचने के लिये तथा सम्पूर्ण समग्र की प्रत्येक इकाई को समान रूप से चुने जाने का अवसर प्रदान करने के लिये दैव निदर्शन

---

1 Frank yaton.

2 William J. Goode & Poul K. Hatt (1952) , Methods in social Research, Mac Graw -Hill Book company , Inc , New york , p-209.

निदर्शन प्रणाली द्वारा निदर्शनों का चुनाव एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। दैव निदर्शन प्रणाली के विषय में थॉमस कर्जन (१९४१) ने लिखा है कि , - ''दैव निदर्शन में आने या निकल जाने का अवसर घटना के लक्षण से स्वतंत्र होता है।''[१]

दैव निदर्शन प्रणाली में निदर्शन चुनने की कई प्रविधियां है। जिनमें (अ) लाटरी प्रणाली (ब) कार्ड या टिकट प्रणाली (स) नियमित अंकन प्रणाली (द) अनियमित अंकन प्रणाली, (य) टिप्पेट प्रणाली (र) ग्रिड प्रणाली (ल) कोटा प्रणाली मुख्य है।

२- उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली-

जब अनुसंधानकर्ता किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखकर जानबूझकर समग्र में कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन या सविचार निदर्शन कहते हैं। श्री एडील्फ जन्सन ने उद्देश्यपूर्ण निदर्शन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुऐ लिखा है - ''उद्देश्यपूर्ण निदर्शन से अर्थ है इकाइयों के समूहों की एक संख्या को इस प्रकार चुनना कि चुने हुऐ समूह मिलकर उन विशेषताओं के सम्बन्ध में यथासम्भव वही औसत अथवा अनुपात प्रदान करें जो कि समग्र में है और जिनकी सांख्यिकीय जानकारी पहले से ही है।''[२]

३- संस्तरित निदर्शन प्रणाली - प्रो० सिन पाओं यंग ने लिखा है कि - ''संस्तरित निदर्शन का अर्थ है समग्र में से उप निदर्शनों को लेना जिनकी कि समान विशेषताऐं है जैसे- खेतों के प्रकार, खेतों के आकार, भूमि पर स्वामित्व, शिक्षा स्तर, आयु, लिंग, सामाजिक वर्ग आदि। उपनिदर्शनों के अन्तर्गत आने वाले इन तत्वों को एक साथ लेकर प्रारूप या श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।''[३]

---

1. Thomas Carson , Mc Gronck (1941), Elementory social statistics . p-224
2. Adelph Jenson.
3. Hsin Pao Young ,(1931) Fact Finding with rural people , p-36-37

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्त्री ने उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली अथवा सविचार निदर्शन प्रणाली का चयन किया क्योकि शोधकर्त्री ने मलिन आवासों के निवासियों की समस्याओं के अध्ययन के विशेष उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुऐ समग्र में से इकाइयों का चुनाव किया है। सविचार निदर्शन या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कम खर्चीली है क्योंकि उद्देश्यपूर्ण होने के कारण निदर्शन का आकार बहुत बड़ा नहीं होता। जहां समग्र की कुछ इकाइयां अधिक महत्वपूर्ण होती है वहां यह प्रणाली अधिक उपयोगी साबित होती है। इस में समय, धन व श्रम की बचत होती है क्योंकि अध्ययन की इकाइयों के बारे में पहले ही निर्णय ले लिया जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन मे शोधकर्त्री ने झाँसी नगर की कुल ५८ मलिन बस्तियों में से ३ मलिन बस्तियों से निदर्शितों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली अथवा सविचार निदर्शन प्रणाली द्वारा किया है जिसके चयन अभिकल्प पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है:-

चयनित सूचनादाताओं का निदर्श अभिकल्प

क्रम संख्या	मलिन बस्ती का नाम	कुल परिवारों की संख्या	चयनित निदर्श (१०%)
१.	तालपुरा	१३०३	१३०
२.	खुशीपुरा	११५१	११५
३.	मुकरयाना	५५०	५५
	योग	३००४	३००

(विशेष :- निदर्शितों का चयन तीनों मलिन बस्तियों के समस्त परिवारों की संख्या का १० प्रतिशत है अर्थात् प्रत्येक १० परिवारों में से १ परिवार चुना गया है।)

निदर्शन चुनाव में शोधकर्त्री द्वारा जिन चरणों का पालन किया गया वे क्रमशः है:-

१- समग्र को निश्चित करना। २- निदर्शन इकाई का निर्धारण।

३- इकाइयों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के साधन सूची बनाना।

४- निदर्शनों के आधार। ५- निदर्शन पद्धति का चुनाव।

६- निदर्शन का चुनाव इत्यादि।

तथ्यों के स्रोत

वास्तविक सूचना या तथ्यों के बिना सामाजिक अनुसंधान या शोध वास्तव में एक अपंग प्राणी की भांति है। अनुसंधान की सफलता इसी बात पर निर्भर रहती है कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय के सम्बन्ध में कितने वास्तविक निर्भर योग्य सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित करने में सफल होता है। यह सफलता सूचना प्राप्त करने के स्रोतों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। अत: सूचना या तथ्यों के स्रोत के महत्व को सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में कम नहीं किया जा सकता। साथ ही, ये सूचनाऐं या तथ्य एक ही प्रकार के नहीं होते है। इनमें भी कई प्रकार के भेद हैं और इन प्रकारों के विषय में भी स्पष्ट ज्ञान का होना एक सफल शोधकर्ता के लिये आवश्यक है। किस स्रोत से किस प्रकार की सूचना उसे प्राप्त हो सकती है, इस बात की स्पष्ट जानकारी न होने पर अनुसंधानकर्ता केवल इधर-उधर भटकता ही रहेगा और उसका काफी समय तथा श्रम व्यर्थ चला जायेगा। अत: सूचना या तथ्यों के प्रकार तथा स्रोतों के बारे में ज्ञान अति आवश्यक है।

सामाजिक शोध में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं या तथ्यों की आवश्यकता होती है। इन्हें मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है- (१) प्राथमिक तथ्य या सूचनाऐं तथा (२) द्वितीयक तथ्य या सूचनाऐं। प्राथमिक तथ्य वे मौलिक सूचनाऐं या आंकड़े होते है जो कि एक शोधकर्ता वास्तविक अध्ययन स्थल (Field) में जाकर विषय या समस्या से सम्बन्धित जीवित व्यक्तियों से साक्षात्कार (Interview) करके अथवा अनुसूची (Schedule) या प्रश्नावली की सहायता से एकत्र करता है अथवा प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा प्राप्त करता है जैसा कि श्री पामर (१९२८:५७) ने अपने विचार प्रगट किये है, - ''ऐसे व्यक्ति न केवल एक विषय की विद्यमान समस्याओं को बताने की योग्यता रखते है अपितु एक सामाजिक

प्रक्रिया में अन्तर्निहित महत्वपूर्ण चारण व निरीक्षण योग्य झुकावों के सम्बन्ध में भी संकेत कर सकते हैं।''[1]

श्रीमती यंग (१९६०:१२७) ने सूचनाओं के स्रोतों को दो मोटे भागों में विभाजित किया है :- १-प्रलेखी स्रोत तथा , २- क्षेत्रीय स्रोत

इस शोध अध्ययन में शोधकर्त्री ने मलिन आवासों में रहने वाले परिवारों को इकाई मानकर प्राथमिक तथ्यों के स्रोत का चयन किया तथा स्वयं के क्षेत्रीय अवलोकन को भी केन्द्र बनाया। शोध अध्ययन में द्वैतीयक स्रोत- सम्बन्धित पुस्तकें, जीवन इतिहास, प्रतिवेदन, समाचार पत्रों में प्रकाशित विषय वस्तु को भी प्रमाण के तौर पर प्रयोग में लाया गया क्योंकि भारत जैसे देशमें जहां की सांख्यिकीय सामग्री प्राप्त करने के स्रोत तथा साधन सीमित व दोषपूर्ण है, जनगणना प्रतिवेदनों को नहीं नकारा जा सकता है। इन प्रतिवेदनों द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों के विषय में विश्वसनीय आंकड़े व सूचनाऐं प्राप्त हो जाती है। जैसे- अपने देश में परिवार का आकार, स्त्री-पुरूष का अनुपात, जाति व धर्म के समर्थकों की संख्या, विभिन्न पेशों में लगी श्रम शक्ति, शिक्षा का स्तर, आयु का वर्गीकरण, जन्म व मृत्युदर, वैवाहिक स्तर तथा जनसंख्या आदि। इसका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक बहुत महत्त्व होता है।

किसी भी सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य एक घटना विशेष के सम्बन्ध में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना होता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष कोई अटकलपच्चू निष्कर्ष नहीं अपितु वास्तविक तथ्यों (Actual Facts) पर आधारित यथार्थ (Exact) व निश्चित निष्कर्ष होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक शोध की बुनियादी शर्त अध्ययन विषय से सम्बन्धित वास्तविक तथ्यों का संकलन करना है।

---

1. V,M.Palmer, (1928), Field study in sociology, University of chicago press, Chicago, p-57.
2. Pauline V.Young , (1960), Scientific social survey and research, Asia publishing house, Bombay, P-127.

तथ्य संकलन

वास्तविक तथ्यों को काल्पनिक ढंग से एकत्र नहीं किया जा सकता। इसके लिये तो कुछ प्रमाण सिद्ध तरीकों का होना आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान के लिये आवश्यक वास्तविक तथ्यों को एकत्र करने के लिये काम में लाये गये निश्चित व प्रमाण सिद्ध तरीकों को ही तथ्य संकलन की प्रविधि कहते है। वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या के लिये जिन वास्तविक तथ्यों की आवश्यकता होती है उन्हें एकत्र करने के लिये शोधकर्ता जिस विधि या तरीके को अपनाता है वही उसके लिये प्रविधि होती है। प्रो० मोसर (१९६१:२७१) ने लिखा है कि, ''प्रविधियां एक सामाजिक वैज्ञानिक के लिये वे मान्य तथा सुव्यवस्थित तरीके हैं जिन्हें वह अपने अध्ययन में विषय से सम्बन्धित विश्वसनीय (Reliable) तथ्यों को प्राप्त करने के लिये उपयोग में लाता है।''[1]

सामाजिक शोध का आधार विश्वसनीय तथ्य, सूचनाऐं, आंकड़े आदि है। इनको एकत्र करने की कुछ प्रविधियों को समाजशास्त्र में अपने अध्ययन विषय में सामाजिक घटनाओं की प्रकृति के अनुसार विकसित किया है। इन प्रविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

१- प्रश्नावली- जब काफी बड़े क्षेत्र में सूचनादाता फैले होते हैं और उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना सम्भव नहीं होता तो उनसे सूचनाऐं एकत्र करने के लिये प्रश्नावली को डाक द्वारा एक अनुरोध पत्र के साथ भेज दिया जाता है। सूचनादाता उन्हें भरकर शोधकर्ता के पास भेज देता है।

२- अनुसूची- अनुसूची को स्वयं शोधकर्ता सूचनादाता से मिलकर उत्तरों को भरता है। ये सभी प्रकार के उत्तरदाताओं से तथ्य संकलन की प्रविधि है।

३- साक्षात्कार- इसके द्वारा शोधकर्ता उत्तरदाताओं से भेंट कर विषय के सम्बन्ध में आमने - सामने बैठकर सूचनाऐं स्वयं भरता है।

---

1 C.A. Moser and C. Kalton, (1961) survey Methods in social investigation , p-271.

३- साक्षात्कार- इसके द्वारा शोधकर्ता उत्तरदाताओं से भेंट कर विषय के सम्बन्ध में आमने - सामने बैठकर सूचनाऐं स्वयं भरता है।

४- निरीक्षण:- जिसमें सूचनाऐं अध्ययन स्थल पर जाकर वास्तविक निरीक्षण के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। ये निरीक्षण सहभागी व असहभागी दोनों प्रकार का हो सकता है।

वैयक्तिक अध्ययन :- सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में जिन विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है, उनमें वैयक्तिक अध्ययन विधि महत्वपूर्ण है। इसमें अनेक को छोड़ कर एक के बारे में ही सबसे अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया जाता है। गुड एण्ड हाट (१९५२) के शब्दों में, - ''वैयक्तिक अध्ययन में हम एक विशेष प्रकार के सतत अनुभवों का एक श्रंखलाबद्ध चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस रूप में समय प्रवाह में विभिन्न अनुभवों, सामाजिक शक्तियों तथा प्रभावों की पृष्ठभूमि में किसी इकाई का गहन तर्कयुक्त अध्ययन ही वैयक्तिक अध्ययन है।''[१]

इस शोध अध्ययन में शोधकर्त्री के द्वारा साक्षात्कार अनुसूची को प्रयोग में लाने से पूर्व अनुसूची का क्षेत्र में परीक्षण किया गया तथा बाद में अनुसूची की त्रुटियों को दूर किया गया। तत्पश्चात् साक्षात्कार अनुसूची को प्रयोग में लाया गया। क्योंकि व्यक्तियों की भावनाओं, मनोवृत्तियों, प्रवृत्तियों और उद्वेगों का अध्ययन कैसे किया जाये, साक्षात्कार प्रविधि ही इसका निदान प्रस्तुत करती है। सामाजिक अनुसंधान की सर्वाधिक प्रचलित प्रविधियों में सम्भवत: इस प्रविधि का स्थान सर्वोपरि है। प्रो० आलपोर्ट ने इस प्रविधि की उत्पत्ति के बारे में कहा है कि, - ''यदि हम यह जानना चाहते है कि **लोग क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव करते हैं और क्या याद रखते हैं,** उनकी भावनाऐं व उद्देश्य क्या हैं, तो उनसे स्वयं क्यों नहीं पूछते''? साक्षात्कार प्रविधि पर प्रकाश डालते हुए श्री वी. एम. पालमर (१९२८ : १७०) ने कहा है कि,

---

1 William J. Goode & paul K. Hatt, (1952), methods in social research, Mac Graw- Hill book company, Inc , New york

"साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक स्थिति है, जिसमें अन्तर्निहित मनौवैज्ञानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर-प्रत्युत्तर करते रहें। यद्यपि साक्षात्कार में सामाजिक शोध के उद्देश्य से सम्बन्धित पक्षों से अध्ययन विषय के सम्बन्ध में काफी कुछ उत्तर प्राप्त होने चाहिये।"[१]

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्त्री ने परिस्थितियों से रूबरू होने के लिये निरीक्षण प्रविधि का भी प्रयोग किया है। जिसके बारे में प्रो० गुड एण्ड हाट (१९५२:११९) ने लिखा है कि,- "विज्ञान निरीक्षण से प्रारम्भ होता है और फिर सत्यापन के लिये अन्तिम रूप से निरीक्षण पर ही लौटकर आना पड़ता है।"[२] वास्तव में कोई भी शोधकर्ता किसी भी घटना या अवस्था को उस समय तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वह स्वयं उसका अपनी इन्द्रियों से निरीक्षण (Observation) न कर लें।

सामाजिक विज्ञानों के बारे में भी यह तथ्य सत्य है। कोई भी शोधकर्ता तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाता जब तक शोध में निरीक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया गया हो। इसी निरीक्षण प्रविधि का समाज वैज्ञानिक द्वारा अपने ही साथी एवं स्वजातीय मनुष्यों एवं स्त्रियों तथा संस्थाओं के निरीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। यदि संक्षिप्त में कहा जाये तो निरीक्षण कार्य कारण अथवा पारस्परिक सम्बन्ध को जानने के लिये स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्त्री ने साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलन का कार्य किया है। शोधकर्त्री ने अनुसूची में अधिकांशत: संयोजित प्रश्न (Structural Questions) तथा दोहरे प्रश्नों (Dichotomous Questions) का ही निर्माण किया तथा खुले प्रश्नों (Open ended Questions) को नहीं रखा गया क्योंकि

---

1 V.M.Palmer, (1928) field study in Sociology, p-170

2 William J. Goode and poul k. hatt (1952) , Methods in social Research , Mc graw hill book company Inc , New york , P-119

उनके वर्गीकरण में तथा सारणीकरण में पर्याप्त समय तथा धन की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य के लिये उसने साक्षात्कार की निम्न प्रक्रिया को अपनाया:-

१- साक्षात्कार :- साक्षात्कार में सामाजिक अन्त: क्रिया के द्वारा शोधकर्त्री ने उत्तरदाताओं से अध्ययन से सम्बन्धित सूचनाऐं प्राप्त करने के लिये साक्षात्कार किया। शोध की परिशुद्धता बनाये रखने के लिये शोधकर्त्री ने स्वयं साक्षात्कार अनुसूची के अनुसार निदर्शनों से आमने - सामने की परिस्थिति में बैठ कर तथ्यों को एकत्र किया तथा किसी उत्तरदाता के अनुपस्थित होने पर दूसरे उत्तरदाता का चयन करके सूचनाऐं एकत्र की।

२- सहयोग की याचना :-शोधकर्त्री ने शोध के उद्देश्य को निदर्शनों के सम्मुख स्पष्ट किया तथा सहयोग की प्रार्थना की तथा उन्हें विश्वास दिलाया कि उन के द्वारा दी गई सभी सूचनाऐं अत्यन्त गोपनीय रखी जायेंगी और यह भी बताया कि आपके सहयोग के बिना मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निदान असम्भव है।

३- साक्षात्कार का प्रारम्भ :- सहयोग की याचना के बाद शोधकर्त्री ने साक्षात्कार प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम शोधकर्त्री ने प्राथमिक प्रश्नों नाम, आयु, शिक्षा, व्यवसाय आदि पूछे उसके बाद अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्न पूछे। वास्तव में निदर्शनों से सूचना प्राप्त करना साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य होता है।

४- उत्साहवर्धक वाक्यों का प्रयोग :- शोधकर्त्री ने साक्षात्कार प्रक्रिया की अवधि में ''आपकी सूचनाऐं मलिन आवासों के निवासियों की समस्याऐं हल करने में काफी सहायक है'' तथा ''आपने कई नई बातें बताई जो महत्वपूर्ण है'' ऐसे वाक्यों को बीच - बीच में दोहराकर साक्षात्कारदाताओं का उत्साहवर्धन किया।

५- स्मरण कराना :- शोधकर्त्री को जब भी ऐसा लगा कि साक्षात्कारदाता अपने अपने अनुभवों व भावना में बह गया है और मुख्य विषय से दूर हो गया है तो शोधकर्त्री ने उसे मुख्य विषय का ध्यान दिलाया।

६- सूचना को नोट करना :- साक्षात्कार की स्वतन्त्र प्रक्रिया में शोधकर्त्री ने निदर्शनों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं को अनुसूची के प्रश्नों के सम्मुख नोट भी किया ताकि सूचनादाता से वार्तालाप में कोई विघ्न न पड़े।

शोधकर्त्री को तथ्यों को एकत्र करने में साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान कुछ कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ा :-

१- उत्तरदाता का घर पर न मिलना।

२- कुछ उत्तरदाताओं द्वारा साक्षात्कार के लिये मना कर देना।

३- अधिक समय लगाना तथा

४- व्यक्तिगत मामलों में तथ्यों को छिपाना आदि।

शोधकर्त्री ने जो उत्तरदाता घर पर नहीं मिले उनके स्थान पर अगले उत्तरदाता का चयन कर लिया। जिन उत्तरदाताओं ने साक्षात्कार के लिये मना कर दिया उनके सम्बन्धियों से हस्तक्षेप कराकर राजी कर लिया गया। व्यक्तिगत मामलों में तथ्यों को छिपाने की समस्या को उनकी प्रशंसा करके तथा ''उनके अनुभव बहुमूल्य है'' कहकर उन्हें यथार्थ व्यक्त करने हेतु प्रेरित किया।

तथ्यों का वर्गीकरण :-

सामाजिक अनुसंधान, शोध का आधार अध्ययन विषय से सम्बन्धित वास्तविक तथ्य है। इन तथ्यों को निरीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची तथा प्रश्नावली की सहायता से एकत्र किया जाता है, परन्तु इस प्रकार एकत्र तथ्यों के ढेर से कुछ भी निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता और न ही विषय के सम्बन्ध में कुछ भी जाना जा सकता है। तथ्यों का पहाड़ कुछ नहीं कहता जब तक उसे कुछ व्यवस्थित स्वरूप प्रदान न किया जाए और इसके लिये तथ्यों का वर्गीकरण आवश्यक होता है। जब हम तथ्यों को उसमें पाई जाने वाली समानता या भिन्नता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित रूप में विभाजित करते हैं, तो वह वर्गीकरण कहलाता हैं।

तथ्यों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालते हुऐ श्री कोनोर (१९३६:१८) ने लिखा है कि, ''वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा निकटता के आधार पर समूहों तथा वर्गो में क्रमबद्ध करने तथा व्यक्तिगत इकाइयों की भिन्नता के बीच पाये जाने वाले गुणों की एकात्मकता को प्रगट करने की एक प्रक्रिया है।''[१] श्री एलहान्स ने तथ्यों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किये है - ''सादृश्यताओं व समानताओं के अनुसार तथ्यों को समूहों एवं वर्गो में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया पारिभषिक दृष्टि से वर्गीकरण कहलाती है।''[२]

सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण का अत्यन्त महत्व है क्योंकि इसके द्वारा जटिल, बिखरे हुऐ, परस्पर असम्बद्ध तथ्यों को थोड़े से, समझने योग्य तथा तर्कसंगत समूह में रखना पड़ता है। इकाइयों की समानता तथा असमानता वर्गीकरण के द्वारा स्पष्ट होती है। वर्गीकरण के द्वारा दो वर्गो के तुलनात्मक अध्ययन का कार्य सरल हो जाता है। वर्गीकरण के द्वारा संकलित की गई सूचनाऐं जब वर्गो में रखी जाती है तो वह स्वत: प्रगट हो जाती है। वर्गीकरण तथ्यों को विश्लेषण व व्याख्या के लिये सरल बनाता है तथा वर्गीकरण के द्वारा संकलित तथ्य संक्षिप्त तथा बोधगम्य हो जाते है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सूचनाओं को एकत्र कर शोधकर्त्री ने उन्हें गुणात्मक अर्थात् सरल या विभेदात्मक और बहुगुणी वर्गीकृत किया। उसके साथ - साथ गणनात्मक वर्गीकरण में खण्डित श्रेणी के अनुसार भी तथ्यों का वर्गीकरण किया है। ऐसा करने से सूचनाओं को समझने में बुद्धि पर अनावश्यक जोर नहीं देना पड़ा और इस प्रकार वर्गीकरण सांख्यिकीय दृष्टि से भी शुद्ध हो गया।

---

1 कोनोर , एल0 आर0 (1936)ए स्टैटिस्टिक्स इन थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस , पृ0–18
2 एलहान्स, डी0 एन0, फण्डामेण्टल ऑफ स्टेटिस्टिक्स , पृ0–56

तथ्यों का सारणीयन :-

सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण की प्रक्रिया के प्रश्चात् सामग्री को और भी स्पष्ट तथा बोधगम्य करने के लिये तथ्यों का सारणीयन किया जाता है। वास्तव में, सारणीयन वर्गीकरण के पश्चात् विश्लेषण कार्य में अगला कदम होता है। इसके माध्यम से तथ्यों में सरलता और स्पष्टता आती है और गणनात्मक तथ्य अधिक व्यवस्थित होकर प्रदर्शन के योग्य बन जाते हैं। इसके अन्तर्गत तथ्यों को विभिन्न स्तम्भों (Columns) तथा पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। जिससे तथ्यों को समझाने में सुविधा व सरलता हो। सर्वश्री जहोदा, ज्यूड्स, कुक आदि ने लिखा है कि, - ''जिस प्रकार संकेतन (Coding) को तथ्यों के श्रेणीबद्ध करने की प्राविधिक पद्धति कहा जाता है, उसी प्रकार सारणीयन को सांख्यिकीय तत्वों के विश्लेषण की प्राविधिक प्रक्रिया का अंग माना जाता है। ''[१] यही कारण है कि श्री राबर्ट ई० चाड्डाक (१९२५:४३) ने लिखा है कि, ''सामाजिक विज्ञानों में वर्गीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक घटनाओं में एक परिस्थिति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं तथा उन कारकों में अत्यधिक भिन्नताऐं भी होती है।''[२]

सारणीयन के बारे में एम०के० घोष तथा एस०सी० चतुर्वेदी (१९५०:९४) ने लिखा है कि , - ''दो दिशाओं में पढ़ा जा सके इस रूप में कुछ पंक्तियों तथा स्तम्भों में तथ्यों को एक क्रमबद्ध तौर पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सारणीयन कहा जाता है। ''[३] सारणीयन का सामान्य उद्देश्य तथ्यों को सुस्पष्ट तथा बोधगम्य बनाना, उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित करना, तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करना तथा तथ्यों को तुलनात्मक बनाना है। इसलिये श्री सैक्रिस्ट ने लिखा है कि,- ''सारणी वह साधन है जिससे वर्गीकरण द्वारा की गई विवेचना को स्थायी स्वरूप प्रदान किया जाता है तथा समान व तुलनात्मक इकाई को उचित स्थान पर रखा जाता है।''[४] यही कारण है कि

---

1. Jahoda] Duetach & W.Cook , research methods in social Investigation p-270
2 Robert E. chanddock (1925), priniples and methods of statistics, Houghton miffin company Boston, P-43
3 M. K.Ghosh & S.C. Chaturvedi(1950), statistics: Theory and practice, P-94
4 Horace secrist, social survey and research, P-273

पी०वी० यंग ने सांख्यिकीय सारणी को सांख्यिकीय की आशुलिपि (Shorthand) कहते हुऐ[1] बताया कि इससे उनमें आकर्षकता, समुचित आकार, तुलना की सुविधा, स्पष्टता तथा सरलता, उद्देश्य के अनुकूल तथा वैज्ञानिकता का समावेश हो जाता है। प्रो० थॉमसन ने ठीक ही लिखा है कि, - "एक जंगल को साफ करके उसके स्थान पर एक 'महानगरी' बनाने से सभ्यता व संस्कृति के तत्वों को जिस भांति सुस्पष्टता व सुनिश्चितता प्राप्त होती है, उसी प्रकार संकलित तत्वों के ढेरों का सारणीयन कर लेने से उनके अन्तर्निहित गुण प्रगट हो जाते हैं और सम्पूर्ण विषय के सम्बन्ध में एक सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में सारणीयन आवश्यक नहीं अनिवार्य है।"

इस शोध अध्ययन के प्रतिवेदन में शोधकर्त्री ने तथ्यों को बोधगम्य बनाने के लिये आवृत्ति सारणी (Frequency Tables) तथा सरल सारणी (Simple tables) का प्रयोग ही नहीं किया अपितु शोधकर्त्री ने सारणी निर्माण के आवश्यक नियम तथा सावधानियाँ भी बरतीं जैसे -

१- सारणी का शीर्षक लिखना,

२- सारणी के स्तम्भों का आकार उस पेज के आकार के रूप में रखना जिस पर सारणी बनाई गई है।

३- अनुशीर्षक Captions (कालम विशेष में किन आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है।)

४- पंक्तियों में सूचना लिखना,

५- स्तम्भों को क्रम में रखना,

६- स्तम्भों का विभाजन,

७- कुल योग तथा

८- टिप्पणियाँ आदि।

---

1 P. V. Young , Ibid, P-309

सारणीयन से समस्त संकलित तथ्य एक तर्क पूर्ण ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं, सारणीयन में तथ्यों को एक सरल तथा स्पष्ट स्वरूप मिल जाता है। इससें सांख्यिकीय विश्लेषण में बहुत मदद मिलती है, सारणीयन तुलनात्मक अध्ययन कार्य को सरल बना देता है, सारणीयन से समय तथा स्थान की बचत होती है तथा सारणीयन वैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्याख्या के कार्य को सरल बनाता हैं।

तथ्यों का विश्लेषण तथा व्याख्या

श्रीमती पी०वी० यंग (१९६०:५०९) ने लिखा है कि वैज्ञानिक विश्लेषण यह मानता है कि तथ्यों के संकलन के पीछे स्वयं तथ्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण व रहस्योदघाटक (Revealing) और कुछ भी है, यदि सुव्यवस्थित तथ्यों को संपूर्ण अध्ययन से सम्बन्धित किया जाये तो उनका महत्वपूर्ण सामान्य अर्थ प्रगट हो सकता है जिसके आधार पर घटना की सप्रमाण व्याख्यायें प्रस्तुत की जा सकती है।''[१] इस कथन का तात्पर्य यही है कि शोध कार्य में केवल तथ्यों का पहाड़ एकत्र कर लेने से ही अध्ययन विषय का वास्तविक अर्थ, कारण तथा परिणाम स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक उन एकत्र तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण व व्याख्या न की जाये। प्रख्यात फ्रैन्च गणितशास्त्री श्री प्लेवेन केयर ने उचित ही लिखा है कि, ''जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण तथ्यों से होता है, पर केवल तथ्यों का एक संकलन उसी भांति विज्ञान नहीं है जैसा पत्थरों का एक ढेर मकान नहीं है।''[२]

अतः विज्ञान के लिये यह आवश्यक है कि एकत्र तथ्यों का एक संकलन सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण व व्याख्या की जाये ताकि विषय के सम्बन्ध में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति सम्भव हो।

---

1 Poulin V.Young (1960), Scientific survey & Research, AsiaPublishing house, Bombay , P-509.
2 Jules Heari Poincare

तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या की आधारभूत आवश्यकता यह है कि यदि ऐसा न किया गया तो संकलित तथ्य अर्थहीन ही बने रहेंगे और उनसे अध्ययन का कोई भी परिणाम निकालना हमारे लिये सम्भव नहीं होगा। इस अर्थ में तथ्यों के विश्लेषण तथा व्याख्या के बिना शोध कार्य अपूर्ण ही रह जायेगा। यही कारण है कि श्रीमती यंग (१९६०:३०९) ने वैज्ञानिक विश्लेषण को ''शोध का रचनात्मक पक्ष'' कहा है।[१]

सामाजिक शोधकर्ता किसी भी चीज या घटना को स्वयं सिद्ध नहीं मान लेता। यह तो संकलित तथ्यों, विद्यमान आदर्शो तथा अन्तर्निहित सामाजिक दर्शन को सामयिक मानता है और इसलिये कोई भी प्रयोगसिद्ध परिणाम निकालने के लिये संकलित तथ्यों की सावधनीपूर्वक जांच, उनके पारस्परिक सम्बन्धों तथा उनका सम्पूर्ण घटना के साथ सम्बन्ध के सन्दर्भ में करना उसके लिये आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार तथ्यों का विश्लेषण करने के दौरान ही वह पुरानी अवधारणाओं की परीक्षा करने अथवा नवीन चुनौती देने वाली अवधारणाओं को ढूँढ़ निकालने में सफल हो सकता है। साथ ही, इस प्रकार के विश्लेषण से उसे विषय के सम्बन्ध में जो अन्तर्दृष्टि प्राप्त होती है उसी के आधार पर वह अवधारणाओं की पुर्नपरीक्षा करता है और इस प्रकार तथ्यों की व्याख्या के लिये एक अधिक ठोस आधार को प्राप्त करता है। अत: तथ्यों के उचित विश्लेषण के बिना अध्ययन विषय की वास्तविक व्याख्या सम्भव नहीं और तथ्ययुक्त व्याख्या के बिना शोधकार्य का कोई परिणाम निकल हीं नहीं सकता है।

श्रीमती यंग (१९६०:३१०) के अनुसार, ''क्रमबद्ध विश्लेषण का कार्य एक ठोस बौद्धिक भवन के विचार के एक संगठन का निर्माण करना है जो कि एकत्रित तथ्यों को उनके उचित स्थान तथा सम्बन्धों को प्रस्थापित करने में सहायक होगा ताकि उनसे सामान्य निष्कर्षो को निकाला जा सके।''[२]

---

1. P.V. Young (1960), Scientific social survey & research, Asia Pub lishing house Bombay, P-309
2. P. V. Young , ibid P-310.

इस प्रकार तथ्यों के विश्लेषण के बिना किसी भी विषय या घटना के कार्यकारण सम्बन्ध की व्याख्या सम्भव नहीं है और इस प्रकार की व्याख्या के बिना न तो विज्ञान की कोई उन्नति सम्भव है और न ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति। विश्लेषण व व्याख्या के आधार पर ही वास्तविक वैज्ञानिक नियमों को प्रतिपादित किया जा सकता है। पुराने सिद्धान्तों या नियमों की परीक्षा करने, नवीन सिद्धान्तों या नियमों को प्रतिपादित करने अथवा पुराने सिद्धान्तों या नियमों को गलत प्रमाणित करने के लिये एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या आवश्यक है। स्वयं तथ्य मूक होते हैं वे कुछ नहीं कहते पर उनका क्रमबद्ध विश्लेषण व व्याख्या करके उन्हें मुखरित किया जाता है।

इस शोध अध्ययन में शोधकर्त्री ने उपरोक्त सभी मार्ग दर्शनों एवं सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर एकत्र तथ्यों को वर्गीकृत कर उनको सारणीबद्ध करके अभिवृत्तियों को प्रतिशतों में विश्लेषण किया है जो सरस, सरल तथा सुबोध भी हो गया। विश्लेषणों की व्याख्या जैसी समाज शास्त्र के शोध प्रतिवेदनों में प्रस्तुत की जाती है उसी प्रकार इसमें भी की गई है।

तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन

सांख्यिकीय विज्ञान का मुख्य कार्य सांख्यिकीय तथ्यों को सरलतम रूप प्रदान करना है। जिससे कि उन तथ्यों को शीघ्र एवं सरलता से समझा जा सके और उनके विषय में निष्कर्ष निकाला जा सके। प्राय: यह देखा गया है कि तथ्यों का वर्गीकरण और सारणीयन कर लेने से बिखरे हुऐ संकलित तथ्यों के ढेर को क्रमबद्ध, व्यवस्थित व संक्षिप्त रूप मिल जाता है जिसके कारण उन्हें समझना सरल हो जाता है। परन्तु इन संकलित तथ्यों का और भी प्रभावशाली रूप इस का चित्रमय प्रदर्शन है। आधुनिक समय में संख्यात्मक तथ्यों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन एक विस्तृत कला बन

गई है और इस दिशा में निरन्तर प्रगति करने के सम्बन्ध में प्रयत्नशीलता भी बढ़ती जा रही है। इसका कारण भी स्पष्ट है, साधारण व्यक्ति के लिये संख्याऐं या आंकड़े प्राय: नीरस, जटिल तथा अरूचिकर होते हैं। इसलिये संख्या की ओर न तो वह ध्यान देता है और न ही संख्याओं में उसकी कोई रूचि होती है। इसके विपरीत चित्र स्वत: ही आकर्षक होते हैं और उन्हें देखकर वह प्रभावित हुऐ बिना नहीं रह सकता है। चित्रों द्वारा तथ्यों के प्रदर्शन की यही सार्थकता और यही चित्रों की बढ़ती हुई लोकप्रियता का रहस्य है। इसलिये वेडिंग्टन को लिखना ही पड़ा कि, ''भली प्रकार से रचित एक चित्र आंखों को प्रभावित करता है और मस्तिष्क को भी, क्योंकि चित्र उन व्यक्तियों के लिये व्यवहारिक, स्पष्ट तथा शीघ्र समझने योग्य होता है जो प्रदर्शन की पद्धति से अनभिज्ञ होते हैं।''[1]

यथार्थ सारणीयन तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्याख्या में अत्यन्त सहायक सिद्ध होता है। फिर भी साधारण जनता के लिये सारणीयन में दिये गये अंक विशेष अर्थ नहीं रखते। ऐसे व्यक्तियों के लिये सारणी में उल्लेखित तथ्यों की अन्तर्निहित प्रकृति व परिणामों को समझना बहुत कठिन होता है। इसके विपरीत इन्हीं अंको का चित्र में प्रदर्शन करने पर तथ्यों की वास्तविकताओं को समझने में देर नहीं लगती। इतना ही नहीं, चित्रों द्वारा तथ्यों का तुलनात्मक महत्व जितना स्पष्ट रूप में प्रगट होता है उतना ही किसी और साधन द्वारा सम्भव नहीं। इसलिये सामाजिक अनुसंधान के प्रत्येक विद्यार्थी के लिये तथ्यों के चित्रमय प्रदर्शन की कला से परिचित होना आवश्यक है। श्री वाउले ने ठीक ही कहा है कि ,- ''चित्र आँख के सहायक और समय बचाने के साधन मात्र है।''

---

1 Bodington, Statistics and its application to commerce, P-140.

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्त्री ने तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन किया है। जिसमें सरल छड़ चित्र (Simple Bar Diagram), बहुगुणी छड़ चित्र (Multiple Bar Diagram) तथा पाई चित्र मुख्य हैं ताकि

१- तथ्यों का आकर्षण तथा प्रभावपूर्ण प्रदर्शन सम्भव हो,

२- तथ्य सरल तथा समझने योग्य बने,

३- समय की बचत हो सके,

४- आसानी से तथ्यों की तुलना हो सके,

५- एक ही दृष्टि में तथ्य स्पष्ट हो जाये,

६- शोध के लिये उपयोगी सिद्ध हो तथा

७- भविष्य की ओर संकेत प्रदान कर सकें।

प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण

प्रत्येक सामाजिक सर्वेक्षण अथवा सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक पद्धति व प्रविधियों द्वारा तथ्यों को संकलित किया जाता है तत्पश्चात् उनका वर्गीकरण व सारणीयन किया जाता है। परन्तु वर्गीकरण व सारणीयन बिना विश्लेषण व व्याख्या के निरर्थक है। विश्लेषण व व्याख्या की प्रक्रिया भी व्यर्थ चली जायेगी यदि निष्कर्षो को लिखित रूप न दिया जाये। इस दृष्टि से प्रतिवेदन किसी भी शोध कार्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अन्तिम सोपान है। अनुसंधान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का संयुक्त परिणाम प्रतिवेदन में निहित रहता है। प्रतिवेदन में प्रारम्भ से अन्त तक की सर्वेक्षण प्रक्रिया, शब्दों तथा धारणाओं की परिभाषा, प्रयुक्त विधियों तथा प्रणालियों का परिचय, आंकड़ों का प्रदर्शन आदि तथा सर्वेक्षण के निष्कर्ष दिये जाते हैं। प्रतिवेदन ही सर्वेक्षण की सफलता तथा असफलता का आधार है।

शोधकर्त्री द्वारा मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं तथा उनके समाधान हेतु उनके विचार जानने की जिज्ञासा एवं इस समस्या के प्रस्तुतिकरण हेतु ''अन्वेषणात्मक पद्धति' को अपनाया गया है ताकि मौलिक निष्कर्ष तार्किक रूप में प्राप्त किये जा सके। चूंकि संकलित प्राथमिक तथा द्वितीयक तथ्यों का निर्वचन करना शोध का वह आवश्यक तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू होता है जो विश्लेषण के द्वारा परिणाम निकालने से सम्बन्ध रखता है। ऐसा करने के लिये शोधकर्त्री ने साक्षात्कार अनुसूची द्वारा संकलित प्राथमिक/क्षेत्रीय आंकड़ों को व्यवस्थित करके प्रकरणत: '' मास्टर शीट'' निर्मित कर ''सांख्यिकीय पद्धति'' द्वारा प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का सारणीयन विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित निर्वचन करके शोध परक वैज्ञानिक निष्कर्ष उद्घाटित किये हैं। अध्ययन के प्रस्तुतीकरण को सरल, सुगम, ग्राह्यय, तार्किक तथा वैज्ञानिक बनाने के लिये शोध प्रबन्ध में आंकड़ों के यथास्थान आरेखीय चित्र भी दिये गये हैं। शोधकर्त्री को आशा ही नहीं बल्कि यह पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत शोध अध्ययन, ''मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक - आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' विषय - विशेषज्ञों तथा शोध अध्येताओं को तो रूचिकर लगेगा ही, साथ ही समाजशास्त्रीय सन्दर्भो में 'मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं' जिन्हें वे लोग वास्तव में अनुभव कर रहे हैं तथा भोग रहे हैं, उनके निराकरण समाधान के लिये सुझाये गये व्यवहारिक सुझाव उपयोगी तथा सार्थक सिद्ध तो होंगे ही, साथ ही यह शोध अध्ययन समाजशास्त्र विषय के क्षेत्र के लिये विभिन्न नवीन उपयोगी आयाम भी उदघाटित करेगा तथा मलिन आवासों के निवासियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगा।

****

अध्याय - ३

साहित्य का पुनरावलोकन

अध्याय-३

साहित्य का पुनरावलोकन

निस्सन्देह, सामाजिक अनुसन्धान के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक शोध के प्रमुख सोपानों के अन्तर्गत ''साहित्य का पुनरावलोकन'' तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा करना अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण सोपान होता है। क्योंकि अनुसन्धान कार्य से सम्बन्धित साहित्य के पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा किए बिना; एक अध्ययनकर्ता को अनुसन्धान कार्य के सुचारू संचालन हेतु सही दिशा प्राप्त करना नितान्त असम्भव होता है। यदि साहित्य का पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षाएं कर ली जाय तो शोधकर्ता यह जान लेता है कि प्रस्तुत अनुसन्धान से सम्बन्धित किन -किन पहलुओं, शीर्षकों, उपशीर्षकों पर अनुसन्धान कार्य आनुभविक रूप में सम्पादित किए जा चुके हैं; तथा कौन - कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ व प्रविधियां उनमें प्रयोग की गयीं, और किस अनुसंधान अभिकल्प को अपनाया गया; साथ ही तत्सम्बन्धित प्रमुख - प्रमुख निष्कर्ष तथा समस्याएं क्या - क्या रहीं है? यह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक सामाजिक समस्या का देश, काल एवं परिस्थितियों से घनिष्ठ तथा प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, अत: इस दृष्टि से भी पूर्व अध्ययनों से सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा करना अनुसन्धान के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं होता; अपितु शोध की अनिवार्य आवश्यकता होती है। परिवर्ती परिवेश में अपने अनुसंधान कार्य में क्या - क्या समस्याएं जनित हो सकती है? किन पद्धतियों व प्रविधियों से अध्ययन करना उपयुक्त रहेगा? किन-किन पहलुओं, आयामों तथा कारकों का अध्ययन, पूर्व (अतीत) में हो चुका है? और किन पहलुओं का नहीं;

तथा किस दृष्टिकोण से अध्ययन करना अवशेष है? अध्ययन किस भांति (कैसे) किया जाय; कि अनुसंधान कार्य सरलता, सहजता तथा सुगमता से वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक रूप में पूर्ण हो जाय तथा शोधकर्ता को समय, धन तथा श्रम भी कम अपव्यय करना पड़े ; यह सब कुछ एक अध्ययनकर्ता को साहित्य के पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा कर लेने से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रसंग में प्रो. बेसिन का कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बेसिन एच.एफ., (१९६२:४०) के अनुसार: ''प्रत्येक अनुसन्धान कार्य में ''सम्बन्धित साहित्य एवं पूर्व अध्ययनों की समीक्षा'' अनुसन्धान योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान हुआ करता है क्योंकि प्रत्येक अनुसन्धान कार्य, आरम्भ में अस्पष्ट होने के कारण दुरूह एवं जटिल प्रतीत होता है। सम्बन्धित साहित्य के पुनरावलोकन से अनुसन्धान की जटिलता एवं अस्पष्टता दोनों ही समस्याऐं (बाधाएं) लगभग समाप्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि साहित्य के पुनरावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शोध अध्ययन के लिए विश्वसनीय, तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन-सामग्री, किस भांति तथा कैसे प्राप्त हो सकती है?''[1] साहित्य के पुनरावलोकन तथा समीक्षा करने के कुछ अन्य प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं-

१- अध्ययनकर्ता को शो ध समस्या के सन्दर्भ में सामान्य ज्ञान विकसित हो जाता है।

२- अनुसन्धान कार्य हेतु अनुसन्धान प्रारूप एवं उपयोगी पद्धतियाँ तथा प्रविधियाँ शोधकर्ता को स्पष्ट हो जाती हैं कि अध्ययन कैसे सम्पादित करना है।

३- साहित्य के पुनरावलोकन से अध्ययनकर्ता को अनुसन्धान सम्बन्धी भ्रमात्मक तथा सन्देहात्मक स्थितियां सुस्पष्ट हो जाती है; सम्प्रति अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में अनुसन्धानकर्ता की सोच स्पष्ट हो जाने की बजह से अध्ययन करने में

---

1. Besin H.F., (1962), Review of Litereture inPractical Sciences, Mac Millan Company Private Limited, Madras, page - 40

सरलता हो जाती है। इस प्रकार साहित्य के पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा कर लेने से अध्ययनकर्ता को अनुसन्धान हेतु शोध-प्रारूप, अध्ययन-पद्धतियाँ तथा प्रविधियों के ज्ञान के अतिरिक्त, दिशा बोध हो जाता है क्योंकि ऐसा करने से शोधकर्ता में अतिरिक्त अभिज्ञान तथा अन्तर्दृष्टि विकसित हो जाती है।

प्रोफेसर बोर्ग जी०पी० (१९९१:४८) के शब्दों में ''सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन किसी भी अनुसन्धानकर्ता को इस योग्य बना देता है कि वह पूर्व में किए हुए अनुसन्धान कार्यों का पता लगा सके, और उनका अध्ययन करके तत्सम्बन्धित समीक्षा कर सकें। ऐसा करने से अध्ययनकर्ता अपने अनुसन्धान कार्य के लिए उपयुक्त उपकरणों तथा पद्धतियों इत्यादि का उचित चयन करके अतिरिक्त ज्ञानार्जन के आधार पर अनुसन्धान हेतु स्पष्ट दिशा प्राप्त कर लेता है।''[१]

सर्वश्री पुरूषोत्तम (१९९१:११०) के अनुसार ''सामान्यत: मानव-ज्ञान के तीन पक्ष (१) ज्ञान को एकत्रित करना (२) एक दूसरे तक पहुँचाना (३) अतिरिक्त ज्ञान में वृद्धि करना; होते हैं। ये तीनों ही मूलभूत तत्व अनुसन्धानों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि वास्तविकता के समीप/निकट आने के लिए निरन्तर प्रयासरत् रहते हैं। अतिरिक्त ज्ञान के अर्जन तथा विस्तृत ज्ञान-भण्डार में इनका योगदान, प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किए गए निरन्तर प्रयासों की सफलता को सम्भव बनाता है। उसी भांति अनुसन्धान प्रक्रिया में ''साहित्य का पुनरावलोकन'', अनुसन्धान उपक्रम का एक ऐसा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सोपान होता है; जो कि वर्तमान के गर्त में निहित होता है अर्थात् मनुष्य ; अपने अतीत में संचारित एवं आलेखित ज्ञान के आधार पर अनुसन्धान कार्य के माध्यम से नवीन ज्ञान का सृजन करता है।''[२]

1. Borge G.P., (1963), Review of Literetarue in Research of Social Sciences, JainBrothers and Sons, Publishers and Distributors, Bombay, Page - 48
2. Purushottam Roy, (1991), Main Elements in Social Research, Saraswati Prakashan, Darbhanga - Bihar, Page - 110

सर्व श्री सिंह एस०पी० (१९७५:१५) के अनुसार: किसी भी शोध - समस्या का चयन कर लेने के पश्चात्, यह आवश्यक ही नहीं; अपितु शोध की अनिवार्य आवश्यकता होती है कि उस अनुसन्धान विषय से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य का पुनरावलोकन कर; तत्सम्बन्धित विषयगत समीक्षाएं कर ली जायें क्योंकि ऐसा करने से-

(१) शोधकर्ता- के मन: पटल में अध्ययन-समस्या के सन्दर्भ में एक स्पष्ट अन्तर्दृष्टि तथा ज्ञान बोध विकसित हो जाता है।

(२) शोधकर्ता को अनुसन्धान कार्य हेतु उपयुक्त पद्धतियों तथा प्रविधियों का आभास तथा समुचित ज्ञान हो जाता है।

(३) साहित्य की समीक्षा; अध्ययनार्थ निर्मित परिकल्पनाओं/शोध प्रश्नों के निर्माण में सहायक होती है।

(४) विभिन्न शोध- अध्येताओं द्वारा एक ही अनुसन्धान कार्य को फिर से दोहराने की गलती नहीं हो पाती और अध्ययन - समस्या से सम्बन्धित उन आयामों (पहलुओं) पर, जिन पर अन्य शोध-अध्येताओं ने ध्यान नहीं दिया अथवा अछूते रह गए; या फिर अज्ञानतावश छूट गए; शोधकर्ता को उन समस्त अछूते आयामों का भी आभास हो जाता है।''[1]

सर्वश्री स्टॉउफर सेम्युअल (१९६२:७३) का कहना है कि ''सम्बन्धित साहित्य के गहन अध्ययन एवं उसकी समीक्षा के अभाव में कोई भी अन्वेषण कार्य करना ''अन्धे के तीर'' के तुल्य होता है। साहित्य समीक्षा के अभाव में कोई भी अनुसन्धान कार्य एक कदम भी प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता; जब तक कि अनुसन्धानकर्ता को इस बात का ज्ञान तथा जानकारी नहीं है कि प्रस्तुत अनुसन्धान के क्षेत्र में किन - किन पक्षों पर कितना कार्य हो चुका है? कौन - कौन से स्रोत प्राप्त

---

1. Singh S.P., (1975), Interrelations in An Organisation, Alok Prakashan Private Limited, jaipur (Raj.), Page - 15

है?; तब तक वह अध्ययनकर्ता न तो अध्ययन-समस्या का चयन कर सकता है, और न ही उसकी रूपरेखा तैयार कर; अनुसन्धान कार्य को गति प्रदान कर सकता है। इसका मौलिक कारण यह है कि प्रत्येक अनुसन्धान कार्य का प्रमुख उद्‌देश्य; किसी समस्या विशेष पर नवीन दृष्टिकोण से चिन्तन तथा विचार करके उसमें नवीनता लाना अथवा समस्या की नवीन ढंग से तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करना होता है।''[1] उपरोक्त समस्त प्रतिनिधि बिन्दुओं को दृष्टिपथ में रखकर शोधकर्त्री ने अपने अनुसन्धान कार्य के सुचारू संचालन तथा सफलता हेतु अध्ययन करने से पूर्व सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन तथा पूर्व अध्ययनों की समीक्षा करने का प्रयास किया है ताकि प्रस्तुत अध्ययन को उचित दिशा एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त हो सके।

भारत में मलिन बस्तियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य अपेक्षाकृत अत्यन्त ही अल्प हुऐ है फिर भी तत्सम्बन्धित शोध अध्ययनों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:-

अर्न्राष्ट्रीय स्तर पर :-

एम०एल० गुप्ता एवं शर्मा डी०डी० (२००१:१०५)

''बेढंग तरीके से बसी हुई, अव्यवस्थित रूप से विकसित और सामान्यत: उपेक्षित क्षेत्र जो कि लोगों द्वारा घना बसा हुआ होता है तथा जिसमें बिना मरम्मत एवं उपेक्षित मकानों की भीड़ भाड़ होती है, संचार के साधन अपर्याप्त होते हैं, सफाई व्यवस्था के प्रति उदासीनता पायी जाती है, भौतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति कम से कम होती है, व्यक्ति एवं परिवार की प्रमुख सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिये सामाजिक सेवाओं एवं कल्याण संस्थानों की सामान्यत: अनुपस्थिति होती है। इनमें निम्न स्तर का

---

1. Sttaufar Sammual, (1962), Review : A Major Step of Investigation in Social Sciences, American Sociological Review, Vol. 23, Page - 73.

स्वास्थ्य, अपर्याप्त आय एवं निम्न जीवन - स्तर पाया जाता है। भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के परिणामस्वरूप यहां के निवासी प्राणीशास्त्रीय मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परिणामों के शिकार होते हैं।''[१]

David R. Hunter (1931 : 14)

"The Slum as a distinctive area of disintegration and disorganisation. It is however, not merely the decaying and dilapidated houses, the filthy alleys and streets, nor the number of uncared for children and poverty stricken adults which make up the slum. The Slum is more than an economic condition. It is a social phenomenon in which the attitudes, Ideas, ideals and practices play an important part"[2]

Abrams (1946 : 21)

"The continuance of slums is attributed to factors such as inability of the slum dwellers to secure good housing as private enterprise fails to supply it at prices they can afford"[3]

Miles Colean (1953 : 22)

"The existence of slums must be shared by the landlords, the tenants and the community. The landlords because of their lack of interest in maintaining their property and willingness to profit from overcrowding the tenants because they are poor, too ignorant and too indifferent to maintain the dwellings properly and community because it allows them to develop and fails to support Government to enforce decent standards. These together have given rise to the slums."[4]

---

1. Seminar on slums, 1957, Quoted by M.L. Gupta and Sharma D.D. : Sociology, 2001, Sahitya Bhavan Publications, Agra, Page – 105.
2. Conference on Home Building and Home ownership, Washington D.C. (1931), abstract from Devid R. Hunter's The Slum : Challenge and Response, Page 14.
3. Abrams, (1946), the future of Housing, New York, Harper and Row, page 21
4. Miles Colean, (1953), Renewing Our cities, New York, The Twentieth Century Fund, Page 22.

सन् १९६७-६९ तक पेरू व दक्षिणी अमेरिका की मलिन बस्तियों का विस्तृत अध्ययन टर्नर व मांजिन महोदय ने किया। वहां पर उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों के साथ - साथ भौतिक वातावरण का भी अध्ययन किया तथा सुझाव दिया कि:-

Turner (1968)

"The government should support rather than constructing complete dwelling units by the public or private sector cannot solve the housing crises and why resident's control over planning construction and management of houses (what Turner call autonomous housing) is the only possible answer"[1]

श्री पैट्रिक गैडीस महोदय ने भारत आने से पहले एडिनबरा की मलिन बस्तियों का गहन अध्ययन किया तथा उनके विकास एवं सुधार करने के लिये अनेक सुझाव दिये :-

Patrik Geddes (1953)

He laid emphasis on "Survey before planning" i.e. diagnosis before treatment to make a correct diagnosis of various ills from which the town suffers and then prescribe the correct remedies for its cure. These are the physical and socio-economic surveys"[2]

Turner (1968)

"Good housing should not be designed on the basis of assumptions about what the poor needs ought to be, but should provide the flexibility by which the poor can trade off one need against another"[3]

---

1. Turner, D.L. and Mangin, K.K. (1968) The Fundamental of Transit Planning for cities, Proceedings National Conference on city Planning.
2. Geddes Patrik, (1953), Town and Country Planning, London.
3. Turner, D.L. and Mangin, K. (1968), The Fundamental of Transit Planning For cities, Proceedings National Conference on city Planning.

Abrams (1969)

"Despite mans unprecedented progress in Industry, education and sciences, the simple refuge which affords privacy and protection against the elements is still beyond the reach of most members of the human race. The most appropriate housing policy was the one that produces the maximum number of houses with the minimum outlay and leaves to the occupant as much work he can handle"[1]

Beyer (1965)

"Housing is a bulky durable and permanent product which has a fixed location being used only in the place where it is built. Once built it tends to remain the existence for many years – frequently long after it has served its usefulness. It becomes almost a part of the land."[2]

बर्गल ई०ई० (१९५५:४१८)

''मलिन बस्तियाँ नगर में वे क्षेत्र हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास दशा होती है। एक मलिन बस्ती सदैव एक क्षेत्र होता है। एक अकेला मकान पतन की निकृष्ट अवस्था में होने पर भी एक मलिन बस्ती नहीं कहा जा सकता है।''[३]

Turner (1968)

"In the context of housing, the poor value proximity to unskilled jobs (opportunity) much more highly than either owernship (security) or high quality standards of shelther (indentity). By contrast, a middle- income family gives much higher priority to modern standards of shelter and freehold ownership than to proximity."[4]

---

1. Abrams Charms, (1969), Revolution in Landuses.
2. Beyer, (1965), Housing and Society, Macmillian New York.
3. Bergal E.E., (1955), Urban Sociology, New York, Mc- Graw Hill, Page – 418.
4. Turner D.L. and Mangin K., (1968), The fundamental of Transit Planning for cities, Proceedings National Conference on city planning.

UNESCO Report (1952)

"A slum is a building, a group of buildings or area characterised by overcrowding, deterioration, insanitary conditions or absence of facilities or amenities which, because of these conditions or absence of any of them, endanger the health, safety or morals."[1]

Mumford (1970)

"The main elements in the new urban complex wear the factory, the railroad and the slum"[2]

Aldrich, Brain C. and Sandhu, R.S. (1995)

"These variations results from such factors as differences in size, rate of growth, location and functions of the city in which these settlements are located."[3]

श्रीमती बाइस

तोमर, आर०एस० तथा गोयल डी०डी० (१९९०-४१७)

"मलिन बस्तियों का सबसे बड़ा मनो-वैज्ञानिक दुष्परिणाम यह है कि यहां के निवासियों में मलिन बस्तियों में रहने की मानसिक अव्यवस्था होती है, उनमें मानसिक अस्वस्थ उच्छृंखलता, स्नायविक निवृत्ति, सामुदायिक चेतना एवं सौन्दर्यात्मक बोध में कुण्ठा, पड़ोसियों के प्रति दुर्व्यवहार और कुछ कार्यो में अत्यधिक अकर्मण्यता व कुछ में भयहीनता व बुजदिली उत्पन्न कर देती है।"[४]

---

1. Report, U.N., (1952) Urban Land Policies, United Nations Secretariate, Document, ST/SCA/9, April. See Desai and Pillai : Slums and Urbanisation.
2. Mumford L. (1970) "The Slum : Its origin," in (Ed) Desai and Pillai : Slum and Urbanisation, Popular Prakashan, Bombay.
3. Aldrich, Brain C. and Sandhu R.S., (1995), The globalcontext of Third World Housing Poverty.
4. Tomar, Rambihari Singh and Goyal Dwarika Das, (1990), Nagariya Samajvigyan, Shri Ram Ofset Press, Agra-3 Page 417.

World Bank (1992)

"The presence of low standard housing in a society is a clear indication of the failure of society and government to provide adequate habitate for human development"[1]

श्री युत हर्स्ट

(एस०सी० सक्सैना - १९९३)

''रहने की दशाऐं मलिन बस्तियों में सबसे खराब हैं। एक संकरी गली में जिसमें दो व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते (लेखक के) घुसने के पश्चात् इतना अंधेरा था कि हाथ से टटोलने पर कमरे का दरवाजा मिला। उस कमरे में सूर्य का लेशमात्र भी प्रकाश न था। ऐसी दशा दिन के १२ बजे थी। एक दियासलाई जलाने के पश्चात् ज्ञात हुआ कि ऐसे कमरे में भी अनेक श्रमिक रहते हैं।''[२]

U.N.O. Report (2000)

"Half of the population of most Asian cities will live in slums or slum like conditions or squatter settlements. In most Asian cities inadequate housing is characterised of 25 to 80 percent of the population"[3]

वुड ई०ई०

''अमेरिका में श्रमिकों के आवास में एक परिवार के सदस्यों के लिये ४ कमरे का आवास मानक के रूप में स्वीकार किया गया है। इनमें एक कमरा १२X१४ फीट, एक भोजनकक्ष १० X १२ फीट, एक शयनकक्ष ८ X १० फीट और एक स्नानकक्ष होता है।''[४]

---

1 World Bank, The Housing Indicators Programme, Washington D.C., The World Bank, 1992.

2. Saxena, S.C., (1993), Shram Samsyain evam Samajit Suraksha, Rastogi Publications.

3. United Nations Report on Housing Programmes in Asian Cities, 2000.

4. Wood E.E., The Housing of the unskilled wage Earner.

राष्ट्रीय स्तर पर :-

रिपोर्ट आफ दि नेशनल प्लानिंग कमेटी (१९४८ : ५६)

"भारतवर्ष में श्रमिकों के लिये आवास में एक मुख्य कक्ष १५ X १० फीट, एक भोजनकक्ष ८ X ६ फीट, बरामदा ९ X ६.५ फीट, एक स्नानकक्ष ७ X ३.५ फीट चार सदस्यों वाले एक परिवार के लिये संस्तुत किया गया है।"[१]

नेशनल प्लानिंग कमेटी (१९४९)

"औद्योगिक आवासों के लिये एक कमरे का क्षेत्रफल कम से कम १८० वर्ग फीट होना चाहिये।"[२]

हाऊसिंग पैनेल आफ ग्रेटर बाम्बे स्कीम (१९४८)

"एक आदमी के लिये ६० वर्ग फीट जगह पर्याप्त है या २५० वर्ग फीट एक परिवार के लिये जिसमें ४ सदस्य हों।"[३]

डॉ० राधाकमल मुखर्जी (१९५१)

"भारतीय औद्योगिक बस्तियों की दशा इतनी भयंकर है कि वहां मानवता को निर्दयता के साथ अभिशापित किया जाता है, महिलाओं के सतीत्व का अपमान किया जाता है एवं देश के भावी आधारस्तम्भ शिशुओं को आरम्भ से ही अशिक्षित रखा जाता है।"[४]

Ramchandran and Padamnabha (1967)

"In Greater Bombay in 1967, 56 Percent of the hut-dwellers were below the destitution line. With the passage of time minimum housing has become a rare commodity to a greater proportion of the poor"[5]

---

1. Report of the National Planning Committee on Housing, (1948), Page- 56.
2. National Planning Committee, (1949).
3. Housing Pannel of Greater Bombay Scheme, (1948).
4. Dr. Radhakamal Mukherjee, (1951), Indian Working class, Hind Kitab Limited.
5. Ramachandran and Padamnabha A., (1967), Economics and Social Rents and subsidies for Low Income Group Households in Greater Bombay (Bombay, Lalvani).

Gomathinayugam V. (1969)

"Man has moved from the need for shelter from the vagaries of climate and protecting the younger ones to more significant psychological needs."[1]

देसाई एवं पिल्लै - १९७०

"मलिन बस्तियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सार्वभौमिक विशेषता गरीबी है। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग बाजार द्वारा तय किया हुआ किराया देने में सर्वथा असमर्थ होते हैं।"[२]

Sen, P.K. (1969)

"In the "Bustees of Calcutta" all those households did not contain any lavatory and 82 percent had no share one lavatory along with a large number of other individuals or families. Less than one percent were lucky enough to share one lavatory with other 2 to 9 households. The vast majority i.e., more than 55 percent had to share lavatory with 10 to 49 other households and 6 percent had to share one with even 100 other households. Similar deficiencies were found with regard to water, bathroom and drainage."[3]

Rath N. and Dandekar, V.M. (1971)

"In 1971 ever after 20 years of planning about 220 million people lived below the poverty line. Nearly 25 percent of the urban population was not in a position to pay the economic rent of a pucca single room tenement"[4]

---

1. Gomathinayugam, V. (1969), Social Welfare, March
2. Desai, A.R. and Pillai, S.D. (1970) Slums and Urbanisation, Popular Prakashan, Bombay.
3. Sen, P.K. (1969), Slums and Bustees in Calculate "In Desai and pillai : Slums and Urbanisation".
4. Rath, N. and Dandekar, V.M. (1971), Poverty in India, Bombay: Indian School of Political Economy.

Parmar, S.K. (1972)

"The homeless in India were 12.65 lakhs. Of these 2.96 lakhs (23.4 percent) lived in urban areas and 9.70 lakhs (76.6 percent) lived in rural areas"[1]

नेशनल कमेटी ऑन एन्वायरमेंटल प्लानिंग एण्ड कोआर्डिशन (२३ जून १९७७)

"पूरे देश की २५ से ३० प्रतिशत आबादी मलिन बस्तियों में या निकृष्ट घरों में रहती है। केवल दिल्ली में ५ लाख व्यक्ति लगभग १३०० मलिन बस्तियों में निवास कर रहे हैं। सन् १९५१ में दिल्ली की मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवार और सामान्य परिवार का अनुपात १:२० था। सन् १९७३ में यह अनुपात १:५ का हो गया जो कि काफी भयानक स्थिति है। यही नहीं मलिन बस्तियों में जनसंख्या की वृद्धि ४.५ प्रतिशत ही है।"[२]

कलकत्ता मैट्रोपोलिटन डेवलपमेंन्ट अथारिटी (१९७७)

"कलकत्ता की बस्तियों में ४४ प्रतिशत महिलाओं को प्रसूतकाल के पूर्व या बाद में किसी प्रकार की डाक्टरी सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां पर १६ नवजात शिशुओं में ३ मर जाते हैं अर्थात् शिशुओं की मृत्युदर १७७ प्रति हजार है।"[३]

Chandramauli, M. (1981)

"In India, for every lakh population there are as many as 288 without homes. In the urban areas the number of homeless per lakh population is 374. Ub the rural areas the figure is 269."[4]

---

1. Parmar, S.K., (1972), "Vital Statistics" Illustrated weekly of India, May 28, 1972.
2. Report on National Committee of Environmental Planning and Coordination, (June 23, 1977).
3. Survey of Kolkata Metropoliton Development Authority, (1977) Kolkata, West Bengal.
4. Chandramauli, M. (1981), Housing in India- An Interview in 'A Place to live, Allied Publishers, Bombay.'

कलकत्ता नगर निगम रिपोर्ट (१९८२)

"एक बस्ती प्राय: झोपड़ियों का झुण्ड होता है। जो बिना किसी योजना या व्यवस्था के बनी होती है, जिसमें न सड़कें होती हैं, न नाले होते हैं, न हवा रोशनी का प्रबन्ध होता है और न सफाई होती है। इनमें से अधिकांश दु:ख, सामाजिक बुराईयों, गन्दगी, बीमारी और रोग की पोषक होती हैं। इन बस्तियों के पोखरों में जहरीली बनस्पति उगी रहती हैं तथा पाखाना पड़ा रहता हैं, जो गर्मी की तेज धूप के साथ वातावरण को दूषित करता हुआ बीमारी और रोग फैलाता है। इन्हीं पोखरों में से प्राय: जल को पीने के लिये प्रयोग में लाया जाता है।"[१]

Singh S.D. and Pothen K.P., (1982)

"Housing is not only an immediate annual and life-time need, but gang housing makes for better living for children, youth, adult, women and men and directly promotes the socialisation of the individual and familial cohesion and contributes to better family life. It can also definitely lead to individual content efficiency and increased productivity. The most important consideration is that good housing is never wasted, it remains a family as well as national asset for 60 to 80 years and even longer"[2]

बोरा कमेटी (१९८५)

"स्वास्थ्य, प्रसन्नता और नैतिकता आवास की दशाओं से प्रभावित होती है। मृत्युदर एवं जन्मदर अच्छी और बुरी आवास व्यवस्था से सम्बन्धित होती है। मलिन आवासों में अधिक भीड़ , अपराध और अनैतिकता को जन्म देती है।"[३]

1. Report of Kolkata Municipal corporation (1982).
2. Singh S.D. and Pothen K.P., (1982), Slum children of India, Deep and Deep Publications, New Delhi.
3 Report of vohra Committee, (1985).

श्री जगजीवन राम

"भारत वर्ष में औद्योगीकरण बहुत तेज गति से बढ़ा रहा है। इसकी प्रगति मजदूरी व लाभ में मापी जाती है, किन्तु इस के साथ - साथ मनुष्यों का जो ढेर लगता है उस ओर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो। जैसा कि हड़तालियों एवं ताला बन्दियों से विदित है। कभी - कभी तो श्रमिक की दयनीय दशाओं को देखकर हमारा खून खौलने लगता है और उसमें विद्रोह की आग भड़कने लगती हैं। इसलिये हमारी समस्या औद्योगीकरण को ऐसी दिशा में ले जाने की है, जहां प्राचीन मनुष्यों के स्वभाव से उसका मेल हो सके। आधुनिक औद्योगिकवाद से सही दिशा में मोड़ने का एक साधन यह है कि श्रमिक को अच्छा मकान दिया जाये। जिससे कि वह घर से बाहर अपने सुख की हानिकारक खोज में न रहे और न ही उसके बच्चे गन्दी नालियों और कूड़े करकटों के ढेर के पास अपना अधिकांश समय व्यतीत करें।"[1]

राजमणिलाल श्रीवास्तव (१९९०)

"अच्छे आवासों का अर्थ गृह जीवन की संभावना सुख और स्वास्थ्य है। किन्तु मलिन आवासों का अर्थ है गन्दगी, शराबखोरी, बीमारी, आचारहीनता, व्यभिचार और अपराध। इनके लिये अस्पताल, जेल और पागलखानों की आवश्यकता होती है, जहां समाज के भ्रष्ट एवं पतित लोगों को छिपाया जाता है जो स्वयं समाज की लापरवाही के ही परिणाम है।"[2]

स्टैटिस्टिकल सर्वे आफ एबसेन्टीज्म पैटर्न (१९९०)

"कोयला खानों के श्रमिकों के लिये अच्छे मकानों की उस क्षेत्र में अनुपस्थिति की दर ४.२७ प्रति हजार थी और साधारण मकानों की अनुपस्थिति दर ४८.१ प्रति हजार थी।"[3]

---

1. Shri Jagjivan Ram, Industrial Housing in India.
2. Shrivastava, Rajmanilal, (1990), Shram Arthshstra, Oriental Publications House.
3. Report on Statistical Survey of Absenteeism Pattern Among Coal-Workers, (1990).

डॉ० डी०एच० मेहता (१९९१ : ४१६-४१७)

"मलिन बस्तियों के निवासी जीविका सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक त्रुटियों के शिकार होते हैं, जो कि वहां के भौतिक, मानसिक और सामाजिक त्रुटियों के परिणाम हैं। उनके मस्तिष्क चिन्ता और असुरक्षा से भयभीत रहते हैं। उनके मस्तिष्क में आर्थिक, पारिवारिक एवं सामाजिक असंतोषजनक दशाओं के कारण खिंचाव सा बना रहता है। मलिन बस्तियों के जीवन के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं :- यहाँ (१) वेश्यावृत्ति का उद्भव (२) अपराध (३) जुआखोरी, (४) गिरोहबन्दी (५) पतित और शिथिल यौवन (६) प्रमाद एवं परिश्रम की अकुशलताएं आदि का विकास होता है। ये सब समाजविरोधी दृष्टिकोण, समाजविरोधी व्यवहार और समाजविरोधी क्रियाओं में परिणत हो जाते हैं।"[१]

Dr. Kumar (1992 : 239)

"A Slum is an area of dilapidated houses which are in the act of destruction. Poverty constitutes the main characteristic of slum dweller. Multi-family dwellings are a typical feature of slums and sometimes two or more families live in a single room. Self sustences and struggle for survival is the main feature of slum life. Basic facilities like adequate air, water, lighting and other sanitary facilities are wanting. Slums are usually areas of filth and marsh which are the breeding places of crimes and vices like gambling which prevail and live upon the city population. Slums are an area of constant conflicts, family desertions and evictions. Congestion and lack of privacy are the concomitants of a slum culture. Thus a slum is a inhabitated uninhabitable habitation."[2]

---

1. Dr. D.H. Mehta, (1991), In Singh R.B. and Goyal D.D., Nagariya Samajshastra, Page- 416-417.
2. Dr Kumar, (1992), Urban Sociology, Laxmi Narain Agarwal Educational Publishers, Agra- 3, Page – 239.

भगोलीवाल, टी०एन० (१९९२)

"अंधेरे और दूषित संवातन वाले क्वार्टरों में लोगों की भीड़ भाड़ औद्योगिक शहरों में तपेदिक फैलने का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण है। शहर में एक औसत श्रमिक के मकान में कमरे अंधकारपूर्ण होते हैं, खुली जगह की कमी होती है तथा वायुमण्डल गर्द और गन्दगी से भरा रहता है, ऐसी परिस्थितियों में रहने से थके हुऐं श्रमिक इस रोग के आसानी से शिकार बन जाते हैं। जनसंख्या घनत्व, गन्दगी, शुद्ध वायु की कमी और तपेदिक के रोग में एक निश्चित सम्बन्ध होता है।"[1]

श्री शिवाराम (१९९३)

"जब मुम्बई में मजदूरों की एक बस्ती में एक लेडी डॉक्टर मरीज देखने गई तो उसने देखा कि एक कमरे में चार गृहस्थियाँ रहती थीं। उसके सदस्यों की संख्या २४ थीं। चारों कोनों में चूल्हे बने हुऐ थे, सारा कमरा धुऐं से काला हो रहा था।"[2]

सक्सैना एस०सी० (१९९३)

"मलिन बस्तियों में रहने वालों की मनोभावना कभी स्वस्थ एवं सुसभ्य नहीं हो सकती है। एकांकी जीवन व्यतीत होने के कारण उनमें अनेक बुरी आदतें पैदा हो जाती हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यागमन आदि। जो श्रमिक परिवार सहित रहते हैं, वे भी एक कमरे के साथ गोपनीयता नहीं बरत सकते। एक ही कमरे में पुरूष व स्त्री के एक साथ रहने में निरन्तर संयम से जीवन व्यतीत करना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में महिला श्रमिकों के नैतिक पतन की बड़ी आशंका रहती है। श्रमिकों के निवास की व्यवस्था न होने के साथ वे अपने परिवारों को औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं ला पाते जिसके परिणाम स्वरूप या तो वेश्यावृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं अथवा अन्य श्रमिकों की स्त्रियों से अनुचित सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के गुप्त रोगों का होना भी स्वाभाविक है।"[3]

---

1. Bhagoliwal, T.N. (1992), Shram Arthashastra Evam Audyogik Sambandh, Sahitya Bhavan.
2. Shri Shivaram, In Saxena S.C., (1993), Shram Samsyain Evam Samajik Surksha, Rastogi Publications.
3. Saxena S.C.,(1993), Shram Samasyain Evam Samajik Surksha, Rastogi Publications.

तोमर, आर०बी० सिंह तथा गोयल, डी०डी० (१९९३ : ४१९)

"मलिन बस्तियों को नगर का निम्न आवास व्यवस्था वाला क्षेत्र कहा जा सकता है। मलिन बस्ती के अन्तर्गत वे निवासी क्षेत्र आते हैं, जिनका भौतिक स्वरूप निम्न स्तर का तो होता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त वहां के निवासियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और आदतें मलिन बस्तियों के विकास हेतु उत्तरदायी हैं। नगरों में जनाधिक्य से अधिक भीड़ भाड़ में रहने की प्रवृत्ति और अस्वास्थ्यपूर्ण वातावरण के क्षेत्र मलिन बस्तियाँ कहलाते हैं।"[1]

श्रम का शाही कमीशन (१९९९)

"मुम्बई की चालों को पूर्णत: तोड़ने के अतिरिक्त इनमें सुधार के लिये लेशमात्र भी गुंजाइश नहीं है।"[2]

डॉ० अमर नारायण अग्रवाल (२०००)

"मुम्बई के आस-पास बनी हुई चालें, अहमदाबाद की भूमि के नीचे बने हुऐ मकानों की कतारें, कानपुर, लखनऊ और हावड़ा की आन्तरिक बस्तियाँ, जूट मिल के गांव वाले छप्पर, कोयले की खानों के गन्दे धावरे तथा चेन्नई के औद्योगिक कस्बों के गन्दे छप्पर सभी तपेदिक और दूसरे श्वांस रोगों के घर बन गये हैं। मलिन बस्तियों में मृत्युदर अन्य स्थानों के बजाय अधिक है।"[3]

Bhargava Gopal (2001 : 77-78)

"The growth of slums is therefore a symptom of the inability of people to procure land and shelter through market transaction, in which they find

---

1. Tomar, R.B. Singh and Goyal D.D.,(1993), Nagariya Samajvigyan, Shri Ram Offset Press, Agra-3, Page – 419.
2. Report on Royal Commission on Labour, (1999).
3. Dr. Amar Narain Agrawal, In Gupta, M.L. and Sharma, D.D. (2000), Sociology, Sahitya Bhavan Publications, Agra, Page- 109.

themselves out priced since government has failed to regulate urban land resources in such a way that poor can have equitable access to them."[1]

प्रदेश स्तर पर :-

पं० जवाहरलाल नेहरू (१९५२)

"भारतीय श्रमिकों की निवास समस्या बहुत जटिल है। उनके रहने के स्थान मैली - कुचैली गली से अच्छे नहीं कहे जा सकते। अन्य औद्योगिक केन्द्रों में भी उनकी मलिन बस्तियां होती हैं, जहां सफाई का नाम नहीं, कोठरी में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, फर्श में नमी रहती है, रोशनदान का पता नहीं तथा स्वच्छ वायु आ ही नहीं सकती। श्रमिकों के इन निवास स्थानों को 'नरक कुण्ड' कहा जा सकता है। ये मलिन बस्तियों मानवीय पतन की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को सूली पर लटका देना चाहिये।"[२]

विद्याधर अग्निहोत्री (१९५४)

"कानपुर नगर के अहातों में ४३.७ प्रतिशत आवासो में बरामदा, ५.० प्रतिशत में आंगन, १८.६ प्रतिशत में बरामदा तथा आंगन दोनों हैं जबकि ३०.९ प्रतिशत आवासों में न तो बरामदा है और न ही आंगन।"[३]

श्रम का शाही कमीशन

"कानपुर शहर के अहातों में प्राय: प्रत्येक मकान एक कमरे का है। जिसकी लम्बाई ८ फीट, चौड़ाई ८ फीट है। किसी भी कमरे के आगे बरामदा नहीं है और

---

1. Bhargva Gopal, (2001), Development of India's Urban, Rural and Regional Planning in 21st Century, Gyan Publishing House, Page- 77-78.
2. National Herald, October 3, 1952.
3. Agnihotri Vidyadhar, (1954), Housing Conditions of Factory Workers in Kanpur.

प्रत्येक कमरे में ३ से ४ परिवार तक रहते हैं। फर्श कच्चा है तथा इसमें नमी बनी रहती है। कहीं भी स्वच्छ वायु, प्रकाश आदि का प्रबन्ध नहीं है।''[१]

कानपुर श्रम जांच समिति (१९३८)

''रात के समय इन मलिन आवासीय क्षेत्रों में किसी अपरिचित व्यक्ति का जाना निश्चय ही खतरे से खाली नहीं है। पैर के टखने में मोच तो अवश्य आ जायेगी, ठोकर खाकर किसी अंधेरे कुऐं में गिरकर गर्दन का टूट जाना या किसी बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाना भी बहुत असंभव बात न होगी। इनमें रहने वालों को सार्वजनिक प्रकाश की मामूली सेवाओं से वंचित रखा जाता है। जल देने व जल निकालने के प्रबंधों को उनके लिये व्यर्थ की बातें समझा जाता है।''[२]

पं० जवाहरलाल नेहरू (१९५२)

''मुझे ऐसा अनुभव होता है कि कानपुर की श्रम बस्तियों को जलाकर राख कर दिया जाये जिससे कि विकास खूब तेजी के साथ हो सके। जब तक प्रतिबन्धात्मक उपायों का प्रयोग नहीं किया जायेगा तब तक अस्पतालों के निर्माण से क्या लाभ होगा। यदि मलिन बस्तियों को साफ कर दिया जाये तो निश्चय ही उत्पादन बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि अस्पतालों पर व्यय किया जाने वाला सम्पूर्ण धन मलिन बस्तियों पर व्यय किया जाये।''[३]

Hiraskar G.K. (1995)

"Housing in General Science; is the layout and development of residential units in which people can live in pleasant, peaceful and healthy surroundings with social, cultural and recreational facilities."[4]

---

1. Report of the Royal Commission on Labour in Kanpur.
2. Report of the Cawnpore Labour Enquiry Committee, 1938.
3. National Herald, October 3, 1952.
4. Hiraskar G.K., In "Kanpur Nagar Main Avas- Vikas – Ek Bhougolik Adhdhyan, " Ph. D. Thesis by Rajkumar Udyan, 1997.

श्री सुनीत (१९९९)[1] ने अपनी पी०एच०डी० थीसिस - ''भारत वर्ष में औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास व्यवस्था की वर्तमान स्थिति का अध्ययन'' में कानपुर महानगर के मलिन आवासों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि-

सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई आवासीय सुविधा निश्चित रूप से एक अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन परिवार के अधिक सदस्य का इनमें रहना एवं अतिक्रमण ने इसके वास्तविक उद्देश्य को समाप्त कर दिया है। अतिक्रमण के कारण संवातन व्यवस्था की दयनीय एवं सफाई व्यवस्था की नरकीय स्थिति इन आवासों में दृष्टिगोचर होती है। इन आवासों का किराया कम है। कक्षों का आकार आदर्श परिवार के लिये ठीक है। फर्श, दीवार एवं छत की सुविधा अच्छी है। लेकिन उचित देखरेख का अभाव है। शैचालय, स्नानघर आवास में ही बने हुऐ है। पेयजल की व्यवस्था भी आवास में ही है लेकिन इन नलों में पानी बहुत धीमी गति से एवं कम देर के लिये आता है। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति ठीक ही है। इन आवासों में रहने वाले आवासियों की स्वयं के मकान निर्माण की कोई योजना नहीं है। इन आवासीय क्षेत्रों में शिक्षा सम्बन्धी सुविधा नहीं है। मनोरंजन के नाम पर बनाए गए पार्क अस्त - व्यस्त है। मनोरंजन का आधार टेलीविजन ही रह गया है।

सेवायोजकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी आवासीय कालोनियों में कक्षों का आकार इनमें रहने वाले परिवार के सदस्यों के अनुपात में बहुत कम है। आवास पक्के बने हुऐ है। इन आवासों का किराया लगभग नगण्य है। इन आवासों में संवातन व्यवस्था की स्थिति बुरी है। शौचालय एवं स्नान घर आवास के बाहर ही है। पेयजल की व्यवस्था भी सार्वजनिक नलों द्वारा ही होती है। नालियाँ खुली है। सफाई कर्मी अनियमित रूप से ही आता है। विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था ठीक है। इनमें रहने वाले आवासियों के स्वयं के मकान निर्माण की योजना लगभग नहीं है। चिकित्सा एवं शिक्षा सम्बन्धी सुविधा की स्थिति ठीक है। मनोरंजन के नाम पर मैदान है, लेकिंन निवासी टेलीविजन एवं ट्रांजिस्टर पर ही निर्भर है।

---

1. Suneet, (1999), "Bharatvarsha Main Audyogik Shramikon Ke Liye Avas Vyavastha Ki Vartmaan Isthiti Ka Adhdhyan, Ph. D. Thesis(Unpublished)"

नगर महापालिका द्वारा अधिगृहीत अहातों में रहने वाले परिवारियों की आय कम है। इनके परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक है। आवास का किराया भी कम है। आवासीय कक्ष छोटे बने हुए है। फर्श सीमेन्टेड एवं ईटों का बना हुआ है। छतें पक्की है। संवातन की व्यवस्था की स्थिति खराब है। शौचालय, स्नानघर एवं पेयजल के लिए इसके आवासी सार्वजनिक सुविधाओं पर निर्भर है। सफाई व्यवस्था की स्थिति खराब है। नालियाँ खुली एवं कीचड़ युक्त है। सफाई की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। कूड़ा उठने की स्थिति अत्यधिक अनियमित है। विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत मीटर के अतिरिक्त मिट्टी का तेल एवं अन्य साधनों पर निर्भरता अधिक है। स्वयं के मकान निर्माण की योजना बिल्कुल भी नहीं है। बीमार होने पर निवासी सरकारी सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। कम किराया एवं कार्यस्थल से समीपता के कारण ही ये निवासी इनमें रहते हैं।

निजी मकान मालिकों द्वारा बनवाए गए अहातों की स्थिति तो अत्याधिक दयनीय है। आमदनी कम है एवं परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक है। इन अहातों के आवास बहुत छोटे हैं। अधिकतर आवासों के फर्श ईटें बिछे हुए एवं कच्चे है। छतें पक्की है। संवातन व्यवस्था की स्थिति तो अत्यधिक दयनीय है। इन अहातों में रहने वाले निवासियों को सार्वजनिक शौचालयों एवं सार्वजनिक नलों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इन स्थानों पर भीड़ देखते ही बनती है। इन अहातों में कच्ची एवं खुली नालियों के कारण गलियां कीचड़ युक्त रहती है और मकान सीलन युक्त रहते हैं जिससे बीमारियाँ यहाँ निवास करती है। इन अहातों की गलियों में कूड़ा इधर-उधर पड़ा रहता है। कोई अनजान व्यक्ति इन गलियों को कूड़ाघर ही समझेगा। इन अहातों में आधे से भी कम घरों में मीटर लगे है। क्षेत्र में कहीं पर भी रोशनी के लिए बल्ब आदि नहीं लगे है। भोजन बनाने के लिये यहां के निवासी अंगीठी एवं मिट्टी के तेल पर ही निर्भर है। राजकीय चिकित्सालयों एवं धर्मार्थ चिकित्सालयों में ही इलाज कराना यहां के निवासियों की नियति है। निश्चित रूप से इन आवासों की स्थिति

नरकीय है। इस पर भी यहां रहने का कारण कम किराया एवं कार्यस्थल से समीपता है। इन अहातों की स्थिति किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं कही जा सकती है।

भारत सरकार की औद्योगिक आवास नीति प्रारम्भ में तो अच्छी थी, किन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद से इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। भारत सरकार ने जिन औद्योगिक आवासों का निर्माण करवा दिया है, उनकी उचित देखरेख भी नहीं है। भारतवर्ष में औद्योगिक आवास योजना के लिये नये कानूनों की आवश्यकता है। वर्तमान पंचवर्षीय योजनाओं में भी पुन: इस मद में धनराशि के आवंटन की आवश्यकता है। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा या उ०प्र० सरकार द्वारा जो भी योजनायें है, ये नितान्त अपर्याप्त है। उ०प्र० में तो औद्योगिक आवासों में रहने वाले वर्गो (पात्रता) को ही बढ़ा दिया गया है। जोकि औद्योगिक आवास के निर्माण की मूल भावना को ही समाप्त कर देता है। औद्योगिक आवास केवल औद्योगिक श्रमिकों के लिए होना चाहिए न कि अध्यापकों, बैंक कर्मचारियों, प्राविडेन्ट फण्ड संगठन के कर्मचारियों आदि के लिए। अत: नयी योजनायें, अधिक धनराशि का आवंटन, उचित देखरेख एवं औद्योगिक आवास- औद्योगिक श्रमिकों के लिए की योजना की वर्तमान में अत्यधिक कमी है।

श्री राजकुमार उदयन (१९९७)[1] अपनी पी०एच०डी० थीसिस- "कानपुर नगर में आवास - विकास एक भौगोलिक अध्ययन" में मलिन आवासों से सम्बन्धित शोध में निष्कर्ष निकाला कि-

नगर का विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि सम्पूर्ण नगर समस्याओं से घिरा है। यह समस्यायें एक भयंकर रोग के समान नगर को विनाश की ओर ढकेल रही है। यदि उनका उपचार शीघ्रातिशीघ्र नहीं किया गया तो सम्पूर्ण नगर मलिन बस्ती का रूप धारण कर लेगा, जिसका निदान करना सम्भव न हो सकेगा। यह मलिन बस्तियां समाज व नगर के लिये एक कैन्सर रोग के समान है। प्रारम्भिक उपचार ही

---

1 Rajkumar Udyan (1997), Kanpur Nagar Main Avas- Vikas Ek Bhougolik Adhdhyan, Ph.D. Thesis (Unpublished).

उनका मात्र एक विकल्प है। समय रहते सचेत होना ही नियोजन है। कानपुर महायोजना जो सन् १९६८ में बनी और उसकी सीमा सन् १९९१ तक थी उसके बाद आज तक नगर में महायोजना तैयार नहीं हुई। इसी कारण नगर में सभी भूमि उपयोगों आवासीय, औद्योगिक, व्यवसायिक, परिवहन, मनोरंजन, सामुदायिक सुविधाओं आदि में अव्यवस्था फैली है। किसी भी क्षेत्र में स्थानीय निकाय का संतोषजनक कार्य नहीं है।

महानगर में आवास विकास तथा उनमें पेयजल, बिजली, सीवर लाईन, जलोत्सारण का प्रबन्ध करना कानपुर विकास प्राधिकरण का कार्य है तथा इन सुविधाओं की देखभाल व रखरखाव नगर निगम का कार्य है, परन्तु यह दोनों विभाग अपनी - अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ है। महानगर में यातायात, आवास, सामुदायिक सुविधाओं का उचित प्रबन्ध करना ही एक विकल्प है।

कानपुर महानगर की समस्याओं की सूची में आवासीय व्यवस्था एवं तदजनित सामुदायिक सुविधाओं की समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या है इससे निपटने के लिये एक मात्र मार्ग आवासों की संख्या में वृद्धि करना व अन्य सुविधाओं का उचित प्रबन्ध करना ही है। यह प्रबन्ध नगर नियोजन के माध्यम से सम्भव है। नगर नियोजन नगर की भौतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का पूर्व निश्चित एवं व्यवस्थित स्वरूप है, जिसमें पूर्व नियोजित रूप में स्वास्थ्य नागरिक सुविधाओं तथा व्यापारिक और औद्योगिक प्रगति की समुचित व्यवस्था हेतु भूमि उपयोग होता है। नगर नियोजन का अर्थ है कि भौगोलिक क्रिया कलापों के माध्यम से नगर को यथा सम्भव सुन्दर एवं सुविधा सम्पन्न बनाने के लिये प्रयास करना। किसी प्रकार के नियोजन का प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध साधनों के आधार पर नगर का सौन्दर्य स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण एवं सुविधा सम्पन्न बनाना है। नगर में सभी सुविधाओं/आवश्यकताओं का प्रस्ताव भविष्य में बढ़ने वाली जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसका अनुमान वर्तमान एवं पिछले दशक की जनसंख्या वृद्धि दर पर निर्भर करता है।

****

अध्याय-४

उत्तरदाताओं की सामाजिक जनांकिकीय विशेषताएें

अध्याय-४

उत्तरदाताओं की सामाजिक-जनांकिकीय विशेषतायें

यदि हम धूम्रपान तथा हृदय कैन्सर के बीच में सम्बन्ध स्थापित करना चाहे तो हमें तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम किसी औषधि या टीके के प्रभाव की जानकारी करना चाहते हैं, हमें तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम समाज की किसी भी समस्या की जानकारी करना चाहते हैं तब भी हमें सांख्यिकीय आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है।''[१]

प्रत्येक राष्ट्र अपनी सीमाओं में निवास करने वाले प्राणियों से सम्बन्धित होता है अत: उसे समाज की आवश्यकताओं तथा समस्याओं का बोध होना चाहिये जैसे - उनका स्वभाव आकार तथा सम्पूर्ण जनसंख्या में उनका वितरण आदि। किस प्रकार ये समस्याऐं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती हैं और वे एक समयावधि में सामाजिक, आर्थिक परिस्थितिवश परिवर्तित होती हैं। इस प्रकार की किसी भी समीक्षा के लिये कुछ निश्चित मापक अनिवार्य होते हैं। यही सामाजिक, आर्थिक तथा जनांकिकीय तथ्य कहलाते हैं जो जन्म, मृत्यु, विवाह, शिक्षा, व्यवसाय तथा आय से सम्बन्धित होते हैं जो सामुदायिक जीवन में विद्यमान होते हैं। यथार्थ रूप से सम्पादित वर्गीकृत तथा विश्लेषित घटनाऐं समाज की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं को मापने के यंत्रों का कार्य करते हैं।'' मलिन आवासों के निवासियों की स्थिति ज्ञात करने हेतु, यथा - जनसंख्या, आय, वितरण, जन-घनत्व तथा अन्य कारक जैसे - पोषण, आवासीय स्थिति, सामाजिक - आर्थिक तथा पर्यावरणीय सेवाऐं - संस्थाऐं

---

1. Society for Social Medicine, (1966), Evidence submitted to the Royal Commission on Medical Education, Brit J. Pre. Soc. Med. 20, Page - 158.

- मलिन आवासीय सुधार, नव तथा आवासीय योजनाऐं इत्यादि। मलिन आवासों में रहने वाले निवासियों की स्थिति तथा समस्याओं का ज्ञान और उनकी तुलना अन्य समुदायों से करना कि उनकी वर्तमान तथा भूतकाल में क्या स्थिति थी, उनकी भावी आवश्यकताओं की पहचान करने हेतु अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण करना, कार्यक्रम की रचना, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन आदि जनसंख्यात्मक प्रक्रियाओं यथा - जन्मदर, जनसंख्या घनत्व, विवाह दर, वृद्धि दर तथा सामाजिक गतिशीलता पर निर्भर करता है। ये प्रक्रियाऐं निरन्तर रूप से जनसंख्या के निर्धारण में, रचना में तथा आकार निर्मित करने में कार्यरत रहती हैं।

सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताऐं अधिकांशत: जनसंख्या से सम्बन्धित होती हैं क्योंकि मलिन आवासों में समूह जीवन सदस्यों के गत्यात्मक सम्बन्धों जो अन्त: क्रियाओं के रूप में होते हैं पर निर्भर होता है। साथ ही उनमें आकार तथा कार्यकुशलता आत्मसात होती है जिसके आधार पर वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मानव जीवन को निर्धारित करने में उसके सामाजिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पर्यावरण मनुष्य के जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है तथा उसके सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्वरूप को भी निश्चित करता है। किसी विशिष्ट पर्यावरण में व्यक्ति की कार्य पद्धति तथा जीवनशैली का स्वरूप किस प्रकार का होगा; यह बहुत कुछ उसके पर्यावरण पर ही निर्भर करता है क्योंकि पर्यावरण व्यक्ति को विवश करता है कि वह अपने को उसके अनुरूप ढाले। मनुष्य की अबाध प्रगति उसकी सामाजिकता का ही परिणाम है। समाज के सम्पर्क में आने पर ही वह जैवकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है। मनुष्य तथा उसके चारों ओर का परिवेश अर्थात् पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य को उसके इस पर्यावरण से अलग नहीं किया जा सकता है। श्री तिलारा के०एस० (१९९०:१३२) ने भी उस कथन की पुष्टि करते हुऐ कहा है कि ''मनुष्य एक चिन्तनशील तथा जिज्ञासु सामाजिक प्राणी है जिसका जीवन समाज में ही पनपता है और निकटवर्ती भौतिक परिवेश तथा पर्यावरण के मध्य अन्त: क्रियाऐं

करते हुऐ सामाजिक परिवेश में जीवनयापन करता है, जिसे सामाजिक पर्यावरण से कदापि पृथक नहीं किया जा सकता है क्योंकि पर्यावरण एक प्रकार का ''ताना'' है जिसमें प्राणी रूपी ''बाना'' डालने से ही समाज के ''सजीव वस्त्र'' का निर्माण होता है। ''[1] किसी भी मनुष्य को अधिकाधिक जानने - समझने के लिये उसके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को जानना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यही उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। मानव भी अन्य प्राणियों की भांति जैवकीय प्राणी है परन्तु उसकी सामाजिक - सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है क्योंकि वह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक, वैयक्तिक तथा शैक्षिक विशेषताओं का सम्मिलित रूप है। मनुष्य उपरोक्त विभिन्न पक्षों से मिलकर ही सम्पूर्णता को प्राप्त करता है। सुस्पष्ट है कि सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत मनुष्य की सामाजिक- सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी सन्दर्भ में श्री लवानिया (१९६७:२०३) ने लिखा है कि ''सम्पूर्ण रूप से यह ''सजीव वस्त्र'' मनुष्य मात्र के लिये सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण से निर्धारित होती है।''[2] '' सामान्यत: प्रत्येक व्यक्ति पर उसके पर्यावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों को मूलत: दो रूपों में ग्रहण किया जाता है :-

(१) वंशानुक्रमण तथा

(२) पर्यावरण/संगति व साहचर्य

जहां एक ओर व्यक्ति को शरीर रचना (आँख, कान, नाकनक्श, रंगरूप आदि) वंशानुक्रमण से प्राप्त होते हैं वहीं दूसरी ओर उसे शिक्षा, संस्कार, जीवनमूल्य, व्यवसाय, व्यवहार, आदतें, लगाव आदि पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, इसलिये कोई भी व्यक्ति वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण के पड़ने वाले प्रभावों को नकार नहीं सकता है। जैसा कि सारस्वत (१९९३ : १५७) ने लिखा है कि, ''मनुष्य की

---

1. Tilara K.S., (1990), Practical Sociology: Problems and Social Acts, Prakashan Kendra Lucknow (U.P.), Page 132.
2. Lavaniyan S.M., (1967), Indian Social Problems, Krishna Book Store Prakashan, Shikohabad (U.P.), Page 203.

सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उस समुदाय की सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग होती है जिसमें कि वह सामाजिक प्राणी (मनुष्य) रह रहा होता है।''[१] सुस्पष्ट है कि सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत मनुष्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री रयूटर तथा हार्ट ने भी सामाजिक व्यवस्थापन के संदर्भ में लिखा है कि, ''समाज में मनुष्य की सामाजिक पृष्ठभूमि उसके सांस्कृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न अंग होती है जिसमें कि व्यक्ति रह रहा होता है अथवा रह चुका है।''[२]

किसी मनुष्य की आदतें, स्वभाव, रहन-सहन का स्तर, जीवनशैली, वैचारिकी आदि उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ही निर्धारित होती है अर्थात् उसके चारों ओर के भौतिक परिवेश का उसके जीवन के प्रत्येक पहलू पर अवश्यंभावी प्रभाव पड़ता है। इस सन्दर्भ में प्रोफेसर अग्रवाल का कथन है कि, ''मानव केवल एक जैवकीय प्राणी ही नहीं है बल्कि इसके अतिरिक्त भी कुछ है और इसके अतिरिक्त वह जो कुछ भी है उसके कारण उसके व्यवहार, आचार - विचार, चिन्तन तथा जीवनशैली आदि प्रभावित होते है।''[३]

यह भी सर्वस्वीकार्य तथ्य है कि प्रत्येक सामाजिक प्राणी की सामाजिक प्रस्थिति तथा भूमिका के निर्धारण में उसकी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी प्रसंग में सर्वश्री मिश्रा पी०के० (१९९७:३७) ने लिखा है कि, ''चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिये उसकी आकांक्षाऐं तथा आवश्यकताऐं अनन्त है। इन आकांक्षाओं व आवश्यकताओं के प्रति उसकी क्रियाशीलता, सफलता - असफलता, उसके सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की पृष्ठभूमि को निर्धारित करती है।''[४]

---

1. Saraswat Ramesh P., (1993), Indian Social System, Bhadouriya Publications and Book Centre Private Limited, Itawa (U.P.), Page - 157.
2. Reuter M.R. and Heartt P. R., (1960), An Introduction to Sociology, Mac Grow Hill Book Company, New York, Page 320
3. Agrawal Bharat, (1981), Bhartiya Samaj: Ateet Se Vartmaan Tak, Manmohandas Pustak Mandir Private Limited, Bharatpur (Raj.) Page 103.
4. Mishra P.K., (1997), Manav Samaj Ki Ruprekha, Vikas Publications, Jawahar Nagar, New Delhi, Page 37.

अनुसन्धान के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान के प्राय: सभी शोध अध्ययनों में निदर्शितों की सामाजिक - सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन अवश्य किया जाता है बल्कि प्राकृतिक विज्ञानों के शोध अध्ययनों में भी इनका गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इसलिये सामाजिक विज्ञानों के शोध अध्ययनों में इनके अध्ययन की महत्ता बढ़ जाती है क्योंकि उत्तरदाताओं की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं की अवहेलना नहीं की जा सकती है।

यही कारण है कि किसी भी सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान में यह आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य होता है कि अध्ययन की इकाईयों के सामाजिक - आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों को जानकर उनका गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन किया जाये क्योंकि व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण कई कारकों से मिलकर होता है। इसी सन्दर्भ में श्री सत्येन्द्र (१९९२:४९) ने लिखा है कि, ''विशेषकर सामाजिक विज्ञानों के शोध अध्ययनों में सूचनादाताओं की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा आर्थिक दशाऐं अहम होती हैं।''[१]

शोध अध्ययनों में उत्तरदाताओं की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन इसलिये भी आवश्यक है कि अगर हम उत्तरदाताओं की समस्याओं का अध्ययन गंभीरता तथा सूक्ष्मता से करना चाहते हैं तो हमें उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि सभी विशेषताओं का ज्ञान होना अत्यावश्यक है तभी हम उनकी समस्याओं के कारणों को ठीक से समझ सकेंगे। चूंकि शोधार्थिनी का शोध विषय मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं से सम्बन्धित है अत: प्रस्तुत शोध अध्ययन में उनकी सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन अत्यावश्यक तथा महत्वपूर्ण हो जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में कार्य कारण सम्बन्धों की स्थापना

आवश्यक होती है। अतः कार्य-कारण सम्बन्धों को स्थापित करने के लिये सामाजिक - सांस्कृतिक विशेषताओं को जानना आवश्यक है। साथ ही इन कार्य-कारण सम्बन्धो का सामाजिक घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हें जानना भी सरल हो जाता है क्योंकि व्यक्ति के रहन -सहन, चिन्तन, जीवनशैली आदि सभी पर उसके चारों ओर की भौतिक तथा सामाजिक विशेषताओं का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। कोई भी अनुसंधानकार्य तभी सफल कहा जा सकता है जब इसमें सामाजिक घटना के सभी पहलुओं का अध्ययन गहनता से किया जाये। इसलिये शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं की सभी विशेषताओं का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है।

यदि हम शोध अध्ययनों में व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को नजर अंदाज कर दें तो फिर वह अध्ययन सामाजिक प्राणी (मनुष्य) का नहीं बल्कि जैवकीय प्राणी (मानव शरीर) का होगा और नितान्त अपूर्ण कहलायेगा। क्योंकि सामाजिक आर्थिक तथा जनांककीय सूचनाओं के बिना सामाजिक अनुसंधान की कल्पना उस जहाज से ही की जा सकती है जो बिना लक्ष्य के व्यर्थ चक्कर काटता रहता है। सुस्पष्ट है कि व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक आदि सभी विशेषताओं का योग है। साथ ही सामाजिक तथ्यों के निरूपण के लिये भी इनका अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। प्रत्येक सामाजिक अनुसंधान का आवश्यक परिणाम अध्ययन किये गये विषय के सम्बन्ध में निष्कर्ष प्रस्तुत करना तथा भविष्यवाणी करना होता है। परन्तु यदि हम विषय का सम्पूर्ण अध्ययन ही नहीं करेंगे तो उससे प्राप्त निष्कर्ष सत्यता पर आधारित नहीं होंगे तथा उनके आधार पर की गई भविष्यवाणी के गलत होने की सम्भावना बढ़ जायेगी। अतः शोध अध्ययन के वैज्ञानिक स्वरूप को बनाये रखने के लिये परमावश्यक है कि चयनित उत्तरदाताओं की समस्त विशेषताओं का गहन अध्ययन किया जाये। किसी भी सामाजिक समस्या का सूक्ष्म अध्ययन करके ही उसके निवारण के उपाय ढूंढने में

सफलता मिलती है। इसलिये मलिन आवासों के निवासियों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने व उन्हें दूर करने के दृष्टिकोण से अत्यावश्यक है कि उन निवासियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर, मनोवैज्ञानिक पारिवारिक आदि विशेषताओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जाये तभी उनकी समस्याओं को दूर करने के ठोस उपाय किये जा सकते हैं; साथ ही मानव व्यवहार को समझना सरल हो सकता है।

झांसी नगर क्षेत्र में जो अनियोजित विकास हुआ उसी के परिणामस्वरूप मलिन आवासों का दिन प्रतिदिन प्रादुर्भाव हो रहा है तथा स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की चुनौतियां आये दिन नगरीय जीवन के सम्मुख आकर खड़ी हो रहीं हैं। जो प्राणी इन क्षेत्रों में जीवन यापन कर रहे है उन्हें आधारभूत प्रकृति की भेंट - स्वच्छ जल, प्रकाश आदि भी नसीब नहीं हो पा रहा है। वे गहरे, अंधेरे तथा जीर्णशीर्ण आवासों में बिना स्वच्छता के रह रहे हैं। नगर क्षेत्र झांसी में, अनुसूचित जातियों के धनी आबादी वाले वार्ड इसके जीते - जागते उदाहरण हैं जो सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से संक्रमित हैं। इस धनी आबादी ने अनेक सामाजिक, नैतिक तथा जनसंख्यात्मक समस्याओं को उत्पन्न कर दिया है तथा भविष्य को और दयनीय बनाने हेतु सम्प्रेषित कर रहे हैं जैसे- जनसंख्या पर नियन्त्रण न होना, आय का असमान वितरण, सामुदायिक असामान्य वितरण, नगर नियोजन का अभाव तथा कानूनों की तकनीकी कमजोरियां एवं अपराध क्रियाओं पर अप्रभाविता अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि मलिन आवासों का कारण तथा प्रभाव दोनों हैं। जो सर्वाधिक नगर विकास में भौतिक प्रयत्नों की कमी करते हैं।

मलिन आवासों के सुधार की समस्याओं की नीति विचारणीय रूप से अधिक ग्रन्थिपूर्ण है क्योंकि नगर क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक सम्बन्ध ग्रामीण परम्परागत परिस्थितियों की तुलना में बहुत भिन्न तथा अधिक उलझे होते हैं। मलिन आवासों के

लोगों का कल्याण (सुधार) अनेक कारकों पर निर्भर करता है। नीति निर्धारकों का अधिकांश समय नीति निर्धारण में लग जाता है क्योंकि कम तथा अनुपयुक्त सूचनाओं के कारण, विशेषकर इन मलिन आवासों के निवासियों के सम्बन्ध में ; कोई भी नीति तब तक सार्थक लाभ प्रदान नहीं कर सकती जब तक उन प्राणियों के बारे में पर्याप्त तथ्य प्राप्त नहीं होते जिनके बारे में नीतियां निर्धारित की जाती हैं।

इस पृष्ठभूमि में इस अध्याय में उत्तरदाताओं के सम्बन्ध में उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं जनांककीय विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास किया गया है जो झांसी नगर क्षेत्र में मलिन आवासों में निवास करते हैं। इस अध्याय में विषय क्षेत्र इस दृष्टि से सीमित है क्योंकि इसमें मलिन आवासों के निवासियों के प्रत्येक पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसमें नगर नियोजन के यांत्रिक पहलू को नहीं छुआ गया है। इस अध्याय में यह अवश्य ध्यान रखा गया है कि किन - किन वार्डो तथा 'नगर पालिका विजन -२०००' में मलिन आवासीय बस्तियां घोषित किया गया है; उनमें क्या समस्याऐं हैं तथा निवासियों की क्या सामाजिक, आर्थिक तथा जनांककीय विशेषताऐं हैं जो निश्चित रूप से सुधार कार्यक्रमों के निर्माण में सहायक होंगे ताकि इन वार्डो में विद्यमान अनेक समस्याओं तथा व्याधियों को दूर किया जा सके। जनसंख्या वृद्धि सामाजिक एवं आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इन मलिन आवासों में जनसंख्या वृद्धि को इस अध्याय के अध्ययन में जोड़ा गया है, जिसमें विभिन्न चरों तथा- आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, मासिक आय, जाति, वैवाहिक स्थिति, बच्चों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, आवासीय दशाऐं, मकानों में उपलब्ध सुविधाऐं आदि सम्मिलित हैं। जिससे विभिन्न जातियों, धर्मो, लिंग, विभिन्न आयु - अन्तरालों, पृष्ठभूमि तथा विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्तरों के उत्तरदाताओं का अध्ययन करना सम्भव हो सके। साथ ही, मलिन आवासों के निवासियो की समस्याओं पर व्यापक प्रकाश डालना भी सम्भव हो सके

अग्रलिखित तालिकाऐं स्वतन्त्र चरों के सापेक्ष न्यादर्शो के वितरण तथा निर्धारण पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है। यह सत्य है कि सामाजिक प्रस्थिति सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन एवं व्यक्ति की सोच तथा क्रियाओं में आयु की भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं यही कारण है कि शोधार्थिनी ने मलिन आवासों के निवासियों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिऐ चयनित उत्तरदाताओं की आयु संरचना को जानने का प्रयास किया है। सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है-:

तालिका संख्या-४.१

उत्तरदाताओं का आयु सम्बन्धी विवरण

आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
२१-२५ वर्ष	२२	७.३३ %
२६-३० वर्ष	३६	१२.०० %
३१-३५ वर्ष	४५	१५.०० %
३६-४० वर्ष	५६	१८.६७ %
४१-४५ वर्ष	३६	१२.०० %
४६-५० वर्ष	३१	१०.३३ %
५० वर्ष के ऊपर	७४	२४.६ %
कुल योग	३००	१०० %

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक ७४ उत्तरदाताओं २४.६७% की आयु ५० वर्ष के ऊपर, ५६ उत्तरदाताओं १८.६७% की ३६-४० वर्ष, ४५ उत्तरदाताओं १५ % की ३१-३५ वर्ष, ३६ उत्तरदाताओं १२% की २६-३० वर्ष तथा इतने ही लोगों की आयु ४१-४५ वर्ष ,३१ उत्तरदाताओं १०.३३% की ४६-५० वर्ष, तथा

२२ उत्तरदाताओं ७.३३% की आयु २१-२५ वर्ष थी। स्पष्ट है कि प्रस्तुत शोध अध्ययन में लगभग सभी आयु वर्ग के सदस्यों को समाविष्ट किया गया है।

चूँकि भारतीय समाज पुरूष प्रधान तथा पितृसत्तात्मक है । अत: यहाँमहिलाओं की अपेक्षा पुरूषों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है एवं सभी सामाजिक सन्दर्भो में पुरूषों की भूमिका निर्णायक रहती है। इन तथ्यों की जानकारी हेतु शोधार्थिनी ने चयनित उत्तरदाताओं में लिंग भेदानुसार वितरण जानने का प्रयास किया। निम्न तालिका सभी ३०० उत्तरदाताओं की लैंगिक संरचना तथा उसके प्रतिशत विवरण पर प्रकाश डालती है:-

तालिका संख्या -४ .२

उत्तरदाताओं की लैंगिक संरचना सम्बन्धी विवरण

लिंग भेद	आवृत्ति	प्रतिशत
पुरूष	२२७	७५.६७%
महिला	७३	२४.३३%
कुल योग	३००	१००%

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकड़ो के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २२७ उत्तरदाता ७५.६७% पुरूष तथा ७३ उत्तरदाता २४.३३% महिलाऐं थीं। इससे स्पष्ट होता है कि पुरूषों की संख्या (प्रतिशत), महिलाओं की तुलना में अधिक है।

चूँकि शिक्षा एक ऐसा कारक है जो एक जीवशास्त्रीय प्राणी (मानव)को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं निभाती बल्कि अज्ञानता तथा अन्ध विश्वासों को दूर करके मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास कर एक जागरूक व संवेदनशील सामाजिक प्राणी बनाती है इतना ही नहीं, शिक्षा

का प्रभाव एवं महत्व मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष (पहलू) पर भिन्न - भिन्न रूपों में अवलोकित एवं रेखांकित किया जा सकता है। शिक्षा से पड़ने वाले प्रभावों के कारण एक शिक्षित व्यक्ति, अशिक्षितों में सर्वथा पृथक दिखायी पड़ता है। खान-पान, रहन-सहन, आचार- विचार, कम रूढ़ि वादिता, चेतन, जागरूक, सोच की दृष्टि से सुलझा हुआ, चिन्तनशील, अच्छा स्वभाव इत्यादि यहां तक कि विषम परिस्थितियों में सूझबूझ के साथ समस्याऐं सुलझाने में सहायक अर्थात् मानव जीवनपर्यन्त शिक्षा से ही निर्देशित तथा नियमित होता है। चूंकि मेरे शोध का विषय ''मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याऐं'' से सम्बन्धित है, अत: इनकी समस्याओं को पृथक- पृथक भलीभांति समझने के लिये सभी ३०० उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थितियों के अध्ययन को आवश्यक समझा गया है। निम्न तालिका मलिन आवासों के निवासियों की शैक्षिक स्थिति पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

<u>तालिका संख्या -४.३</u>

उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर का विवरण

शैक्षिक स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षित	१८५	६१.६६%
साक्षर	६९	२३.००%
प्राथमिक	१८	६.००%
जू०हाईस्कूल	१८	६.००%
हाईस्कूल	६	२.००%
इण्टरमीडिएट	२	.६७%
बी०ए०	२	.६७%
कुल योग	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक १८५ उत्तरदाता ६१.६६% अशिक्षित थे, ६ ९ उत्तरदाता २३% साक्षर , १८ उत्तरदाता ६% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त तथा इतने ही उत्तरदाता जूनियर हाईस्कूल तक पढ़े, ६ उत्तरदाता २% हाईस्कूल उत्तीर्ण,२ उत्तरदाता .६७% इण्टरमीडिएट तक पढ़े तथा इतने ही उत्तरदाता बी०ए० पास थे।

निस्सन्देह प्रत्येक सामाजिक प्राणी को अपना तथा अपने परिवार का जीवनयापन करने के लिऐ कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना पड़ता है। अर्थोपार्जन के लिऐ किये जाने वाले वे क्रियाकलाप जो अपेक्षाकृत अधिक नियमित होते है, व्यवसाय कहलाते हैं। भारतीय सामाजिक संरचना में सामाजिक -आर्थिक पृष्ठभूमि के निर्धारण में व्यक्ति /परिवार का व्यवसाय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्न तालिका में ३०० उत्तरदाताओं के परिवारों की व्यावसायिक संरचना पर प्रकाश डाला गया है:-

तालिका संख्या -४.४

उत्तरदाताओं का व्यवसाय सम्बन्धी विवरण

व्यवसाय	आवृत्ति	प्रतिशत
मजदूरी	२४३	८१.००%
सर्विस	२४	८.००%
परम्परागत व्यवसाय	२८	९.३३%
भिखारी	५	१.६७%
कुल योग	३००	१००%

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक २४३ उत्तरदाताओं ८१% का व्यवसाय मजदूरी था, २८ उत्तरदाताओं ९.३३ % का व्यवसाय परम्परागत कार्य करना था,, २४ उत्तरदाता ८ % सर्विस करने वाले तथा ५ उत्तरदाता १.६७% भीख मांगकर अपना पेट पालते थे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांशत: परिवारों का मुख्य व्यवसाय मजदूरी है।

शोधार्थिनी ने सर्वेक्षित कुल ३०० उत्तरदाताओं के परिवारों की मासिक आय (रू० में) भी ज्ञात की है जिस पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या -४.५

उत्तरदाताओं की मासिक आय सम्बन्धी विवरण

मासिक आय	आवृत्ति	प्रतिशत
रू० ५००/-	२३	७.६७%
रू० ५०१-रू० १०००	५६	१८.६७%
रू० १००१-रू० १५००	११९	३९.६७%
रू० १५०१ - रू० २०००	४९	१६.३३%
रू० २००१ - रू० २५००	२२	७.३३%
रू० २५०१-रू० ३०००	८	२.६७%
रू० ३००१-रू० ३५००	९	३.००%
रू० ३५०१-रू० ४०००	३	१.००%
रू० ४००१- रू० ४५००	३	१.००%
रू० ४५०१-रू० ५०००	६	२.००%
रू० ५००१-रू० ५५००	१	.३३%
रू० ५५०१-रू० ६०००	१	.३३%
कुल योग	३००	१००%
औसतन मासिक आय/परिवार = रू०		

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक ११९ उत्तरदाताओं ३९.६७ % की मासिक आय रू० १००१-रू० १५००, ५६ उत्तरदाताओं १८.६७% की रू० ५०१-रू० १०००, ४९ उत्तरदाताओं १६.३३% की आय रू० १५०१-२०००, २३ उत्तरदाताओं ७.६७ % की रू० ५००, २२ उत्तरदाताओं ७.३३% की रू० २००१-२५००, ९ उत्तरदाताओं ३% की रू० ३००१- रू० ३५००, ८ उत्तरदाताओं की आमदनी रू० २५०१-३०००, ६ उत्तरदाताओं २% की रू० ४५०१-रू० ५०००, ३ उत्तरदाताओं १% की रू० ३५०१-४०००, ३ उत्तरदाताओं १% की रू० ४००१-४५००, १ उत्तरदाता .३३% की आय रू० ५००१- रू० ५५०० तथा १ उत्तरदाता .३३ % की मासिक आय रू० ५५०१-रू० ६००० थी।

तालिका संख्या -४.६

उत्तरदाताओं का जाति एवं धर्मवार विवरण

जाति	आवृत्ति	प्रतिशत
सामान्य जाति	५	१.६६%
पिछड़ी जाति	७४	२४.६६%
अनुसूचित जाति - जनजाति	१३०	४३.३४%
मुसलमान	८७	२९.००%
ईसाई	१	०.३४%
सिख	३	१.००%
कुल योग	३००	१००%

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से विदित होता है कि सर्वाधिक १३० उत्तरदाता ४३.३४ % अनुसूचित जाति - जनजाति वर्ग के, ८७ उत्तरदाता २९ % मुसलमान, ७४ उत्तरदाता २४.६६ % पिछड़ी जातियों के, ५ उत्तरदाता १.६६% सामान्य जाति वर्ग के, ३ उत्तरदाता, १ % सिख तथा १ उत्तरदाता ईसाई समुदाय से सम्बन्धित था। सुस्पष्ट है कि चयनित उत्तरदाताओं में अनुसूचित जाति-जनजाति के उत्तरदाताओं की बहुलता है। उल्लेखनीय है कि व्यक्ति के आचार - विचार, जीवनशैली, रहन-सहन, अपेक्षाऐं तथा क्रियाऐं उसके धार्मिक तथा जातिगत विश्वासों से प्रभावित होती हैं।

तालिका संख्या -४.७

उत्तरदाताओं का विवाह स्तर सम्बन्धी विवरण

विवाह स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
विवाहित	२७०	९०%
विधुर/विधवा	३०	१०%
अविवाहित	-	-
कुल योग	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक २७० उत्तरदाता ९०% विवाहित थे तथा ३० उत्तरदाता १० % विधुर/विधवा थे तथा कोई भी उत्तरदाता अविवाहित नहीं था।

चयनित सभी ३०० उत्तरदाताओं की विवाह के समय पति - पत्नी की आयु सम्बन्धी विवरण पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या -४.८

उत्तरदाताओं की तथा उनकी पत्नियों की विवाह के समय आयु सम्बन्धी विवरण

विवाह के समय आयु	पति		पत्नी	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
१२-१५ वर्ष	११	३.६६%	९९	३३.००%
१६-१८ वर्ष	६४	२१.३४%	१६८	५६.००%
१९-२१ वर्ष	१२७	४२.३४%	२८	९.३३%
२२-२४ वर्ष	८१	२७.००%	४	१.३३%
२५-२७ वर्ष	१४	४.६६%	१	.३४%
२८-३० वर्ष	३	१.००%	-	-
कुल योग	३००	१००%	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक १२७ पुरूष उत्तरदाताओं ४२. ३४ % की विवाह के समय आयु १९-२१ वर्ष तथा सर्वाधिक १६८ महिला उत्तरदाताओं ५६% की विवाह के समय आयु १६-१८ वर्ष थी अर्थात पति की औसतन आयु २० वर्ष तथा पत्नी की औसतन आयु १६ वर्ष सांख्यिकीय पद्धति से ज्ञात हुई जबकि विवाह अधिनियम (१९७८) के अनुसार लड़के की आयु २१ वर्ष तथा लड़की की आयु १८ वर्ष निर्धारित की गई है। परन्तु मलिन आवासों के निवासियों में बाल विवाह की प्रथा भी देखी जा सकती है जो जनसंख्या विस्फोट का एक उत्तरदायी कारक है।

चयनित ३०० अत्तरदाताओं के बच्चों की संख्या पर अग्रांकित तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या ४.९

उत्तरदाताओं के बच्चों की संख्या सम्बन्धी विवरण

क्रम संख्या	बच्चों की संख्या	आवृत्ति	प्रतिशत
१.	०-३ बच्चे	८९	२९.६७ %
२.	४-५ बच्चे	१०३	३४.३३ %
३.	५ से अधिक बच्चे	१०८	३६ %
कुल योग		३००	१००%

उत्तरदाताओं से उनके कुल बच्चों की संख्या सम्बन्धी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि १०८ उत्तरदाताओं ३६% के पाँच से अधिक बच्चे थे १०३ उत्तरदाताओं ३४.३३% के बच्चों की संख्या ४-५ थी तथा ८९ उत्तरदाता २९.६७% ऐसे थे जिनके ०-३ बच्चे थे। अध्ययन के दौरान ऐसे माता - पिता भी मिले जिनके बच्चों की संख्या १०,११ तथा १२ तक थी।

मनुष्य की तीन मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं में से 'आवास' एक महत्वपूर्ण अनिवार्य आवश्यकता है । आवास, व्यक्ति की सामाजिक -आर्थिक व सास्कृतिक पक्षों से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जिसका प्रभाव व्यक्ति की वैचारिकी (सोच) तथा उसके रहन-सहन की दशाओं को दर्शाता है। शोधार्थिनी ने प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत सभी ३०० उत्तरदाताओं के आवास एवं आवासीय दशाओं का भी सर्वेक्षणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है, जिस पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है:-

बच्चों की संख्यावार उत्तरदाताओं का विवरण
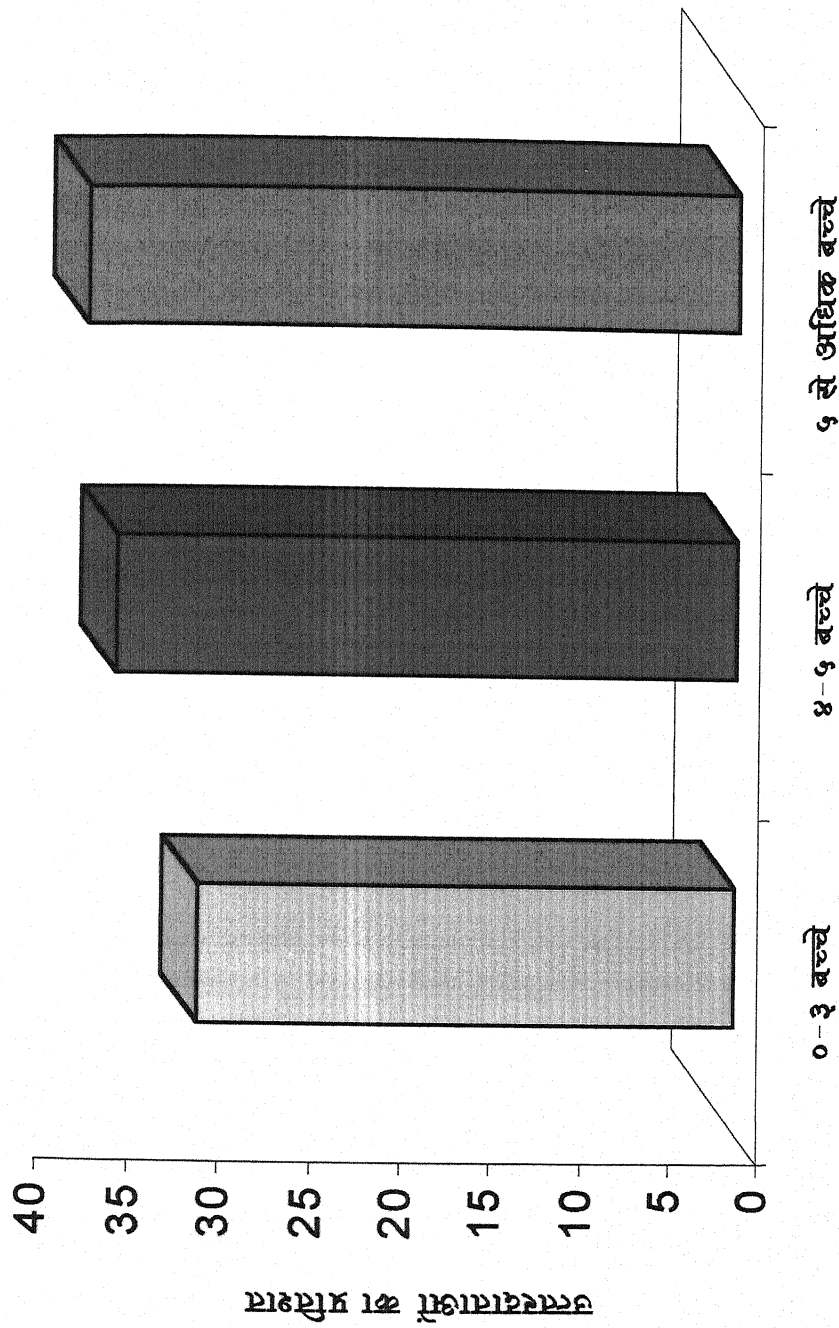
तालिका संख्या -४.१०

उत्तरदाताओं के मकान की स्थिति सम्बन्धी विवरण

मकानों का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
कच्चा	१८२	६०.६७%
पक्का	६५	२१.६७%
मिश्रित	५३	१७.६६%
कुल योग	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वाधिक १८२ उत्तरदाता ६०.६७% कच्चे मकानों में रहते थे। इसी प्रकार ६५ उत्तरदाताओं २१.६७%के पास रहने के लिए पक्के मकान थे तथा ५३ उत्तरदाताओं १७.६६% का मकान कच्चा पक्का मिश्रित मकान था। इन प्राथमिक तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आज भी अधिकांशत: मलिन आवासों के निवासी कच्चे आवासों में रहकर जीवनयापन करते हैं जो उनकी हीन आर्थिक दशाऐं दर्शाते हैं जो कि दयनीय हैं तो निश्चय ही उनके रहन-सहन तथा पोषण का स्तर भी निम्नस्तर का ही होगा। साथ ही, शोधार्थिनी ने समस्त ३०० उत्तरदाताओं से मकान के स्वामित्व सम्बन्धी विवरण को भी जानने का प्रयास किया है। प्रस्तुत तालिका उत्तरदाताओं के मकान के स्वामित्व सम्बन्धी विवरण पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या - ४.११

उत्तरदाताओं का मकान के स्वामित्व सम्बन्धी विवरण

मकानों का स्वामित्व	आवृत्ति	प्रतिशत
स्वयं का मकान	९०	३०.००%
किराये का मकान	५२	१७.३३%
सरकारी भूमि पर बनी झोपड़ पट्टी	१५८	५३.६७%
कुल योग	३००	१००%

उत्तरदाताओं के मकान के स्वामित्व सम्बन्धी विवरण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक १५८ उत्तरादाताओं ५३.६७% ने सरकारी नजूल भूमि पर अवैध रूप से झोपड़ पट्टी बना लीं थी जिनका स्वामित्व उनके पास नहीं था। इसी प्रकार ९० उत्तरदाताओं ३०% का मकान स्वामित्व उनका स्वयं का था तथा ५२ उत्तरदाता १७.३३% किराये के मकानों में निवास करते थे। स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता सरकारी भूमि पर बनी अवैध झोपड़ पट्टियों में निवास करते हैं जिन्हें सरकारी आदेश पर कभी भी हटाया जा सकता है।

शोधार्थिनी ने समस्त ३०० उत्तरदाताओं से उनके मकानों में कमरों की संख्या को भी जानने का प्रयास किया है। निम्न तालिका चयनित ३०० उत्तरदाताओं के मकानों में कमरों की संख्या सम्बन्धी विवरण पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या -४.१२

उत्तरदाताओं के मकानों में कमरों की संख्या सम्बन्धी विवरण

कमरों की संख्या	आवृत्ति	प्रतिशत
एक कमरे का मकान	२१८	७२.६७%
दो कमरों का मकान	५४	१८.००%
तीन कमरों का मकान	२०	६.६७%
चार कमरों का मकान	६	२.००
पांच कमरों का मकान	२	.६६%
कुल योग	३००	१००%

अध्ययनार्थ चयनित ३०० उत्तरदाताओं से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक २१८ उत्तरदाताओं ७२.६७ % के पास मात्र एक कमरे का मकान रहने के लिये है। इसी प्रकार ५४ उत्तरदाता १८ % दो कमरों में मकानों में रह रहे थे, २० उत्तरदाता ६.६७ % तीन कमरों वाले मकान में, ६ उत्तरदाता २% चार कमरों के मकान में तथा मात्र २ उत्तरदाता .६६% पांच कमरों वाले मकान के रह रहे थे इससे स्पष्ट होता है अधिकांश उत्तरदाता मात्र एक कमरे के मकान में किसी तरह जीवनयापन कर रहे हैं जबकि प्रति परिवार सदस्यों की संख्या का औसत ५ है। ऐसे में अधिकांश उत्तरदाता जिनके परिवार के सदस्यों की संख्या औसतन ७ है मात्र एक कमरे के मकान में किसी तरह जिन्दगी गुजार रहे हैं।

शोधार्थिनी ने मलिन आवासों में विद्युत, पृथक रसोईघर, पृथक स्नानगृह, शौचालय तथा आंगन की सुविधाओं की उपलब्धता को जानने का प्रयास किया।

निम्न तालिका चयनित ३०० उत्तरदाताओं के मकानों में सुविधाओं की उपलब्धता पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या ४.१३

उत्तरदाताओं के आवासों में विद्युत, स्नानगृह, शौचालय, रसोईघर तथा आंगन की सुविधाओं की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	आवासों तथा उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
१.	पांचों सुविधा सम्पन्न आवास	०६	२%
२.	चार सुविधा सम्पन्न आवास	१७	५.६७%
३.	तीन सुविधा सम्पन्न आवास	१७	५.६७%
४.	दो सुविधा सम्पन्न आवास	३२	१०.६६%
५.	एक सुविधा सम्पन्न आवास	७३	२४.३३%
६.	सभी सुविधाओं से रहित आवास	१५५	५१.६७%
कुल योग		३००	१००%

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से १५५ उत्तरदाताओं ५१.६७ % के आवासों में विद्युत, रसोईघर, स्नानगृह, शौचालय तथा आंगन में से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मात्र १४५ उत्तरदाताओं ४८.३३% के आवासों में उपरोक्त सुविधाऐं अग्रांकित विवरणानुसार उपलब्ध थीं :-६ उत्तरदाताओं २% के आवासों में पाँचों सुविधाऐं उपलब्ध थी, जबकि १७ उत्तरदाताओं ५.६७% के आवासों में चार, १७ उत्तरदाताओं ५.६७% के आवासों में तीन, ३२ उत्तरदाताओं १०.६६% के

ग्राफ सं. २

पाँचों सुविधा सम्पन्न आवास
चार सुविधा सम्पन्न आवास
तीन सुविधा सम्पन्न आवास
दो सुविधा सम्पन्न आवास
एक सुविधा सम्पन्न आवास
सभी सुविधाओं से रहित आवास
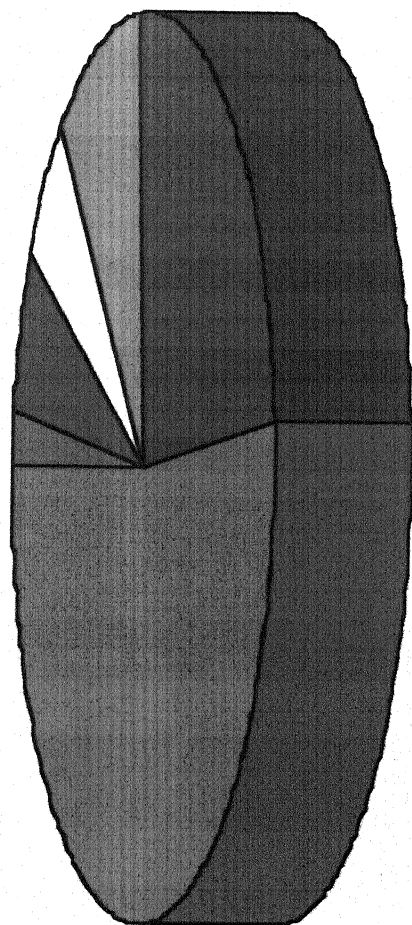
उत्तरदाताओं के आवासों में विद्युत, स्नानगृह, शौचालय, रसोईघर तथा आंगन की सुविधाओं की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण

आवासों में दो तथा ७३ उत्तरदाताओं २४.३३% के आवासों में मात्र एक सुविधा उपलब्ध थी।

इससे स्पष्ट है कि मलिन आवासों के अधिकांश निवासी विद्युत, रसोईघर, स्नानगृह, शौचालय तथा आंगन जैसी नागरिक सुविधाओं से महरूम है। उपरोक्त आंकड़े मलिन आवासों के निवासियों की जिन्दगी का भयावह रूप प्रस्तुत करते हैं। इनमें से अधिकांश उपरोक्त आवश्यक सुविधाओं के बिना ही मात्र एक कमरे के मकान में अपनी पूरी जिन्दगी अभावों में गुजार देते हैं। निम्न तालिका चयनित ३०० उत्तरदाताओं के घरों में जलापूर्ति स्रोत सम्बन्धी विवरण पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या ४.१४

उत्तरदाताओं के घरों में जलापूर्ति स्रोत सम्बन्धी विवरण

जलापूर्ति का स्रोत	आवृत्ति	प्रतिशत
नल	७४	२४.६७%
हैण्डपम्प	२२६	७५.३३%
अन्य	-	-
कुल योग	३००	१००%

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किये गये ३०० उत्तरदाताओं के परिवारों में से सर्वाधिक २२६ उत्तरदाताओं ७५.३३ % की जलापूर्ति का स्रोत हैण्डपम्प था तथा ७४ उत्तरदाताओं २४.६७% की जलापूर्ति का स्रोत नल था। यहां उल्लेखनीय है कि अधिकांश उत्तरदाता सार्वजनिक हैण्डपम्पों द्वारा ही जलापूर्ति प्राप्त करते हैं। इन सार्वजनिक हैण्डपम्पों पर हमेशा ही भारी भीड़ लगी रहती है जिससे कभी - कभी पानी भरते समय विवाद भी पैदा हो जाते हैं जो लड़ाई - झगड़े में भी बदल जाते हैं।,

****

अध्याय - ५

मलिन बस्तियों के विकास में उत्तरदायी कारक

---

* सामाजिक कारक
* आर्थिक कारक
* सांस्कृतिक कारक
* मनोवैज्ञानिक कारक
* अन्य कारक

अध्याय-५

मलिन बस्तियों के विकास में उत्तरदायी कारक

मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। वह अज्ञात तथ्यों का पता लगाने की दिशा में निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा है। मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं के साथ ही सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक समस्याओं की जटिलताओं को समझने व स्पष्ट करने का सदैव प्रयत्न किया है। समस्त ज्ञान जिज्ञासा के कारण ही प्राप्त किया जाता है। हर नई वस्तु, नई घटना, नई समस्या के बारे में जानने की प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। सामाजिक घटनाऐं व समस्याऐं अपने आप में काफी जटिल होती हैं। एक ही घटना के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं।व्यक्ति जैसे-जैसे सामाजिक जीवन में विभिन्न व्यवहारों व घटनाओं को देखता है तो उसके हृदय में आश्चर्य का भाव पनपता है। यही भाव हम लोगों में सामाजिक जीवन की समस्याओं को निर्देशित करने वाले कारकों को जानने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। हम विभिन्न सामाजिक समस्याओं से घिरे रहते हैं; हमारे मन में उनके समाधान की चिन्ता रहती है इसलिये मानव मन में प्रत्येक समस्या के विषय में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे - समस्या क्यों उत्पन्न होती है? कब उत्पन्न होती है? आदि। ये प्रश्न समस्या के जन्म में सहायक कारकों को जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार व्यक्ति समस्या की गहराई से खोज करना चाहता है।

सुस्पष्ट है कि प्रत्येक समस्या के उत्पन्न होने के कुछ न कुछ उत्तरदायी कारक अवश्य ही होते है। बिना इन कारकों के कोई भी समस्या या घटना घटित नहीं हो सकती है क्योंकि कोई भी घटना या समस्या समाज में अनायास अथवा अचानक

ही प्रकट नहीं हो जाती है बल्कि कई परिस्थितियां मिलकर अथवा अनेक कारक मिलकर इन समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। जिन्हें जानना व समझना शोधार्थी के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। किसी भी सामाजिक समस्या को समझने के लिये उन कारकों का गहन अध्ययन करना अनिवार्य है जिनके कारण वह समस्या उत्पन्न हुई है। प्रत्येक सामाजिक घटना व सामाजिक समस्या के घटित होने के कुछ कारक होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा है :-

(अ) प्रीसिपेटरी - ये वे कारक होते हैं जो किसी सामाजिक घटना अथवा समस्या की उत्पत्ति को तीव्रगति से सृजित करते हैं, तथा

(ब) प्रीडिस्पोजिंग - ये वे कारक हैं जो किसी सामाजिक धटना अथवा समस्या को शनैः शनैः सृजित करते हैं।[१]

सामाजिक अनुसन्धान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक समस्याओं की जटिल प्रकृति को समझना है। वास्तव में सामाजिक समस्याऐं प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में अधिक जटिल होती है क्योंकि मानव समूह व्यवहार की प्रकृति जटिल है। श्री लुण्डवर्ग (१९५१:१६) ने भी इस जटिलता के सम्बन्ध में लिखा है कि, ''अपने भौतिक एवं सामाजिक प्रभावों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील तथा अपने असंख्य सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनो-मस्तिष्कीय कारकों की विशेषताओं सहित मानव - समूह इतना अधिक जटिल, इतना अधिक दुर्बोध प्रतीत होता है कि हमारा मस्तिष्क ही चकरा जाता है और उस अथाह जटिलता के संसार में प्रवेश कर मानव - समूह के व्यवहार के क्रमों, व्यवस्थाओं और नियमों को ढूँढने का दुस्साहस ही हम नहीं कर पाते हैं।''[२] इसी क्रम में श्री लुण्डवर्ग

---

1. Park J.E. and Park K., (1986), Textbook of Preventive and Social Medicine, M/s Banarsidas Bhanot Publishers, Jabalpur.
2. George A. Lundberg, (1951), Social Research, Longmans, Green and Company, New York, page - 16

(१९५१:१३) आगे लिखते हैं कि, ''कोई भी परिस्थिति या व्यवहार की घटना अथवा समस्या तब जटिल होती है जब हम उसे समझते नहीं हैं। मानव समाज की जटिलता अधिकांशत: उसके संबंध में हमारी अज्ञानता का ही परिणाम है।''[१] स्पष्ट है कि मानव व्यवहार की प्रकृति जटिल तो है परन्तु गहन अध्ययन द्वारा ही हम उन्हें समझ सकते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये श्री मुखर्जी (२०००:५२) ने भी बताया है कि ''प्रत्येक मानव - व्यवहार या समस्या अनेक प्रकार के भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक आदि कारकों द्वारा निर्धारित एवं प्रभावित होता है। अत: सामाजिक घटनाऐं अथवा सामाजिक समस्या अव्यवस्थित, जटिल तथा अर्थहीन केवल उनके लिये हैं जो कि समस्याओं का अवलोकन केवल ऊपरी तौर पर करते हैं। जितना अधिक हम उसका अध्ययन करते हैं और उत्तरदायी कारकों की गहन पड़ताल करने का प्रयत्न करते हैं उतना ही वह व्यवस्थित, नियमित तथा भविष्यवाणी करने योग्य बन जाता है।''[२]

इसीलिये आवश्यक है कि शोधकर्ता इन समस्याओं को उत्पन्न करने में सहायक कारकों का सूक्ष्म अध्ययन करे क्योंकि जब तक कि समस्या के लिये उत्तरदायी कारकों की भूमिका पर गहन विचार न किया जाये तब तक अनुसन्धानकार्य कोरी बकवास ही कहलायेगा। यदि अनुसन्धानकर्ता समस्या के पीछे निहित उत्तरदायी कारकों की अवहेलना करता है तो वह शोधकार्य वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के अभाव में अपूर्ण ही रह जायेगा क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में व्यवस्थित या क्रमबद्ध प्रणाली को अपनाने पर बल दिया जाता हैं और ''क्यों और कैसे'' के आधार पर घटना का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है। इसके लिये अनिवार्य है कि

---

2. George A. Lundberg, (1951), Social Research, Longmans, Green and Company, New York, page - 13
1. Mukerjee R.N., (2000), Social Research and Statistics, Vivek Prakashan, Jawahar Nagar, Delhi, Page : 52-53.

समस्या के लिये उत्तरदायी कारकों की भूमिका की भली प्रकार जांच की जाये। शोधकार्य में क्रमबद्धता तभी लायी जा सकती है जब शोधकर्ता समस्या को उत्पन्न करने वाले कारकों पर विशेष ध्यान दें। किसी भी समस्या को उत्पन्न करने में सहायक कारकों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि यदि हम समस्या की व्यापकता को जानने के प्रति जागरूक हैं तो हमें इन कारकों की भूमिका की जांच करनी ही होगी। कोई समस्या समाज के लिये कितनी नुकसानदायक है? समाज के लोगों पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है? उस समस्या से समाज व राष्ट्र को कितनी हानि उठानी पड़ सकती हैं? आदि प्रश्नों के समुचित समाधान के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि हम पहले यह जानने का प्रयास करें कि वह समस्या क्यों उत्पन्न हुई? वे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया? आदि। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि हम उत्तरदायी कारकों की भूमिका पर गहन विचार करें।

यदि हम समस्या के मूल में अन्तर्निहित कारकों की पहचान कर सकें तभी उस समस्या के निवारण के उपाय किये जा सकते हैं। एक अनुसन्धानकर्ता का परम कर्तव्य है कि वह शोधकार्य द्वारा समस्या को दूर करने में सहायक अन्तर्दृष्टि प्रदान करे जो कि सामाजिक समस्या के निवारण में समाज तथा राष्ट्र के लिये सहायक हो। यह तभी सम्भव है जब शोधकर्ता ने समस्या को पैदा करने वाले कारकों की अच्छी तरह जांच की हो। एक चिकित्सक भी रोग का उपचार सही ढंग से तभी कर सकता है जब उसे रोग को जन्म देने वाली तथा विकसित करने वाली दशाओं अथवा कारकों की जानकारी हो। इसके अभाव में किसी भी रोग का उपचार सम्भव नहीं है। इसी तरह सामाजिक अनुसन्धानकर्ता भी सामाजिक समस्याओं के लिये जिम्मेदार कारकों का गहन अध्ययन करता है जो कि समस्या को दूर करने के दृष्टिकोण से अनिवार्य है। समाज में जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो सरकार, राष्ट्र के प्रबुद्ध व

जागरूक नागरिक, समाजसेवक, नीतिनिर्धारक आदि उस समस्या के समाधान के भरसक प्रयत्न करते हैं। इन प्रयत्नों की सफलता तथा दिशा निर्धारण के लिये आवश्यक है कि उन कारकों की भूमिका पर व्यापक विचार किया जाये जिनके कारण समस्या पैदा होती है। एक सामाजिक शोधकर्ता अपने शोध अध्ययन में उन कारकों पर व्यापक प्रकाश डालकर उस समस्या के समाधान की योजनाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। समस्या निवारण के प्रयासों की सफलता तथा इसके लिये बनायी गयी योजनाओं के निर्माण के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि हमें समस्या को उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान हो।

समस्या किसी भी समाज तथा राष्ट्र के जीवन में उत्पन्न होने वाली आवश्यक सामाजिक घटना है। कोई भी समाज तथा राष्ट्र ऐसा नहीं है जहां समस्याऐं उत्पन्न न होती हों। इन समस्याओं को उत्पन्न करने वाले कुछ कारक ऐसे हैं जो लगभग सभी देशकाल परिस्थितियों में पाये जाते हैं। इन्हें हम सार्वभौमिक कारक कह सकते हैं। अशिक्षा, दरिद्रता जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, नगरीकरण, औद्योगीकरण आदि ऐसे ही सार्वभौमिक कारक हैं जिनके कारण लगभग प्रत्येक समाज व राष्ट्र के समक्ष समस्याऐं उत्पन्न होती रहती हैं। इन कारकों की पहचान यदि पहले से कर ली जाये तथा इन्हें दूर करने के प्रयास पहले से किये जायें तो समस्या को विराट रूप धारण करने से पहले ही सुलझाया जा सकता है। इन कारकों की भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से धीरे - धीरे समस्या और व्यापक तथा विकराल होती जायेगी तथा समाज व राष्ट्र को विशाल रूप में प्रभावित करेगी। इसलिये समस्या उत्पन्न होने के पहले ही उसका उपचार करने के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है कि हमें यह जानकारी हो कि वह समस्या क्यों उत्पन्न होती है और इसके लिये जिम्मेदार कारकों की भूमिका पर विचार करना आवश्यक है।

सभी प्रकार के अनुसन्धानों का लक्ष्य कुछ ऐसे सिद्धान्तों अथवा अवधारणाओं का निर्माण करना होता है जिनके आधार पर भविष्यवाणी की जा सके अर्थात् शोधकर्ता यह बता सके कि भविष्य में परिस्थितियां एक समान होने पर विशेष समस्या अथवा घटना घटित होगी। सामाजिक विज्ञानों के शोध अध्ययनों में भी यही नियम लागू होता है। सामाजिक अनुसन्धानकर्ता अपने शोधकार्य द्वारा भविष्य की ओर संकेत करने में समर्थ होता है किन्तु वह समस्याओं से सम्बन्धित भविष्यवाणी तभी कर सकता है जब उसने समस्या के कारणात्मक पहलू पर विशेष ध्यान दिया हो अर्थात् उसने समस्या उत्पन्न करने वाले कारकों की अबहेलना न करके उनका गहन व समुचित अध्ययन किया हो। उपरोक्त सभी दृष्टिकोणों से सुस्पष्ट है कि सामाजिक समस्याओं के शोध अध्ययनों में यह अत्यन्त अनिवार्य है कि उन समस्याओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की भूमिका पर गहराई से विचार किया जाये तभी शोध अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्ण तथा सार्थक कहा जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये शोधार्थिनी ने अपने शोध अध्ययन, ''मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक - आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' में मलिन आवासों की समस्या को उत्पन्न करने वाले कारकों की न केवल पहचान की है बल्कि उन कारकों की भूमिका पर व्यापक प्रकाश भी डाला है। मलिन आवासों की समस्या को उत्पन्न करने वाले कारकों को सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा अन्य कारकों में वर्गीकृत किया गया है तथा सभी कारकों के मलिन आवासों की समस्या की उत्पत्ति तथा विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के स्तर को भी जानने का प्रयास किया गया है। मलिन आवासों की समस्या को उत्पन्न करने वाले कारकों का विवरण इस प्रकार है:-

(१) सामाजिक कारक :-

मनुष्य का जीवन समाज में ही प्रारम्भ होता है तथा समाज में ही समाप्त होता है। जीवन पर्यन्त वह सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता रहता है तथा सामाजिक कार्यकलापों में व्यस्त रहता है। बिना समाज के मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। चूंकि समस्याऐं भी समाज में होने वाली घटना ही है अत: सभी समस्याओं को उत्पन्न करने का श्रेय भी सामाजिक दशाओं को ही जाता है जिन्हें 'सामाजिक कारक' कह सकते हैं। मलिन आवासों की समस्या को उत्पन्न व विकसित करने में भी सामाजिक कारकों की ही भूमिका है। अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, मकानों की अनुपलब्धता तथा रहन - सहन का निम्न स्तर वे प्रमुख सामाजिक कारक हैं जो मलिन आवासों की समस्या की उत्पत्ति तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

मलिन आवासों की उत्पत्ति एवं विकास का प्रमुख सामाजिक कारक अशिक्षा है। मलिन आवासों में अधिकांश निरक्षर अथवा अशिक्षित लोग रहते हैं। प्राय: निर्धनता के कारण ये लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। स्कूल जाने योग्य बच्चों को भी गरीबी के कारण बचपन से ही जीविका कमाने में लगा दिया जाता है। जिससे उनका भविष्य भी उनके माता - पिता की तरह अंधकारमय हो जाता है। अशिक्षा के कारण व्यक्ति में जागरूकता का अभाव होता है, जिससे मलिन बस्तियों की वृद्धि में तेजी आती है। अशिक्षित व्यक्ति को उनके विकास के लिये चलायी गयी योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। साथ ही अशिक्षित व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के प्रति लापरवाह होते हैं। अशिक्षित व्यक्ति समाज में समायोजन न कर पाने के कारण अनेक बुरी आदतों को अपनाकर अपराध करने लगता है। इससे उसका पतन तो होता ही है वह निर्धनता से भी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसके कारण वह मलिन आवासों में रहने को बाध्य होता है। सरकार द्वारा मलिन आवासों की उत्पत्ति को रोकने में अशिक्षा एक महत्वपूर्ण रूकावट बन जाती है। क्योंकि यहां के निवासी अन्यत्र स्वच्छ स्थानों पर रहने के लिये तैयार नहीं होते हैं साथ ही उनका आर्थिक

स्तर भी ऐसा नहीं होता कि वे मलिन बस्तियों को छोड़ सकें। इस प्रकार अशिक्षा मलिन बस्तियों के विकास का एक उत्तरदायी कारक है क्योंकि अशिक्षा निर्धनता, ऋणग्रस्तता, कार्यकुशलता का अभाव, बेकारी आदि कारकों को बढ़ावा प्रदान करती है।

किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था व विकास को वहां की जनसंख्या प्रभावित करती है। देश की जनसंख्या वहां पर उपलब्ध साधनों की तुलना में संतुलित होनी चाहिये परन्तु भारत के विकास के मार्ग में जनसंख्या वृद्धि बाधक रही है। ग्रामों में बढ़ती जनसंख्या के लिये काम धन्धों की कमी है। फलस्वरूप लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। नगरों में ये लोग मलिन बस्तियों में ही शरण पाते हैं। जनसंख्या वृद्धि होने पर लोगों को बसाने और उनके लिये स्वास्थ्यप्रद आवासों की व्यवस्था करने की समस्या पैदा होती है। लोग काफी मात्रा में शहरों में पलायन करके मलिन आवासों की समस्या को बढ़ाने में योग देते हैं। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण वहां विकास योजनाऐं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। जैसे पानी, बिजली, सफाई यातायात, प्रशासन आदि की समस्याऐं खड़ी हो जाती हैं। मलिन आवासों की समस्या के विकास में जनसंख्यावृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। नगरों में आवासीय भू - उपयोग क्षेत्र सीमित है परन्तु नगरों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। इसलिये बढ़ती हुई जनसंख्या में से अधिकांश लोग मलिन बस्तियों में रहने को बाध्य हैं। जिससे नयी - नयी मलिन बस्तियों की उत्पत्ति तथा पुरानी बस्तियों का विस्तार होता जा रहा है जो भारत की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। श्री गुप्ता एवं सिंह (२०००:१०६) ने भी लिखा है कि, ''जनसंख्या वृद्धि जितनी तीव्र गति से हुई, उसी तीव्र गति से मकानों का निर्माण नहीं होने से लोगों के लिये आवास का अभाव पैदा हुआ और लोग भीड़भाड़ युक्त मकानों में अथवा एक ही मकान में कई परिवार मिलकर रहने लगे। इसके फलस्वरूप मलिन बस्तियों का जन्म व विकास हुआ।''[1]

---

1 Gupta M.L. and Sharma D.D. (2000), Sociology, Sahitya Bhavan Publications, Agra, Page - 106.

नगरीकरण एक प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है तथा ग्रामीण और नगरीय जीवन में किसी न किसी रूप में परिलक्षित होती रहती है। श्री बर्गल (१९७०) ने नगरीकरण की परिभाषा करते हुए लिखा है कि, ''ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों मे परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हमें 'नगरीकरण' कहना चाहिये। इस प्रक्रिया का गांव की जनसंख्या की आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या घटती है ठीक उसी अनुपात में नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है।''[1] प्रस्तुत तालिका मलिन आवासों के विकास के लिये उत्तरदायी अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि तथा नगरीकरण के प्रभाव पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या - ५.१ (अ)

मलिन आवासों के विकास में उत्तरदायी सामाजिक कारकों अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि तथा नगरीकरण के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण -

क्र० सं०	सामाजिक कारक	कम	सामान्य	अधिक	कुल योग
१.	अशिक्षा	२० (६.६७%)	३६ (१२%)	२४४ (८१.३३%)	३०० (१००%)
२.	जनसंख्या वृद्धि	१२ (४%)	३० (१०%)	२५८ (८६%)	३०० (१००%)
३.	नगरीकरण	३७ (१२.३३%)	४६ (१५.३३%)	२१७ (७२.३४%)	३०० (१००%)

चयनित सभी ३०० उत्तरदाताओं से जब मलिन आवासों के विकास के लिये उत्तरदायी सामाजिक कारक अशिक्षा के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी जानकारी की गई तब विदित हुआ कि सर्वाधिक २४४ उत्तरदाताओं ८१.३३ % का मानना था कि अशिक्षा का मलिन आवासों के विकास पर प्रभाव अधिक पड़ता है। इसी प्रकार ३६

1 Bergel E.E., (1970), Urban Sociology.

उत्तरदाताओं १२ % के अनुसार मलिन आवासों के विकास में उत्तरदायी सामाजिक कारक अशिक्षा का प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा २० उत्तरदाता ६.६७% अशिक्षा का मलिन आवासों के विकास पर प्रभाव कम मानते थे। सुस्पष्ट है कि मलिन आवासों के विकास के लिये उत्तरदायी सामाजिक कारकों में अशिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है।

जब उत्तरदाताओं से मलिन आवासों के विकास के लिये उत्तरदायी सामाजिक कारक जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी जानकारी की गई तब ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक २५८ उत्तरदाताओं ८६ % के अनुसार मलिन आवासों के विकास पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसी प्रकार ३० उत्तरदाताओं १० % का मानना था कि जनसंख्या वृद्धि का मलिन आवासों के विकास पर प्रभाव का स्तर सामान्य है तथा १२ उत्तरदाताओं ४% की राय थी कि मलिन आवासों के विकास पर जनसंख्या वृद्धि का कम प्रभाव पड़ता है। सुसपष्ट है कि मलिन आवासों के विकास के लिये उत्तरदायी सामाजिक कारकों में जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है क्योकि संसाधन सीमित हैं तथा उनमें वृद्धि जनसंख्या वृद्धि की तरह गुणात्मक नहीं हैं। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या वृद्धि तो हो जाती है परन्तु उसी अनुपात में नये भवनों का निर्माण नहीं हो पाता है।

इसी प्रकार जब उत्तरदाताओं का मलिन आवासों के विकास में उत्तरदायी सामाजिक कारक नगरीकरण के प्रभाव के स्तरों सम्बन्धी अध्ययन किया गया तब ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक २१७ उत्तरदाताओं ७२.३४% का मानना था कि मलिन आवासों के विकास पर नगरीकरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसी प्रकार ४६ उत्तरदाताओं १५.३३% की राय थी कि नगरीकरण का मलिन आवासों के विकास पर पड़ने वाला प्रभाव सामान्य था तथा ३७ उत्तरदाता १२.३३% मानते थे कि मलिन आवासों के विकास पर नगरीकरण का प्रभाव कम पड़ता है। सुस्पष्ट है कि अधिकांश

उत्तरदाताओं के अनुसार नगरीकरण मलिन आवासों के विकास के लिये उत्तरदायी एक प्रमुख सामाजिक कारक हैं।

नगरों की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ती जा रही है उस तेजी से मकान बनना सम्भव नहीं है। नगरों में मकानों के अभाव में लोगों को मजबूरन मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है। मकानों की मांग की तुलना में पूर्ति कम होने से वहां मकानों के किराये बढ़ जाते हैं। ऐसे में भूस्वामी और सम्पन्न लोग एक - एक कमरे वाले ऐसे मकान बनाते हैं जिनमें श्रमिक लोग रह सकें। इन मकानों में सुविधाओं का सर्वथा अभाव होता है और ये क्षेत्र धीरे - धीरे मलिन बस्तियों में बदल जाते हैं। इन एक - एक कमरे वाले मकानों में भी कई परिवार एक साथ मिलकर रहने को बाध्य होते हैं क्योंकि नगरों में भूमि खरीदकर मकान बना सकना बहुत मुश्किल है। नगरों में एक तो भूमि की कीमतें आसमान को छू रही हैं दूसरे मकान निर्माण की सामग्री के भी दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। जिन मजदूरों को दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता है उनके लिये मकान बना सकना असंभव ही है। यही कारण है कि मलिन आवासों के विकास में मकानों की अनुपलब्धता एक प्रमुख उत्तरदायी कारक है। श्री सिंह एवं सिंह (२०००:१३९) ने भी लिखा है कि, ''नगरों में भूमि सीमित है और मांग अत्यधिक है। भूमि का मूल्य भी यहां आसमान छूता है। सामान्य व्यक्ति भूमि क्रय करके नगर में मकान नहीं बना सकता। अधिकांश व्यक्ति किराये के मकानों में रहते है। नगर में किराये के मकान भी सामान्य व्यक्ति की पहुंच के बाहर हैं। लाखों श्रमिक जिनकी आय और साधन सीमित हैं। उन्हें विवश होकर मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है। मकान कम है और उनमें रहने वाले व्यक्ति कहीं अधिक है। परिणामस्वरूप मलिन बस्तियों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।''[1]

---

1 Singh V. N. and Singh Janmejay, (2000), Urban Sociology, Vivek Prakashan, jawahar Nagar, Delhi-7, Page-139.

मलिन आवासों के विकास का एक प्रमुख सामाजिक कारक रहन सहन का निम्न स्तर भी है। मलिन आवासों में रहने वाले अधिकतर ग्रामों से पलायन करके शहर में आकर बसने वाले लोग होते हैं। ये लोग शहरी संस्कृति में धुल मिल जाने का प्रयास तो करते हैं परन्तु अपनी ग्रामीण संस्कृतिजन्य आदतों तथा व्यवहारों को नहीं बदल पाते हैं। वे शहरों में भी ग्रामीण परिवेश बनाकर रहते हैं। साथ ही निर्धनता अशिक्षा तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण इनके रहन - सहन का स्तर भी निम्न होता है। ये लोग अधिकांशत: निम्न आय वर्ग वाले होते हैं। एक लम्बे समय से ये लोग आवास की दयनीय दशा में रहने से जीवन के प्रति रूढ़िवादी हो जाते हैं और मलिन बस्तियों में ही रहना पसंद करते है। इनके रहन - सहन का निम्न स्तर इन्हें अन्य स्थानों पर रहने वाले लोगों के सम्पर्क से दूर रखता है। जिससे ये लोग रहन - सहन के स्तर को ऊँचा उठाने की ओर जागरूक नहीं होते हैं। निर्धनता के कारण भी इनका जीवन स्तर निम्नकोटि का ही रहता है।

प्रस्तुत तालिका मलिन आवासों के विकास पर मकानों की अनुपलब्धता तथा रहन - सहन के निम्न स्तर के प्रभावों पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या - ५.१ (ब)

मलिन आवासों के विकास पर मकानों की अनुपलब्धता तथा रहन - सहन के निम्न स्तर के प्रभाव सम्बन्धी विवरण :-

क्र. स.	सामाजिक कारक	कम	सामान्य	अधिक	कुल योग
१.	मकानों की अनुपलब्धता	१० (३.३३%)	२२ (७.३३%)	२६८ (८९.३४%)	३०० (१००%)
२.	रहन-सहन का निम्न स्तर	२२ (७.३३%)	३० (१०%)	२४८ (८२.६७%)	३०० (१००%)

चयनित ३०० उत्तरदाताओं से जब मलिन आवासों की समस्या के लिये उत्तरदायी सामाजिक कारक मकानों की अनुपलब्धता के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी जानकारी की गई तब विदित हुआ कि सर्वाधिक २६८ उत्तरदाताओं ८९.३४% के अनुसार मलिन आवासों के विकास पर मकानों की अनुपलब्धता का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसी प्रकार २२ उत्तरदाताओं ७.३३ % की राय में मकानों की अनुपलब्धता का प्रभाव सामान्य तथा १० उत्तरदाता ३.३३% मानते थे कि मकानों की अनुपलब्धता का मलिन आवासों के विकास पर प्रभाव कम पड़ता है। इससे प्रमाणित होता है कि मलिन आवासों की समस्या की उत्पत्ति तथा विकास के लिये मकानों की अनुपलब्धता एक प्रमुख सामाजिक कारक है।

इसी प्रकार उत्तरदाताओं का मलिन आवासों की समस्या के लिये उत्तरदायी सामाजिक कारक रहन - सहन के निम्न स्तर के प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि २४८ उत्तरदाताओं ८२.६७% का मानना था कि मलिन आवासों की समस्या के विस्तार के लिये रहन - सहन के निम्न स्तर का प्रभाव अधिक उत्तरदायी है। इसी प्रकार ३० उत्तरदाताओं १०% के अनुसार मलिन आवासों के विकास पर रहन - सहन के निम्न स्तर का प्रभाव सामान्य तथा २२ उत्तरदाताओं ७.३३% के अनुसार कम पड़ता है। इससे प्रमाणित होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि मलिन आवासों की समस्या की उत्पत्ति तथा विकास के लिये रहन - सहन के निम्न स्तर का प्रभाव अधिक पड़ता है।

(२) आर्थिक कारक :-

मलिन आवासों की समस्या की उत्पत्ति तथा विकास में आर्थिक कारक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति के समस्त कार्यकलाप तथा गतिविधियाँ आखिरकार अर्थोपार्जन के लिये ही होती है। वर्तमान समय में तो धन का महत्व और

भी बढ़ गया है। प्रातः से रात तक व्यक्ति धनोपार्जन में ही लगा रहता है। व्यक्ति की अनेक समस्याओं की जड़ आर्थिक कारक ही हैं। मलिन बस्तियों का विकास भी आर्थिक क्रियाओं का ही परिणाम है। जिसके प्रमुख घटक औद्योगीकरण, निर्धनता, नगरों का व्यावसायिक केन्द्र होना, सस्ती आवासीय सुविधा तथा ग्रामीण बेकारी हैं। इनके कारण ही मलिन बस्तियों की उत्पत्ति तथा विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

औद्योगीकरण वह प्रक्रिया है जिसे अपनाकर कोई भी देश अपने आर्थिक, तकनीकी तथा प्राकृतिक साधनों का अधिकतम प्रयोग करने में सफल हो सकता है। औद्योगीकरण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया का प्रारम्भ औद्योगिक क्रान्ति से माना जाता है। औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप नये - नये उद्योगों की स्थापना हुई, वस्तुओं का उत्पादन विशाल स्तर पर होने लगा तथा अनेक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रों में तब्दील हो गये। मलिन बस्तियों की उत्पत्ति तथा विकास में औद्योगीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल कारखानों तथा मिलों की स्थापना होने से नगरों में जीविकोपार्जन के अनेक विकल्प उपस्थित होते हैं। लाखों की संख्या में ग्रामीण व्यक्ति यहां अधिक से अधिक धन कमाने की आशा में आते है। इन फैक्ट्रियों में श्रमशक्ति की आवश्यकता की पूर्ति इन्हीं ग्रामीणों द्वारा होती है। वे मिल, फैक्ट्री, कारखानों में या किसी और प्रकार का श्रम करके अपना पेट पालते हैं। निर्धनता इनका स्थायी धन है तथा इस औद्योगिक महानगरीय सभ्यता में इन्हें तो रहने का ठिकाना मलिन बस्तियों में ही मिलता है। श्री तोमर तथा गोयल (१९९७:४२४) ने भी औद्योगीकरण को मलिन बस्तियों के विकास का कारक मानते हुये लिखा है कि, ''नगरों में मलिन बस्तियों के विकास का प्रमुख कारक औद्योगीकरण है। नगरों में नये उद्योगों की स्थापना में जनशक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये ग्रामों से लोग बुलाये जाते हैं। ऐसे लोगों की निवास व्यवस्था का कोई प्रबन्ध नहीं होने के कारण अनाधिकृत भूमि पर कब्जा करके ये लोग कच्चे

मकान बना लेते हैं। फिर कहीं - कहीं नगरो के मध्य उपेक्षित स्थानों को घेर लेते हैं। इस भांति नगर के मध्य और सीमा पर मलिन बस्तियाँ विकसित हो जाती है।''[१]

निर्धनता एक सर्वव्यापी घटना है मलिन आवासों के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक निर्धनता ही है। निर्धनता के ही कारण ग्रामीण लोग नगरों में आते है। जहां उन्हें काम तो मिल जाता है परन्तु रहने के लिये घर नहीं मिलता है। नगरों में भवनों का किराया अधिक होता है। इन लोगों के पास इतना रूपया नहीं होता है कि वे ऊँचे किराये के स्वास्थ्य प्रद एवं अच्छे मकानों को किराये पर लेकर रह सकें। परिणामस्वरूप वे सस्ते किराये के मकानों में रहते हैं जो मलिन बस्तियों में ही उपलब्ध होते हैं। अत: इन्हें बाध्य होकर मलिन बस्तियों में ही रहना पड़ता है। श्री सिंह एवं सिंह (२०००:१३९) ने भी निर्धनता को मलिन आवासों के विकास का कारक मानते हुऐ लिखा है कि, ''निर्धनता अभिशाप है। निर्धन व्यक्ति के लिये यह भूलोक ही नरक है। निर्धन बेरोजगार, दैनिक वेतन भोगी श्रमिक ये सब उस वर्ग के व्यक्ति हैं जो कठोर परिश्रम करके भी दो समय का भोजन तो अपने परिवार को दे नहीं पाते हैं, फिर ये मंहगे किराये के मकान कैसे ले सकते हैं।न ये किराये के मकान ले सकते हैं और न ये अपना मकान बना सकते हैं। अभावों में जीना इनकी मजबूरी है। मलिन बस्तियों को इन्होंने ही बसाया है तथा ये ही लोग वहां रहते हैं।''[२]

औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप नये - नये व्यवसायों का प्रारम्भ हुआ। अनेक स्थानों पर उद्योगधंधों का सूत्रपात हुआ। कई क्षेत्र जो ग्रामीण इलाके थे वहां कारखानों तथा फैक्ट्रियों व मिलों की स्थापना हुई, जैसे - टाटा नगर, जमशेदपुर आदि। कई नगर ऐसे थे जहां यातायात के पर्याप्त साधन थे तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान मौजूद थे। ऐसे क्षेत्र व्यापारिक व व्यावसायिक गतिविधियों के केन्द्र बन

---

1. Tomar Rambihari Singh and Goyal-D.D. (1997), Shri Ram Mehra and company, Agra-3 Page 424.
2. Singh V.N. and Singh Janmejay, (2000), Urban Sociology, Vivek Prakashan, Jawahar Nagar Del hi-7, Page-139.

गये, जैसे - कानपुर, मुम्बई, अहमदाबाद, सूरत आदि। इन व्यावसायिक केन्द्रों की ओर ग्रामीण जनसंख्या का अधिक पलायन हुआ तथा वहां मलिन बस्तियों की उत्पत्ति तथा विकास को बढ़ावा मिला। श्री गुप्ता तथा शर्मा (२०००:१०७) के अनुसार ''नगरों में व्यापारिक सुविधा एवं उन्नति के अवसर उपलब्ध होते हैं। उत्पादित वस्तुओं की बिक्री, उपयोग की सुविधा, मांग की अधिकता आदि के कारण लोग कच्चा माल बेचने तथा तैयार माल खरीदने नगरों में आते हैं। व्यापारिक लालसा इन्हें नगरों में बसने के लिये प्रेरित करती है।''[1]

प्रस्तुत तालिका मलिन आवासों के विकास के लिये जिम्मेदार आर्थिक कारकों औद्योगीकरण, निर्धनता तथा व्यावसायिक केन्द्र पर प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या ५-२(अ)

मलिन आवासों के विकास पर आर्थिक कारकों औद्योगीकरण, निर्धनता तथा व्यावसायिक केन्द्र के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण

क्र० सं०	आर्थिक कारक	कम	सामान्य	अधिक	कुल योग
१.	औद्योगीकरण	८ (२.६७%)	१३ (४.३३%)	२७९ (९३%)	३०० (१००%)
२.	निर्धनता	४ (१.३३%)	११ (३.६७%)	२८५ (९५%)	३०० (१००%)
३.	व्यावसायिक केन्द्र	४२ (१४%)	५३ (१७.३३%)	२१५ (७१.६७%)	३०० (१००%)

1. Gupta M.L. and Sharma D.D., (2000), Sociology, Sahitya Bhavan Publications, Agra, Page-107.

मलिन आवासों की समस्या की उत्पत्ति तथा विकास के लिये उत्तरदायी आर्थिक कारक औद्योगीकरण के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी अध्ययन करने पर विदित हुआ कि २७९ उत्तरदाता ९३% मानते थे कि मलिन आवासों की समस्या को बढ़ाने में औद्योगीकरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसी प्रकार १३ उत्तरदाताओं ४.३३% की दृष्टि में औद्योगीकरण का प्रभाव सामान्य तथा ८ उत्तरदाताओं की दृष्टि में औद्योगीकरण का प्रभाव कम पड़ता है। सुस्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं की राय में औद्योगीकरण मलिन आवासों की समस्या की उत्पत्ति तथा विकास के लिये महत्वपूर्ण कारक है।

चयनित उत्तरदाताओं से जब मलिन आवासों के विकास पर निर्धनता के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी जानकारी की गई तब ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक २८५ उत्तरदाता ९५ % मलिन आवासों के विकास पर निर्धनता कारक के प्रभाव को अधिक मानते थे। इसी प्रकार ११ उत्तरदाता ३.६७ % मलिन आवासों की समस्या के लिये उत्तरदायी कारक निर्धनता के प्रभाव को सामान्य तथा ४ उत्तरदाता १.३३ % कम मानते थे। इससे प्रमाणित होता है कि मलिन आवासों की समस्या की उत्पत्ति तथा विकास के लिये निर्धनता एक प्रमुख आर्थिक कारक है जिसका प्रभाव अधिकांश उत्तरदाताओं की दृष्टि में अधिक पड़ता है।

मलिन आवासों के विकास पर जिस क्षेत्र में वे मलिन आवास विकसित हुऐ हैं, इस क्षेत्र के व्यावसायिक केन्द्र होने के प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन से विदित हुआ कि सर्वाधिक २१५ उत्तरदाताओं ७१.६७% का मानना था कि मलिन आवासों की समस्या को बढ़ाने में उस क्षेत्र के व्यावसायिक केन्द्र होने का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसी प्रकार ५३ उत्तरदाताओं १७.३३ % की राय थी कि उस क्षेत्र के व्यावसायिक केन्द्र होने का मलिन आवासों के विकास पर प्रभाव सामान्य तथा ४२ उत्तरदाताओं

१४% के अनुसार कम पड़ता है। इससे प्रमाणित होता है कि अगर कोई क्षेत्र विशेष व्यावसायिक केन्द्र है तो वहां मलिन आवासों की समस्या की उत्पत्ति तथा विकास अधिक होता है।

मलिन आवासों की उत्पत्ति तथा विकास का एक आर्थिक कारक मलिन आवासों में उपलब्ध सस्ती आवासीय सुविधा भी है। नगरों में आने वाले प्रवासियों की एक बड़ी संख्या मलिन बस्तियों में ही शरण पाती है। यहां मकानों का किराया न के समान अथवा बहुत कम होता है। कभी - कभी प्रवासी लोग खाली पड़ी भूमि पर अवैध कब्जा करके मकान बनाकर रहने लगते हैं। यही कारण है कि मलिन आवासों के सस्ती दरों अथवा कम किराये में उपलब्ध हो जाने के कारण उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी करीब ६४ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि द्वारा जीवनयापन करती है। परन्तु हमारे कृषि के तरीके, औजार एवं सिंचाई के साधन परम्परागत हैं और आज भी वैज्ञानिक विधियो का कृषिक्षेत्र में उपयोग बहुत कम ही हो पाता है। कृषि की मानसून पर निर्भरता ने भी अनिश्चितता को जन्म दिया है। यही कारण है कि अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या निर्धन है। ग्रामों में उद्योगों के अभाव तथा कृषि के पतन के कारण लोग रोजगार की तलाश में नगरों में आने लगते हैं। मशीनों के उपयोग से कुछ व्यक्तियों ने अधिकाधिक अन्न उत्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया है और शेष बेकार ग्रामीण व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिये आने लगे हैं। नगरों में आने पर भी वे अपनी ग्रामीण निवास की आदतें छोड़ नहीं पाते हैं और ऐसी बस्तियाँ बनाकर रहने लगते हैं जिन्हें 'ग्रामीण मलिन बस्तियाँ' कहा जाता है। श्री सिंह एवं सिंह (२०००:१४०) ने भी ग्रामीण बेकारी को मलिन आवासों के विकास में सहायक मानते हुऐ बताया है कि, "भारतीय निर्धन ग्रामों में व्यक्ति को कुछ ही महीने काम मिलता है और शेष माह वह बेरोजगारी के

अभिशाप भोगता है। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि व्यक्ति को खाली समय में काम मिल सके। इसलिये खेती के समय तो ग्रामीण व्यक्ति गांव में उपलब्ध रहता है उसके पश्चात वह नगरों में काम करने आ जाता है। इनमे से अधिकांश व्यक्ति रिक्शाचालक, ठेले खींचने वाले, खोमचा लगाने वाले या मिल में श्रमिक होते हैं अथवा कोई छोटा - मोटा कार्य करके अपनी जीविका अर्जित करते हैं। उनमें से अधिकांश व्यक्ति मलिन बस्तियों में रहते हैं क्योंकि यह उनकी विवशता है।''[1]

प्रस्तुत तालिका में मलिन आवासों की समस्या के लिये जिम्मेदार आर्थिक कारकों सस्ती आवासीय सुविधा तथा ग्रामीण बेकारी के प्रभाव पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है:-

तालिका संख्या - ५-२ (ब)

मलिन आवासों के विकास पर आर्थिक कारक सस्ती आवासीय सुविधा तथा ग्रामीण बेकारी के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण :-

क्रम संख्या	आर्थिक कारक	कम	सामान्य	अधिक	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	सस्ती आवासीय सुविधा	८ (२.६७%)	२८ (९.३३%)	२६४ (८८%)	३०० (१००%)
२.	ग्रामीण बेकारी	३८ (१२.६६%)	४४ (१४.६७%)	२१८ (७२.६७%)	३०० (१००%)

1. Singh V. N. and Singh Janmejay, (2000), Urban Sociology, Vivek Prakashan, Jawahar Nagar, Delhi-7, Page-140

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि मलिन आवासों की समस्या की उत्पत्ति तथा विकास के लिये उत्तरदायी आर्थिक कारक सस्ती आवासीय सुविधा के प्रभाव का स्तर २६४ उत्तरदाताओं ८८% की राय में अधिक, २८ उत्तरदाताओं ९.३३% की राय में कम था। इससे प्रमाणित होता है कि अधिकांश उत्तरदाता मानते थे कि मलिन आवासों की समस्या की उत्पत्ति के लिये सस्ती आवासीय सुविधा एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है।

इसी प्रकार जब उत्तरदाताओं से मलिन आवासों के विकास पर ग्रामीण बेकारी के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी जानकारी की गई तब ज्ञात हुआ कि २१८ उत्तरदाता ७२.६७% मानते थे कि मलिन आवाासों के विकास पर ग्रामीण बेकारी के प्रभाव का स्तर अधिक, ४४ उत्तरदाताओं १४.६७% के मतानुसार सामान्य तथा ३८ उत्तरदताओं १२.६६% की राय में कम था। सुस्पष्ट है कि मलिन आवासों की समस्या की उत्पत्ति तथा विकास में ग्रामीण बेकारी कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(३) सांस्कृतिक कारक :-

प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी संस्कृति से अवश्य जुड़ा होता है। संस्कृति का सम्बन्ध व्यक्ति, समाज एवं पर्यावरण से है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, भाषा, जीवन शैली आदि उसकी संस्कृति ही निश्चित करती है। मलिन आवासों की समस्या की उत्पत्ति एवं विकास के लिये भी कुछ सांस्कृतिक तत्त्व जिम्मेदार हैं जिन्हें सांस्कृतिक कारक कहते हैं। इन सांस्कृतिक कारकों के प्रमुख घटक क्षेत्रीयता की भावना, सांस्कृतिक पृथकता की भावना, समान व्यवसाय की भावना, सामुदायिकता, आदि है।

मलिन बस्तियों के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक क्षेत्रीयता की भावना भी है। क्षेत्रीयता की भावना का तात्पर्य है कि अपने क्षेत्र विशेष को दूसरे क्षेत्रों से श्रेष्ठ समझना तथा अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। चूँकि नगर में अनेक धर्म, सम्प्रदाय , जाति के व्यक्ति रहते हैं जिनकी अपनी भाषा, वेशभूषा, खानपान और व्यवहार करने का ढंग है। इनकी अपनी परम्पराऐं एवं रीतिरिवाज और विश्वास है। इसलिये नगर को 'विभिन्न संस्कृतियों का पुंज' कहा जाता है। इसलिये लोग अपने गाँव, भाषा, धर्म एवं क्षेत्र (प्रान्त) के लोगों के साथ रहना पसन्द करते है। चाहे यहाँ रहने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं भी हो। फलस्वरूप भीड़भाड़युक्त मलिन बस्तियों का जन्म तथा विकास होता रहता है।

सांस्कृतिक भिन्नता तथा पृथकता से भी मलिन बस्तियों का विकास होता है। भारतीय नगरों में यह बात विशेष रूप से पायी जाती है। यहाँ विभिन्न जातियों के अलग-अलग बाड़े अथवा मोहल्ले होते है। एक जाति के लोग एक स्थान पर ही रहते है। निम्न जातियों की बस्तियाँ अपेक्षाकृत अधिक दयनीय स्थिति में है। उच्च जातियों से सम्पर्क के अभाव में निम्न जाति के व्यक्ति निवास की उत्कृष्ट दशा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। नगरों में आने वाले प्रवासी भी सांस्कृतिक अलगाव की भावना के कारण अपनी संस्कृति के लोगों के पास ही रहना चाहते हैं। जिससे मलिन बस्तियों का उत्तरोत्तर विकास होता जाता है।

प्रस्तुत तालिका में मलिन आवासों के लिये उत्तरदायी सांस्कृतिक कारकों क्षेत्रीयता की भावना तथा सांस्कृतिक अलगाव के प्रभाव पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है :-

तालिका संख्या ५-३ (अ)

मलिन आवासों के विकास पर सांस्कृतिक कारकों क्षेत्रीयता की भावना तथा सांस्कृतिक पृथकता के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण :-

क्रम. सं.	सांस्कृतिक कारक	कम	सामान्य	अधिक	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	क्षेत्रीयता की भावना	७ (२.३३%)	६० (२०%)	२३३ (७७.६७%)	३०० (१००%)
२.	सांस्कृतिक पृथकता	४ (१.३३%)	४५ (१५%)	२५१ (८३.६७%)	३०० (१००%)

जब उत्तरदाताओं से मलिन आवासों के विकास पर सांस्कृतिक कारक क्षेत्रीयता की भावना के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी जानकारी की गई तब विदित हुआ कि २३३ उत्तरदाताओं ७७.६७ प्रतिशत का मानना था कि मलिन आवासों की समस्या के विकास पर क्षेत्रीयता की भावना का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसी प्रकार ६० उत्तरदाता २० प्रतिशत मानते थे कि क्षेत्रीयता की भावना का प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ७ उत्तरदाता २.३३ प्रतिशत मानते थे कि यह प्रभाव कम पड़ता है । इससे प्रमाणित होता है कि मलिन आवासों की समस्या की उत्पत्ति के सांस्कृतिक कारकों में क्षेत्रीयता की भावना एक महत्वपूर्ण कारक है। जिससे एक क्षेत्र अथवा प्रान्त के लोगों के बीच एक ही जगह साथ- साथ रहने की भावना के कारण मलिन आवासों में तीव्रतर विकास होता रहता है।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि मलिन आवासों की उत्पत्ति तथा विकास पर सांस्कृतिक पृथकता का कितना प्रभाव पड़ता है, तब ज्ञात हुआ कि २५१

उत्तरदाताओं ८३.६७ प्रतिशत का मानना था कि मलिन आवासों के विकास पर सांस्कृतिक पृथकता की भावना का प्रभाव अधिक पड़ता है, ४५ उत्तरदाताओं १५ प्रतिशत का मानना था कि यह प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ४ उत्तरदाताओं १.३३ प्रतिशत का मानना था कि क्षेत्रीयता की भावना का प्रभाव कम पड़ता है। सुस्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के मतानुसार सांस्कृतिक पृथकता एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कारक है जिसका प्रभाव मलिन आवासों के विकास पर अधिक पड़ता है।

मलिन आवासों के जन्म तथा विकास का एक कारक यह भी है कि नगरों में मजदूरों की संख्या अधिक होती है इसलिये अधिकतर मजदूर वर्ग के लोग मलिन आवासों में एक साथ ही रहना पसन्द करते है। उन लोगों का व्यवसाय एक ही होने के कारण इनमें घनिष्ठता की भावना तथा समूह भावना आ जाती है, जिसके कारण मलिन आवासों में भीड़भाड़ बढ़ जाती है तथा मलिन बस्तियों की वृद्धि होती जाती है।

नगरों में आने वाले प्रवासी लोग अधिकतर अपने चिर-परिचितों, सगे सम्बन्धियों के ही घर रहने का ठिकाना ढूँढते है। एक समुदाय में रहते हुये उनमें 'हम की भावना' आ जाती है। चाहे वह समुदाय जातिगत हो अथवा धर्मगत अथवा वर्गगत अर्थात नगरों में आने पर व्यक्ति अपनी जाति, रिश्तेदारी, धर्म, वर्ग आदि के लोगों के बीच बसना पसन्द करते है। अब चाहे वहाँ उनके लिये पर्याप्त, स्वच्छ तथा सुविधाओं युक्त आवास उपलब्ध हों अथवा नहीं । वे जैसे-तैसे सामुदायिक भीड़ -भाड़ तथा अभाव में ही खुशी-खुशी रहने लगते हैं। जिसके कारण मलिन बस्तियों का लगातार विस्तार होता ही जा रहा है।

प्रस्तुत तालिका मलिन आवासों के विकास पर एक समान कर्म कारिता तथा सामुदायिकता की भावना के प्रभाव पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या ५-३ (ब)

मलिन आवासों के विकास पर सांस्कृतिक कारकों एक समान कर्मकारिता तथा सामुदायिकता की भावना के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण

क्रम संख्या	सांस्कृतिक कारक	कम	सामान्य	अधिक	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	एक समान कर्मकारिता	२ (.६६%)	१४ (४.६७%)	२८४ (९४.६७%)	३०० (१००%)
२.	सामुदायिकता की भावना	१५ (३%)	२७ (९%)	२५८ (८६%)	३०० (१००%)

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट होता है कि मलिन आवासों की उत्पत्ति तथा विकास पर एक समान कर्मकारिता अर्थात् वहां रहने वाले लोगों का एक जैसे व्यवसाय से सम्बन्धित होने के प्रभाव का स्तर २८४ उत्तरदाताओं ९४.६७ प्रतिशत के मतानुसार अधिक, १४ उत्तरदाताओं ४.६७ प्रतिशत के मतानुसार सामान्य तथा २ उत्तरदाताओं .६६ प्रतिशत के अनुसार कम था। प्रमाणित होता है कि एक समान कर्मकारिता वाले लोगों में एक ही जगह साथ-साथ रहने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है जो मलिन आवासों के विकास में सहायक भूमिका अदा करती है।

इसी प्रकार जब उत्तरदातओं से मलिन आवासों के विकास पर सामुदायिकता की भावना के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी जानकारी की गई तब विदित हुआ कि २५८ उत्तरदाता ८६ प्रतिशत मानते थे कि मलिन आवासों के विकास पर सामुदायिकता की भावना का प्रभाव अधिक पड़ता है । २७ उत्तरदाता ९ प्रतिशत मानते थे कि सामुदायिकता की भावना का प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा १५ उत्तरदाताओं ३

प्रतिशत का मानना था कि कि मलिन आवासों के विकास पर सामुदायिकता की भावना का प्रभाव कम पड़ता है। स्पष्ट है कि सामुदायिकता की भावना एक प्रमुख सांस्कृतिक कारक है जो मलिन आवासों के विकास के लिए उत्तरदायी है।

(४) मनोवैज्ञानिक कारक :-

मानव व्यवहार भौतिक तथा मानसिक घटकों (शरीर और मन) की जटिल पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। यह व्यवहार अधिकांशतः समाज की अपेक्षाओं या मानदण्डों द्वारा निर्धारित होता है। व्यक्ति का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं, प्रेरणा, मनोवेग, मनोवृतियों, दृष्टिकोण आदि से भी प्रभावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनुभूतियों होती हैं, जीवन को देखने का अपना नजरिया होता है। जो उसकी भौतिक, मानसिक , शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। परन्तु असामन्जस्य के कारण व्यक्ति के सम्मुख कुछ समस्याऐं भी खड़ी हो जाती हैं जिनका कारण अन्ततः परिस्थिति विशेष में मानव व्यवहार होता है। मलिन आवासों की उत्पत्ति तथा विकास में भी मानव व्यवहारगत मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

पहले व्यक्ति को अपनी जमीन और घर की ड्योढ़ी से अत्यधिक लगाव था। वह किसी भी दशा में अपना गाँव तथा कस्बा छोड़ना नहीं चाहता था किन्तु औद्योगिक क्रान्ति और यातायात की बेहतर सुविधाओं ने व्यक्ति को नगरों में काम खोजने और नौकरी करने के लिये प्रेरित किया। नित्य लाखों व्यक्ति ग्रामीण अंचलों से नगर, एक नगर से दूसरे नगर और नगर से महानगर में काम की तलाश में जाते हैं। ग्रामीण व्यक्ति नगरों में इसलिये भी आ रहा है क्योंकि ग्रामों में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। चोरी और डकैती सामान्य बात है। डकैतों का बढ़ता आतंक ग्रामीणों को गाँव छोड़ने के लिये विवश करता है। नगर में प्रशासक, पुलिस

आदि की समुचित व्यवस्था है जो अपेक्षाकृत नागरिकों की सुरक्षा में अधिक सक्षम हैं इसीलिये नगरों की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और इसी के साथ मलिन बस्तियों की संख्या में भी। श्री तोमर एवं गोयल (१९९७:४२४) ने भी नगरीय आकर्षण की भावना को मलिन आवासों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के लिये जिम्मेदार मानते हुऐ लिखा हैं कि, ''नगरों में मलिन बस्तियों के विकास का एक कारक नगरीय आकर्षण भी है। इस आकर्षण को यातायात के साधनों ने और भी सुलभ बना दिया है। इस आकर्षण के कारण गाँव के लोग नगरों में आते हैं। सिनेमा, रेडियो, शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधाऐं बड़े नगरों की ओर लोगों को आकर्षित करती हैं।''[१]

इसी तथ्य पर श्री गुप्ता एवं शर्मा (२०००:१०६) ने भी प्रकाश डालते हुये बताया है कि, ''नगरों में मनोंरजंन, चिकित्सा, पुलिस, न्यायालय, नल, बिजली, शिक्षा आदि की सुविधाओं के कारण लोग आकर्षित होकर वहाँ निवास के लिये आते हैं। उनके लिये आवासों के अभाव में नगरों में मलिन बस्तियों का निर्माण और प्रसार होने लगता है।''[२]

मलिन आवासों की उत्पत्ति तथा विकास का एक मनोवैज्ञानिक कारक यह भी है कि मलिन आवासों मे रहते - रहते व्यक्ति की सोच, आदतें, रहन-सहन, दृष्टिकोण सभी में बड़ा परिवर्तन आता है तथा उसे निम्न स्तर में रहने में ही संतुष्टि मिलती है। यदि इन्हें अन्यत्र बसा दिया जाये तो भी इनकी जीवनशैली में कतई बदलाव नहीं आता है। श्री गुप्ता एवं शर्मा (२०००:१०६) ने भी इस पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार, ''मलिन बस्तियों के विकास का कारण लोगों का निम्न दशा में रहने का दृष्टिकोण भी है। लम्बे समय तक मलिन बस्तियों में रहने के कारण लोग

1. Tomar Rambihari Singh and Goyal Dwarika Das, (1997), Nagariya Samaj Viygan, Shri Ram Mehra and Company, Agra-3 Page - 424.
2. Gupta M.L. and Sharma D.D. (2000), Sociology, Sahitya Bhavan Publications, Agra, Page - 106.

इसी प्रकार से रहने के आदी हो जाते हैं और एक प्रकार का जीवन दृष्टिकोंण विकसित कर लेते हैं, वे उस बस्ती को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते हैं। किसी अन्य स्थान पर बसाने पर भी वे उसी प्रकार से रहना प्रारम्भ कर देते है।''[1] इसी प्रकार श्री तोमर तथा गोयल (१९९७:४२५) ने भी लिखा है कि, ''मलिन बस्तियों के विकास का एक कारण निम्न दशा में रहने का दृष्टिकोंण भी है। ऐसे लोगों का मलिन बस्तियों के प्रति झुकाव बढ़ जाता है। ग्रामीण निवास व्यवस्था का दृष्टिकोण और मलिन बस्तियों के दृष्टिकोण में सामन्जस्य हो जाता है और इस प्रकार मलिन बस्तियों के विकास को बल मिल जाता है।''[2]

प्रस्तुत तालिका मलिन आवासों के विकास पर नगरीय आकर्षण तथा निम्न दशा में रहने के दृष्टिकोण के प्रभाव पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या ५-४ (अ)

मलिन आवासों के विकास पर मनोवैज्ञानिक कारकों नगरीय आकर्षण तथा निम्न दशा में रहने के दृष्टिकोण के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण

क्रम संख्या	मनोवैज्ञानिक कारक	कम	सामान्य	अधिक	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	नगरीय आकर्षण	१४ (४.६६%)	३५ (११.६७%)	२५१ (८३.६७%)	३०० (१००%)
२.	निम्न दशा में रहने का दृष्टिकोण	२४ (८%)	४२ (१४%)	२३४ (७८%)	३०० (१००%)

1. Gupta M.L. and Sharma D.D. (2000), Sociology, Sahitya Bhavan Publications, Agra, Page - 107.
2. Tomar Rambihari Singh and Goyal Dwarika Das, (1997), Nagariya Samaj Vigyan, Shri Ram Mehra and Company, Agra-3, Page - 425

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि मलिन आवासों के विकास पर नगरीय आकर्षण का प्रभाव कितना पड़ता है, तब ज्ञात हुआ कि २५१ उत्तरदाताओं ८३.६७% का मानना था कि मलिन आवासों के विकास पर नगरीय आकर्षण का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसी प्रकार ३५ उत्तरदाताओं ११.६७ % का मानना था कि नगरीय आकर्षण का प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा १४ उत्तरदाताओं ४.६६% का मानना था कि नगरीय आकर्षण का प्रभाव कम पड़ता है।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि मलिन आवासों के विकास पर लोगों के निम्न दशा में रहने के दृष्टिकोण का कितना प्रभाव पड़ता है तब ज्ञात हुआ कि २३४ उत्तरदाताओं ७८ % का मानना था कि मलिन आवासों के विकास पर निम्न दशा में रहने के दृष्टिकोण का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसी प्रकार ४२ उत्तरदाताओं १४ % का मानना था कि प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा २४ उत्तरदाताओं ८% के अनुसार कम पड़ता है।

मनुष्य एक धुमन्तू प्राणी है। प्राचीनकाल में तो उसका जीवन खानाबदोश था। परन्तु ग्रामों तथा कृषिकार्य के उद्भव से वह एक स्थान पर ही रहने लगा। ग्राम पूर्णत: आत्मनिर्भर थे तथा आने जाने के उचित साधन उपलब्ध नहीं थे। इसलिये बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही ग्रामीणजन देशान्तरगमन करते थे। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् औद्योगीकरण की प्रक्रिया चालू होने तथा आवागमन के बेहतर साधन उपलब्ध होने से देशान्तरगमन अपेक्षाकृत सुलभ हो गया। कृषि का भी मशीनीकरण चालू होने से नगरों को देखने, जानने तथा मनोरंजन करने की इच्छा बलवती होने लगी। इसके कारण ग्रामीण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करने लगे। दूसरे स्थानों पर मकानों की कमी के कारण उन्हें मजबूरन मलिन आवासों में ही रहने को मजबूर होना पड़ा। श्री गुप्ता एवं शर्मा (२०००:१०७) ने भी

देशान्तरगमन की इच्छा की भूमिका को मलिन आवासों के विकास में महत्वपूर्ण मानते हुऐ लिखा है कि, ''आज लोगों में गतिशीलता बढ़ी है। यातयात की सुविधा ने भी इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया है। लोगों में देशान्तरगमन की बढ़ती प्रवृत्ति ने नगरों में बसने का आकर्षण पैदा किया और वहां मलिन बस्तियों को जन्म दिया। करोड़ों की संख्या में आये बांग्लादेशियों ने भी मलिन बस्तियों के विस्तार में योग दिया है।''[१] देशान्तरगमन की बढ़ती इच्छा पर प्रकाश डालते हुऐ श्री तोमर एवं गोयल (१९९७:४२५) ने भी बताया कि, ''आज देशान्तरगमन की चाह भी लोगों में अधिक पायी जाती है। नगरों का कौतूहल, व्यापारिक, पारिवारिक और प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण लोग देशान्तरगामी हो जाते हैं। इस प्रकार नगरों में इन देशान्तरगामियों के लिये रहने का कोई स्थान नहीं है। परिणामस्वरूप मलिन बस्तियाँ व अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली सघन बस्तियाँ बन जाती है।''[२]

अधिकांश व्यक्ति गांव घर छोड़ कर नगरों में रोजगार की तलाश में आते हैं। यहां उन्हें किसी न किसी तरह कारखानों, फैक्ट्रियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि में काम मिल ही जाता है अथवा वे हाथ ठेले चलाकर, सब्जी आदि बेचकर, कुलीगिरी, भार ढोने आदि कार्य करके अपना तथा अपने आश्रितों का पेट पालते हैं। इनमें से अधिकांश अपने कार्यस्थल के समीप ही रहना पसन्द करते हैं क्योंकि एक तो इनकी आमदनी इतनी नहीं होती है कि वे कार्यस्थल तक आने - जाने के किराये का बोझ बहन कर सकें दूसरे कार्यस्थल के समीप ही श्रमिक वर्ग खाली पड़ी भूमि पर अवैध कब्जा करके रहने के मकान बना लेते हैं जिनका किराया बहुत ही कम होता है तथा कभी - कभी बिल्कुल नहीं होता है। इससे एक तो कार्यस्थल तक जाने का इनका समय बचता है दूसरी ओर कम किराये में इन्हें सिर छुपाने की जगह मिल जाती है,

---

1. Gupta M.L. and Sharma D.D., (2000), Sociology, Sahitya Bhavan Publications, Agra, Page-107.
2 Tomar Rambihari Singh and Goyal Dwarika Das, (1997), Nagariya Samaj Vigyan, Shri Ram Mehra and Company, Agra-3, page - 425.

हालांकि ये स्थान अधिकतर गन्दगीयुक्त, भीड़ भाड़ युक्त होते हैं जहां आवश्यक सुविधाओं की कमी होती है। धीरे - धीरे इन स्थानों पर जनघनत्व बढ़ता जाता है तथा नयी - नयी मलिन बस्तियों की उत्पत्ति तथा पुरानी बस्तियों का विस्तार होता जाता है।

प्रस्तुत तालिका में मलिन आवासों के विकास पर देशान्तरगमन की इच्छा तथा आवासीय समीप्यता की भावना के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है :-

तालिका संख्या - ५.४ (ब)

मलिन आवासों के विकास पर मनोवैज्ञानिक कारकों देशान्तरगमन की इच्छा तथा आवासीय सामीप्यता की भावना के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण

क्रम सं.	मनोवैज्ञानिक कारक	कम	सामान्य	अधिक	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	देशान्तरगमन की इच्छा	४१ (१३.६६%)	४७ (१५.६७%)	२१२ (७०.६७%)	३०० (१००%)
२.	आवासीय कार्यस्थल-आवास सामीप्यता की भावना	३० (१०%)	११ (३.६७%)	२५९ (८६.३३%)	३०० (१००%)

जब उत्तरदाताओं से मलिन आवासों के विकास पर देशान्तरगमन की इच्छा के प्रभाव सम्बन्धी जानकारी की गयी तब ज्ञात हुआ कि २१२ उत्तरदाताओं ७०. ६७% के अनुसार मलिन आवासों के विकास पर देशान्तरगमन की इच्छा का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसी प्रकार ४७ उत्तरदाताओं १५.६७ % के अनुसार देशान्तरगमन

की इच्छा का प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ४१ उत्तरदाताओं १३.६६% के अनुसार कम पड़ता है।

इसी प्रकार जब उत्तरदाताओं से मलिन आवासों के विकास पर कार्यस्थल के समीप आवास बनाने की भावना के प्रभाव सम्बन्धी जानकारी की गयी तब ज्ञात हुआ कि २५९ उत्तरदाताओं ८६.३३ % का मानना था कि मलिन आवासों के विकास पर लोगों की कार्यस्थल के समीप रहने की भावना का प्रभाव अधिक पड़ता है। जबकि ३० उत्तरदाताओं १० % का मानना था कि कार्यस्थल के समीप रहने की भावना का प्रभाव कम पड़ता है तथा ११ उत्तरदाताओं ३.६७ % का मानना था कि प्रभाव सामान्य पड़ता है।

(५) अन्य कारक :-

मलिन आवासों की उत्पत्ति तथा विकास में अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मलिन आवासों के जन्म तथा विकास के सन्दर्भ में सरकार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। भारत एक प्रजातन्त्रिक देश है। यहां जनता को कई मूल अधिकार प्राप्त है। एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के रहने की उचित व्यवस्था करे। इसके लिये सरकार समय - समय पर अनेकों योजनाओं को लागू किया गया है। परन्तु सरकारी उपेक्षा भी मलिन बस्तियों की समस्या का एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत देश सन् १९४७ में आजाद हुआ था। तत्कालीन सरकार ने भारत के नियोजित विकास के लिये पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा आर्थिक विकास को गति प्रदान की। भारत में औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात होते ही नये नये उद्योगों की स्थापना हुई, नये कारखाने, फैक्ट्रियाँ आदि

स्थापित हुई जिससे नये - नये नगरो की स्थापना तथा पुराने नगरों की सीमाओं में वृद्धि हुई। नगरीकरण की प्रक्रिया ने नगरों में जनसंख्या वृद्धि दर को और तीव्र कर दिया। कारखानों मिलों आदि में कार्यरत श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुऐ १९७५ में राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम तथा १९७६ में भारतीय फैक्टरी अधिनियम बनाये गये। इन अधिनियमों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सामान्य कल्याण के सम्बन्ध में न्यूनतम स्तर निर्धारित किये गये। श्रमिकों के लिये स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण युक्त आवास बनाने पर जोर दिया गया। परन्तु इतना होने पर भी निरन्तर सरकारी उपेक्षा का परिणाम घातक ही हुआ। श्री गुप्ता एवं शर्मा (२०००:१०७) ने भी बताया है कि - ''मलिन बस्तियों के विकसित होने का एक कारण स्वयं सरकार द्वारा श्रमिकों एवं इन बस्तियों में सफाई - सुविधा, आदि के प्रति उपेक्षा बरतना है। सरकार यदि मकान मालिकों को निवास के निर्माण एवं सफाई के समुचित निर्देश दे और स्वयं भी उसके लिये स्वच्छ कालोनियाँ बनायें तो मलिन बस्तियां विकसित नहीं हो पायेंगी।''[1]

श्रमिकों एवं जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर मकान मालिक श्रमिको को अल्प सुविधाओं एवं दयनीय दशाओं वाले मकानों में रहने को बाध्य कर देते है। किराया लेने के बावजूद मकान में नल, बिजली, हवा, रोशनी एवं स्वास्थ्य प्रद वातावरण का अभाव पाया जाता है। वे हृदयहीन होकर अपने किरायेदारों का शोषण करते है। श्री सिंह एवं सिंह (२०००:१४१) ने इसी तथ्य पर प्रकाश डालते हुऐ लिखा है कि, ''मलिन बस्तियां व्यक्तिगत सम्पत्ति भी हैं। सैंकड़ों झुग्गी- झोपड़ियों, चेरी और अहातों के मालिक हैं। इन्हे किराये से मतलब है। किन दशाओं में व्यक्ति जीता और मरता है, इससे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि सरकार इन पर दबाव डालकर

1 Gupta M.L. and Sharma D.D., (2000), Sociology, Sahitya Bhavan Publications, Agra, Page-107.

इन मलिन बस्तियों की सफाई कराये तो शायद यहां इतनी गन्दगी न रह पाये अथवा सरकार इन मलिन बस्तियों को समाप्त कर वहीं पर श्रमिकों को छोटे - छोटे मकान बनवा दे तो भी ये मलिन बस्तियाँ बहुत कम हो सकती है।''[1] सुस्पष्ट है कि यदिसरकार जी-जान से मलिन बस्तियों की समस्या को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प करके जुट जाये तो मलिन बस्तियों की उत्पत्ति तथा दिनोंदिन होते विस्तार को रोका जा सकता है।

सरकार तंत्र की उपेक्षा के साथ ही नीति निर्धारकों द्वारा नगर नियोजन व्यवस्था को न अपनाने से भी मलिन बस्तियों की उत्पत्ति तथा विकास को बढ़ावा मिला है। अगर कोई नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाता है तो वहां प्रत्येक वर्ग (उच्च, मध्यम तथा निम्न व अतिनिम्न) के लोगों के रहने के लिये पर्याप्त स्थान होता है। परन्तु भारत में अधिकांश नगर धीरे - धीरे स्वत: ही विकसित हुऐ हैं। ऐसी दशा में मलिन बस्तियों का विकास भी तेजी से हुआ है। श्री सिंह एवं सिंह (२०००:४१) भी नगर नियोजन के अभाव को मलिन बस्तियों के विकास का कारक मानते हुऐ लिखते हैं कि, ''नगरों में यदि मलिन बस्तियों का विकास हो रहा है तो इसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व नगरपालिका और सरकार पर है। यदिनगर का विकास सुनियोजित और योजनाबद्ध ढंग से किया जाता तो मलिन बस्तियों का विकास शायद इस रूप में सम्भव न हो पाता और ये नरक और मानवता के कलंक न बन पातीं।''[2]

प्रस्तुत तालिका मलिन आवासों के विकास पर सरकारी उपेक्षा तथा नगर नियोजन के अभाव के प्रभाव पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

---

1. Singh V. N. and Singh Janmejay, (2000), Urban Sociology, Vivek Prakashan, Jawahar Nagar, Delhi-7, Page-141
2. Ibid, Page - 140-141.

तालिका संख्या - ५-५ (अ)

मलिन आवासों के विकास पर सरकार की उपेक्षा तथा नगर नियोजन के अभाव के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण

क्रम संख्या	अन्य कारक	कम	सामान्य	अधिक	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	सरकार की उपेक्षा	६ (२%)	१८ (६%)	२७६ (९२%)	३०० (१००%)
२.	नगर नयोजन का अभाव	३० (१०%)	१५ (५%)	२५५ (८५%)	३०० (१००%)

जब उत्तरदाताओं से मलिन आवासों के विकास पर सरकार की उपेक्षा के प्रभाव सम्बन्धी जानकारी की गयी तब ज्ञात हुआ कि २७६ उत्तरदाताओं ९२ % का मानना था कि मलिन आवासों के विकास पर सरकार की उपेक्षा का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसी प्रकार १८ उत्तरदाताओं ६% का मानना था कि सरकार की उपेक्षा का प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ६ उत्तरदाताओं २% का मानना था कि प्रभाव कम पड़ता है।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि मलिन आवासों के विकास पर नगर नियोजन के अभाव का कितना प्रभाव पड़ता है, तब ज्ञात हुआ कि २५५ उत्तरदाताओं ८५ % का मानना था कि मलिन आवासों के विकास पर नगर नियोजन के अभाव का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसी प्रकार ३० उत्तरदाताओं १० %

का मानना था कि नगर नियोजन के अभाव का प्रभाव कम पड़ता है तथा १५ उत्तरदाताओं ५ % का मानना था कि प्रभाव सामान्य पड़ता है।

मलिन आवासों की समस्या को जन्म देने तथा विकसित करने में वित्तीय संसाधनों की कमी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहले ही हमारे देश की जनसंख्या १ अरब से भी ज्यादा है दूसरे इसमें दिनों दिन वृद्धि ही होती जा रही है खास कर नगरीय जनसंख्या की। बढ़ती जनसंख्या के सापेक्ष हमारे संसाधन सीमित है। हमें हर वर्ष विदेशों से बड़ी मात्रा में कर्ज लेना पड़ता है। घाटे के बजट से कब तक हम विकास कार्यो को चालू रख सकेंगे। मलिन बस्तियों की समस्या को वित्तीय संसाधनों की कमी ने भी बढ़ाया है।

भारत सरकार ने मलिन बस्तियों की समस्या को सुलझाने के लिये नयी - नयी आवास योजनाओं को प्रारम्भ किया। परन्तु आवासीय योजनाओं को भली भांति चलाने में बरती गयी लापरवाही के द्वारा मलिन बस्तियों की समस्या सुलझ नहीं पा रही है। भ्रष्टाचार और लूट की संस्कृति की स्थापना, घोटालों तथा कमीशन खोरों की संख्या में बढ़ोत्तरी, भ्रष्ट कर्मचारी तंत्र, निर्धन जनता को लाभ न मिलना, फर्जी आंकड़े, रिपोर्ट में प्रस्तुत करना, सक्षम अनुभवी तथा ईमानदार व्यक्तियों की कमी, जनसंख्या वृद्धि, अल्पकालीन सरकारें व अदूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ, क्षेत्रीय असमानताऐं और क्षेत्रीय दलों के बढ़ते वर्चस्व आदि के कारण आवासीय योजनाओं का भली प्रकार क्रियान्वयन हो पाना बहुत मुश्किल है। जिसके कारण भी मलिन बस्तियों का विस्तार होता जा रहा है।

प्रस्तुत तालिका में वित्तीय संसाधनों की कमी तथा आवासीय योजनाओं के अक्रियान्वयन का मलिन आवासों के विकास पर प्रभाव सम्बन्धी प्रकाश डाला गया है :-

तालिका संख्या - ५-५ (ब)

मलिन आवासों के विकास पर वित्तीय संसाधनों के अभाव तथा आवासीय योजनाओं के अक्रियान्वयन के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण

क्रम सं.	अन्य कारक	कम	सामान्य	अधिक	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	वित्तीय संसाधनों का अभाव	४० (१३.३३%)	२५ (८.३३%)	२३५ (७८.३४%)	३०० (१००)
२.	आवासीय योजनाओं का अक्रियान्वयन	३ (१%)	१० (३.३३%)	२८७ (९५.६७%)	३०० (१००%)

जब उत्तरदाताओं से मलिन आवासों की समस्या के विकास पर आवासीय योजनाओं हेतु वित्तीय संसाधनों की कमी के प्रभाव सम्बन्धी जानकारी की गई तब विदित हुआ कि २३५ उत्तरदाताओं ७८.३४ % के मतानुसार मलिन आवासों के विकास पर वित्तीय संसाधनों की कमी का प्रभाव अधिक पड़ता था, ४० उत्तरदाताओं १३.३३ % का मानना था कि वित्तीय संसाधनों की कमी का प्रभाव कम पड़ता है तथा २५ उत्तरदाता ८.३३ % मानते थे कि मलिन आवासों के विकास पर वित्तीय संसाधनों की कमी का प्रभाव सामान्य पड़ता है। स्पष्ट है कि मलिन आवासों के विकास में वित्तीय संसाधनों की कमी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है।

इसी प्रकार जब उत्तरदाताओं का मलिन आवासों के विकास पर आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरते जाने के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी अध्ययन किया गया तब ज्ञात हुआ कि २८७ उत्तरदाताओं ९५.६७ % का मानना था कि मलिन आवासों के विकास पर आवासीय योजनाओं के अक्रियान्वयन का प्रभाव अधिक पड़ता है, १० उत्तरदाताओं ३.३३ % का मानना था कि मलिन आवासों के विकास पर प्रभाव सामान्य तथा ३ उत्तरदाता १ % मानते थे कि योजनाओं के अक्रियान्वयन का मलिन आवासों के विकास पर प्रभाव कम पड़ता है। सुस्पष्ट है कि मलिन आवासों के विकास में आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती जाना एक महत्वपूर्ण कारक है।

****

अध्याय-६

मलिन आवासों के निवासियों की समस्याऐं

* मनोवैज्ञानिक समस्याऐं
* पारिवारिक समस्याऐं
* सामाजिक समस्याऐं
* आर्थिक समस्याऐं
* पर्यावरणीय अस्वच्छता की समस्याऐं
* जनसंख्यात्मक समस्याऐं

अध्याय-६

मलिन आवासों के निवासियों की समस्याएं

समाज में सदैव कोई न कोई समस्या उत्पन्न होती ही रहती है तथा यही समस्याऐं उस समाज के समक्ष एक चुनौती के रूप में सामने आती हैं। ये चुनौतियां वे होती हैं जो कि उस समस्या विशेष से जुड़ी होती हैं तथा इन्हीं समस्याओं में वे तत्व भी निहित होते हैं जो कि समाज की प्रगति में बाधक होते हैं। किसी भी समाज की प्रगति हेतु व उस समाज में रहने वाले प्राणियों के उच्च स्तर को बनाये रखने हेतु यह आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी होता है कि हम उन समस्त समस्याओं का अध्ययन बारीकी से करें यदि हम इन समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित नहीं करते हैं तो ये समाज को संकटपूर्ण परिस्थितियों की तरफ धकेल देती हैं। मादक द्रव्यों का सेवन, मद्यपान, आतंकवाद, गरीबी, अशिक्षा, अपराध आदि व्यक्तिगत समस्याएं नहीं हैं किन्तु जनसाधारण को सामान्य रूप से प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत समस्या वह है जो एक व्यक्ति या एक समूह को प्रभावित करती है और उसका समाधान उस व्यक्ति/समूह के निकटतम वातावरण में होता है। इसके विपरीत सामाजिक समस्याऐं वह हैं जिसका पूरे समाज पर या समाज की बड़ी संख्या पर प्रभाव पड़ता है। एक समाजशास्त्री का लक्ष्य यह जानना होता है कि समाज की संरचनाओं के कार्य निर्वाह में ये समस्याऐं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। वह (समाज शास्त्री) समाज में आपसी सम्बन्धों के विभिन्न संरूपों की कार्यप्रणाली का तथा लोगों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, का अध्ययन करता है। वह इन समस्याओं के समाधान के लिये यह देखता है कि सामाजिक संरचनाओं का किस प्रकार पुनगर्ठन हो सकता है एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की किस प्रकार पुनः संरचना हो सकती है। सिद्धान्त को

प्रयोग से जोड़ने के फलस्वरूप समस्या के समाधान के लिये एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य मिल जाता है।

सामाजिक समस्या की परिभाषा करते हुऐ वाल्श और फरफे (१९६१:१) ने लिखा है कि, ''सामाजिक आदर्श का विचलन सामाजिक समस्या है जो सामूहिक प्रयत्न से ठीक हो सकती है।''[१] इस परिभाषा के दो तत्व महत्वपूर्ण है :- (i) एक स्थिति जो आदर्श से कम है, यानि कि जो अवांछनीय या असाधारण है, और (ii) जो सामूहिक प्रयत्न से ठीक हो सकती है। यह स्पष्ट है कि सामाजिक आदर्श कोई मनमाना विचार या मत नहीं है और 'सामाजिक समस्या' शब्द उसी विषय के लिये उपयोग किया जाता है जिसे सामाजिक आचार- शास्त्र (जो सामूहिक सम्बन्धों में आचार - व्यवहार को सही और गलत बतलाता है) और समाज (जो सार्वजनिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखता है) प्रतिकूल समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन नई स्थितियों को जन्म देता है जिनमें एक घटना एक सामाजिक समस्या बन जाती है।

श्री फुलर और मेयर्स (१९४१:३२०) ने सामाजिक समस्या की परिभाषा करते हुऐ कहा है कि, ''यह वह स्थिति है जिसे व्यक्तियों की बड़ी संख्या आकांक्षित सामाजिक मानदण्डों से विचलन मानती है।''[२] इसी तरह रेनहार्ट (१९५२:१४) ने सामाजिक समस्या की यह कहकर व्याख्या की है कि, ''यह वह स्थिति है जिससे समाज का एक खण्ड या एक बड़ा भाग प्रभावित होता है और जिसके ऐसे हानिकारक परिणाम हो सकते हैं अथवा होते हैं जिनका सामूहिक रूप से समाधान संभव है।''[३]

---

1. Walsh, Mary E. and Furfey, Paul H., (1961), Social Problems and Social Action (3rd Ed.) Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jerrsey.
2. Fuller, Richard C. and Myres, Richard R., (1941), The Natural History of a Social Problem, American Sociological Review.
3. Reinhardt, James M., Meadows Paul and Gillette, John M., (1952), Social Problems and Social Policy, American Book Co., New York.

इस प्रकार किसी सामाजिक समस्यात्मक स्थिति के लिये कोई एक या कुछ व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होते और इस पर नियन्त्रण पाना एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। इसका उत्तरदायित्व सामान्य रूप से पूरे समाज पर होता है।

श्री मर्टन और निस्बट (१९७१:१८४) ने सामाजिक समस्या को मानव व्यवहार का विशेष रूप बताते हुऐ लिखा है कि, सामाजिक समस्या व्यवहार का एक ऐसा रूप है जिसे समाज का एक बड़ा भाग व्यापक रूप से स्वीकृत एवं अनुमोदित मानदण्डों का उल्लंघन मानता है।''[१] कुछ समस्याऐं व्यक्तियों के असाधारण और विचलित व्यवहार से पैदा नहीं होतीं परन्तु साधारण और स्वीकृत व्यवहार से होती हैं। श्री राब और सेल्जनिक (१९५९:३२) का कहना है कि, ''सामाजिक समस्या मानव सम्बन्धों की वह समस्या है जो समाज को संकट में डालती है या कई लोगों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं को प्राप्त करने में रूकावट पैदा करती है।''[२]

श्री कार (१९५५:३०६) ने सामाजिक समस्याओं के प्रादुर्भाव पर प्रकाश डालते हुऐ लिखा है कि, ''सामाजिक समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब हम किसी कठिनाई के प्रति चेतन हो जाते हैं, जब हमारी अभिरूचियों और यथार्थता के बीच खाई आ जाती है।''[3] श्री हर्बर्ट ब्लूमर (१९७१:१९) ने सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र पर विधिवत प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि, ''सामाजिक समस्याओं में वे कार्य और व्यवहार के संरूप आते हैं जिन्हें बड़ी संख्या में लोग समाज के प्रति घातक मानते हैं या सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन समझते हैं और जिन्हें सुधारना वे संभव और वांछनीय मानते हैं।''[४]

---

1. Merton and Nisbet, (1971), Contemporary Social Problem, Harcourt Brace, new York.
2. Raab, Earl and Seizhick, G.J., (1959), Major Social Problems, Row Peterson and Co., Illinois.
3. Carr, Lowell J., (1955), Analytical Sociology, Harper, New York.
4. Blumer, H. and Hruser, O., (1933), Movies, Delinquency and Crime, The Macmillan CO., New York.

इस प्रकार सामाजिक समस्याऐं आदर्श स्थिति से विचलन तो हैं ही साथ ही उनकी उत्पत्ति का कोई समान आधार अवश्य होता है। सभी सामाजिक समस्याऐं अन्तसम्बन्धित होती हैं और इनका प्रभाव समाज के सभी खण्डों (पक्षों) पर पड़ता है। इनका दायित्व समाज पर है और इनके निवारण के लिये सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है। भारत में सामाजिक समस्याओं की प्रकृति विश्व के अन्य देशों के पूर्णतया भिन्न नहीं हैं, फिर भी यहां समस्याओं की प्रकृति में कुछ तो अन्तर अवश्य पाया जाता है, जिसका कारण संस्कृति की भिन्नता, सामाजिक व्यवस्था की भिन्नता तथा अन्य राजनीतिक और ऐतिहासिक भिन्नताऐं है। उदाहरण स्वरूप - बेरोजगारी, जुआ, अपराध आदि समस्याऐं सभी देशों की सामाजिक समस्याओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। परन्तु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की भिन्नताओं के परिणामस्वरूप इन समस्याओं की व्यापकता व उनके उत्तरदायी कारणों में अन्तर पाया जाता है। इसलिये नीग्रो प्रजाति की समस्या अमेरिका में पाई जाती है, भारत में नहीं। परन्तु मलिन आवासों की समस्या एक सार्वभौमिक समस्या है किन्तु विभिन्न देशों में इसकी प्रकृति तुलनात्मक रूप से भिन्न - भिन्न है।''[१]

सामाजिक समस्याओं को विकृत सामाजिक स्थितियाँ जन्म देती हैं। ये सभी समाजों में उत्पन्न होती हैं, चाहे वे (समाज) साधारण हों (यानि कि छोटे, पृथक, समरूप समाज हों जिनमें सामूहिक एकात्मकता की दृढ़ भावना होती है और जिनमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है) या जटिल हों (जिनमें अवैयक्तिक, द्वैतीयक सम्बन्ध, गुमनामी, एकाकीपन, तीव्र गतिशीलता और अत्यधिक विशेषज्ञता होती हैं और जिनमें परिवर्तन अधिक शीघ्र होता है) यानि कि जहां कहीं भी और जब भी व्यक्तियों के समूह में सम्बन्ध प्रभावित होते हैं। जिससे कुसमायोजन और संघर्ष उत्पन्न होते हैं।

---

1. Madan, G.R., (2002), Indian Social Problems, Vol.-1, Sixth Ed., Allied Publishers Pvt. Limited, New Delhi, Page - 5

श्री राम आहूजा (२००२:१०) ने सामाजिक समस्याओं के कारणात्मक तत्वों पर प्रकाश डालते हुए तीन कारक महत्वपूर्ण बताये जो निम्नवत है :-

१- कारणात्मक स्थितियां जो बड़ी संख्या में होती हैं जिन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है; एक जो व्यक्तियों में पाये जाते हैं और दूसरे जो सामाजिक वातावरण में मिलते हैं।

२- सामाजिक समस्याऐं सामान्य कारणात्मक तत्वों को एक सशक्त आधार प्रदान करती हैं।

३- सामाजिक समस्याऐं इस अर्थ में परस्पर सम्बन्धित और एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं कि वे संचित रूप से प्रोत्साहक और उत्तेजक होती हैं, अथवा वे एक दूसरे को विकसित एवं प्रोत्साहित करती हैं।''[१]

श्री रेनहार्ट[२] (१९५२:७-१२) ने सामाजिक समस्याओं के विकास में तीन तत्वों का उल्लेख किया है :-

(i) स्वार्थो और क्रियाओं का विभेदीकरण और गुणन -

यह सिद्धान्त कि एक मशीन या जीवित प्राणी में जितने अधिक भाग होते हैं, उतनी ही अधिक उसके भागों में असंतुलन की सम्भावना होती है, मानव समाजों पर भी लागू होता है जहां विभिन्न व्यक्तियों, समुदायों, संस्थाओं और व्यवस्थाओं के स्वार्थो में टकराव के अवसर अधिक होते हैं। अस्पृश्यता, साम्प्रदायिक दंगे आदि ऐसी ही सामाजिक समस्याऐं हैं जो विभिन्न जातियों और वर्गो के स्वार्थो के संघर्ष से उत्पन्न होती है।

(ii) सामाजिक परिवर्तन और सभ्यता के विकास की आवृत्ति को त्वरित करना:-

यह वैज्ञानिक और मशीनी नवाचारों के बाहुल्य से सम्भव हुआ है। उदाहरण स्वरूप, मशीनों के नवाचारों ने रोजगार के कई पुराने ढांचों को समाप्त कर दिया है

---

1. Ahuja, Ram, (2002), Social Problems, 2nd Ed., Rawat Publications, New Delhi, page - 10
2. Reinhardt, james M., Meadws Paul and Gillette, John M., (1952) Social Problems and Social Policy, American Book CO., New York, page - 7-12.

जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों को प्रवास करना पड़ा और इससे विभिन्न वर्गो में संघर्ष उत्पन्न हुऐ। इस प्रकार क्रान्तिकारी आविष्कारों से उत्पन्न हुए सरंचनात्मक और प्रकार्यात्मक कुसमायोजन कई सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं।

(iii) वैज्ञानिक विश्लेषण करने की मानव की विकसित अन्तर्दृष्टि :- जब से मानव ने प्रकृति की गतिविधि का अध्ययन करने के लिये सामाजिक अन्तर्दृष्टि विकसित की है उसके फलस्वरूप वे विषय जो पहले साधारण समझे जाते थे, अब कई प्रकार की उन प्राकृतिक स्थितियों के कारणवश आवश्यक समझे जाते हैं जो मानव और समाज को प्रभावित करते हैं।

किसी भी समाज के व्यक्तियों में समान व्यवहार, विचार दृष्टिकोण आदत आदि नहीं होते हैं। उनके व्यवहार को अनियन्त्रित होने से रोकने के लिये सामाजिक नियमों, मूल्यों, विश्वासों, परम्पराओं आदि को लागू किया जाता है। परन्तु जब समाज अपनी प्रचलित मान्यताओं अथवा मूल्यों का संतुलन परिवर्तित होते हुऐ मूल्यों से करने में असमर्थ रहता है, तब समस्याऐं उठ खड़ी होती हैं। इस प्रकार की स्थिति में समाज के विभिन्न वर्गो, संस्थाओं एवं मूल्यों में तथा कार्य व पदों में संघर्ष उत्पन्न होता है। यह संघर्ष व्यक्तियों के व्यवहारों को समाज के प्रचलित व्यवहार प्रतिमानों से विचलित करता है। जितनी तीव्रता से समाज के अन्दर विचलित व्यवहारों में वृद्धि होती है उतनी ही तीव्रता से यह समाज बिखरने - टूटने लगता है। समाज के विभिन्न अंगों में संघर्ष, भ्रम, तनाव, अलगाव आदि चीजें उत्पन्न होने लगती हैं, ये चीजें सामाजिक कार्यो में गतिरोध उत्पन्न करती है; साथ ही व्यक्ति के व्यवहारों को भी परिवर्तित करती हैं। जिसके परिणामस्वरूप समाज में अनेक समस्याऐं जैसे - सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक समस्याऐं उत्पन्न हो जाती हैं। जिन्हें सामूहिक प्रयत्नों द्वारा दूर करने के प्रयास किये जाते हैं।

भारतीय समाज में काफी तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन समाज में नवीन मूल्यों, मान्यताओं, विचारों एवं दृष्टिकोण, मनोवृत्तियों आदि को उत्पन्न कर रहे हैं। भारतीय नगरीय समाज में नैतिकता, धर्म, रहनसहन, मूल्य - विचार, आर्थिक- सामाजिक तथा राजनैतिक ढांचा सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, जिसकी न कोई निश्चित दिशा दिखाई दे रही है और न कोई स्पष्ट उद्देश्य। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप भारतीय समाज भी अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। इनमे से औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न मलिन आवासों के निवासियों की समस्या भी एक है। मलिन आवासों के निवासियों को अनेकों सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आदि समस्याओं का सामना प्रतिदिन- प्रतिपल करना पड़ता है। मलिन आवासों के निवासियों की विभिन्न समस्याओं पर प्रस्तुत शोध अध्ययन में संक्षिप्त प्रकाश डालने का लघु प्रयास किया गया है। मलिन आवासों के निवासियों की विभिन्न समस्याओं का विवरण इस प्रकार है :-

१- मनोवैज्ञानिक समस्याऐं :-

मलिन आवासों के निवासी अनेक मनोवैज्ञानिक समस्याओं से घिरे रहते हैं। आधुनिक युग में सामाजिक मूल्यों तथा मान्यताओं में आमूल परिवर्तन हुऐ हैं। जिसके कारण व्यक्तिवाद की भावना प्रबल होती जा रही है। व्यक्ति अपने में ही लीन है और केवल अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिये प्रयास करते हैं। अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिये उसे प्रतिस्पर्द्धा, संघर्ष, लड़ाई झगड़े , अपराध आदि सब कुछ करने पड़ते हैं। इससे वह अपने जीवन में अनेकों भ्रम तथा तनाव व अलगाव की भावना को झेलता है। ऐसे में ये लोग दूसरों का भावात्मक समर्थन चाहते हैं। ऐसा न होने पर अकेलेपन व तनाव भरी जिंदगी से दूर होने के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में अनेक बुरी आदतों को अपना लेते हैं।

मद्यपान एक सामाजिक समस्या के रूप में, जटिल समाज का प्रदर्शन है। आज के जटिल समाज में इसने एक सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लिया है। अत्यधिक मद्यपान के कारण व्यक्ति का अपने प्राथमिक समूह से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। व्यक्ति मद्यपान अपनी भावनाओं की सन्तुष्टि के लिये भी करता है जो उसे अपने परिवार तथा अन्य प्राथमिक समूहों से उपलब्ध नहीं होती। परेशानियां, चिन्ता, दु:ख व्यक्ति में रोषपूर्ण अवस्थाओं का सृजन करते हैं। ऐसी अवस्था में मद्यपान से व्यक्ति को राहत मिलती है। लेकिन मद्यपान द्वारा व्यक्ति को कृत्रिम उत्तेजना मिलती है। अत: व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है।

मलिन आवासों के निवासियों की एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक समस्या धूम्रपान भी है। धूम्रपान का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू तथा सिगार आदि का प्रयोग करना है। इनमें तम्बाकू आदि तत्व होते हैं जिसके सेवन से हृदय एवं फेफड़े खराब होने का डर रहता है, जिसकी वजह से हृदय रोग, अस्थमा तथा कैंसर तक हो जाते हैं। मलिन आवासों के निवासियों की यह एक बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या जुआ भी है। जुआ एक प्रकार का विकृत मनोरंजन और 'भाग्यवादी' धारणा का प्रतीक है। अकर्मण्य व्यक्ति बिना काम किये धन कमाने के लिये दिवास्वप्न देखा करते हैं और बिना पसीना बहाये बुद्धि का दुरूपयोग करके भी अपने भाग्य की बाजी लगाते हैं। जुआ सामाजिक ढांचे और सामाजिक व्यवस्था के दोषों का परिणाम है। जुआ वह व्यक्ति भी खेलता है जो जीवन की वास्तविक अवस्थाओं में पराजित हो जाताहै और वह निराश हो जाता है। वह जुऐ द्वारा अपनी खोई हुई सम्पत्ति तथा विजय की भावना को पुन: प्राप्त करना चाहता है जुऐ का सामाजिक विश्लेषण उसके आर्थिक पहलुओं से सम्बन्धित है। धन के लालच में व्यक्ति असामाजिक साधनों से धन कमाने की

सोचता है और जुआ खेलता है। व्यक्ति अपने फालतू समय को, अपनी निराशा की घड़ियों को काटना और भुलाना चाहता है। सहयोगियों का प्रभाव तथा उनकी संगति ऐसे व्यवहार के लिये उत्तरदायी हो सकते हैं। व्यक्ति जुऐ में पड़कर परिवार की आवश्यकताओं की अवहेलना करता है, पैसे की कमी में चोरी और डाके डालता है। झूठ बोलना उसके लिये आम बात होती है। हारा हुआ जुआरी अपनी निराशा को मिटाने के लिये मद्यपान और वेश्यागमन करता है, कभी - कभी वह आत्महत्या तक कर बैठता है। जुआ व्यक्ति की प्रवृत्ति में ऐसे परिवर्तन ला देता है जो उसकी जिन्दगी को कष्टकारी बना देते हैं। मलिन आवासों के निवासियों में जुआखोरी की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है।

मलिन आवासों के निवासियों के बच्चों में आवारापन एक बड़ी समस्या बन गई है। आवारा बालक उसे कहते हैं जो बिना मां बाप की आज्ञा के घर से अलग रहता है अथवा घर से अलग रहने का सदैव प्रयत्न करता है। आवारा बच्चे आमतौर से इधर - उधर बिना काम के घूमते रहते हैं। बे बहुधा रेलवे स्टेशनों, कारखानों के निकट, मलिन बस्तियों में, बाजारों, पार्कों में घूमते हुऐ दिखाई पड़ते हैं। एक सर्वेक्षण जे०के० इन्स्टीट्यूट द्वारा लखनऊ तथा कानपुर नगर में किया गया, जिसके द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि सबसे अधिक आवारा १३-१४ वर्ष की आयु के बच्चे थे। आमतौर पर इनमें ७-८ वर्ष की आयु से ही आवारपन शुरू होता है जो १४-१५ वर्ष तक पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है।[1] प्राय: मलिन बस्तियों में सामाजिक पारिवारिक नियन्त्रण शिथिल होने के कारण अधिकांश बच्चे तथा वयस्क बिना काम के इधर - उधर घूमते रहते हैं। गलत कार्यों में भागीदारी के अन्तर्गत चोरी करना, झूठ बोलना, वेश्यावृत्ति आदि आदतें सम्मिलित हैं। गन्दे वातावरण में रहने के कारण लोगों की मनोवृत्ति इस तरह की हो जाती है और उनका नैतिक पतन हो जाता है। डॉ० राधाकमल मुखर्जी ने

1. Jeetkrishna Singh, (1977), Criminology, Publication, New Building, Aminabad, Lucknow.

अपने अध्ययन में बताया कि, ''मिदनापुर से बंगाल के जूट मिलों में काम करने वाली ३०० स्त्रियों में से १०० स्त्रियां अर्थात् तीन में से एक स्त्री वेश्यावृत्ति करती थी और हुगली में जितने परिवार पैदा हुऐ हैं, उनमें चार में से एक स्त्री वेश्यावृत्ति करती थीं।''[1] एक ही कमरे में जब परिवार के सभी सदस्य रहते हैं और वयस्क व्यक्तियों के यौन व्यवहारों को बच्चे देखते हैं तो उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि मलिन बस्तियों में गलत कार्यो में भागीदारी की सम्भावना बढ़ जाती है।

प्रस्तुत तालिका में मलिन आवासों के निवासियों की मद्यपान, धूम्रपान, द्यूतक्रीड़ा, आवारागर्दी तथा गलत कार्यो में भागीदारी की मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है :-

तालिका संख्या - ६.१ (अ)

उत्तरदाताओं की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का विवरण

क्रम सं०	मनोवैज्ञानिक समस्याऐं	कभी-कभी	अक्सर	प्रतिदिन	बिल्कुल नहीं	कुल योग
		आवृत्ति (प्रतिशत)	आवृत्ति (प्रतिशत)	आवृत्ति (प्रतिशत)	आवृत्ति (प्रतिशत)	आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	मद्यपान	७६ (२५.३३%)	८८ (२९.३३%)	७० (२३.३४%)	६६ (२२%)	३०० (१००%)
२.	धूम्रपान	२५ (८.३३%)	२९ (१३%)	१७३ (५७.६७%)	६३ (२१%)	३०० (१००%)
३.	द्यूतक्रीड़ा	८९ (२९.६६%)	१०८ (३६%)	५० (१६.६७%)	५३ (१७.६७%)	३०० (१००%)
४.	बाल आवारापन	११८ (३९.३३%)	५९ (१९.६७%)	६७ (२२.३३%)	५६ (१८.६७%)	३०० (१००%)
५.	अकार्यो में भागीदारी	१४८ (४९.३३%)	४१ (१३.६७%)	४४ (१४.६७%)	६७ (२२.३३%)	३०० (१००%)

1. Mukharjee, Radhakamal, (1960), Indian Working Class.

चयनित ३०० उत्तरदाताओं से मद्यपान की समस्या सम्बन्धी जानकारी करने पर विदित हुआ कि ८८ उत्तरदाता २९.३३% अकसर मद्यपान करते थे, ७६ उत्तरदाता २५.३३% कभी - कभी मद्यपान करते थे तथा ७० उत्तरदाता २३.३४ % ऐसे थे जो प्रतिदिन मद्यपान किया करते थे। अतः सुस्पष्ट है कि मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से ७८% उत्तरदाता मद्यपान करते थे। जबकि मात्र ६६ उत्तरदाता २२% ही ऐसे थे जो मद्यपान बिल्कुल नहीं करते थे।

इसी प्रकार जब उत्तरदाताओं में धूम्रपान के स्वभाव की जानकारी की गई तब ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक १७३ उत्तरदाता ५७.६७% प्रतिदिन धूम्रपान करते थे, ३९ उत्तरदाता १३% अकसर तथा २५ उत्तरदाता ८.३३% कभी - कभी धूम्रपान कर लिया करते थे। इससे प्रमाणित होता है कि मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में ७९% निवासी धूम्रपान करते थे तथा मात्र ६३ उत्तरदाता २१% धूम्रपान बिल्कुल नहीं करते थे।

जब उत्तरदाताओं के बच्चों में जुआ खेलने की समस्या सम्बन्धी अध्ययन किया गया तब विदित हुआ कि सर्वाधिक १०८ उत्तरदाता ३६% अकसर ही जुआ खेलते थे, ८९ उत्तरदाता २९.६६% कभी - कभी तथा ५० उत्तरदाता १६.६७% तो प्रतिदिन ही जुआ खेलते थे। स्पष्ट है कि मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में ८२.३३% निवासी जुआ खेलते थे जबकि मात्र ५३ उत्तरदाता ही १७.६७% जुआ बिल्कुल नहीं खेलते थे।

उत्तरदाताओं के बच्चों में आवारागर्दी की समस्या का अध्ययन करने पर विदित हुआ कि सर्वाधिक ११८ उत्तरदाताओं के बच्चे ३९.३३% बिना कार्य के कभी - कभी इधर - उधर घूमते थे, ६७ उत्तरदाताओं के बच्चे २२.२३% प्रतिदिन तथा ५९ उत्तरदाताओं के बच्चे १९.६७ % अकसर ही बिना मतलब इधर - उधर घूमा

करते थे जबकि ५६ उत्तरदाताओं के बच्चों १८.६७% में ही आवारागर्दी की समस्या नहीं थी।

उत्तरदाताओं से उनकी बस्ती के लोगों के द्वारा गलत कार्यो में भाग लेने सम्बन्धी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक १४८ उत्तरदाताओं ४९.३३% का मानना था कि उनकी बस्ती के लोग कभी - कभी गलत कार्यो में भाग लेते थे, ४४ उत्तरदाताओं १४.६७% के अनुसार प्रतिदिन तथा ४१ उत्तरदाताओं १३.६७% के अनुसार बस्ती के लोग अकसर ही गलत कार्यो में हिस्सा लेते थे। जबकि ६७ उत्तरदाताओं २२.३३% का मानना था कि उनकी बस्ती के लोग गलत कार्यो में कभी भी भाग नहीं लेते थे।

आदिकाल से मनुष्य नशीले पदार्थो का सेवन करता रहा है। नशे के लिये केवल शराब का ही प्रयोग नहीं किया जाता है, वरन् अन्य वस्तुओं जैसे - अफीम, गांजा, चरस, भांग, कोकीन, हशीश, ब्राउन शुगर, मारफीन आदि का भी सेवन किया जाता है। इन्हें 'मादक द्रव्य' कहा जाता है। ''मादक द्रव्य वे रासायनिक पदार्थ हैं जो व्यक्ति के कार्यो एवं प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इन्हें 'संवेदन मंदक औषधि' (Narcotic drugs) भी कहा जाता है।'' एक अन्य दृष्टिकोण से मादक पदार्थ वे रसायन हैं जो व्यक्ति की मन: स्थिति स्नायुमण्डल, शरीर के कार्य, अनुभवजन्यता व चेतना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जो व्यक्ति या समाज के लिये हानिकारक हो सकते हैं और जिसमें दुरूपयोग की क्षमता होती है। अवैध मादक पदार्थो का उपयोग या वैध मादक पदार्थो का दुरूपयोग, मादक पदार्थो का दुष्प्रयोग कहलाता है जिससे शारीरिक व मानसिक हानि होती है। गेंग्रेड और गुप्ता ने दिल्ली में १९७० के दशक में ४००० औद्योगिक श्रमिकों का एक अध्ययन किया था जिसमें उन्होंने पाया कि: (अ) मादक द्रव्य सेवनकर्ताओं में से बहुतों ने इसे बिना चिकित्सीय नुस्खे के आरम्भ किया था, (ब) सेवनकर्ताओं में से अधिकांश २० और ३० आयु वर्ग के थे, (स) तीन - चौथाई

से अधिक श्रमिकों ने श्रमिक बनने के उपरान्त ही मादक द्रव्यों का सेवन आरम्भ किया था (द) दो - तिहाई ने मित्रों और सह-श्रमिकों के सुझाव पर मादक पदार्थ लेना शुरू किया था और (य) उप - सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उच्च आय, शिक्षा का निम्न स्तर और मित्र समूहों का दबाव इनमें मादक द्रव्यों के सेवन के मुख्य कारक हैं। सेवन किये जाने वाले मादक द्रव्यों की किस्मों के सन्दर्भ में गेंग्रेड ने पाया कि अध्ययन किये गये श्रमिकों के सेम्पल में से ६५ % शराब, १८ % चरस, ८ % भांग, ७ % गांजा और २ % अफीम लेते हैं। एक श्रमिक एक महीने में लगभग ४० रूपये मादक द्रव्यों पर खर्च करता था।[1] इसी प्रकार १९८९ में केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय ने ३३ शहरों और कस्बों में ''मादक द्रव्य दुरूपयोग, द्रव्य सेवनकर्ता व द्रव्य रोकथाम सेवाऐं'' पर एक अध्ययन प्रायोजित किया था। जिसके अनुसार :- मुम्बई में सन् १९८१ में व्यसनियों की संख्या १,५४,८८० थीं; अमृतसर में व्यसनियों की संख्या एक लाख के पीछे १,५८४ थी और दिल्ली में ५,५०० थी। दीमापुर में कुल जनसंख्या के १० प्रतिशत व्यक्ति हेरोइन, चरस, गांजा व भांग आदि के व्यसनी थे, जबकि गुवाहाटी और इम्फाल में व्यसनियों की संख्या कुल जनसंख्या की १० प्रतिशत से ३० प्रतिशत के बीच थी। पुरी में मादक द्रव्यों के दुरूपयोग की संस्कृति आरम्भ से ही पाई जाती है क्योंकि यहां अफीम, गांजा, भांग के उपयोग को परम्परागत महत्व मिला हुआ है परन्तु हेरोइन और ब्राउन सुगर का सेवन १९७० के दशक से ही आरम्भ हुआ था। इस शहर में विभिन्न द्रव्यों के व्यसनियों का प्रतिशत ५० था। भुवनेश्वर में व्यसनियों की संख्या कुल जनसंख्या की २० प्रतिशत थी। धनबाद में गाँजा, भाँग, बाबिट्यूरेटहेरोइन, चरस, मार्फीन आदि का सेवन काफी संख्या में था। जोधपुर शहर में जहाँ अफीम का उत्पादन अधिक है, कुल जनसंख्या में २ से १०प्रतिशत के बीच लोगों में व्यसन

1. Gupta M.L. and Sharma D.D. (2003), Indian Social Problems, Sahitya Bhavan Publications Agra. Page - 218-219.

था। कानपुर शहर के १५-६० आयु के बीच कुल ३४,७६८ व्यक्ति द्रव्य-सेवनकर्ता पाये गये। मादक द्रव्यों में हेरोइन,ब्राउनशुगर व स्मैक का दुरूपयोग सबसे अधिक था। गोवा में ११ में से ३ ताल्लुकाओं में गाँजा व चरस का सेवन अधिक पाया गया। बैंगलोर में गाँजा, चरस व हेरोइन के व्यसनियों में अधिकांशत: मलिन बस्तियों व निम्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के रहने वाले थे। मद्रास में गाँजा और ब्राउनशुगर व्यसनियों में अधिक लोकप्रिय थे।[2]

तालिका संख्या - ६.१ (ब)

उत्तरदाताओं में मादक पदार्थो के सेवन सम्बन्धी समस्या का विवरण

उत्तरदाताओं द्वारा लिये गये विभिन्न मादक द्रव्य	कभी -कभी	अकसर	प्रतिदिन	योग	बिल्कुल नहीं	कुल योग
	आवृत्ति (प्रतिशत)	आवृत्ति (प्रतिशत)	आवृत्ति (प्रतिशत)	आवृत्ति (प्रतिशत)	आवृत्ति (प्रतिशत)	आवृत्ति (प्रतिशत)
तम्बाकू	४८ (१६%)	२३ (७.६६%)	१३५ (४५%)	२०६ (६८.६६%)	९४ (३१.३४%)	३०० (१००%)
गुटका	२७ (९%)	१४ (४.६६%)	१६४ (५४.६६%)	२०५ (६८.३३%)	९५ (३१.६७%)	३०० (१००%)
गांजा	६० (२०%)	१ (०.३३%)	- (०%)	६१ (२०.३३%)	२३९ (७९.६७%)	३०० (१००%)
भाँग	९७ (३२.३४%)	२ (०.६६%)	१ (०.३४%)	१०० (३३.३४%)	२०० (६६.६६%)	३०० (१००%)
अफीम	६४ (२१.३३%)	१ (०.३४%)	- (०%)	६५ (२१.६७%)	२३५ (७८.३३%)	३०० (१००%)

2. "मादक द्रव्य दुरुपयोग, द्रव्य सेवनकर्ता व द्रव्य रोकथाम सेवाऐं" एक अध्ययन, द्वारा केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, वर्ष–1989.

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि २०६ उत्तरदाता ६८.६६ % तम्बाकू का सेवन करते थे जिसमें से ४५% उत्तरदाता प्रतिदिन, १६% उत्तरदाता कभी - कभी तथा ७.६६% उत्तरदाता अकसर तम्बाकू का सेवन करते थे तथा मात्र ९४ उत्तरदाता ३१.३४ % तम्बाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करते थे।

इसी प्रकार सर्वाधिक २०५ उत्तरदाता ६८.३३% गुटका का सेवन करते थे। जिसमें से १६४ उत्तरदाता ५४.६६% प्रतिदिन, २७ उत्तरदाता ९% कभी - कभी तथा १४ उत्तरदाता ४.६६% अकसर ही गुटका खाते थे जबकि ९५ उत्तरदाता ३१.६७% गुटका बिल्कुल नहीं खाते थे।

जब उत्तरदाताओं से गांजा का सेवन करने के स्वभाव के सम्बन्ध में जानकारी की गई तब ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक २३९ उत्तरदाता ७९.६७% गांजे का सेवन बिल्कुल नहीं करते थे। जबकि ६१ उत्तरदाता २०.३३ % गांजे का सेवन करते थे जिसमें से ६० उत्तरदाता २० % कभी - कभी तथा १ उतरदाता ०.३३ % गांजे का सेवन अकसर करता था।

उत्तरदाताओं में भांग खाने का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक २०० उत्तरदाता ६६.६६ % भांग का सेवन बिल्कुल नहीं करते थे। जबकि १०० उत्तरदाता ३३.३४ % भांग खाते थे। जिसमें से ९७ उत्तरदाता ३२.३४% कभी - कभी, २ उत्तरदाता ०.६६% अकसर तथा १ उत्तरदाता ०.३४ % प्रतिदिन भांग का सेवन करता था।

इसी प्रकार जब उत्तरदाताओं द्वारा अफीम खाने का अध्ययन किया गया तब ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक २३५ उत्तरदाता ७८.३३ % अफीम बिल्कुल नहीं खाते थे। जबकि ६५ उत्तरदाता २१.६७% अफीम का सेवन करते थे जिसमें से ६४ उत्तरदाता २१.३३ % कभी - कभी तथा १ उत्तरदाता ०.३४ % अकसर अफीम का सेवन करता था।

(२) पारिवारिक समस्यायें :-

मलिन आवासों के निवासी अनेक पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करते हैं।

यूँ तो भारत में परिवार के आकार को सीमित रखने व जनसंख्या नियन्त्रण की दृष्टि से 'परिवार नियोजन कार्यक्रम' वर्ष १९५२ से ही प्रारम्भ हो गया था। परन्तु भारत में पुत्री की अपेक्षा पुत्र प्राप्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। साथ ही भाग्यवादी होना, अशिक्षा आदि कारणों से भारत में 'हम दो हमारे दो' की नीति कारगर रूप से लागू नहीं हो सकी है तथा आज भी बड़े परिवार देखे जा सकते हैं। मलिन बस्तियों के कम आय वाले इन आकार में बड़े परिवारों के सदस्य अधिकाधिक बीमार रहते हैं।

मलिन बस्तियों में निवास की उचित व्यवस्था नहीं होती हैं। जिसके कारण गांव से आने वाले मजदूर स्त्री तथा बच्चों को गांव में ही छोड़ कर आते हैं। काम से लौटने पर उसे पारिवारिक मनोरंजन एवं शान्ति की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में वह बुराइयों का सहारा लेता है तथा परिवार को भूलने लगता है। जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक विघटन हो जाता है। इसके अतिरिक्त अब मनुष्य परिवार के बाहर जीवन की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा है। परिणामस्वरूप न तो परिवार के सदस्य प्रारम्भिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर पाते हैं और न एक दूसरे पर नियन्त्रण ही रख पाते हैं। इन स्थितियों में परिवार में असामन्जस्य बढ़ता है और व्यक्ति परिवार की उपेक्षा करने लगता है। इसी प्रकार स्त्री हिंसा भी मलिन बस्तियों के निवासियो की प्रमुख पारिवारिक समस्या है। स्त्री हिंसा से तात्पर्य है महिलाओं के निकट रिश्तेदारों; जैसे पति, माता पिता, भाई बहन, सास-ससुर, देवर-ननद, भाभी या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार एवं उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक अथवा मानसिक आघात पहुंचाता है। नन्दिता गांधी एवं नन्दिता शाह ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, ''महिला के प्रति हिंसा के अन्तर्गत बलात्कार, दहेज हत्याऐं, पत्नी को यातनाऐं देने, यौनिक हतोत्साहन तथा संचार माध्यम में स्त्री

को गलत ढंग से समाहित किया जा सकता है।''[1] भारत में पत्नी को गृह - लक्ष्मी की संज्ञा से सम्बोधित किया गया है। पत्नी को पुरूष की अर्द्धांग्निनी, सहधर्मचारिणी भी कहा जाता है। किन्तु यह तस्वीर का एक पहलू है। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने व मारने - पीटने की घटनाऐं प्रतिदिन प्रकाश में आती हैं। श्री पहल ने अपने अध्ययन में पाया कि, ''पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को चाकुओं से गोदा गया, फर्नीचर फेंक कर मारा गया, सीढ़ियों से गिराया गया और कुछ स्त्रियों के तो पैरो में कीलें ठोंकी गई।''[2] कम आय वाले तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों में ऐसी घटनाऐं अपेक्षतया अधिक होती है।

प्रस्तुत तालिका में मलिन आवासों के निवासियों की परिवार के आकार, पारिवारिक विघटन तथा महिला हिंसा की पारिवारिक समस्याओं पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है :-

तालिका संख्या ६.२ (अ)

पारिवारिक समस्याओं परिवार के आकार, विधटन तथा महिला हिंसा से सम्बन्धित समस्याओं का विवरण

पारिवारिक समस्यायें	कम	सामान्य	अधिक	योग आवृत्ति प्रतिशत
१. परिवार का आकार	५१ (१७%)	९९ (३३%)	१५० (५०%)	३०० (१००%)
२. पारिवारिक विघटन	३३ (११%)	७४ (२४.६६%)	१९३ (६४.३४%)	३०० (१००%)
३. स्त्री हिंसा	७० (२३.३३%)	७२ (२४%)	१५८ (५२.६७%)	३०० (१००%)

1. Gandhi N. and Shah N., The Issues at Stake, Theory and Practice in the Contemporary Women's Movement in Idnia, Page : 32-33.
2. Pahl, I., A Refuge for Battered Women, Page-32.

चयनित ३०० उत्तरदाताओं से उनके परिवार के आकार के सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक १५० उत्तरदाता ५०% अपने परिवार के आकार को अधिक बड़ा मानते थे,९९ उत्तरदाताओं ३३ % की दृष्टि में उनके परिवार का आकार सामान्य था तथा ५१ उत्तरदाताओं १७ % के विचार से उनके परिवार का आकार कम अर्थात् छोटा था।

इसी प्रकार उत्तरदाताओं में पारिवारिक विघटन की समस्या के स्तर सम्बन्धी जानकारी से पता चला कि सर्वाधिक १९३ उत्तरदाताओं ६४.३४% की दृष्टि में उनके परिवार में विधटन की समस्या अधिक थी। इसी प्रकार ७४ उत्तरदाताओं २४. ६६ % के विचार से उनके यहां पारिवारिक विघटन की समस्या सामान्य थी तथा ३३ उत्तरदाताओं ११ % के अनुसार परिवार कम टूटा (विघटित) हुआ था।

इसी प्रकार उत्तरदाताओं के घरों में स्त्री हिंसा की समस्या के सम्बन्ध में सूचनाऐं एकत्र करने पर ज्ञात हुआ कि १५८ उत्तरदाताओं ५२.६७% के घरों में स्त्रीहिंसा की समस्या अधिक थी। ७२ उत्तरदाताओं २४ % के अनुसार यह समस्या सामान्य थी तथा ७० उत्तरदाताओं २३.३३ % की दृष्टि में उनके घरों में स्त्रीहिंसा की समस्या कम थी। भारत में औद्योगिक नगरों तथा नगरों में आवास समस्या अत्यन्त गम्भीर है। नगरों में जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण आवासों की संख्या जनसंख्या की दृष्टि से अपर्याप्त है। इसलिये यहां मलिन बस्तियों में कहीं अधिक वृद्धि हुई है। मलिन आवासों में एक ही कमरे के मकान में कई बडे परिवार रहते हैं। कहीं -कहीं तो एक ही कमरे में तीन - चार परिवार एक साथ रहते है। ऐसे में कल्पना करना ही कठिन हो जाता है कि वे लोग किस तरह गुजर करते होंगे। इसी एक कमरे के मकान में उन्हें रहना, सोना, खाना, पकाना और आराम भी करना होता है। मनुष्य इनमें पशुओं की तरह रहता और जीता है। पर्याप्त आवास की समस्या मलिन आवासों के निवासियों की मुख्य समस्या है।

मलिन आवासों के निवासियों को पर्याप्त भोजन एवं वस्त्रों की समस्या से भी दो - चार होना पड़ता है। व्यक्ति की स्वस्थ कार्यक्षमता और उसे हृष्ट पुष्ट बनाये रखने के लिये कम से कम २५०० कैलोरी प्रतिदिन भोजन से प्राप्त होनी चाहिये। किन्तु मलिन आवासों के निवासियों के लिये २५०० कैलोरी बड़ी बात है उन्हें दो समय का भोजन ही नहीं मिल पाता है। इसी तरह स्वच्छ वस्त्र सभी मनुष्यों की मौलिक आवश्यकता है। परन्तु मलिन आवासों के निवासियों को वस्त्रों की कमी का भी सामना करना पड़ता है। मलिन आवासों में गोपनीयता के अभाव की समस्या विद्यमान रहती ही है क्योंकि ये वे स्थान हैं जहां कमरों में भीड़ रहती है और व्यक्ति एकान्त के लिये व्याकुल रहता है। एक - एक कमरे में १० से १५ तक व्यक्ति रहते हैं। इनमें कुछ भी गोपनीय नहीं रहता है तथा शीघ्र ही बच्चे भी बुरी आदतों को ग्रहण कर लेते हैं। प्रस्तुत तालिका मलिन आवासों के निवासियों की पर्याप्त आवास; भोजन तथा वस्त्रों एवं गोपनीयता के अभाव की पारिवारिक समस्याओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या ६.२ (ब)

पारिवारिक समस्याओं यथा पर्याप्त आवास, भोजन तथा वस्त्रों एवं गोपनीयता के अभाव की समस्या से सम्बन्धित विवरण

पारिवारिक समस्यायें	कम	सामान्य	अधिक	कुल योग
१. पर्याप्त आवास की समस्या	९ (३%)	३५ (११.६६%)	२५६ (८५.३४%)	३०० (१००%)
२. भोजन तथा वस्त्रों की समस्या	१२ (४%)	७० (२३.३३%)	२१८ (७२.६७%)	३०० (१००%)
३. गोपनीयता के अभाव की समस्या	२० (६.६६%)	४० (१३.३४%)	२४० (८०%)	३०० (१००%)

जब उत्तरदाताओं से जानकारी की गई कि उनके यहां पर्याप्त आवास की समस्या कितनी है; तब ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक २५६ उत्तरदाताओं ८५.३४% के दृष्टिकोण से उनके यहां पर्याप्त आवास की समस्या अधिक थी, ३५ उत्तरदाताओं ११.६६ % के विचार से सामान्य तथा ९ उत्तरदाता ३% मानते थे कि उनके यहां पर्याप्त आवास की समस्या कम थी।

इसी प्रकार उत्तरदाताओं में भोजन तथा वस्त्रों की समस्या सम्बन्धी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक २१८ उत्तरदाताओं ७२.६७ % का मानना था कि उनके यहां भोजन तथा वस्त्रों की समस्या अधिक थी। ७० उत्तरदाता २३.३३ % मानते थे कि उनके यहां भोजन तथा वस्त्रों की समस्या सामान्य थी तथा १२ उत्तरदाता ४ % मानते थे कि उनके यहां भोजन तथा वस्त्रों की समस्या कम थी।

उत्तरदाताओं से उनके घरों में गोपनीयता के अभाव की समस्या सम्बन्धी जानकारी करने पर विदित हुआ कि सर्वाधिक २४० उत्तरदाताओं ८० : के दृष्टिकोण से उनके घरों में गोपनीयता के अभाव की समस्या अधिक थी। इसी प्रकार ४० उत्तरदाता १३.३४ : मानते थे कि उनके घरों में गोपनीयता के अभाव की समस्या सामान्य थी जबकि २० उत्तरदाताओं ६.६६ : के अनुसार उनके घरों में गोपनीयता के अभाव की समस्या कम थी।

३. सामाजिक समस्याऐं :-

परिवर्तन प्रकृति का नियम हैं। हम अपने चारों ओर परिवर्तन को देख सकते हैं। समय के साथ-साथ समाज की मान्यताओं, मूल्यों, विचारों आदि में परिवर्तन सदैव होता है। परन्तु तेजी से बदलते जीवन मूल्यों में जब असामंजस्य बढ़ जाता है तो वह सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लेता है। मलिन आवासों के निवासियों के सामने भी अनेक सामाजिक समस्याऐं मुँह खोले खड़ी हैं। प्रत्येक समाज में हर

समय कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद रहते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत नियमों और आदर्शो के विपरीत व्यवहार करते हैं। समाज के विकास और उसमें जटिलता की वृद्धि के साथ-साथ अपराध की दर भी बढ़ती हैं । औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रिया ने नगरों में अपराधों की संख्या में इजाफा किया है । मलिन बस्तियाँ एवं भीड़ भाड़ युक्त वातावरण अपराध के लिये उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। मलिन बस्तियों को 'अपराधों की केन्द्रस्थली' कहा जाता है । यहाँ चरस, गाँजा, कच्ची शराब आदि खूब बिकती है। ये जुआ खेलने के अड्डे और अनैतिक यौन-क्रियाकलापों के केन्द्र स्थल भी हैं। यहाँ चोर से लेकर डकैत तक शरण पाते हैं।

शहरों के विकास, ग्रामीण जनता के शहरों की ओर पलायन तथा संयुक्त परिवारों के विघटन से सामाजिक नियन्त्रण में शिथिलता आयी है एवं पड़ोस का प्रभाव भी क्षीण हुआ है; साथ ही आर्थिक अभाव एवं माता - पिता के कामकाजी होने के कारण भी बच्चों की उचित देखरेख नहीं हो पाती है और उचित समाजीकरण के अभाव में बच्चा समाजविरोधी हो जाता है । मलिन बस्तियों की परिस्थितियाँ बाल-अपराधियों के उद्भव का कारण बनती हैं। साथ ही गोपनीयता के अभाव के कारण वयस्कों का उच्छृंखल व्यवहार देख बच्चे भी गलत कार्यो की ओर शीघ्र प्रवृत्त हो जाते हैं । भारत में दहेज एक गम्भीर सामाजिक समस्या बनी हुई है । दहेज के अभाव में भारत में हजारों बालिकाओं को प्रतिवर्ष जलाकर मार डाला जाता है अथवा सास-ससुर, देवर-जेठ, पति एवं ससुराल पक्ष वालों के द्वारा कई प्रकार की यातनाऐं दी जाती है। यहाँ तक कि आत्महत्या करने एवं घर छोड़ कर चले जाने तक के लिये मजबूर किया जाता है। मलिन आवासों के निवासियों में अर्थाभाव के कारण बेटी का विवाह करना एक बड़ी समस्या बन जाती है । दहेज समस्या से निपटने के लिये मलिन आवासों के निर्धन निवासी अवैध तरीकों से धनोपार्जन में लग जाते हैं

जिससे अपराधों को बढ़ावा मिलता है। स्पष्ट है कि मलिन आवासों के निवासियों को उपरोक्त वर्णित सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

प्रस्तुत तालिका मलिन आवासों के निवासियों की अपराधीवृत्ति, बाल-अपराध तथा दहेज की समस्या पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या - ६.३. (अ)

सामाजिक समस्याओं यथा अपराधीवृत्ति, बाल अपराध एवं दहेज की समस्या सम्बन्धी विवरण

सामाजिक समस्याऐं	कम	सामान्य	अधिक	बिल्कुल नहीं	कुल योग
१. अपराधीवृत्ति की समस्या	८९ (२९.६६%)	१६१ (५३.६७%)	५० (१६.६७%)	- -	३०० (१००%)
२. बाल अपराध की समस्या	१०२ (३४%)	५८ (१९.३३%)	३५ (११.६७%)	१०५ (३५%)	३०० (१००%)
३. दहेज की समस्या	१६ (५.३३%)	३० (१०%)	२०२ (६७.३४%)	५२ (१७.३३%)	३०० (१००%)

उत्तरदाताओं से उनकी बस्ती में अपराधी वृत्ति की समस्या सम्बन्धी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि १६१ उत्तरदाताओं ५३.६७% का मानना था कि उनकी बस्ती में अपराधी वृत्ति की समस्या सामान्य थी, ८९ उत्तरदाताओं २९.६६% के विचार से कम तथा ५० उत्तरदाताओं १६.६७% के अनुसार उनकी बस्ती में अपराधीवृत्ति की समस्या अधिक थी।

इसी प्रकार जब उत्तरदाताओं से उनकी बस्ती में बाल अपराध की समस्या सम्बन्धी जानकारी की गई तब विदित हुआ कि १०२ उत्तरदाताओं ३४%का

माननना था कि उनकी बस्ती में बाल अपराध की समस्या कम थी। इसी प्रकार ५८ उत्तरदाताओं १९.३३% के अनुसार बाल अपराध की समस्या सामान्य थी तथा ३५ उत्तरदाताओं ११.६७% के विचार से उनकी बस्ती में बाल अपराध की समस्या अधिक थी। जबकि १०५ उत्तरदाताओं ३५% का मानना था कि उनकी बस्ती में बाल अपराध की समस्या बिल्कुल नहीं थी।

उत्तरदाताओं से जब उनकी बस्ती में दहेज समस्या सम्बन्धी जानकारी की गई तब ज्ञात हुआ कि २०२ उत्तरदाताओं ६७.३४% के दृष्टिकोण से उनकी बस्ती में दहेज की समस्या अधिक थी। इसी प्रकार ५२ उत्तरदाताओं १७.३३% के अनुसार उनकी बस्ती में दहेज की समस्या बिल्कुल नहीं थी। जबकि ३० उत्तरदाता १०% मानते थे कि उनकी बस्ती में दहेज की समस्या सामान्य थी तथा १६ उत्तरदाताओं ५.३३% के मतानुसार उनकी बस्ती में दहेज की समस्या कम थी। मलिन आवासों के निवासियों को विस्थापन, सामाजिक सुरक्षा आदि की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। विस्थापन का अर्थ है अपने स्थान से हटना अर्थात् जब कोई व्यक्ति, समूह अथवा समाज किसी कारण वश अपने स्थान से हट जाता है तो उसे विस्थापन कहते है। उदाहरण के लिये जब बड़े-बड़े बाँध बनाये जाते हैं, जैसे - भाखड़ा नंगल, टिहरी बाँध आदि तो उसमें डूब क्षेत्र में आने वाली जनसंख्या को अन्यत्र बसाया जाता है। भूकम्प, महामारी, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनसंख्या को विस्थापित होना पड़ता है। निर्धनता तथा बेकारी के कारण भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने को बाध्य होना पड़ता है। मलिन बस्तियों को भी सरकार कई बार उजाड़ देती है।ऐसे में मलिन आवासों के निवासियों को एक स्थान से विस्थापित होकर दूसरे स्थान पर जाने के लिये मजबूर होना पड़ता है। वृद्धावस्था एक अवश्य आने वाली आयु दशा है ; साथ ही वृद्धजनों की समस्या एक सार्वभौमिक समस्या है। परन्तु मलिन आवासों के निवासियों के सन्दर्भ में देखा जाये तो उनके यहाँ भी वृद्धजनों की समस्या विद्यमान है वृद्धजनों को धनाभाव, मान-सम्मान में

कमी, शारीरिक अस्वस्थता आदि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूँकि मलिन आवासों में प्राय: निर्धन व्यक्ति ही निवास करते हैं तथा वहाँ पर्यावरणीय स्वच्छता का सर्वथा अभाव होता है; अत: यहाँ वृद्धजनों की समस्या गंभीर हो जाती है। मलिन आवासों के निवासी सामाजिक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होते हैं। उनका भविष्य भी अधिक उज्जवल नहीं कहा जा सकता है। चूँकि मलिन बस्तियों में अपराधी लोग शरण पाते हैं। इसलिय कभी भी पुलिस इनके घरों में घुसकर तलाशी लेती है तथा किसी भी स्त्री-पुरूष को उठाकर जेल में बन्द कर देती है। साथ ही अपराधी भी कभी भी इन्हें डरा-धमकाकर गलत कार्यो को करने के लिये दबाव डालते रहते हैं। इसलिये अन्य स्थानों की अपेक्षा मलिन आवासों के निवासियों में साामाजिक सुरक्षा की समस्या अधिक पाई जाती है। प्रस्तुत तालिका में मलिन आवासों के निवासियों की विस्थापन, वृद्धजनों तथा सामाजिक सुरक्षा की समस्या पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है :-

तालिका संख्या ६.३-(ब)

सामाजिक समस्याओं- विस्थापन, वृद्धजनों तथा सामाजिक सुरक्षा की समस्या सम्बन्धी विवरण

सामाजिक समस्याऐं	कम	सामान्य	अधिक	बिल्कुल नहीं	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१. विस्थापन की समस्या	४६ (१५.३३%)	६ (२%)	१७० (५६.६७%)	७८ (२६%)	३०० (१००%)
२. वृद्धजनों की समस्या	५८ (१९.३३%)	१६ (५.३३%)	१५८ (५२.६७%)	६८ (२२.६७%)	३०० (१००%)
३. सामाजिक सुरक्षा की समस्या	२३ (७.६६%)	५२ (१७.३४%)	१३६ (४५.३४%)	८९ (२९.६६%)	३०० (१००%)

उत्तरदाताओं से उनकी बस्ती में विस्थापन की समस्या सम्बन्धी जानकारी करने पर विदित हुआ कि १७० उत्तरदाताओं ५६.६७ के अनुसार उनकी बस्ती में विस्थापन की समस्या अधिक थी। जबकि ७८ उत्तरदाताओं २६ प्रतिशत का मानना था कि उनकी बस्ती में विस्थापन की समस्या बिल्कुल नहीं थी ।इसी प्रकार ४६ उत्तरदाताओं १५.३३ प्रतिशत का मानना था कि उनकी बस्ती में विस्थापन की समस्या कम थी तथा ६ उत्तरदाताओं २ प्रतिशत का मानना था कि उनकी बस्ती में विस्थापन की समस्या सामान्य थी।

इसी प्रकार जब उत्तरदाताओं से उनकी बस्ती में वृद्धजनों की समस्या सम्बन्धी जानकारी की गई तब विदित हुआ कि १५८ उत्तरदाता ५२.६७ प्रतिशत मानते थे कि उनकी बस्ती में वृद्धजनों की समस्या अधिक थी। जबकि ६८ उत्तरदाताओं २२.६७ प्रतिशत का मानना था कि उनकी बस्ती में वृद्धजनों की समस्या बिल्कुल नहीं थी। इसी प्रकार ५८ उत्तरदाताओं १९.३३ प्रतिशत के मतानुसार उनकी बस्ती में वृद्धजनों की समस्या कम थी तथा १६ उत्तरदाताओं ५.३३ प्रतिशत के विचार से उनकी बस्ती में वृद्धजनों की समस्या सामान्य थी।

उत्तरदाताओं से उनकी बस्ती में सामाजिक सुरक्षा की समस्या के सम्बन्ध में जानकारी करने पर विदित हुआ कि १३६ उत्तरदाता ४५.३४ प्रतिशत मानते थे कि उनकी बस्ती में सामाजिक सुरक्षा की समस्या अधिक थी जबकि ८९उत्तरदाताओं २९.६६ प्रतिशत के दृष्टिकोण से उनकी बस्ती में सामाजिक सुरक्षा की समस्या नहीं थी। इसी प्रकार ५२ उत्तरदाताओं १७.३४ प्रतिशत के विचार से उनकी बस्ती में सामाजिक सुरक्षा की समस्या सामान्य थी तथा २३ उत्तरदाताओं ७.६६ प्रतिशत का मानना था कि उनकी बस्ती में सामाजिक सुरक्षा की समस्या कम थी।

४. आर्थिक समस्याऐं :-

वर्तमान समाज में धन का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। व्यक्ति के सारे क्रियाकलापों तथा गतिविधियों की केन्द्रीय धुरी धन ही है। आज मनुष्य धन कमाने की लालसा से ही समस्त कार्यों को सम्पादित करता है। आज समूचा विश्व आर्थिक दृष्टि से संपन्न एवं विपन्न दो भागों में बाँटा है। वर्तमान समय में औद्योगिक क्रान्ति ने गरीबों एवं अमीरों में भीषण आर्थिक विषमता पैदा कर दी है। मलिन आवासों के निवासी किसी तरह मजदूरी करके अपना तथा अपने परिवार का पेट पालते हैं । उन्हें इतनी आमदनी नहीं होती कि वे उससे अपनी तथा परिवार की समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। उनके सामने " आमदनी अठन्नी तथा खर्चा रूपैया" वाली स्थिति होती है। गरीबी अथवा निर्धनता एक प्रमुख आर्थिक समस्या है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों का प्रतिशत भारत सरकार के अनुसार ३६ है अर्थात यहाँ ३६ करोड़ से अधिक लोग गरीबी-रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं।[1] परन्तु 'वर्ल्ड डेवलपमेण्ट रिपोर्ट, १९९९-२०००' के अनुसार भारत में ४७ प्रतिशत जनसंख्या निर्धन है। उत्तर प्रदेश में निर्धनता का प्रतिशत ४०.९ है।[2] स्पष्ट है कि मलिन आवासों के लोगों के लिये निर्धनता एक गम्भीर समस्या बन गयी है जिसका प्रभावी हल शीघ्रातिशीघ्र निकाला जाना चाहिये।

निर्धनता तथा ऋणग्रस्तता की समस्या का चोली-दामन का साथ है। मलिन आवासों में अधिकांश निवासी निर्धन हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर सूदखोर महाजनों से ऋण लेना ही पड़ जाता है। पुत्री के विवाह, नया व्यवसाय शुरू करने, इलाज

---

1. Ninth Five Year Plan, 1997-2000, Vol. I, Page - 27.
2. Report on World Development, 1990-2000.

करवाने आदि कारणों से इन निर्धनों को अधिक ब्याजदर पर ऋण लेने को मजबूर होना पड़ ता है। ये सूदखोर महाजन इनकी मजबूरी तथा अज्ञानता का लाभ उठाकर उनसे कोरे कागजों पर दस्तखत अथवा अँगूठा लगवा लेते हैं और बाद में इन अशिक्षितों तथा अज्ञानी लोगों को परेशान करते हैं। कर्जा लेने वाला व्यक्ति जीवन भर ऋणमुक्त नहीं हो पाता है। इस तरह ऋणग्रस्तता भी मलिन आवासों के निवासियों की एक समस्या है। औद्योगीकरण तथा नगरीकरण ने पूँजीवाद के विकास एवं सम्पत्ति के असमान वितरण को बढ़ावा दिया। इसके परिणामस्वरूप ही मशीनीकरण होने से बेरोजगारी की समस्या को बल मिला। बेरोजगारी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखने एवं अर्थोपार्जन करने हेतु प्रयत्न करने पर भी पूर्ण रोजगार प्राप्त न हो। भारत में भी बेरोजगारी की समस्या विकराल होती जा रही है। नौकरी हेतु ' रोजगार कार्यालयों ' में पंजीकरण कराने वाले लोगों की संख्या जुलाई १९९७ में ३ करोड़ ८७ लाख थी जो बर्ष २००२ के अन्त में बढ़ कर ४ करोड़ १३ लाख हो गयी।[1] मलिन आवासों के निवासियों में भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। मलिन आवासों के निवासियों की आमदनी कम तथा खर्च अधिक होता है। इनकी आमदनी इन लोगों के पेट पालने के लिये बहुत कम पड़ती है। जिससे इन्हें अधिक खर्च की समस्या का सामना करना पड़ ता है। जब इन लोगों की सारी आय व्यय हो जाती है तो ऐसे में इन लोगों द्वारा बचत कर पाना नामुमकिन हो जाता है। ये लोग इतना नहीं कमा पाते हैं कि आज अपनी आवश्यकतायें पूरी कर सकें, ऐसे में कल के लिये बचत कर पाना कठिन ही है।

अग्रलिखित तालिका में मलिन आवासों के निवासियों की आर्थिक समस्याओं पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है :-

---

1. India, 2002, Page - 303

तालिका संख्या ६:४

उत्तरदाताओं की आर्थिक समस्याओं का विवरण

क्रम. सं०	आर्थिक समस्याऐं	कम	सामान्य	अधिक	बिल्कुल नहीं	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	कम आय की समस्या	१८ (६%)	३० (१०%)	२५२ (८४%)	- -	३०० (१००%)
२.	निर्धनता की समस्या	९ (३%)	२४ (८%)	२६७ (८९%)	- -	३०० (१००%)
३.	ऋणग्रस्तता की समस्या	२८ (९.३३%)	१६ (५.३३%)	२१६ (७२%)	४० (१३.३४%)	३०० (१००%)
४.	बेरोजगारी की समस्या	८ (२.६६%)	३ (१%)	२७८ (९२.६७%)	११ (३.६७%)	३०० (१००%)
५.	अधिक खर्च की समस्या	१६ (५.३३%)	७ (२.३३%)	२७७ (९२.३४%)	- -	३०० (१००%)
६.	बचत न कर पाने की समस्या	१९ (६.३४%)	६२ (२०.६६%)	२१९ (७३%)	- -	३०० (१००%)

उत्तरदाताओं से कम आमदनी की समस्या सम्बन्धी जानकारी की गई तब ज्ञात हुआ कि २५२ उत्तरदाताओं ८४ प्रतिशत का मानना था कि उनके घर में कम आमदनी की समस्या अधिक थी। ३० उत्तरदाताओं १० प्रतिशत के मतानुसार उनके यहाँ कम आमदनी की समस्या सामान्य थी तथा १८ उत्तरदाताओं ६ प्रतिशत के अनुसार उनके घर में कम आमदनी की समस्या कम थी।

जब उत्तरदाताओं का निर्धनता की समस्या सम्बन्धी अध्ययन किया गया तब विदित हुआ कि २६७ उत्तरदाताओं ८९% का मानना था कि उनके यहाँ निर्धनता की
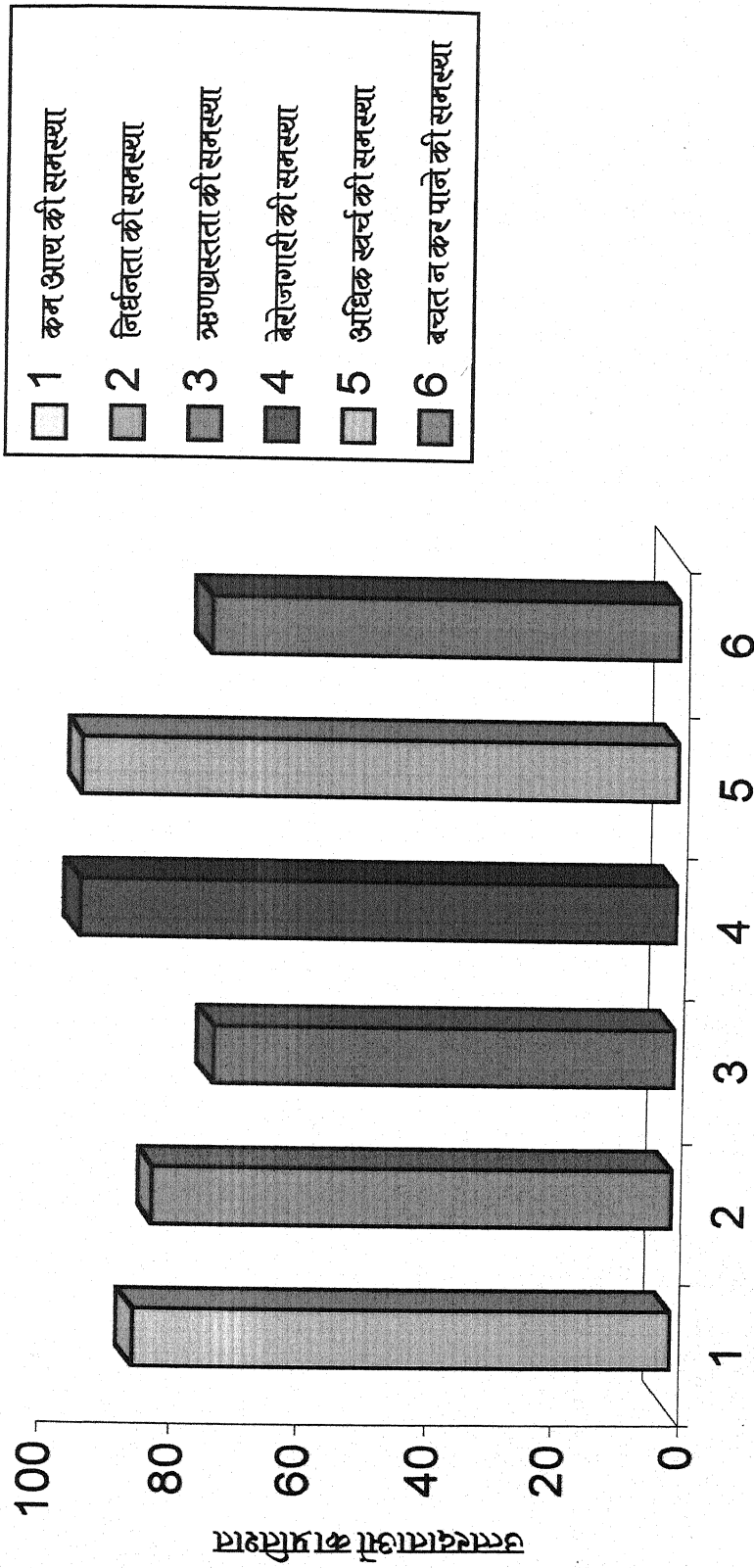
समस्या अधिक थी, २४ उत्तरदाताओं ८% का मानना था कि उनके यहाँ निर्धनता की समस्या सामान्य थी तथा ९ उत्तरदाताओं ३% के मतानुसार उनके यहाँ निर्धनता की समस्या कम थी।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि उनके यहाँ ऋणग्रस्तता की समस्या कितनी है, तब ज्ञात हुआ कि २१६ उत्तरदाता ७२% मानते थे कि उनके यहाँ ऋणग्रस्तता की समस्या अधिक है जबकि ४० उत्तरदाताओं १३.३४% के अनुसार उनके यहाँ ऋणग्रस्तता की समस्या बिल्कुल नहीं थी। इसी प्रकार २८ उत्तरदाताओं ९.३३% के मतानुसार उनके यहाँ ऋणग्रस्तता की समस्या कम थी तथा १६ उत्तरदाताओं ५.३३% के विचार से उनके यहाँ ऋणग्रस्तता की समस्या सामान्य थी।

इसी प्रकार उत्तरदाताओं में बेरोजगारी की समस्या सम्बन्धी अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि २७८ उत्तरदाता ९२.६७% मानते थे कि उनके यहाँ बेरोजगारी की समस्या अधिक है जबकि ११ उत्तरदाताओं ३.६७% के मतानुसार उनके यहाँ बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल नहीं थी। इसी प्रकार ८ उत्तरदाता २.६६% मानते थे कि उनके यहाँ बेरोजगारी कम थी तथा ३ उत्तरदाताओं १% के विचार से उनके यहाँ बेरोजगारी की समस्या सामान्य थी।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि वे अपनी आय की अपेक्षा कितना व्यय करते हैं, तब विदित हुआ कि २७७ उत्तरदाताओं ९२.३४% के मतानुसार वे अपनी आय से अधिक खर्च करते थे। इसी प्रकार १६ उत्तरदाताओं ५.३३% का मानना था कि उनके यहाँ अधिक खर्च की समस्या कम थी तथा ७ उत्तरदाता २.३३% मानते थे कि उनके यहां अधिक खर्च की समस्या सामान्य थी।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि उनके यहां बचत न कर पाने की समस्या कितनी है; तब ज्ञात हुआ कि २१९ उत्तरदाताओं ७३% के मतानुसार उनके यहां

बचत न कर पाने की समस्या अधिक थी अर्थात् उनकी आमदनी इतनी कम थी कि वे लोग किसी तरह अपना पेट पालते थे। ऐसे में बचत कर पाना नामुमकिन ही था। इसी प्रकार ६२ उत्तरदाताओं २०.६६% के अनुसार उनके यहां बचत न कर पाने की समस्या सामान्य थी तथा १९ उत्तरदाता ६.३४% मानते थे कि उनके यहां बचत न कर पाने की समस्या कम थी।

५. पर्यावरणीय स्वच्छता की समस्याऐ :-

पिछले १०० वर्षो में आधुनिक मानव ने अपने आर्थिक, भौतिक व सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति हेतु पर्यावरण में इतना परिवर्तन ला दिया कि इससे पर्यावरण का सन्तुलन काफी बिगड़ चुका है। इससे पारिस्थितिकीय पतन की स्थिति बनी है। वर्तमान मानव के क्रियाकलापों से प्राकृतिक पारितन्त्र कृत्रिम पारितन्त्र में बदलता जा रहा है। जिस मिट्टी में पेड़ पौधे उगते और बढ़ते हैं, हम जिस धरती पर रहते हैं, जो पानी हम सब पीते हैं, जिस हवा में साँस लेकर सारे जीवधारी जीवित रहते हैं और जिन वस्तुओं को खाकर हम अपनी भूख मिटाते हैं, वे सब वस्तुऐं हमारे लिये पर्यावरण का निर्माण करती हैं। वर्तमान युग में पर्यावरण पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बढ़ती आबादी की वजह से समस्त मानव जाति के सम्मुख प्रकृति और पर्यावरण को लेकर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। प्रकृति का सन्तुलन डगमगाने लगा है। अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिये प्राकृतिकता साधनों का बहुत अधिक दोहन हो रहा है। इससे पर्यावरण की प्राकृतिकता नष्ट हो रही है और प्रदूषण पनप रहा है। जब पर्यावरण में असन्तुलन पैदा हो जाता है और निर्भरता नष्ट हो जाती है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रकृति की मूल संरचना में मिलावट एवं दखलंदाजी का जहर ही प्रदूषण है। श्री एम० एल० गुप्ता एवं डी० डी० शर्मा (२००१) ने प्रदूषण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुये लिखा है

कि, ''पर्यावरण के घटकों (जैसे वायु, जल, भूमि, ऊर्जा के विभिन्न रूप आदि) के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और उसके लिये लाभदायक दूसरे जीवों, औद्योगिक प्रक्रमों, जैविक दशाओं, सांस्कृतिक विरासतों एवं कच्चे माल के साधनों को हानि पहुँचाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है''।[1] संक्षेप में, पर्यावरण में होने वाले किसी ऐसे परिवर्तन को जो मनुष्य व उसके लाभदायक सजीवों व निर्जीवों को हानि पहुँचाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण से तात्पर्य केवल मिलावट से ही नहीं है बल्कि पर्यावरण की प्राकृतिक गुणवत्ता में प्रतिकूल परिवर्तन से है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जैसे जल-प्रदूषण, वायु-प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि।

वायु में प्रकृति द्वारा आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का सन्तुलन बना रहता है, किन्तु घरों, सवारी गाड़ियों या कल- कारखानों से निकलने वाला धुआँ, संक्षारी गैस, अत्यधिक शोर, दुर्गन्ध, विभिन्न पदार्थो के सूक्ष्म कण, धूल आदि के कण वायु के संघटन को सतत् अव्यवयस्थित करते जा रहे हैं। बड़े -बड़े नगरों की मलिन बस्तियों में एवं कल-कारखानों के निकट रहने वाले लोगों पर वायु-प्रदूषण का अधिक प्रभाव पड़ता है। इन लोगों को शुद्ध वायु नहीं मिलती है। इसी तरह जल जीवन रक्षक तत्व है किन्तु प्रदूषित होकर मौत का कारण भी बन जाता है। विकासशील देशों में पाँच में से चार बच्चों की मौत जल प्रदूषण से उत्पन्न बीमारियों से होती है। ज्यों- ज्यों विश्व की आबादी बढती जा रही है त्यों-त्यों पानी का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक देश विकासशील देशों की तुलना में २० गुना अधिक पानी खर्च करते हैं। इसके साथ ही औद्योगिक कारखानों से निकला अवशिष्ट हमारी प्राणदायी नदियों में प्रदूषण फैला रहा है। कृषि उपयोग में

---

1. Gupta M.L. and Sharma D.D. (2001), Sociology, Sahitya Bhavan Publications Agra (U.P.)

आने वाले कीटनाशक पदार्थ भी जल में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। मलिन आवासों के निवासियों के सामने भी भीषण जल-संकट उत्पन्न हो गया है। इन लोगों को पीने के लिये शुद्ध पानी की बहुत किल्लत है ; साथ ही इन्हें पर्याप्त मात्रा में भी पानी नहीं मिलता है।

प्रस्तुत तालिका में मलिन आवासों के निवासियों की पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है :-

तालिका संख्या - ६:५ (अ)

वायु प्रदूषण एवं जलापुर्ति प्रदुषण सम्बन्धी समस्याओं का विवरण

क्र० स०	पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी समस्याऐं	शुद्ध	अशुद्ध	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	वायु	१४२ (४७.३३%)	१५८ (५२.६७%)	३०० (१००%)
२.	जलापूर्ति	१२९ (४३%)	१७१ (५७%)	३०० (१००%)

उत्तरदाताओं से जब पूछा गया कि वे अपनी बस्ती में किस प्रकार की वायु में साँस लेते हैं; तब ज्ञात हुआ कि १५८ उत्तरदाताओं ५२.६७% के विचार से वे लोग अपनी बस्ती में अशुद्ध वायु में साँस लेते थे बकि १४२ उत्तरदाताओं ४७.३३% के मतानुसार वे लोग शुद्ध वायु में साँस लेते थे।

इसी प्रकार जब उततरदाताओं से पूछा गया कि उन्हें किस प्रकार का जल पीने को मिलता है ; तब विदित हुआ कि १७१ उत्तरदाता ५७% मानते थे कि उन्हें अशुद्ध जल पीने को मिलता था। जबकि १२९ उत्तरदाता ४३% मानते थे कि उन्हें शुद्ध जल पीने को मिलता था।

प्रकाश हमारे लिये बहुत जरूरी है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्त्रोत सूर्य है। दिन में सूरज की रोशनी में हम प्रत्येक वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रकाश द्वारा ही हम वस्तु के आकार-प्रकार की जाँच भलीभाँति कर सकते हैं। परन्तु सूर्य का प्रकाश रात में मिलना असंभव है। इसलिये मनुष्य ने विद्युत शक्ति की खोज की तथा रात्रि में भी स्पष्ट देख सकना संभव बनाया। नगरों में प्रत्येक सड़क के किनारे खम्भे लगाकर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। परन्तु उचित क्रियान्वयन व देख रेख के अभाव में किसी-किसी स्थान पर रात्रि में खम्भों में प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो पाती है, खासतौर पर मलिन बस्तियों में। मलिन आवासों में तो वैसे ही अंधेरा - सा छाया रहता है, ऊपर से रात्रि में खम्भों में प्रकाश व्यवस्था की स्थिति भी खराब है। मलिन आवासों के निवासियों की इसी समस्या की जानकारी शोधार्थिनी द्वारा की गई। अधिकतर मलिन बस्तियाँ ऐसे स्थानों पर बनी होती हैं जहाँ नाले- नालियों का सर्वथा अभाव होता है। अगर नालियाँ हैं भी तो कच्ची बनी हैं, साथ ही मलिन बस्तियाँ ज्यादातर निचले इलाकों में बनी होती है, जैसे - चेन्नई की चेरीज़ , कानपुर के अहाते आदि। ऐसी स्थिति में बारिश के समय इन मलिन आवासों में जलभराव की समस्या खड़ी हो जाती है। जिसके कारण इनके निवासियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके साथ ही ज्यादातर मलिन आवास कच्चे तथा नमी व सीलनयुक्त होते हैं। इनमें हमेशा ही सीलन व नमी बनी रहती है। अधिक नमी व सीलन के कारण जुकाम आदि बीमारियों का संक्रमण होता है तथा भोज्य पदार्थ भी जल्दी खराब हो जाते हैं। अधिक नमी व सीलनयुक्त क्षेत्रों में मक्खी- मच्छर आदि भी खूब पनपते हैं और अनेक बीमारियाँ फैलाते हैं। मलिन आवासों में अधिक नमी व सीलन होना एक सामान्य लक्षण बन गया है। प्रस्तुत तालिका मलिन आवासों की जलभराव तथा सीलन की समस्या पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या- ६.५ (ब)

स्ट्रीट लाइट, जलभराव एवं सीलन की समस्या सम्बन्धी विवरण

क्र० स०	पर्यावरण सम्बन्धी समस्याऐं	हाँ	नहीं	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	स्ट्रीट लाईट की सुविधा	८७ (२९%)	२१३ (७१%)	३०० (१००%)
२.	जलभराव/सीलन की समस्या	२४२ (८०.६७%)	५८ (१९.३३%)	३०० (१००%)

उत्तरदाताओं से यह पूछे जाने पर कि क्या आपकी बस्ती में रात्रि में खम्भो में प्रकाश व्यवस्था होती है; ज्ञात हुआ कि २१३ उत्तरदाता ७१% मानते थे कि उनकी बस्ती में रात्रि में खम्भों में प्रकाश व्यवस्था नहीं होती थी जबकि ८७ उत्तरदाता २९% मानते थे कि उनकी बस्ती में रात्रि में खम्भों में प्रकाश व्यवस्था होती थी।

इसी प्रकार उत्तरदाताओं से उनके घरों में जलभराव/सीलन की समस्या सम्बन्धी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि २४२ उत्तरदाता ८०.६७ मानते थे कि उनके घरों में जलभराव / सीलन की समस्या है जबकि ५८ उत्तदाताओं १९.३३ के मतानुसार उनके घरों में जलभराव/सीलन की समस्या नहीं थी।

मनुष्य प्रतिदिन अनेक वस्तुऐं कूड़े - करकट के रूप में फैंकता है। मानवीय गतिविधियों तथा क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप अनेक चीजें कूड़े करकट के रूप में फैंकी जाती हैं; जैसे - धूल, राख, सब्जियों आदि के छिलके, कागज, कपड़े, पालीथिन, बैग्स, काँच तथा अन्य अनेक पदार्थ व धातुऐं आदि । यदि इस कूड़े -करकट का उचित निस्तारण हो जाये तो कोई बात नहीं परन्तु यदि कूड़े - करकट के निस्तारण में लापरवाही बरती जाये तो इसका मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है । घरों के सामने, गलियों में तथा खुले मैदानों आदि में लगे

कूड़े -करकट के ढेर मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं। कूड़े के ढेरों पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं तथा उसमें ही प्रजनन करती हैं। बाद में ये मक्खियाँ स्वच्छ भोजन आदि पर बैठकर उसे प्रदूषित करती हैं। कूड़े -करकट के ढेर चूहों को भी आकर्षित करते हैं। यदि आस-पास कोई जलस्त्रोत है तो ये कूड़ा -करकट बारिश में बहकर उसे गन्दा व प्रदूषित कर देता है जिसका प्रभाव अंततः मानव स्वास्थ्य पर ही पड़ता है। मलिन आवासों के निवासियों के समक्ष कूड़े -करकट के निस्तारण की भी समस्या हैं। प्रस्तुत तालिका मलिन आवासों में कूड़े -करकट के निस्तारण की स्थिति पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या- ६.५. - (स)

कूड़े करकट के निस्तारण की समस्या

क्रम० स०	कूड़े करकट के निस्तारण की अवधि	आवृत्ति	प्रतिशत
१.	रोजाना	९८	३२.६६%
२.	१५ दिन में	२३	७.६७%
३.	१ महीनें में	२१	७.००%
४.	कभी नहीं	१५८	५२.६७%
कुल योग		३००	१००%

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि उनकी बस्ती में कूड़े करकट का निस्तारण कब होता है, तब ज्ञात हुआ कि ९८ उत्तरदाताओं ३२.६६% के यहाँ कूड़े करकट का निस्तारण रोजाना होता था, २३ उत्तरदाताओं ७.६७% के यहाँ १५ दिन में कूड़े करकट का निस्तारण होता था, २१ उत्तरदाताओं ७% के यहाँ १ महीने में तथा १५८ उत्तरदाताओं ५२.६७% के यहाँ कूड़े करकट का निस्तारण कभी नहीं होता था।

तीखी ध्वनि या आवाज को शोर कहते हैं। ८५ से ९५ डेसीबल शोर सुनने लायक तथा १२० डेसीबल या अधिक शोर असहनशील होता है। नगरों में शोर की गति प्रतिवर्ष १ डेसीबल की रफ्तार से बढ़ रही है। महानगरों में कोलाहल दस वर्षो में दुगना हो जाता है। ''मुम्बई भारत का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला नगर है जहाँ शोर का स्तर ७५ से १०० डेसीबल तक है। दिल्ली में शोर का स्तर ६४ से ९२ डेसीबल, चेन्नई में ८९, कोलकाता में ८७, राँची में ८०, मदुराई में ७५ एवं तिरूवनन्तपुरम में ७५ डेसीबल अंकित किया गया है।''[1] शोर से हमारे श्रवणयन्त्र ही प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि इससे मनुष्य की कार्यक्षमता घटती है, झुंझलाहट बढ़ती है तथा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचाती है। मलिन आवासों में अत्यधिक जनसंख्या होने से वहाँ ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। प्रस्तुत तालिका मलिन आवासों के निवासियों की शोर सम्बन्धी समस्या पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या- ६.५. - (द)

मलिन आवासों में ध्वनि प्रदूषण की समस्या सम्बन्धी विवरण

क्रम० स०	ध्वनि की तीव्रता	आवृत्ति	प्रतिशत
१.	कम	६२	२०.६७%
२.	अधिक	१३६	४५.३३%
३.	बहुत अधिक	१०२	३४.००%
	कुल योग	३००	१००%

जब उत्तरदाताओं से उनकी बस्ती में शोरशराबे की समस्या सम्बन्धी जानकारी की गई तब ज्ञात हुआ कि १३६ उत्तरदाताओं ४५.३३% का मानना था कि

1. Gupta M.L. and Sharma D.D. (2001), Sociology, Sahitya Bhavan Publications Agra.

उनकी बस्ती में शोरशराबे की समस्या अधिक थी, १०२ उत्तरदाताओं ३४% के अनुसार शोरशराबे की समस्या बहुत अधिक थी तथा ६२ उत्तरदाताओं २०.६७% के अनुसार उनकी बस्ती में शोरशराबे की समस्या कम थी।

६. जनसंख्यात्मक समस्याऐं :-

किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति व समृद्धि उस देश की जनसंख्या के घनत्व, बनावट और गुण आदि पर निर्भर करती है। किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध साधनों की तुलना में सन्तुलित होनी चाहिये। जनाधिक्य साम्राज्यवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, पारिवारिक कष्ट एवं विघटन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जन्म देने के लिये उत्तरदायी है। देश के आर्थिक विकास की गति में बढ़ती जनसंख्या बाधक रही है। भारत में वर्ष १९९१ में देश की जनसंख्या ८४.६३ करोड़ थी जो वर्ष २००१ में बढ़ कर १०२ करोड़ हो चुकी है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है।[1] किसी भी देश की जनसंख्या का प्रभाव उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संरचना पर अवश्य पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि का मलिन आवासों के निवासियों पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है। पोषण का सर्वाधिक महत्व होता है। कुपोषण का प्रभाव किसी समुदाय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रभाव के अन्तर्गत विटामिनों की कमी से होने वाली बीमारियाँ होती हैं, जैसे - सूखा रोग, हड्डियों का मुड़ जाना विटामिन 'डी' की कमी से, विटामिन 'सी' की कमी से स्कर्वी रोग तथा अन्य विटामिनों की कमी से रक्ताल्पता, घेंघा, रिकेट्स आदि रोग हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव के अन्तर्गत शारीरिक बृद्धि रूक जाना, अधिक शिशु मृत्यु दर, कम समय में शिशुओं का जन्म, कम भार के बच्चों का जन्म, अधिक रोग दर तथा कम जीवन प्रत्याशा दर आदि आते हैं।

---

1. India, 2000, page 312.

कुपोषित व्यक्ति शीघ्र ही रोगों से संक्रमित हो जाता है। कुपोषण वर्तमान में सम्पूर्ण भारत के लिये एक समस्या बन गयी है। मलिन आवासों के निवासियों को भी कुपोषण की समस्या का सामना पड़ता है। इसका कारण मलिन आवासों के निवासियों की निर्धनता, परिवार का बड़ा आकार, अशिक्षा, भरपेट खाना न मिलना, अस्वच्छ पर्यावरण आदि हैं। जिसक फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य व कार्यक्षमता निरन्तर खराब और कम होती जा रही है। भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवाँ। स्पष्ट है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में सम्पूर्ण जनसंख्या की दृष्टि से रहने के निवास- स्थान बहुत कम हैं। सभी प्रमुख शहरों में इसी कारण मलिन बस्तियों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। नगरों की अपनी सीमा है तथा उसमें वृद्धि नहीं हो सकती है। परन्तु नगरीकरण के कारण नगरों की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इन लाखों व्यक्तियों के लिये मकानों की व्यवस्था कर पाना असंभव ही है। यही कारण है कि मलिन आवासों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनके सामने निवासस्थान की समस्या भी बढ़ती जा रही है। जनसंख्या की वृद्धि का मलिन आवासों के निवासियों की प्रवजन दर पर भी प्रभाव पड़ता है। नगरीय आकर्षण तथा जीविका की तलाश में अनेकों लोग गाँव छोड़ - छोड़ कर नगरों की ओर रूख करते हैं। इन्हें नगरों में काम तो मिलता है परन्तु रहने को घर नहीं मिलता। इसीलिये ये लोग अपने रिश्तेदारों जो कि मलिन आवासों में रह रहे होते हैं, के घरों में शरण पाते हैं और वहीं बस कर रह जाते हैं। एक तो इन आवासों में पहले ही जगह की अपर्याप्तता होती है ऊपर से प्रवजनदर अधिक होने से इनकी समस्या और बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण मलिन आवासों के निवासियों पर आश्रित भार बढ़ता जाता है। मलिन आवासों में प्राय: सभी लोगों के परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक व आमदनी

का जरिया कम होता है अर्थात मलिन आवासों में कमाने वाले कम तथा खाने वाले ज्यादा होते हैं। ऐसे में कमाने वाले सदस्यों पर आश्रितों का भार बढ़ जाता है।

जनसंख्या वृद्धि के साथ- साथ विकासशील देशों में निरक्षरों की संख्या बढ़ने की सम्भावना रहती है। भारत में २००१ मे साक्षरता की दर ६५.३८ थी। जनगणना २००१ के अनुसार देश में साक्षर लोगों की कुल संख्या ५६,६७,१४,९९५ है। पुरूषों में साक्षरता का प्रतिशत ७५.८५ तथा स्त्रियों में ५४.१६ है।[1] शिक्षा पर प्रथम पंचवर्षीच योजना में १५३ करोड़ खर्च किये गये जबकि नौवीं योजना तथा केन्द्रीय योजना में २०,३८१ करोड़ रूपये के खर्चे की व्यवस्था की गयी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के २८ वें दौर के अनुसार-शहरों में प्रति व्यक्ति शिक्षापर रू० १.३६ तथा गाँवों में मात्र २६ पैसे व्यक्ति प्रति माह खर्च हो रहा था।[2] यूनेस्कों के आँकड़ों के अनुसार-भारत में स्कूली शिक्षा पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ३३ पैसे खर्च हो रहे थे।[3] ये सभी तथ्य भारत में शिक्षा की स्थिति को प्रकट करते हैं जो असन्तोषजनक है।

मलिन आवासों के निवासियों की शिक्षा पर जनसंख्या वृद्धि के कारण बुरा प्रभाव पड़ा है। एक तो मलिन आवासों के निवासियों के परिवारों का आकार बड़ा होता है; साथ ही निर्धनता इन का सामान्य लक्षण है। जिसके कारण बच्चों को उचित शिक्षा दिला पाना इनके लिये दिवास्वप्न है। अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय कहीं भी काम पर रखवाना इनकी मजबूरी होती है। इसलिये इन बस्तियों के बच्चों में अशिक्षा अधिक पाई जाती है, जिसका सीधा सम्बन्ध जनाधिक्य से है।

अग्रलिखित तालिका मलिन आवासों के निवासियों की जनसंख्यात्मक समस्याओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

---

1. India, 2002, Page - 33
2. Report of National Sample Survey, 1995.
3. Document of UNESCO on Education in Whole World, 1998

तालिका संख्या - ६:६

जनसंख्या वृद्धि का उत्तरदाताओं पर प्रभाव सम्बन्धी विवरण

क्रम. स.	जनाधिक्य का प्रभाव	कम	सामान्य	अधिक	बिल्कुल नहीं	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	पोषण स्तर पर	५४ (१८%)	५२ (१७.३३%)	१९४ (६४.६७%)	- -	३०० (१००%)
२	जन घनत्व पर	- -	३६ (१२%)	२६४ (८८%)	- -	३०० (१००%)
३.	प्रवजन दर पर	८९ (२९.६७%)	५७ (१९%)	११३ (३७.६७%)	४१ (१३.६६%)	३०० (१००%)
४.	आश्रित भार पर	१४ (४.६६%)	४४ (१४.६७%)	२४२ (८०.६७%)	- -	३०० (१००%)
५.	पर्यावरण स्वच्छता पर	५ (१.६६%)	४७ (१५.६७%)	२४८ (८२.६७%)	- -	३०० (१००%)
६.	शिक्षा पर	३५ (११.६७%)	६७ (२२.३३%)	१९८ (६६%)	- -	३०० (१००%)

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि जनाधिक्य का उनके पोषण पर कितना प्रभाव पड़ता है; तब ज्ञात हुआ कि १९४ उत्तरदाता ६४.६७% मानते थे कि उनके पोषण पर जनाधिक्य का प्रभाव अधिक पड़ता था। इसी प्रकार ५४ उत्तरदाताओं १८% के विचार से जनाधिक्य का उनके पोषण पर कम प्रभाव पड़ता था तथा ५२ उत्तरदाताओं १७.३३% के अनुसार जनसंख्या वृद्धि का उनके पोषण पर सामान्य प्रभाव पड़ता था।

इसी प्रकार जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि उनकी बस्ती में कम जगह में कितने लोग निवास करते हैं; तब ज्ञात हुआ कि २६४ उत्तरदाताओं ८८% के मतानुसार उनकी बस्ती में कम जगह में अधिक लोग निवास करते थे। ३६ उत्तरदाता १२% मानते थे कि उनकी बस्ती में कम जगह में सामान्य लोग निवास करते थे। सुस्पष्ट है कि मलिन बस्तियों में कम जगह में अधिकांश लोग रह रहे थे।

उत्तरदाताओं से उनके घर में आजीविका कमाने के लिये आने जाने तथा रूकने वाले लोगों से सम्बन्धित जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ११३ उत्तरदाताओं ३७.६७% के मतानुसार उनके घर में आजीविका कमाने के लिये आने-जाने तथा रूकने वाले लोगों की समस्या अधिक थी। इसी प्रकार ८९ उत्तरदाता २९.६७% मानते थे कि उनके यहाँ प्रवासियों की समस्या कम थी एवं ५७ उत्तरदाताओं १९% के विचार से उनके यहाँ प्रवासियों की समस्या सामान्य थी। जबकि ४१ उत्तरदाता १३.६६% मानते थे कि उनके घर में आजीविका कमाने के लिये आने- जाने तथा रूकने वाले प्रवासियों की समस्या नहीं थी। स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के समक्ष प्रवासियों की समस्या विद्यमान थी।

उत्तरदाताओं से जब पूछा गया कि उनके ऊपर आश्रितों का भार कितना है; तब विदित हुआ कि २४२ उत्तरदाताओं ८०.६७% के अनुसार उनके ऊपर आश्रितों का भार अधिक था, ४४ उत्तरदाता १४.६७% मानते थे कि उनके ऊपर आश्रितों का भार सामान्य था तथा १४ उत्तरदाताओं ४.६६% के अनुसार उनके ऊपर आश्रितों का भार कम था। अत: स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं पर आश्रितों का भार अधिक था।

इसी प्रकार उत्तरदाताओं का पर्यावरणीय स्वच्छता की समस्या सम्बन्धी अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि २४८ उत्तरदाताओं ८२.६७% के मतानुसार जनाधिक्य का उनकी पर्यावरण स्वच्छता की समस्या पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

इसी प्रकार ४७ उत्तरदाता १५.६७% मानते थे कि उनके यहाँ पर्यावरणीय स्वच्छता की समस्या सामान्य थी तथा ५ उत्तरदाताओं १.६६% के अनुसार जनाधिक्य का उनकी पर्यावरणीय स्वच्छता की समस्या पर प्रभाव कम था।

उत्तरदाताओं से जनसंख्या वृद्धि का उनके बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव सम्बन्धी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि १९८ उत्तरदाता ६६% मानते थे कि जनसंख्या वृद्धि का उनके बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव अधिक था। इसी प्रकार ६७ उत्तरदाताओं २२.३३% के मतानुसार जनाधिक्य का उनके बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव सामान्य था तथा ३५ उत्तरदाताओं ११.६७% के विचार से जनसंख्या वृद्धि का उनके बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव कम पड़ता था।

****

अध्याय - ७

मलिन आवासों के सुधार में सरकारी प्रयत्न

अध्याय-७

मलिन आवासों के सुधार में सरकारी प्रयत्न

औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। ग्रामों से लाखों लोगों ने शहरों की ओर पलायन किया। इन ग्रामीणों को नगरों में रोजगार के नये-नये अवसर तो मिले परन्तु रहने के लिये स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर आवास नहीं मिले। जिससे ये लोग मलिन बस्तियों में रहने को मजबूर हुऐ। मलिन बस्तियों में निवास करने वाली अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने को आज बाध्य हैं निर्धनता के कारण इनमें शिक्षा का अभाव पाया जाता है तथा ये लोग अपने स्कूल जाने लायक बच्चों को भी शिक्षा से वंचित करके किसी न किसी काम धन्धें में लगवा देते हैं ताकि परिवार का भरण पोषण किसी तरह हो सके। अशिक्षा के कारण इन लोगों में नवीन प्रगतिशील विचारों तथा महत्वाकांक्षाओं का अभाव होता हैं। ये जिस हालात में रह रहे हैं उसी में संतुष्ट रहते हैं तथा भाग्यवादी व रूढ़िवादी मानसिकता वाले हो जाते हैं। इनमें स्वंयं को ऊँचा उठाने की भावना का अभाव होता है एवं नवीन अवसरों के प्रति इनमें जागरूकता कम पायी जाती है। यही कारण है कि इनकी समस्याऐं सुलझने के बजाय बढ़ती ही जाती है तथा इन परिस्थितियों में इनके सुधार हेतु सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारत एक प्रजातान्त्रिक देश है। यहाँ शासन चलाने का आधारभूत सिद्धान्त 'राज्य समाजवाद' है। भारत की शासन प्रणाली अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र पर आधारित हैं एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं तथा राज्य सरकारों को नीतियों के निर्माण में

सहायता एवं मार्गदर्शन देने के लिये राज्यों के नीतिनिर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया हैं राज्य के नीतिनिर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद २१ में राज्य को निर्देश दिये गये हैं कि राज्य व्यक्तियों के रहने के लिये पर्याप्त साधन जुटाये, उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाये तथा आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करे। अत: केन्द्र एवं राज्य सरकारों का परम कर्तव्य है कि वह मलिन आवासों के सुधार एवं विकास के लिये अधिनियमों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के सृजन द्वारा इनके जीवनस्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करें। चूँकि मलिन आवासों के अधिकांश निवासी निर्धनता, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि समस्याओं से ग्रस्त हैं, इसलिये इनके सुधार एवं विकास में सरकारी प्रयत्नों का महत्व बढ़ता ही रहा हैं। इनके सुधार एवं विकास में सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार द्वारा अनेक समस्याओं के उन्मूलन तथा नियन्त्रण के लिये गंभीर सरकारी प्रयास किये गये तो उनमें अपेक्षित सफलताऐं मिलीं, उदाहरणस्वरूप - सतीप्रथा उन्मूलन, वेश्यावृति निवारण, बालविवाह नियन्त्रण, अस्पृश्यता उन्मूलन आदि। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों जैसे- स्वास्थ्य सेवाओं, कल्याणकारी सेवाओं, अनुसूचित जाति- जनजाति कल्याण, महिला एवं बाल विकास आदि में भी सरकारी कार्यक्रमों द्वारा ही आशानुकूल परिणाम प्राप्त किये जा सके हैं। मलिन आवासों के सुधार एवं विकास के लिये यदि शासन स्तर से सार्थक प्रयास किये जायें तो इनके संदर्भ में भी आशातीत सफलता पायी जा सकती है। मलिन बस्तियों के सुधार एवं विकास हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर नवीन योजनायें क्रियान्वित कर मलिन बस्तियों के निवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के सार्थक प्रयास किये गये। इन विकास योजनाओं का संक्षिप्त वर्णन अग्रांकित है :-

(१) आवास योजनायें -

मलिन बस्तियों में प्राय: वे ही लोग शरण पाते हैं जिन्हें अन्यत्र रहने का ठिकाना नहीं मिलता है तथा इनकी आमदनी इतनी नहीं होती हैकि वे कहीं अच्छी जगह निवास कर सकें। मलिन बस्तियों के निवासियों के लिये सरकार ने निम्नलिखित आवास योजनायें चलायी हैं :-

(अ) वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना- इस योजना का प्रारम्भ वर्ष २००२ से किया गया। इस योजना को 'VAMBAY' के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य मलिन बस्तियों के निर्धन निवासियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना हैं इस योजना में लाभार्थी को मकान सरकारी भूमि पर अथवा उसकी स्वयं की भूमि पर बनाकर दिये जाते हैं। आवास की लागत रू० ४०,००० है जिसमें रू० १५,००० का ऋण बैंक द्वारा, रू० ५,००० लाभार्थी को स्वयं तथा रू० २०,००० शासन द्वारा अनुदान स्वरूप दिये जाते हैं।

(ब) निर्मल भारत अभियान योजना - यह योजना वर्ष २००१ से प्रारम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश्य मलिन बस्तियों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना है। इसके अन्तर्गत लागत का ५० प्रतिशत स्थानीय निकाय, सांसद अथवा विधायक निधि से तथा ५० प्रतिशत शासन द्वारा व्यय किया जाता है।

२. **गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम** - गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली नगरीय जनता के उत्थान के लिये निम्नलिखित योजनायें शासन द्वारा संचालित की जा रही है :-

(अ) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार ऋण योजना - इस योजना का प्रारम्भ १ दिसम्बर १९९७ से हुआ। इसका उद्देश्य नगरीय निर्धनों को शासन द्वारा विभिन्न

रोजगार शुरू करने के लिये रू० ५०,००० तक का ऋण बैंक से माध्यम से मुहैया कराना है।

(ब) स्वयं सहायता समूह योजना - इस योजना का उद्देश्य शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने तथा उनके जीवन-स्तर को उठाने के लिये बचत करने को प्रोत्साहित करना है। इसके अन्तर्गत १० से १५ महिलाओं के समूह बनाकर एक निश्चित रकम बैंक में जमा करायी जाती है। वर्ष के अन्त में समूह द्वारा जमा की गयी राशि के बराबर धन/रिवाल्विंगफंड शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता है।

(स) रोजगारपरक प्रशिक्षण योजना - इस योजना का उद्देश्य नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल सुधार के दृष्टिकोण से रोजगारपरक प्रशिक्षण का कार्य कराया जाता है। जिससे वे रोजगार करके स्वावलम्बी बन सकें। इसके अन्तर्गत टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण, हथकरघा/बढ़ईगीरी प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण, फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण, टी०वी०/रेडियो मरम्मत प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिशियन आदि प्रशिक्षण कार्य कराये जाते है।

(द) राशन व्यवस्था - गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को कम धन में खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु सरकारी गल्ले की दुकानें राशन व्यवस्था के अन्तर्गत खोली गयी हैं। इन दुकानों पर गेहूँ, चावल, शक्कर तथा केरोसीन (मिट्टी का तेल) बाजार मूल्य से कम दामों पर गरीब जनता को उपलब्ध कराया जाता है।

३. सामाजिक कल्याण योजनायें-

इसके अन्तर्गत अग्रलिखित योजनायें शासन द्वारा संचालित की जा रही है :-

(अ) विधवा पेंशन योजना- इस योजना का उद्देश्य ऐसी निराश्रित महिलाओं, जिनके पति की मृत्यु हो गयी हो, के भरण-पोषण के लिये सहायक अनुदान के रूप में मासिक पेंशन दिया जाना है। इसके अन्तर्गत रू० १२५ मासिक पेंशन लाभार्थी को दी जाती है।

(ब) वृद्धावस्था पेंशन योजना -इस योजना का उद्देश्य ६० वर्ष से ऊपर के निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को रू० १५०/- प्रतिमाह की दर से सहायक अनुदान के रूप में मासिक पेंशन दिया जाना है।

(स) विकलांग पेंशन योजना - इसका उद्देश्य विकलांगों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हैं। इस योजना के अन्तर्गत ४० प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को रू० १२५/- प्रतिमाह की दर से भरणपोषण अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें बैसाखी, कृत्रिम पैर, जूते, श्रवणयन्त्र आदि भी समय-समय पर उपलब्ध कराये जाते है।

(द) बालिका समृद्धि योजना - इस योजना के अन्तर्गत वर्ष १९९७ के बाद पैदा हुई दूसरी पुत्री तक के लिये बच्ची के जन्म के समय रू० ५००/- शासन द्वारा दिये जाते हैं।

(य) कन्या विद्या धन योजना - इस योजना का प्रारम्भ वर्ष २००४ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की ऐसी बालिकाओं को जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, को शासन द्वारा रू० २०,००० /- प्रति बालिका प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

४. अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण योजनाऐं :-

अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों के कल्याण तथा उन्हें समाज में उचित सम्मान दिलाने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाऐं चलायी जा रही हैं :-

(अ) मातृत्व लाभ योजना - इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली १९ वर्ष से अधिक की महिलाओं को दो गर्भ धारण करने तक रू० ५००/- की धनराशि स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

(ब) बालिका विवाह सहायता योजना - इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अपनी पुत्री के विवाह हेतु अनुदान प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रू० २५,५४६ (शहरी क्षेत्र में) है अथवा इससे कम है, उनकी पुत्री के विवाह के लिये रू० १०,००० की सहायता धनराशि प्रशासन द्वारा प्रदान की जाती है।

(स) निःशुल्क शिक्षा योजना - अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में शिक्षा का व्यापक प्रसार करने हेतु इन जातियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।

(द) निःशुल्क पुस्तक सुविधा योजना- इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति-जनजाति के बच्चों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तक सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वे अधिकाधिक शिक्षा ग्रहण कर सकें तथा उनकी निर्धनता उनकी शिक्षा में बाधा न बनने पाये।

(य) छात्रवृत्ति योजना - समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं विमुक्ति जाति के छात्रों को जो परिषदीय/राजकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति के लिये दरें एवं अभिभावक की वार्षिक आय निम्न प्रकार है :-

क्रम	कक्षा	दर	आय-सीमा
१.	प्राइमरी कक्षा १-५	रू० २५/- प्रतिमाह	अनिवार्य छात्रवृत्ति (कोई आय-सीमा नहीं)
२.	जूनियर कक्षा ६-८	रू० ४०/- प्रतिमाह	अनिवार्य छात्रवृत्ति (कोई आय-सीमा नहीं)
३.	कक्षा ९-१०	रू० ६०/- प्रतिमाह	रू० ३०,००० वार्षिक

दशमोत्तर कक्षाओं के लिये जिन अभिभावकों की आय रू० ३८,२२० वार्षिक है, उनके बच्चों को पूरी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रदान किया जाता है। रू० ३८,२२० से रू० ५०,९२० वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों को मेडीकल , इन्जीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में पूरी दर पर तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिये आधी दर पर छात्रवृत्ति एवं सम्पूर्ण शुल्क देय हैं।

क्रम	कक्षा	दर	आय-सीमा
१.	कक्षा ११-१२	रू० १४०/- प्रतिमाह	रू० १ लाख
२.	बी०ए० प्रथम वर्ष (छात्रावास में रहने वाले)	रू० १८५/- प्रतिमाह	रू० १ लाख
३.	बी०ए० द्वितीय वर्ष से एम०ए० (सामान्य)	रू० १२०/- प्रतिमाह	रू० १ लाख
	(छात्रावास में रहने वाले)	रू० ३५५/- प्रतिमाह	रू० १ लाख
४.	प्राविधिक शिक्षा डिग्री कोर्स (सामान्य)	रू० ३३०/- प्रतिमाह	रू० १ लाख
	(छात्रावास में रहने वाले)	रू० ५१०/- प्रतिमाह	रू० १ लाख
५.	प्राविधिक शिक्षा डिप्लोमा (सामान्य)	रू० ३३०/- प्रतिमाह	रू० १ लाख
	(छात्रावास में रहने वाले)	रू० ५१०/- प्रतिमाह	रू० १ लाख
६.	मेडीकल/इन्जीनियरिंग (सामान्य)	रू० ३३०/- प्रतिमाह	रू० १ लाख
	(छात्रावास में रहने वाले)	रू० ५१०/- प्रतिमाह	रू० १ लाख

छात्रवृत्ति धनराशि समाज कल्याण विभाग द्वारा सम्बन्धित संस्था को भेज दी जाती है जहाँ से उसका नियमानुसार वितरण किया जाता है।

५. पर्यावरणीय सुधार योजनाऐं -

मलिन बस्तियों के अस्वच्छ पर्यावरण के सुधार हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाऐं चलायी जा रही हैं :-

(अ) सुलभ शौचालय योजना - इस योजना का उद्देश्य मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत जिन मलिन बस्तियों में शौचालय उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ सुलभ शौचालय काम्प्लैक्स का निर्माण कराया जाता हैं इसके रखरखाव हेतु प्रतिमाह न्यूनतम शुल्क प्रति परिवार से लिया जाता है।

(ब) शौचालय निर्माण योजना - इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के लिये व्यक्तिगत शौचालय बनवाने हेतु सुपर स्ट्रक्चर रहित बेसिक लो कास्ट यूनिट (बी.एल.सी.यू.) का निर्माण कराया जाता हैं कुल लागत का ५० प्रतिशत ऋण, ५ प्रतिशत लाभार्थी अंशदान व ४५ प्रतिशत अनुदान राशि देय होती है।

(स) खड़ण्जा निर्माण योजना - इस योजना के अन्तर्गत मलिन बस्तियों की कच्ची गलियों में खड़ण्जा निर्माण कार्य कराया जाता है।

(द) नाली निर्माण योजना - मलिन बस्तियों में प्राय: नालियों का अभाव होता है। तथा गन्दा पानी सर्वत्र फैला रहता है। इस समस्या से निपटने व पर्यावरण सुधार के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा मलिन बस्तियों की सड़कों के दोनों ओर पक्की नालियों का निर्माण कराया जाता है।

(य) शुद्ध जलापूर्ति योजना - इस योजना का उद्देश्य मलिन बस्तियों के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अन्तर्गत नवीन पाइप लाइन बिछायी जाती हैं तथा विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प लगाये जाते हैं ।

६. स्वास्थ्य योजनाऐं :-

(अ) परिवार नियोजन कार्यक्रम- भारत में वर्ष १९५२ से जनसंख्या नियन्त्रण एवं परिवार कल्याण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार परिसीमन की विधियों यथा-निरोध, कॉपर-टी, खाने वाली गोली तथा नसबन्दी के द्वारा जन्मदर में कमी लाने के साथ ही माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण सम्बन्धी सेवाओं जैसे गर्भावस्था में समुचित देखभाल, गर्भवती माताओं को टिटनेस से बचाव के दो टीके, सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था तथा प्रसव के बाद देखभाल, बच्चों का टीकाकरण, दस्त, निमोनिया, विटामिन 'ए' की कमी व खून की कमी आदि का उपचार प्रदान करना है ताकि लोग माताओं के बेहतर स्वास्थ्य व बच्चों की दीर्घायु के प्रति आश्वस्त होकर ''छोटे परिवार'' की अवधारणा को स्वयं स्वीकार कर सकें।

(ब) सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम - इस कार्यक्रम के उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव व प्रसव के बाद सभी स्त्रियों तथा शिशुओं की आवश्यक देखभाल, गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न हुई समस्याओं की शीघ्र जाँच व निदान तथा परिवार नियोजन पर भी बल देना है।

(स) शिशु संजीवन कार्यक्रम - इसका मुख्य उद्देश्य शिशु मृत्यु-दर में कमी लाना है। भारत में शिशु मृत्यु दर ८५ है यानि प्रत्येक हजार जीवित जन्म लेने

वाले शिशुओं में से ८५ जीवन के पहले वर्ष में ही कम वजन, निर्जलीकरण, फेफड़ों में संक्रमण, निमोनिया, टिटनेस, खसरा, कुपोषण आदि कारणों से मर जाते है। इस योजना के अन्तर्गत बच्चों को छः जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण, दस्त, निमोनिया, विटामिन 'ए' की कमी, पोलियो के टीके आदि उपलब्ध कराना है ताकि बच्चों की दीर्घायु सुनिश्चित हो।

(द) संक्रामक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम- इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य संक्रामक रोगों का प्रभावी नियन्त्रण करना है। इसके अन्तर्गत मलिन बस्ती क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है ताकि मलेरिया, हैजा, टाइफाइड आदि रोगों के जीवाणुओं तथा विषाणुओं का सफाया हो सके।

(य) आँगनवाड़ी योजना- इस योजना का मुख्य उद्देश्य आँगन वाड़ी केन्द्रों के माध्यम से १-६ वर्ष की आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराना, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्देशन एवं सन्दर्भ सेवाऐं तथा ६ वर्ष तक के बच्चों को स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है। आँगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री तथा सहायिका के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक १००० जनसंख्या पर एक आँगनावाड़ी केन्द्र खोलने की व्यवस्था है।

सुस्पष्ट है कि मलिन आवासों के निवासियों के विकास तथा जीवनस्तर को ऊँचा उठाने हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। जनपद झाँसी में सरकार द्वारा मलिन आवासों के निवासियों के सुधार हेतु चलायी जा रही योजानाओं तथा उसमें व्यय धनराशि दर्शाया गया है :-

प्रस्तुत सारणी में वर्ष १९९८-९९ तथा १९९९-२००० में डूडा द्वारा मलिन बस्तियों के सुधार हेतु कराये गये कार्यों तथा व्यय धनराशि का विवरण दिया गया है :-

क्र. स.	कार्य का विवरण	वर्ष १९९८-१९९९		वर्ष १९९९-२०००	
		कार्य	व्यय धनराशि	कार्य	व्यय धनराशि
१.	नाली निर्माण	२०८४.०० (रन मी०)	रू० ११,५७,३६६	२५९३.१० (रन मी०)	रू० १९,१५,५२१
	खड़ण्जा निर्माण	१७८०.९० (रन मी०)		१४५६.६० (रन मी०)	
२.	सामुदायिक केन्द्र	३	रू० ४,८८,६०१	५	रू० ८,१४,३३५
३.	सार्वजनिक शौचालय निर्माण	५	उपलब्ध नहीं	९	उपलब्ध नहीं

स्रोत : विकास के बढ़ते कदम, नगर पालिका परिषद, झाँसी स्मारिका - २०००.

वर्ष १९९९-२००० में डूडा द्वारा संचालित योजनाओं तथा लाभार्थियों का विवरण

क्र.स.	योजनाओं का विवरण	लाभार्थियों की संख्या
१.	स्वत: रोजगार योजना	२८३
२.	कौशल सुधार योजना	२७५
३.	आश्रय सुधार हेतु ऋण वितरण	१३९

स्रोत: विकास के बढ़ते कदम, नगर पालिका परिषद, झाँसी स्मारिका-२०००

विभिन्न वर्षो में डूडा द्वारा मलिन बस्तियों की निवासियों के लिये संचालित योजनाओं में व्यय धनराशि तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण अग्रांकित सारणी में दर्शाया गया है :-

विभिन्न वर्षो में डूडा द्वारा संचालित योजनाओं में व्यय धनराशि व लाभार्थियों का विवरण :-

योजनाऐं	वर्ष २००१-०२		वर्ष २००२-०३		वर्ष २००३-०४		वर्ष २००४-०५	
	व्यय धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	व्यय धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	व्यय धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	व्यय धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
नगरीय स्वरोजगार योजना	रू० ३८.०८ लाख	९५२	रू० ९.५३ लाख	१९१	रू० ५.०३ लाख	१२८	रू० ४.०२ लाख	१५०
स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना	रू० ५.१० लाख	१८३	रू० १.०८ लाख	५४	रू० ८.३० लाख	१०८०	रू० ७.६६ लाख	४२५
नगरीय मजदूरी योजना	रू० ३८.३८ लाख	३१३३१	रू० १५.२४ लाख	१२४४१	रू० ५.९१ लाख	४१४७	रू० ५.८४ लाख	३८५३
सामुदायिक ढाँचा	रू० १२.३३ लाख	-	रू० ४.८७ लाख	-	रू० ४.६९ लाख	-	रू० ४.४९ लाख	-
ड्वाकुआ	रू० १४.५० लाख	२९ समूह	रू० १७.७९ लाख	१३ समूह	रू० १४.०० लाख	११ समूह	रू० २.२३ लाख	२ समूह
थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट	रू० ८.३० लाख	८३०	रू० ६.३४ लाख	१८१	रू० ५.२४ लाख	३७५	रू० ३.२३ लाख	१९०
राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना	रू० ९८.६९ लाख	१०४२८२	रू० ७३.०० लाख	७९११८	रू० १३.०० लाख	५५०७९	रू० ६१.७९ लाख	५४३४८

स्रोत :- जिला नगरीय विकास अभिकरण, जनपद झांसी, उत्तर प्रदेश

स्पष्ट है कि सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के सुधार के अनेक प्रयत्न किये गये परन्तु इन प्रयत्नों के बावजूद समस्याओं का उचित तथा सम्पूर्ण समाधान नहीं हुआ तो इसके उत्तरदायी कारक- राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव, कर्मचारियों की रूचि का अभाव तथा लापरवाही, जनता के स्तर पर-जनता की अशिक्षा, लापरवाही, अजागरूकता, जनसहभागिता का अभाव, स्वयं सुधार करने की प्रवृत्ति का अभाव तथा क्रियात्मक सृजन का अभाव आदि हैं।

गैरसरकारी क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा जो योगदान किया जाना चाहिये था, उसमें वे असफल रहे। हांलाकि स्वैच्छिक संगठनों, निजी क्षेत्रों, हाऊसिंग बोर्डो, मिलमालिकों आदि के द्वारा मलिन बस्तियों के सुधार के प्रयत्न हुऐ हैं। परन्तु ये प्रयास ऊँट के मुंह में जीरा ही साबित हुऐ हैं। वित्तीय संसाधनों का अभाव, सर्वव्याप्त भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति आदि कारण हैं जिनकी वजह से मलिन आवासों के सुधार के प्रयत्न सफल नहीं हो पाये हैं। इसलिये मलिन आवासों के सुधार एवं विकास के लिये बहुत कुछ करना अभी बाकी है।

शोधार्थिनी द्वारा मलिनआवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं का सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सन्दर्भ में भी अध्ययन किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य चयनित उत्तरदाताओं में विकास योजनाओं की जानकारी, बैठकों में भाग लेना, योजनाओं का लाभ उठाना, लाभ उठाने में आने वाली कठिनाईयों तथा उन्हें दूर करने हेतु दिये गये सुझावों तथा विकास योजनाओं का उनके जीवन के विभिन्न पक्षों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना था। चयनित उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त जानकारियाँ उल्लेखनीय हैं।

प्रस्तुत तालिका में चयनित उत्तरदाताओं में विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी सम्बन्धी विवरण पर अलग-अलग प्रकाश डाला गया है :-

तालिका संख्या - ७.१ (अ)

उत्तरदाताओं में आवासीय योजनाओं की जानकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.म.	आवासीय योजनाऐं	हाँ	नहीं	योग
१.	वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना	१०७ (३५.६७%)	१९३ (६४.३३%)	३०० (१००%)
२.	निर्मल भारत अभियान योजना	११५ (३८.३३%)	१८५ (६१.६७%)	३०० (१००%)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं से जब उल्लेखित आवासीय योजनाओं की जानकारी की गई तब ज्ञात हुआ कि चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से १९३ उत्तरदाताओं ६७.३३ % को वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की जानकारी नहीं थी तथा १०७ उत्तरदाता ३५.६७% इस योजना के बारे में जानते थे। इसी प्रकार १८५ उत्तरदाताओं ६१.६७% को निर्मल भारत अभियान योजना की जानकारी नहीं थी जबकि ११५ उत्तरदाता ३८.३३% इस योजना को जानते थे।

तालिका संख्या - ७.१ (ब)

उत्तरदाताओं में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की जानकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.म.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	हाँ	नहीं	योग
१.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार ऋण योजना	१०५ (३५%)	१९५ (६५%)	३०० (१००%)
२.	बैंक ऋण योजना	१४० (४६.६७%)	१६० (५३.३३%)	३०० (१००%)
३.	स्वयं सहायता समूह योजना	११४ (३८%)	१८६ (६२%)	३०० (१००%)
४.	रोजगार परक प्रशिक्षण योजना	१२७ (४२.३३%)	१७३ (५७.६७%)	३०० (१००%)
५.	राशन व्यवस्था	२४६ (८२%)	५४ (१८%)	३०० (१००%)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि वे उपरोक्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की जानकारी रखते हैं, तब ज्ञात हुआ कि १०५ उत्तरदाताओं ३५% ने स्वीकार किया कि वे स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार ऋण योजना जानते थे तथा १९५ उत्तरदाताओं ६५% में इस योजना की जानकारी का अभाव था। १४० उत्तरदाता ४६.६७% बैंक ऋण योजना के बारे में जानकारी रखते थे जबकि १६० उत्तरदाताओं ५३.३३% को इस योजना की जानकारी नहीं थी। ११४ उत्तरदाता ३८% स्वयं सहायता समूह योजना के बारे में जानते थे जबकि १८६ उत्तरदाता ६२% इस योजना से अनभिज्ञ थे। १२७ उत्तरदाताओं ४२.३३% को रोजगारपरक प्रशिक्षण योजना की जानकारी थी जबकि १७३ उत्तरदाताओं ५७.६७% में इस योजना के ज्ञान का अभाव था। इसी प्रकार २४६ उत्तरदाताओं ८२% को राशन व्यवस्था की जानकारी थी जबकि ५४ उत्तरदाताओं १८% को राशन व्यवस्था की जानकारी नहीं थी।

<u>तालिका संख्या - ७.१ (स)</u>

उत्तरदाताओं में सामाजिक कल्याण योजनाओं की जानकारी सम्बन्धी विवरण

क्र. स.	सामाजिक कल्याण योजनाऐं	हाँ	नहीं	योग
१.	विधवा पेंशन योजना	१७४ (५८%)	१२६ (४२%)	३०० (१००%)
२.	वृद्धावस्था पेंशन योजना	१९१ (६३.६७%)	१०९ (३६.३३%)	३०० (१००%)
३.	विकलांग पेंशन योजना	१२१ (४०.३३%)	१७९ (५९.६७%)	३०० (१००%)
४.	बालिका समृद्धि योजना	१०४ (३४.६७%)	१९६ (६५.३३%)	३०० (१००%)

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से विदित होता है कि उत्तरदाताओं में सामाजिक कल्याण योजनाओं की जानकारी सम्बन्धी अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि १७४ उत्तरदाताओं ५८% को विधवा पेंशन योजना की जानकारी थी जबकि १२६ उत्तरदाता ४२% इस योजना के बारे में नहीं जानते थे। १९१ उत्तरदाता ६३.६७% वृद्धावस्था पेंशन योजना की जानकारी रखते थे जबकि १०९ उत्तरदाता ३६.३३% इस योजना से अनभिज्ञ थे। १२१ उत्तरदाता ४०.३३% विकलांग पेंशन योजना को जानते थे जबकि १७९ उत्तरदाता ५९.६७% इस योजना से अनभिज्ञ थे। इसी प्रकार १०४ उत्तरदाताओं ३४.६७% को बालिका समृद्धि योजना की जानकारी थी जबकि १९६ उत्तरदाताओं ६५.३३% में इस योजना की जानकारी का अभाव था।

तालिका संख्या- ७.१(द)

उत्तरदाताओं में अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण योजनाओं की जानकारी सम्बन्धी विवरण

क्र. स.	अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण योजनाऐं	हाँ	नहीं	योग
१.	मातृत्व लाभ योजना	९७ (३२.३३%)	२०३ (६७.६७%)	३०० (१००%)
२.	बालिका विवाह सहायता योजना	११८ (३९.३३%)	१८२ (६०.६७%)	३०० (१००%)
३.	नि:शुल्क शिक्षा योजना	२६५ (८८.३३%)	३५ (११.६७%)	३०० (१००%)
४.	छात्रवृत्ति योजना	२०९ (६९.६७%)	९१ (३०.३३%)	३०० (१००%)
५.	नि:शुल्क पुस्तक सुविधा योजना	२२८ (७६%)	७२ (२४%)	३०० (१००%)

प्रस्तुत तालिका के विवेचन से स्पष्ट होता है कि जब उत्तरदाताओं में अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण योजनाओं की जानकारी सम्बन्धी अध्ययन किया गया तब विदित हुआ कि ९७ उत्तरदाताओं ३२.३३% ने स्वीकार किया कि उन्हें मातृत्व लाभ योजना की जानकारी थी जबकि २०३ उत्तरदाताओं ६७.६७% में इस योजना की जानकारी का अभाव था। ११८ उत्तरदाता ३९.३३% बालिका विवाह सहायता योजना की जानकारी रखते थे जबकि १८२ उत्तरदाता ६०.६७% इस योजना से अनभिज्ञ थे। २०९ उत्तरदाताओं ६९.६७% को छात्रवृत्ति योजना की जानकारी थी जबकि ९१ उत्तरदाताओं ३०.३३% को इस योजना की जानकारी नहीं थी। २६५ उत्तरदाता ८८.३३% नि:शुल्क शिक्षा योजना के बारे में जानते थे जबकि ३५उत्तरदाता ११.६७% इस योजना के बारे में नहीं जानते थे। इसी प्रकार २२८ उत्तरदाताओं ७६% को नि:शुल्क पुस्तक सुविधा योजना की जानकारी थी जबकि ७२ उत्तरदाताओं २४% में इस योजना की जानकारी का अभाव था।

तालिका संख्या - ७.१ (य)

उत्तदाताओं में पर्यावरण सुधार योजनाओं की जानकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.स.	पर्यावरण सुधार योजनाऐं	हाँ	नहीं	योग
१.	सुलभ शौचालय योजना	१७३ (५७.६७%)	१२७ (४२.३३%)	३०० (१००%)
२.	शौचालय निर्माण योजना	१५३ (५१%)	१४७ (४९%)	३०० (१००%)
३.	खड़ण्जा निर्माण योजना	१९७ (६५.६७%)	१०३ (३४.३३%)	३०० (१००%)
४.	नाली निर्माण योजना	२११ (७०.३३%)	८९ (२९.६७%)	३०० (१००%)
५.	शुद्ध जलापूर्ति योजना	२८० (९३.३३%)	२० (६.६७%)	३०० (१००%)

ग्राफ सं. ४
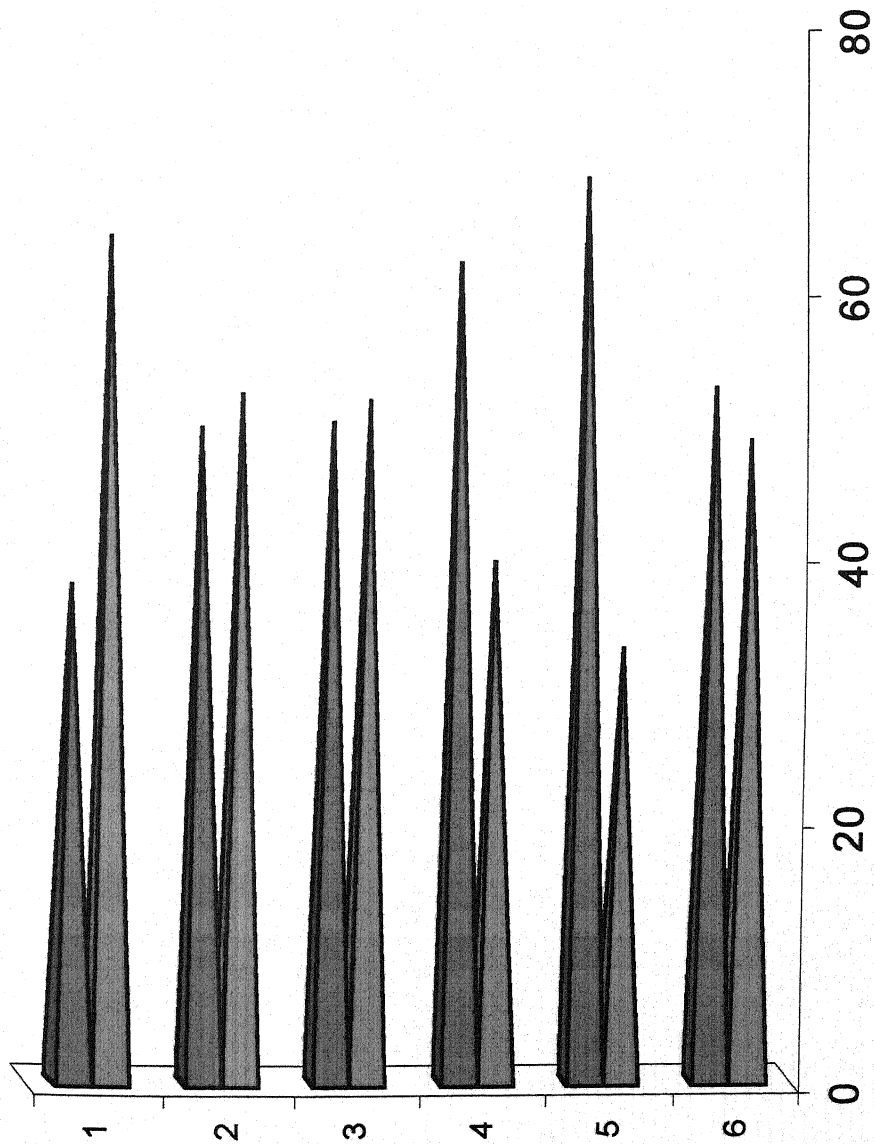
उत्तरदाताओं में विकास योजनाओं की जानकारी सम्बन्धी विवरण

जब उत्तरदाताओं में उपरोक्त पर्यावरण सुधार योजनाओं के ज्ञान सम्बन्धी जानकारी की गयी, तब ज्ञात हुआ कि १७३ उत्तरदाताओं ५७.६७% ने स्वीकार किया कि वे सुलभ शौचालय योजना के बारे में जानते थे जबकि १२७ उत्तरदाता ४२.३३% इस योजना से अनभिज्ञ थे। १५३ उत्तरदाताओं ५१% को शौचालय निर्माण योजना की जानकारी थी जबकि १४७ उत्तरदाता ४९% इस योजना के बारे में नहीं जानते थे। १९७ उत्तरदाताओं ६५.६७% को खड़ण्जा निर्माण योजना की जानकारी थी जबकि १०३ उत्तरदाताओं ३४.३३% को इस योजना की जानकारी नहीं थी। २११ उत्तरदाता ७०.३३% नाली निर्माण योजना के बारे में जानते थे जबकि ८९ उत्तरदाता २९.६७% इस योजना को नहीं जानते थे। इसी प्रकार २८० उत्तरदाताओं ९३.३३% को शुद्ध जलापूर्ति योजना की जानकारी थी जबकि २० उत्तरदाताओं ६.६७% में इस योजना की जानकारी का अभाव था।

<u>तालिका संख्या - ७.१ (र)</u>

उत्तरदाताओं में स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.स.	स्वास्थ्य योजनाऐं	हाँ	नहीं	योग
१.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	१९५ (६५%)	१०५ (३५%)	३०० (१००%)
२.	शिशु संजीवन कार्यक्रम	११७ (३९%)	१८३ (६१%)	३०० (१००%)
३.	सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम	१३७ (४५.६७%)	१६३ (५४.३३%)	३०० (१००%)
४.	संक्रामक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	२२१ (७३.६७%)	७९ (२६.३३%)	३०० (१००%)
५.	आँगनवाड़ी योजना	२१८ (७२.६७%)	८२ (२७.३३%)	३०० (१००%)

उपरोक्त स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी मलिन आवासों के चयनित उत्तरदाताओं में होने सम्बन्धी अध्ययन से विदित हुआ कि १९५ उत्तरदाताओं ६५% को परिवार नियोजन कार्यक्रम की जानकारी थी जबकि १०५ उत्तरदाताओं ३५% में इस योजना की जानकारी का अभाव था। ११७ उत्तरदाता ३९% शिशु संजीवन कार्यक्रम के बारे में जानते थे जबकि १८३ उत्तरदाता ६१% इस योजना से अनभिज्ञ थे। १३७ उत्तरदाताओं ४५.६७% को सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम की जानकारी थी जबकि १६३ उत्तरदाताओं ५४.३३% को इस योजना की जानकारी नहीं थी। २२१ उत्तरदाता ७३.६७% संक्रामक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम को जानते थे जबकि ७९उत्तरदाताओं २६.३३% में इस योजना की जानकारी का अभाव था। इसी प्रकार २१८ उत्तरदाताओं ७२.६७ को आँगनवाड़ी योजना की जानकारी थी जबकि ८२ उत्तरदाताओं २७.३३% में इस योजना की जानकारी का अभाव था।

प्रस्तुत तालिका उत्तरदाताओं द्वारा विकास योजनाओ की बैठक में भाग लेने सम्बन्धी विवरण पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या - ७.२

उत्तरदाताओं द्वारा विकास योजनाओं की बैठक में भाग लेने सम्बन्धी विवरण

क्र. स.	योजनाओं की बैठक सम्बन्धी विवरण	कभी कभी	अक्सर	कभी नहीं	योग
१.	बैठक में भाग लेना	९७ (३२.३३%)	६१ (२०.३३%)	१४२ (४७.३४%)	३०० (१००%)
२.	बैठक में भाग लेने को पड़ोसी को कहना	८० (२६.६७%)	५५ (१८.३३%)	१३५ (४५%)	३०० (१००%)
३.	बैठकों में प्राप्त जानकारी को दूसरे को बताना	६० (२०%)	३८ (१२.६७%)	२०२ (६७.३३%)	३०० (१००%)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जब उत्तरदातओं से पूछा गया कि क्या वे विकास योजनाओं की बैठक में भाग लेते हैं, तब ज्ञात हुआ कि १४२ उत्तरदाताओं ४७.३४% ने स्वीकार किया कि वे विकास योजनाओं की बैठक में कभी भी भाग नहीं लेते थे, ९७ उत्तरदाता ३२.३३% कभी-कभी तथा ६१ उत्तरदाता २०.३३% अक्सर बैठक में भाग लेते थे। इसी प्रकार जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि वे बैठक में भाग लेने को अपने पड़ोसी को कहते हैं, तब विदित हुआ कि १३५ उत्तरदाता ४५% अपने पड़ोसी से योजनाओं की बैठक में भाग लेने के लिये कभी नहीं कहते थे, ८० उत्तरदाता २६.६७% कभी-कभी तथा ५५ उत्तरदाता १८.३३ अक्सर अपने पड़ोसी से बैठक में भाग लेने को कहते थे। योजनाओं की बैठक में प्राप्त जानकारी किसी दूसरे को कभी नहीं बताते थे, ६० उत्तरदाता बताने के सम्बन्ध में पूछने पर पता चला कि २०२ उत्तरदाता ६७.३३% बैठक में प्राप्त जानकारी किसी दूसरे को कभी-कभी तथा ३८ उत्तरदाता १२.६७% अक्सर बैठक में प्राप्त जानकारी दूसरे को बताते थे।

प्रस्तुत तालिका में विकास योजनाओं का लाभ उठाने हेतु उत्तरदाताओं द्वारा दूसरे को प्रेरित करने सम्बन्धी विवरण पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है:-

तालिका संख्या - ७.३

उत्तरदाताओं द्वारा विकास योजनाओं से लाभ उठाने के लिये किसी को प्रेरित करने सम्बन्धी विवरण

मद	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	९५	३१.६७%
नहीं	२०५	६८.३३%
कुल योग	३००	१००%

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के विवेचन से स्पष्ट है कि जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या वे विकास योजनाओं का लाभ उठाने के लिये किसी दूसरे को प्रेरित करते हैं, तब ज्ञात हुआ कि २०५ उत्तरदाता ६८.३३% कभी भी विकास योजनाओं का लाभ उठाने के लिये दूसरे को प्रेरित नहीं करते थे जबकि ९५ उत्तरदाताओं ३१.६७% ने स्वीकार किया कि वे विकास योजनाओं का लाभ उठाने के लिये दूसरे लोगों को प्रेरित करते थे।

प्रस्तुत सारणी में उत्तरदाताओं की योजनाओं से संतुष्टि तथा योजनाओं का क्रियान्वयन भविष्य में रखने सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है :-

तालिका संख्या - ७.४

उत्तरदाताओं की योजनाओं से संतुष्टि तथा क्रियान्विति सम्बन्धी विवरण

क्र.स.	मद	कम	सामान्य	अधिक	योग
१.	योजनाओं से संतुष्टि	१७५ (५८.३४%)	१०९ (३६.३३%)	१६ (५.३३%)	३०० (१००%)
२.	योजनाओं का भविष्य में क्रियान्वयन	२७ (९%)	९१ (३०.३३%)	१८२ (६०.६७%)	३०० (१००%)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका से सुस्पष्ट है कि १७५ उत्तरदाता ५८.३४% विकास योजनाओं से कम संतुष्ट थे, १०९ उत्तरदाता ३६.३३% सामान्य तथा १६ उत्तरदाता ५.३३% ही विकास योजनाओं से अधिक संतुष्ट थे।

इसी प्रकार इन योजनाओं का भविष्य में कितना क्रियान्वयन रखा जाये, यह पूछने पर पता चला कि १८२ उत्तरदाताओं ६०.६७% के अनुसार इन योजनाओं का क्रियान्वयन भविष्य में अधिक रखा जाये, ९१ उत्तरदाता ३०.३३% मानते थे कि

योजनाओं का क्रियान्वयन सामान्य रखा जाये तथा २७ उत्तरदाता ९% मानते थे कि भविष्य में योजनाओं का क्रियान्वयन कम रखा जाये।

प्रस्तुत तालिका विकास योजनाओं के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की राय पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है:-

तालिका संख्या - ७.५

उत्तरदाताओं की विकास योजनाओं के सम्बन्ध में राय सम्बन्धी विवरण

मद	आवृत्ति	प्रतिशत
अच्छी	१९३	६४.३४%
उत्तम	५२	१७.३३%
अति उत्तम	-	०%
सर्वोत्तम	१५	५%
बुरी	४०	१३.३३%
कुल योग	३००	१०० %

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब उत्तरदाताओं से विकास योजनाओं के सम्बन्ध में राय माँगी गयी तब १९३ उत्तरदाताओं ६४.६७% ने स्वीकार किया कि विकास योजनाऐं अच्छी थीं, ५२ उत्तरदाता १७.३३% इन्हें उत्तम मानते थे, ४० उत्तरदाताओं १३.३३% ने स्वीकार किया कि विकास योजनाऐं बुरी थीं तथा १५ उत्तरदाताओं ५% का मानना था कि विकास योजनाऐं सर्वोन्तम थीं।

प्रस्तुत तालिकाऐं चयनित उत्तरदाताओं द्वारा विकास योजनाओं का लाभ उठाने सम्बन्धी विवरण पर संक्षिप्त प्रकाश डालती हैं :-

तालिका संख्या ७.६ (अ)

उत्तरदाताओं द्वारा आवासीय योजनाओं का लाभ उठाने सम्बन्धी विवरण

क्र.स.	आवासीय योजनाऐं	हाँ	नहीं	योग
१.	वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना	५८ (१९.३३%)	२४२ (८०.६७%)	३०० (१००%)
२.	निर्मल भारत अभियान योजना	६४ (२१.३३%)	२३६ (७८.६७%)	३०० (१००%)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के अध्ययन से विदित होता है कि मलिन बस्तियों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से ५८ उत्तरदाताओं १९.३३% को वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना का लाभ मिला था। जबकि २४२ उत्तरदाता ८०.६७% इस योजना के लाभ से वंचित रह गये थे। इसी प्रकार ६४ उत्तरदाताओं २१.३३% ने निर्मल भारत अभियान योजना का लाभ उठाया था जबकि २३६ उत्तरदाता ७८.६७% इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पाये थे।

तालिका संख्या- ७.६ (ब)

उत्तरदाताओं का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का लाभ उठाने सम्बन्धी विवरण

क्र.स.	गरीबी उन्मूलन योजना	हाँ	नहीं	कुल योग
१.	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना	४८ (१६%)	२५२ (८४%)	३०० (१००%)
२.	बैंक ऋण योजना	८७ (२९%)	२१३ (७१%)	३०० (१००%)
३	स्वयं सहायता समूह योजना	५९ (१९.६७%)	२४१ (८०.३३%)	३०० (१००%)
४	रोजगारपरक प्रशिक्षण योजना	७३ (२४.३३%)	२२७ (७५.६७%)	३०० (१००%)
५	राशन व्यवस्था	१४२ (४७.३३%)	१५८ (५२.६७%)	३०० (१००%)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि जब उत्तरदाताओं द्वारा उपरोक्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का लाभ उठाने सम्बन्धी

अध्ययन किया गया तब ज्ञात हुआ कि ४८ उत्तरदाताओं १६% ने स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का लाभ उठाया था जबकि २५२ उत्तरदाताओं ८४% ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया था। ८७ उत्तरदाता २९% बैंक ऋण योजना द्वारा लाभान्वित हुऐ तथा २१३ उत्तरादाता ७१% इस योजना का लाभ नहीं उठा सके थे। ५९ उत्तरादाताओं १९.६७% ने स्वयं सहायता समूह योजना का लाभ उठाया था तथा २४१ उत्तरदाताओं ८०.३३% ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया था। ७३ उत्तरदाताओं २४.३३% द्वारा रोजगार परक प्रशिक्षण योजना का लाभ उठाया गया जबकि २२७ उत्तरदाता ७५.६७% इस योजना से लाभान्वित नहीं हो सके थे। इसी प्रकार १४२ उत्तरदाता ४७.३३% राशन व्यवस्था का लाभ उठाते थे जबकि १५८ उत्तरादाताओं ५२.६७% द्वारा इस योजना का लाभ नहीं उठाया जा रहा था।

तालिका संख्या - ७.६ (स)

उत्तरदाताओं द्वारा सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने सम्बन्धी विवरण

क्र.स.	सामाजिक कल्याण योजनाऐं	हाँ	नहीं	कुल योग
१.	विधवा पेंशन योजना	२० (६.६७%)	२८० (९३.३३%)	३०० (१००%)
२.	वृद्धावस्था पेंशन योजना	११ (३.६७%)	२८९ (९६.३३%)	३०० (१००%)
३.	विकलांग पेंशन योजना	८ (२.६७%)	२९२ (९७.३३%)	३०० (१००%)
४.	बालिका समृद्धि योजना	२५ (८.३३%)	२७५ (९१.६७%)	३०० (१००%)

चयनित उत्तरदाताओं से उपरोक्त सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने सम्बन्धी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि २० उत्तरदाताओं ६.६७% ने विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाया था। जबकि २८० उत्तरदाताओं ९३.३३% इस योजना के लाभ से वंचित थे।११ उत्तरदाता ३.६७% वृद्धावस्था पेंशन योजना द्वारा लाभान्वित हुऐ थे जबकि २८१ उत्तरदाताओं ९६.३३% ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया था। ८ उत्तरदाताओं २.६७% ने विकलांग पेंशन योजना का लाभ लिया था जबकि २९२ उत्तरदाताओं ९७.३३% ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया था। इसी प्रकार २५ उत्तरदाताओं ८.३३% ने बालिका समृद्धि योजना का लाभ उठाया था जबकि २७५ उत्तरदाताओं ९१.६७% ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया था।

तालिका संख्या - ७.६ (द)

उत्तरदाताओं द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने सम्बन्धी विवरण

क्र.स.	अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण योजनाऐं	हाँ	नहीं	कुल योग
१.	मातृत्व लाभ योजना	३३ (११%)	२६७ (८९%)	३०० (१००%)
२.	बालिका विवाह सहायता योजना	६३ (२१%)	२३७ (७९%)	३०० (१००%)
३.	छात्रवृत्ति योजना	१०३ (३४.३३%)	१९७ (६५.६७%)	३०० (१००%)
४.	नि:शुल्क शिक्षा योजना	१७८ (५९.३३%)	१२२ (४०.६७%)	३०० (१००%)
५.	नि:शुल्क पुस्तक सुविधा योजना	१५९ (५३%)	१४१ (४७%)	३०० (१००%)

मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं द्वारा उपरोक्त अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण योजनाओं से लाभान्वित होने सम्बन्धी जानकारी से स्पष्ट हुआ कि ३३ उत्तरदाता ११% मातृत्व लाभ योजना से लाभान्वित हुऐ थे जबकि २६७ उत्तरदाताओं ८९% ने इसका लाभ नहीं उठाया था। ६३ उत्तरदाताओं २१% द्वारा बालिका विवाह सहायता योजना का लाभ उठाया गया जबकि २३७ उत्तरदाताओं ७९% ने इसका लाभ नहीं लिया था। १०३ उत्तरदाताओं ३४.३३% ने छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाया था जबकि १९७ उत्तरदाताओं ६५.६७% ने इसका लाभ नहीं लिया था। १७८ उत्तरदाता ५९.३३% नि:शुल्क शिक्षा योजना द्वारा लाभान्वित हुऐ थे जबकि १२२ उत्तरदातओं४०.६७% ने इसका लाभ नहीं उठाया था। इसी प्रकार १५९ उत्तरदाताओं ५३% ने नि:शुल्क पुस्तक सुविधा योजना का लाभ उठाया था जबकि १४१ उत्तरदाताओं ४७% ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया था।

तालिका संख्या - ७.६ (य)

उत्तरदाताओं द्वारा पर्यावरणीय सुधार योजना का लाभ उठाने सम्बन्धी विवरण

क्र.स.	पर्यावरणीय सुधार योजनाऐं	हाँ	नहीं	कुल योग
१.	सुलभ शौचालय योजना	९२ (३०.३३%)	२०८ (६९.६७%)	३०० (१००%)
२.	शौचालय निर्माण योजना	२६ (८.६७%)	२७४ (९१.३३%)	३०० (१००%)
३.	खड़ण्जा निर्माण योजना	१२६ (४२%)	१७४ (५८%)	३०० (१००%)
४.	नाली निर्माण योजना	१२३ (४१%)	१७७ (५९%)	३०० (१००%)
५.	शुद्ध जलापूर्ति योजना	१३२ (४४%)	१६८ (५६%)	३०० (१००%)

जब उत्तरदाताओं से उपरोक्त पर्यावरण सुधार योजनाओं द्वारा लाभान्वित होने के सम्बन्ध में पूछा गया तब विदित हुआ कि ९२ उत्तरदाता ३०.३३% सुलभ शौचालय योजना से लाभान्वित हुऐ थे जबकि २०८ उत्तरदाताओं ६९.६७% ने इसका लाभ नहीं उठाया था। २६ उत्तरदाताओं ८.६७% को शौचालय निर्माण योजना का लाभ मिला था जबकि २७४ उत्तरदाताओं ९१.३३% ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया था। १२६ उततरदातों ४२% खड़ण्जा निर्माण योजना से लाभान्वित हुऐ थे जबकि १७४ उत्तरदाताओं ५८% ने इस योजना का लाभ नहीं लिया था। १२३ उत्तरदाताओं ४१% ने नाली निर्माण योजना का लाभ उठाया था जबकि १७७ उत्तरदाता ५९% इस योजना का लाभ नहीं उठा सके थे। इसी प्रकार १३२ उत्तरदाता ४४% शुद्ध जलापूर्ति योजना का लाभ उठा रहे थे जबकि १६८ उत्तरदाताओं ५६% ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया था।

तालिका संख्या - ७.६ (र)

उत्तरदाताओं द्वारा स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाने सम्बन्धी विवरण

क्र.स.	स्वास्थ्य योजनाऐं	हाँ	नहीं	कुल योग
१.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	१४७ (४९%)	१५३ (५१%)	३०० (१००%)
२.	शिशु संजीवन कार्यक्रम	१०८ (३६%)	१९२ (६४%)	३०० (१००%)
३.	सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम	१०१ (३३.६७%)	१९९ (६६.३३%)	३०० (१००%)
४.	संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम	११३ (३७.६७%)	१८७ (६२.३३%)	३०० (१००%)
५.	आँगनवाड़ी	१७४ (५८%)	१२६ (४२%)	३०० (१००%)

ग्राफ सं. ५
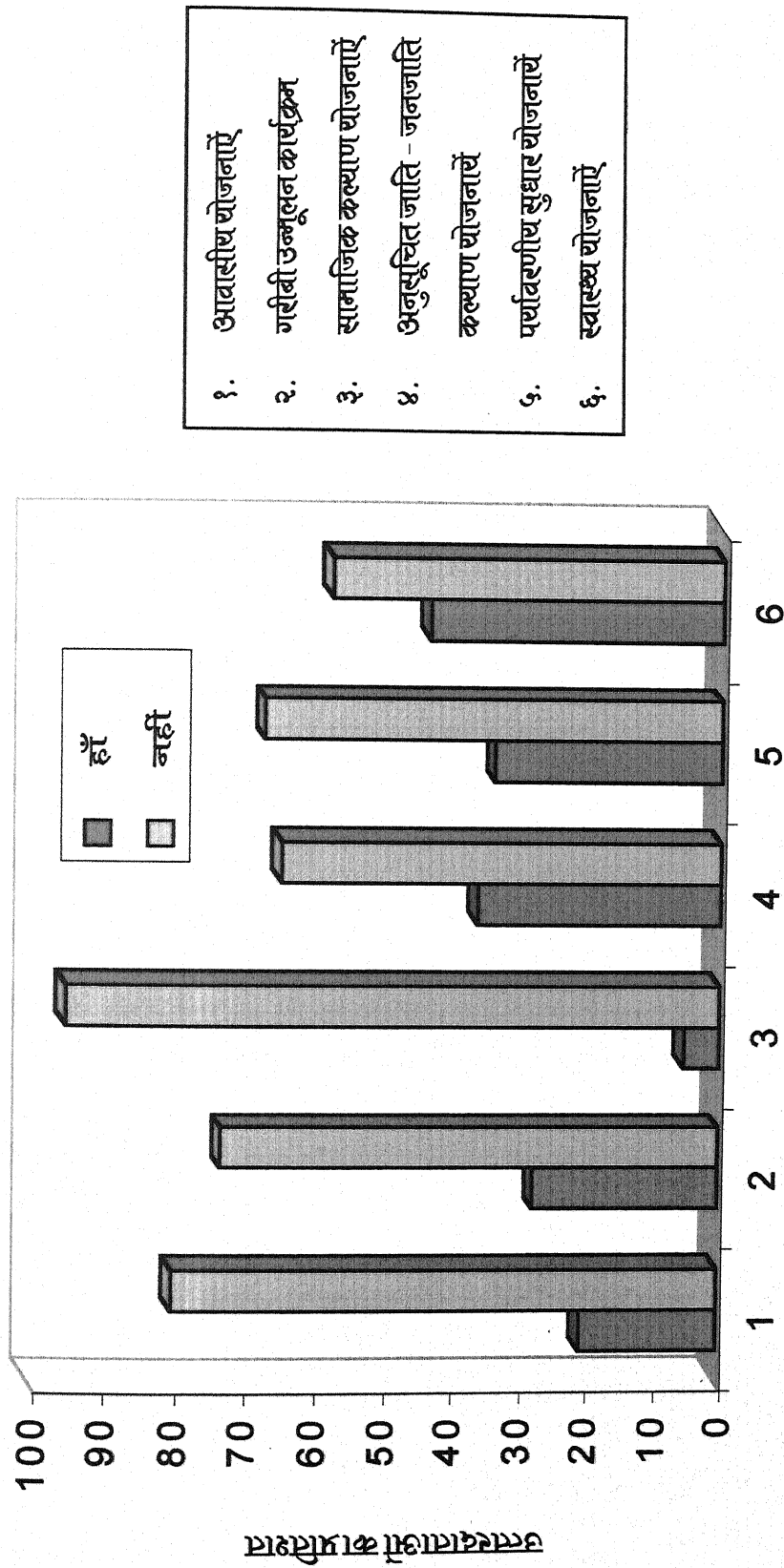
उत्तरदाताओं द्वारा विकास योजनाओं का लाभ उठाने सम्बन्धी विवरण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जब चयनित उत्तरदाताओं द्वारा उपरोक्त स्वास्थ्य योजनाओं से लाभान्वित होने सम्बन्धी अध्ययन किया गया तब ज्ञात हुआ कि १४७ उत्तरदाताओं ४९% ने परिवार नियोजन कार्यक्रम का लाभ उठाया था जबकि १५३ उत्तरदाताओं ५१% ने इसका लाभ नहीं उठाया था। १०८ उत्तरदाता ३६% शिशु संजीवन कार्यक्रम से लाभान्वित हुऐ थे जबकि १९२ उत्तरदाताओं ६४% ने इसका लाभ नहीं उठाया था। १०१ उत्तरदाताओं ३३.६७% ने सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का लाभ लिया था जबकि १९९ उत्तरदाताओं ६६.६७% ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया था। ११३ उत्तरदाता ३७.६७% संक्रामक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित हुऐ थे जबकि १८७ उत्तरदाताओं ६२.३३% ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया था। इसी प्रकार १७४ उत्तरदाता ५८% आँगनवाड़ी योजना से लाभान्वित हुऐ थे जबकि १२६ उत्तरदाताओं ४२% ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया था। सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न विकास योजनायें मलिन आवासों के निवासियों के सुधार हेतु चलायीं गयीं परन्तु यदि हम चयनित उत्तरदाताओं द्वारा इन विकास योजनाओ का लाभ उठाने सम्बन्धी औसत (सांख्यिकीय पद्धति द्वारा) निकालें तो ज्ञात होता है कि आवासीय योजनाओं से लाभ उठाने वाले उत्तरदाताओं का औसतन प्रतिशत मात्र २०.३ प्रतिशत था, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों द्वारा मात्र २७.३ प्रतिशत, सामाजिक कल्याण योजनाओं द्वारा सिर्फ ५.३ प्रतिशत, अनुसूचित जाति -जनजाति कल्याण योजनाओं द्वारा औसतन ३५.७ प्रतिशत, पर्यावरणीय सुधार योजनाओं द्वारा औसतन ३३.३ प्रतिशत तथा स्वास्थ्य योजनाओं द्वारा औसतन ४२.८ प्रतिशत उत्तरदाता लाभान्वित हुऐ थे। सुस्पष्ट है कि उपरोक्त विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमन्दों तक नहीं पहुंच पाया था।

प्रस्तुत सारणी विकास योजनाओं का लाभ उठाने में उत्तरदाताओं को होने वाली कठिनाईयों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या - ७.७

विकास योजनाओं का लाभ उठाने में उत्तरदाताओं को होने वाली कठिनाईयों का विवरण

क्र.म.	आवासीय योजनाऐं	हाँ	नहीं	योग
१.	अशिक्षा	२६८ (८९.३३%)	३२ (१०.६७%)	३०० (१००%)
२.	उचित सूचना, शिक्षा एवं संचार का अभाव	२५७ (८५.६७%)	४३ (१४.३३%)	३०० (१००%)
३.	सुविधा शुल्क की माँग	२३३ (७७.६७%)	६७ (२२.३३%)	३०० (१००%)
४.	कर्मचारियों का असहयोग एवं दुर्व्यवहार	२१९ (७३%)	८१ (२७%)	३०० (१००%)
५.	जटिल प्रक्रिया	२०७ (६९%)	९३ (३१%)	३०० (१००%)
६.	विलम्ब से लाभ मिलना	२०४ (६८%)	९६ (३२%)	३०० (१००%)
७.	सामुदायिक नेतृत्व का अभाव	१८४ (६१.३३%)	११६ (३८.६७%)	३०० (१००%)
८.	बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति में लापरवाही	१५७ (५२.३३%)	१४३ (४७.६७%)	३०० (१००%)

प्रस्तुत तालिका के अध्ययन से सुस्पष्ट है कि जब चयनित ३०० उत्तरदाताओं से विकास योजनाओं का लाभ उठाने में आने वाली कठिनाईयों से सम्बन्धित जानकारी की गई तब विदित हुआ कि २६८ उत्तरदाता ८९.३३% मानते थे कि विकास योजनाओं का लाभ उठाने मे अशिक्षा एक कठिनाई है। २५७ उत्तरदाताओं ८५.६७% के विचार से उचित सूचना, शिक्षा तथा संचार का अभाव विकास योजनाओं का लाभ उठाने के मार्ग में एक बाधा है। २३३ उत्तरदाताओं ७७.६७% का मानना था कि वे विकास योजनाओं का लाभ उठाते समय सुविधा शुल्क की माँग से कठिनाई महसूस करते थे। २१९ उत्तरदाता ७३% कर्मचारियों के असहयोग तथा दुर्व्यवहार को कठिनाई मानते थे। २०७ उत्तरदाताओं ६९% के दृष्टिकोण से जटिल प्रक्रिया एक कठिनाई थी। २०४ उत्तरदाताओं ६८% के मतानुसार विकास योजनाओं का लाभ उठाने में एक कठिनाई विलम्ब से लाभ मिलना थी। १८४ उत्तरदाता ६१.३३% सामुदायिक नेतृत्व के अभाव को कठिनाई मानते थे। इसी प्रकार १५७ उत्तरदाता ५२.३३% मानते थे कि विकास योजनाओं का लाभ उठाने में एक कठिनाई बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति में लापरवाही बरतना भी थी।

प्रस्तुत सारणी में विकास योजनाओं का लाभ उठाने में उत्तरदाताओं को होने वाली कठिनाईयों को दूर करने सम्बन्धी सुझावों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है :-

तालिका संख्या - ७.८

विकास योजनाओं का लाभ उठाने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने सम्बन्धी उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये सुझावों का विवरण

क्र.स.	सुझाव	हाँ	नहीं	योग
१.	शिक्षा का प्रसार	२७४ (९१.३३%)	२६ (८.६७%)	३०० (१००%)
२.	उचित सूचना, शिक्षा एवं संचार का अभाव	२६४ (८८%)	३६ (१२%)	३०० (१००%)
३.	सुविधा शुल्क की समाप्ति	२४० (८०%)	६० (२०%)	३०० (१००%)
४.	कर्मचारियों का सहयोगी व्यवहार	२३३ (७७.६७%)	६७ (२२.३३%)	३०० (१००%)
५.	प्रक्रिया को सरल बनाना	२०५ (६८.३३%)	९५ (३१.६७%)	३०० (१००%)
६.	लाभ शीघ्रातिशीघ्र मिलना	२११ (७०.३३%)	८९ (२९.६७%)	३०० (१००%)
७.	सक्षम सामुदायिक नेतृत्व	१९१ (६३.६७%)	१०९ (३६.३३%)	३०० (१००%)
८.	बैंको द्वारा ऋण स्वीकृति में लापरवाही न बरतना	१५६ (५२%)	१४४ (४८%)	३०० (१००%)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि जब मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं से विकास योजनाओं का लाभ उठाने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने सम्बन्धी सुझावों की जानकारी की गई तब ज्ञात हुआ कि २७४ उत्तरदाताओं ९१.३३% का सुझाव था कि शिक्षा का प्रसार हो। २६४ उत्तरदाताओं ८८% का मानना था कि उचित सूचना, शिक्षा एवं संचार के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिये। २४० उत्तरदाताओं ८०% का सुझाव था कि विकास योजनाओं का लाभ उठाने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिये सुविधा शुल्क की समाप्ति होनी चाहिए। २३३ उत्तरदाताओं ७७.६७% का सुझाव था कि कर्मचारियों का व्यवहार सहयोगात्मक होना चाहिये । २०५ उत्तरदाताओं ६८.३३% का सुझाव था कि विकास योजनाओं का लाभ उठाने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिये प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिये। २११ उत्तरदाताओं ७०.३३% का सुझाव था कि लाभार्थी को योजनाओं का लाभ शीघ्रातिशीघ्र मिलना चाहिये। १९१ उत्तरदाताओं ६३.६७% का सुझाव था कि सामुदायिक नेतृत्व सक्षम होना चाहिये। १५६ उत्तदाताओं ५२% ने सुझाव दिया कि विकास योजनाओं का लाभ उठाने में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिये बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिये ।

अग्रलिखित तालिका चयनित उत्तरदाताओं के जीवन पर विकास योजनाओं के प्रभावों के स्तर पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या - ७.९

उत्तरदाताओं के जीवन पर विकास योजनाओं के पड़ने वाले प्रभावों के स्तर सम्बन्धी विवरण

क्र. स.	विकास योजनाओं का प्रभाव	कम	सामान्य	अधिक	बिल्कुल नहीं	योग
१.	सामाजिक जीवन पर प्रभाव	१२६ (४२%)	४२ (१४%)	२४ (८%)	१०८ (३६%)	३०० (१००%)
२.	आर्थिक जीवन पर प्रभाव	१५० (५०%)	३६ (१२%)	३४ (११.३३%)	८० (२६.६७%)	३०० (१००%)
३.	आवासीय व्यवस्था पर प्रभाव	२६ (८.६७%)	१० (३.३३%)	४ (१.३३%)	२६० (८६.६७%)	३०० (१००%)
४.	स्वास्थ्य पर प्रभाव	११९ (३९.६७%)	९१ (३०.३३%)	३३ (११%)	५७ (१९%)	३०० (१००%)
५.	पर्यावरणीय स्वच्छता पर प्रभाव	१९२ (६४%)	५० (१६.६७%)	३५ (११.६७%)	२३ (७.६६%)	३०० (१००%)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के विवेचन से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के जीवन के विभिन्न पक्षों पर विकास योजनाओं के प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि १२६ उत्तरदाताओं ४२% ने स्वीकार किया कि विकास योजनाओं का उनके सामाजिक जीवन पर कम प्रभाव पड़ा था, १०८ उत्तरदाताओं ३६% के मतानुसार उनके सामाजिक जीवन पर विकास योजनाओं का प्रभाव बिल्कुल नहीं, ४२ उत्तरदाताओं १४% के अनुसार सामान्य तथा २४ उत्तरदाताओं ८% के अनुसार अधिक प्रभाव पड़ा था। १५० उत्तरदाताओं ५०% ने स्वीकार किया कि उनके आर्थिक जीवन पर विकास योजनाओं का प्रभाव कम, ८० उत्तरदाताओं २६.६७% के अनुसार बिल्कुल नहीं, ३६ उत्तरदाताओं १२% के अनुसार सामान्य तथा ३४

उत्तरदाताओं ११.३३% के अनुसार उनके आर्थिक जीवन पर विकास योजनाओं का अधिक प्रभाव पड़ा था। २६० उत्तरदाताओं ८६.६७% का मानना था कि विकास योजनाओं का उनकी आवासीय व्यवस्था पर प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था, २६ उत्तरदाताओं ८.६७% के अनुसार कम, १० उत्तरदाताओं ३.३३% के अनुसार सामान्य तथा ४ उत्तरदाताओं १.३३% के उनकी अनुसार आवासीय व्यवस्था पर विकास योजनाओं का अधिक प्रभाव पड़ा था। ११९ उत्तरदाता ३९.६७% मानते थे कि विकास योजनाओं का उनके स्वास्थ्य पर कम प्रभाव पड़ा था, ९१ उत्तरदाताओं ३०.३३% के अनुसार सामान्य, ५७ उत्तरदाताओं १९% के अनुसार बिल्कुल नहीं तथा ३३ उत्तरदाताओं ११% के अनुसार विकास योजनाओं का उनके स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ा था। इसी प्रकार १९२ उत्तरतादाओं ६४% ने स्वीकार किया कि पर्यावरणीय स्वच्छता पर विकास योजनाओ का कम प्रभाव पड़ा था । ५० उत्तरदाताओं १६.६७% के मतानुसार सामान्य, ३५ उत्तरदाताओं ११.६७% के अनुसार अधिक तथा २३ उत्तरदाताओं ७.६६% के मतानुसार विकास योजनाओं का उनकी पर्यावरणीय स्वच्छता पर प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था।

****

अध्याय-८

पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव

* भौतिक पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव
* जैवकीय पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव
* मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव
* सामाजिक पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव
* सांस्कृतिक पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव
* पर्यावरणीय अस्वच्छता का स्वास्थ्य पर प्रभाव

अध्याय-८

पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव

पर्यावरण के समस्त अवयव यथा- स्थलमण्डल, जलमण्डल, वायुमण्डल तथा जैवमण्डल, एक-दूसरे पर इस प्रकार आश्रित हैं कि उन्हें एक-दूसरे से पृथक करना असम्भव है। किन्तु जिज्ञासु एवं विवेक शील मानव ने अपनी सुख सुविधाओं की अन्तहीन तृष्णा से ग्रसित होकर प्रकृति के रहस्यों का जानने तथा प्रकृति के दोहन के लिये अनेक कदम उठाये। उसने भूगर्भ को खोजा, समुद्र की गहराईयों को नापा और विज्ञान के दुर्जय रथ पर सवार होकर अन्तरिक्ष पर पहुँच गया। मानव को उसके पर्यावरण से अलग नहीं किया जा सकता है। मनुष्य की अनेकों समस्याओं के मूल में पर्यावरण तथा उसका सन्तुलन व असन्तुलन ही है। इसी लिये मानव पर्यावरण का अध्ययन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मनुष्य चारों ओर से अपने पर्यावरण से ही तो घिरा रहता है जो उसके सम्पूर्ण जीवन पर, उसकी सभ्यता तथा संस्कृति पर व्यापक प्रभाव डालता है। प्राचीन काल में नदियों के किनारे उच्च सभ्यताओं का विकास इसका सशक्त उदाहरण हैं । पर्यावरण द्वारा ही किसी व्यक्ति का पूरा जीवन निर्धारित होता है। इसका प्रभाव हालाँकि अन्य जीवधारियों तथा वनस्पतियों पर भी होता है। किन्तु पर्यावरण का सर्वाधिक असर मानव समाज पर ही पड़ता है। इसलिये पर्यावरण के अध्ययन की महती आवश्यकता है।

श्री पार्क एवं पार्क (१९८९:३१) ने मानव रोगों तथा पर्यावरण के सहसम्बन्ध को बताते हुये लिखा है कि, ''रोगों का अध्ययन वास्तव में मनुष्य और उसके पर्यावरण का ही अध्ययन है।''[1] अर्थात् यदि हमें किसी भी रोग का अध्ययन करना है

1. Park J.E. and Park K., (1989), Textbook of Preventive and Social Medicine, M/s Banarsidas Bhanot Publishers, Jabalpur, Page - 31.

तो हमें रोगग्रस्त व्यक्ति तथा उसके चारों ओर मौजूद पर्यावरण का ही अध्ययन करना होगा। इस दृष्टि से पर्यावरण का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि स्वास्थ्य तथा पर्यावरण परस्पर अन्त: सम्बन्धित होते हैं। अच्छे पर्यावरण में रहने वाले इसीलिये अपेक्षाकृत स्वस्थ होते है। महानगरों में अस्वस्थता का सबसे बड़ा कारण पर्यावरण ही है अर्थात् अस्वच्छ पर्यावरण। यहाँ न तो व्यक्ति को स्वच्छ पानी, और न ही स्वच्छ वायु मिलती है। लाखों की संख्या में यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। स्वच्छ वायु के स्थान पर लोगों को मिलता है- विषैला काला धुआँ, पीने का गन्दे से गन्दा पानी, कान के परदे फाड़नेवाली गाड़ियो की आवाजें और मिलता है एक बेहद शोर-भरा वातावरण। इसी के कारण इन महानगरों में स्थायी रूप से पायें जाते हैं पेट के रोगी, टी०वी० के मरीज, दमे के मरीज, दुर्बल स्नायु के रोगी आदि। इन महानगरों में व्यक्ति को अस्वस्थता सौगात में मिलती है और इन सबका एक ही कारण है अस्वच्छ पर्यावरण, जिसका अध्ययन करना अत्यन्त जरूरी है।

मानव पर्यावरण का अध्ययन इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि विकसित तथा विकासशील सभी देशों में पर्यावरण के दूषित होने के कारण व्यक्ति के समक्ष गंभीर संकट खड़ा हो गया हैं। इसके प्रभाव से व्यक्ति की सम्पूर्ण क्षमता, शक्ति तथा कार्यक्षमता में निरन्तर ह्यास हो रहा है। यह स्वास्थ्य पर अनेक तरह से प्रभाव डालता है तथा शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने में सक्षम हैं। नगरों के निवासी वायु-प्रदूषण से खाँसी, सिरदर्द, दमा, टी०बी० आदि बीमारियों के शिकार होते हैं। सल्फर डाई-ऑक्साइड, नाइट्रोजन, आक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन क्लोराइड्स आदि फेफड़े में कैंसर जैसे गंभीर रोग को उत्पन्न करते हैं। इनसे अनेक प्रकार के एलर्जिक रोग भी होते हैं इसी प्रकार जल - प्रदूषण और ध्वनि - प्रदूषण का भी प्रभाव व्यक्ति पर सीधा पड़ता है। जल-प्रदूषण से व्यक्ति कई तरह के रोगों जैसे-हैजा, टाइफाइड, यकृतशोथ आदि से ग्रस्त हो जाता है तथा ध्वनि - प्रदूषण के

कारण बहरापन, स्नायविक दुर्बलता, मानसिक रोग आदि उत्पन्न हो जाते है। कुछ प्रभाव तो दीर्घकालीन भी हो सकते हैं जैसे- नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणविक बम के प्रभाव से आज भी जापानी लोग कुष्ठ, अन्धापन, लंगड़ापन आदि रोगों से ग्रसित हैं। ये सभी प्रकार के प्रदूषण व्यक्ति और समाज को अस्वस्थ बनाते हैं। एक बीमार समाज की रचना स्वयं मानव अपनी स्वार्थपूर्ति के लिये करता है। प्रदूषण से ग्रसित व्यक्ति और समाज अपनी क्षमताओं और शक्ति को नष्ट करता है। इससे मानव ऊर्जा का निरन्तर क्षय होता हैं। इस सबका उत्तरदायी कारक पर्यावरण प्रदूषण है। अत: इसका अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। मलिन आवासों के निवासी प्रदूषण से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। मलिन आवासों में प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण किये है। वहाँ साफ - सफाई का तो नामोनिशान ही नहीं होता हैं। साथ ही गन्दगी तथा कूड़े-करकट के ऊँचे ढेर यत्र-तत्र लगे ही होते हैं। जिसका प्रभाव मलिन बस्तियों के निवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक पड़ता हैं अत: मलिन आवासों के निवासियों के स्वास्थ्य की उन्नति करने के लिये आवश्यक हो जाता हैं कि पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के सहसम्बन्ध का अध्ययन किया जाये।

मलिन बस्तियों के सुधार हेतु बनने वाली नीतियों के निर्माण से पहले मलिन बस्तियों के पर्यावरण का गहन अध्ययन इसलिये भी जरूरी है कि इससे नीतियों के निर्धारण में बहुत सहायता मिलती है। मलिन बस्तियों के निवासियों के स्वास्थ्य पर वहां का पर्यावरण कुप्रभाव डालता है। उनके लिये स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर आवास बनाने की बहुत आवश्यकता है। इसलिये योजनाओं की नीतियां बनाने से पहले वहां के पर्यावरण को जानना अति आवश्यक हैं। जिस प्रकार धूम्रपान न करने वाले को धूम्रपान करने वाले के सम्पर्क से हानि उठानी पड़ती है उसी प्रकार अन्य स्थानों पर रहने वाले लोग मलिन बस्तियों के निवासियों के साथ अन्तक्रि या करते ही हैं तथा पर्यावरणीय रोगों से भी ग्रसित हो जाते हैं। इसलिये वहां के पर्यावरण सुधार की दृष्टि

से भी पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। मलिन आवासों के निवासियों की स्वास्थ्य समस्याओं को दों दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है : - प्रथम तो स्वास्थ्य के खतरों से जो सभी नागरिकों के लिये समान होते हैं तथा द्वितीय पर्यावरण सम्बन्धी जिनसे वहां के निवासी प्रभावित होते हैं। मलिन बस्तियों के निवासी स्वच्छ बस्तियों के नागरिकों के साथ अन्त: क्रिया में रहते हैं इसलिये स्वास्थ्य से सम्बन्धित खतरे प्राय: सामान्य ही होते हैं और उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताऐं भी सामान्य जनता के साथ ही पूरी होती हैं। मलिन आवासों के निवासियों की समस्याऐं कुछ अधिक मात्रा में उनके पर्यावरण जनित होती हैं। जिनमें कतिपय कारक होते हैं जो उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। भारत में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन मलिन आवासों के निवासियों के लिये भी समतुल्य समुदाय की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही पूर्ति होती हैं जो रोग के शीघ्र प्रभावी होते हैं।

मलिन आवासों के निवासियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिवेदनों से ज्ञात होता है कि इनमें शिशु मृत्यु दर, मातृमृत्यु दर, जन्मदर, यौगिक प्रसबन दर, कुपोषण तथा संक्रामक रोग दर अन्य संगठित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या से बहुत अधिक होती है। बोरा कमेटी (१९४६) एवं मुदालियर कमेटी (१९६१) के अतिरिक्त योजना आयोग की पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि मलिन आवासों के निवासियों की स्वास्थ्य दशाऐं भी दयनीय हैं।

प्रोफेसर बी०पी० अदाकर की रिपोर्ट के अनुसार मलिन आवासों के निवासियों की रोग दर तुलनात्मक रूप से अधिक थी। डॉ० बेडफोर्ट द्वारा भारत सरकार में प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमश: हैल्थ सर्वे एवं डेवलपमेण्ट कमेटी एवं 'असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक' दोनों ही प्रतिवेदनों में, मलिन आवासों में रहने वाले लोगों की आवासीय दशायें स्वच्छता से हीन थी, जिनमें प्रकाश की अपर्याप्तता, उमस तथा अधिक तापमानयुक्त वातावरण, कूड़ा-निस्तारण का अभाव संक्रामक व

प्रदूषण भार ही कहा जा सकता है। इस प्रकार मलिन आवासों के निवासियों की स्वास्थ्य समस्याओं का एकमात्र प्रभावशाली कारण पर्यावरण ही है।

समाज की संरचना का निर्माण करने वाले विभिन्न समूहों, समुदायों, वर्गो और संगठनों का रूप विभिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न होता है और एक ही समाज के अन्तर्गत इनके रूप में परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक जीवन की इस भिन्नता का वास्तविक कारण प्रत्येक समाज का पृथक भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण है। श्री अग्रवाल (१९८६:१७९) ने इसीलिये लिखा है कि, ''मनुष्य अपने पर्यावरण की उपज है।''[1] पर्यावरण से तात्पर्य मनुष्य के आसपास के सभी बाह्य तत्वों सजीव तथा निर्जीव, भौतिक तथा अभौतिक से है। वर्तमान धारणा के अनुसार पर्यावरण में केवल जल, वायु और मिट्टी ही नहीं वरन् हमारे रहने की सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ भी शामिल हैं। प्रो० रॉस ने पर्यावरण की परिभाषा करते हुऐ बताया है कि, ''पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है।'' इसी प्रकार श्री गिस्बर्ट का कथन है कि, ''पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुऐ है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।'' प्रो० आनन्द कुमार (२०००:३०३) ने भी लिखा है कि, ''पर्यावरण हमारे चारों ओर के जैविक तथा अजैविक कारकों का समग्र रूप व मिश्रण है। जैविक कारकों में वनस्पति एवं जीव जन्तु आते हैं तथा अजैविक कारकों में हवा, पानी, जमीन, आकाश आदि आते हैं।''[2] पर्यावरण की विवेचना के लिये इसे तीन घटकों में विभाजित किया जाता है जो परस्पर अन्तर्सम्बन्धित है:-

अ- भौतिक पर्यावरण - जल, वायु, मिट्टी, मकान, कूड़ा-करकट, विकिरण आदि।

---

1. Agarwal, G.K., (1986), Human Society, Agra Book Store, Agra, Page - 179.
2. Kumar Anand, (2000), Urban Sociology, Vimal Prakashan Mandir, Agra-3, Page - 303

ब- जैविक पर्यावरण- जीवाणु समेत वनस्पति तथा प्राणी जीवन, विषाणु, कीट, कृन्तक और पशु।

स- सामाजिक पर्यावरण -रीतिरिवाज, आदतें, संस्कृति, शिक्षा, जीवन स्तर, आय, व्यवसाय, धर्म आदि।

इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्री ऑगबर्न तथा निमकॉफ ने पर्यावरण को दो भागों में बाँटा है:-

अ- प्राकृतिक पर्यावरण - इसके अन्तर्गत वे सभी परिस्थितियाँ सम्मिलित की जाती हैं जिनका निर्माण प्रत्यक्ष रूप से ऐसी शक्तियों द्वारा हुआ हैं जो पूर्णतया प्राकृतिक हैं अथवा जिनके अस्तित्व को मनुष्य प्रभावित नहीं कर सकता है जैसे- पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, वनस्पति, पशु-पक्षी तथा ऋतुऐं आदि।

ब- मनुष्यकृत पर्यावरण -इस पर्यावरण का निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया है। इसमें वे वस्तुऐं शामिल हैं जो हमारे सामाजिक ढाँचे तथा सांस्कृतिक विशेषताओं से सम्बन्धित हैं, चाहे वे भौतिक हों अथवा अभौतिक।

श्री लैण्डिस ने भी पर्यावरण के प्रकारों पर प्रकाश डालते हुऐ लिखा है कि, ''पर्यावरण को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है:-

अ- प्राकृतिक पर्यावरण - इसके अन्तर्गत वे सभी प्राकृतिक शक्तियाँ सम्मिलित हैं जिनका अस्तित्व मनुष्य से स्वतन्त्र है और जो बिना मनुष्य द्वारा प्रभावित हुये स्वयं परिवर्तित होती रहती हैं।

ब- सामाजिक पर्यावरण - इसका तात्पर्य उन सामाजिक सम्बन्धों, समूहों, संगठनों, आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक संस्थाओं और सामाजिक ढाँचे से है जो जीवन के आरम्भ से लेकर मृत्यु पर्यन्त व्यक्ति को प्रभावित करती रहती हैं तथा व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक होती है।

स- सांस्कृतिक पर्यावरण - यह पर्यावरण मनुष्य द्वारा सीखे हुऐ व्यवहारों तथा स्वयं उसके अनुभवों से बना है। इसके अन्तर्गत धर्म, नैतिकता , आदर्श, प्रथायें, परम्परायें, जनरीतियाँ, लोकाचार, संस्थागत नियम, प्रौद्योगिकी, व्यवहार-प्रतिमान तथा अन्य बहुत से नियम आते हैं जो सदैव हमारे जीवन को चारों ओर से घेरे रहते हैं।

भारत में अधिकांश बीमारियों का कारण खराब पर्यावरण है अर्थात् अस्वच्छ जल, दूषित मिट्टी, मानव मल और कचरे को ठीक तरह से न समेटना या फेंकना, खराब मकान, कीट और कृन्तक, वायु प्रदूषण, रेडियोधर्मिता आदि। संक्षेप में कहा जाये तो पर्यावरण प्रदूषण ही मानव के जीवन तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालता है। इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन में प्रदूषण की परिभाषा प्रस्तुत करते हुऐ कहा गया है कि, ‘‘प्रदूषण वे सभी पदार्थ व ऊर्जा हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की वांछित गतिविधियों का अवांछित प्रभाव है। इन अर्थो में कृषि, उद्योग एवं औषधियाँ मनुष्य के लिये उपयोगी होनेपर भी प्रदूषण में सहायक हैं।’’[१] इसी प्रकार प्रो० कुमार ने भी लिखा है कि, ‘‘पर्यावरणीय प्रदूषण प्रकृति व पर्यावरण की वह असाम्यावस्था है जो न केवल स्वयं प्रकृति व पर्यावरण पर कुप्रभाव डालकर पर्यावरणीय सन्तुलन भंग कर देती है बल्कि मानव, पशु तथा वनस्पति जीवन पर कुप्रभाव डालकर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उनके स्वास्थ्य एवं संसाधनों, जो जीवन का अस्तित्व एवं निरन्तरता बनाये रखने के लिये आवश्यक हैं, को हानि पहुँचाती है।’’[२] अत: व्यक्ति और समुदाय के स्वास्थ्य में वृद्धि और रोगों की रोकथाम के लिये पर्यावरणीय स्वच्छता में सुधार निर्णायक घटक है । इसलिये यू० एन० ओ० की बैठक में निर्णय लिया गया कि, ‘‘बेहतर स्वास्थ्य के विकास के लिये पर्यावरणीय स्वच्छता का विकास करना आवश्यक है।’’[३] राष्ट्र की

---

1. United Nations Report onHuman Environment.
2. Kumar Anand, (2000), Urban Sociology, Vimal prakashan Mandir, Agra-3, Page - 303
3. Report of the United Nations Conference on the Human Environment, (1972), Cited from Park K. - Preventive and Social Medicine, M/s Banarsidas Bhanot Publishers, Jabalpur, Page - 392.

उन्नति के लिये जनस्वास्थ्य का विषय बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्र के व्यक्तियों की शक्ति तथा देश की उत्पादन क्षमता का मापदण्ड स्वास्थ्य होता है। केवल रोगों की अनुपस्थिति का ही नाम स्वास्थ्य नहीं है। यह व्यक्ति के प्राकृतिक तथा सामाजिक बाह्य तथा मानसिक सामर्थ्य के अनुरूप विकास की स्थिति है। अतएव स्वास्थ्य में चिकित्सा सम्बन्धी तत्वों के साथ - साथ सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक तत्व भी निहित होते है। आम आदमी के लिये स्वास्थ्य का मतलब स्वस्थ वातावरण में, स्वस्थ परिवार में, स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ मन है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति (१९४६) की रिपोर्ट में ठीक ही कहा गया है कि, ''स्वास्थ्य शब्द व्यक्ति में केवल रोगों के अभाव का ही बोधक नहीं है। यह प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण सम्बन्धी शरीर तथा मस्तिष्क के समान विकास की स्थिति का सूचक है, जिसके द्वारा वह जीवन का पूर्ण - आनन्द प्राप्त करने तथा सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की स्थिति पाने योग्य बनता है।''[१] स्वास्थ्य की व्यापक रूप से मान्य परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा १९४८ में दी गई, जिसके अनुसार - ''स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरूस्ती की स्थिति है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं।''[२] विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिकल्पना के तीन आयाम है :- शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वास्थ्य सम्पन्न व्यक्ति को सर्वोत्तम या श्रेष्ठ स्वास्थ्य की स्थिति में माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य सर्वोत्तम स्वास्थ्य की उच्चतम स्थिति प्राप्त करना होना चाहिये क्योंकि बीमारों और कमजोर व्यक्तियों का समाज, बीमार और अस्वस्थ समाज की स्थापना करता है। एक बीमार समाज से यह कैसे आशा की जा सकती है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे सकेगा। अधिकांश बीमार व्यक्तियों की सबसे बड़ी

---

1. Report of Health Survey and Development Committee (1946), Cited from Singh V.N. and Singh Janmejay's Urban Sociology, (2000), Vivek Prakashan, New Delhi - 7, Page - 203.
2. Concept of World Health Organization of Health (1948), Cited from park, K.'s Community Health Science M/s banarsi Das Bhanot Publishers. Jabalpur, page - 25

समस्या है कि वह अपने परिवार के दायित्व को किस प्रकार पूर्ण करेगा। उसकी आय इतनी भी नहीं रह सकती है कि वह परिवार की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, बीमार सदस्यों का अच्छा इलाज करा सके आदि समस्यायें उसके जीवन में स्थायी रूप से घर बनाकर बैठ जाती हैं। ये चिन्ताऐं कुण्ठा और निराशा को जन्म देती हैं। ये व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती है तथा उसकी कार्यक्षमताओं को नष्ट करती हैं। एक बीमार व्यक्ति अन्दर ही अन्दर घुलता जाता है। उसकी सारी शक्ति का निरन्तर क्षय होता रहता है। उसकी निपुणता, कार्य क्षमता, योग्यता, शक्ति, कार्यकुशलता आदि में गिरावट आती है। समाज की आधारशिला परिवार है। यदि परिवार में रोगी सदस्यों की संख्या अधिक है तो ऐसे परिवारों में एक समय के पश्चात परिवार के सदस्यों में लड़ाई-झगड़े , मनमुटाव, परिवार से अलग रहने की प्रवृति आदि में वृद्धि होती है और परिवार की सुख शान्ति नष्ट होने लगती है। परिवार के सदस्यों में इतना अधिक तनाव हो जाता है कि परस्पर बात तक करना बन्द कर देते हैं। जिससे पारिवारिक जीवन बिखर जाता है तथा पारिवारिक सम्बन्ध खराब होने लगते हैं। यह सब तथ्य एक बीमार परिवार से उत्पन्न होते हैं जो पारिवारिक विघटन के लिये बहुत कुछ उत्तरदायी हैं। जिस समाज के अधिकांश परिवार विघटित होते हैं वहां सामाजिक तथा वैयक्तिक विघटन आवश्यक रूप से उपस्थित होता है, जिससे अन्ततः समाज तथा राष्ट्र को हानि उठानी पड़ती है। इसीलिये प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाऐं मुहैया कराता है तथा नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को ऊँचा उठाने के लिये गंभीर प्रयास करता है।

व्यक्तियों और समाजों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये स्वस्थ पर्यावरण का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आधुनिक अवधारणा है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याऐं तभी उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच स्थापित सन्तुलित सामन्जस्य में असंतुलन उत्पन्न होता है।

स्वास्थ्य का अध्ययन यथार्थ में व्यक्ति और उसके पर्यावरण का अध्ययन है। लाखों व्यक्ति प्रतिरोधक रोगों के शिकार होते हैं जो पर्यावरण द्वारा पैदा होते हैं, जिसमें वे रहते हैं। मानव के लिये पर्यावरण सीमित नहीं है जैसे कि पेड़ पौधे तथा पशु अपितु इसमें अनेक जलवायु सम्बन्धित कारक होते हैं। उदाहरण के लिये व्यक्ति के लिये सामाजिक तथा आर्थिक दशाऐं औसतन वार्षिक तापमान में से भी अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इस प्रकार पर्यावरण की अवधारणा अधिक जटिल है। बाह्य तथा सूक्ष्म पर्यावरण के अन्तर्गत जीवित तथा अजीवित परजीवी रहते हैं जिनके साथ मानव अन्त: क्रिया करता है। इस प्रकार पर्यावरण में सभी बाह्य परिस्थितियाँ जैसे - वायु, जल, भोजन, आवास आदि आते हैं। व्यक्ति के पर्यावरण को पृथक नहीं किया जा सकता है। ये आपस में जुड़े हुऐ होते हैं।

१ - भौतिक पर्यावरण- भौतिक पर्यावरण के अन्तर्गत अजीवित वस्तुऐं तथा भौतिक कारक आते हैं, जैसे - वायु, जल, मिट्टी, जलवायु, ताप, प्रकाश, शोर, रेडियोधर्मिता आदि। जिनके साथ व्यक्ति हर समय अन्त: क्रिया करता है जो उसके स्वास्थ्य की उन्नति के लिये उत्तरदायी है। बहुत से देशों में त्रुटिपूर्ण पर्यावरण यथा - स्वच्छता का अभाव निरन्तर रूप से मुख्य स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। व्यक्ति को उसके भौतिक पर्यावरण से होने वाले लाभों का भली भांति ज्ञान है परन्तु उसने स्वयं के लिये बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दिया है, जैसे - वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो धर्मिता का खतरा आदि। इसके अलावा दूरसंचार व्यवस्था, सैटेलाइट व्यवस्था, रेडियो प्रसारण, टेलीविजन, राडार आदि ने मनुष्य को अस्वस्थ रहने को बाध्य किया है। आज का मानव बहुत प्रदूषित पर्यावरण में रह रहा है। यदि यही दशा बनी रहती है तो जीवन की गुणवत्ता खतरे में पड़ जायेगी।

जनस्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये यह अनिवार्य होता है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु नियम हों। जहां जलापूर्ति तथा कूड़ाकरकट के निस्तारण होने

से हैजा, मोतीझला, ज्वर एवं पैचिश रोगों का उन्मूलन हो जाता है। इसी विचार को ध्यान में रखकर ''पर्यावरण स्वच्छता कमेटी'' ने सुझाव दिया कि पंचवर्षीय योजनाओं में शुद्ध जलापूर्ति के द्वारा पानी से होने वाले रोगों पर नियन्त्रण किया जाये। परन्तु योजना के अनुसार भारत में ऐसा न हो सका। हाँलाकि नगर क्षेत्र में योजनानुसार कदम उठाये गये और प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं में क्रमशः ४९, ७९ एवं १०५ करोड़ रूपये जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर व्यय किये गये।

पर्याप्त शुद्ध जलापूर्ति एवं स्वच्छता की उपलब्धता के उपाय व्यक्तियों के जीवन तथा उनकी कार्यदशाओं से सम्बन्ध रखते हैं। जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध उत्पादन क्षमता से होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम व्यय करने से स्वास्थ्य लाभ न हो सका। शुद्ध जलापूर्ति, कूड़े करकट का निस्तारण, पानी से फैलने वाले रोगों हेतु, पूर्व पर्यावरणीय नियन्त्रण का उपाय है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की सांख्यिकीय से प्रमाणित है जिसके अनुसार विकासशील देशों में ८० प्रतिशत बीमारियाँ पानी व मल निस्तारण के अनुपयुक्त उपायों के कारण होती हैं। जिनसे अधिक शिशु मृत्यु दर, कम जीवन प्रत्याशा दर, जीवन की निम्नस्तर दर हो जाती है। उदाहरण के लिये रोग से अशुद्ध पानी का सम्बन्ध होता है। आंत्रशोथ व पतले दस्त (डायरिया) को दूर किया जा सकता है यदि शुद्ध जलापूर्ति एवं उपयुक्त स्वच्छता उपलब्ध करा दी जाये। आन्तरिक ज्वर जो विकासशील देशों में उग्र रूप से होता है, उसका कारण भी पानी का दूषित होना व पर्यावरण की अस्वच्छता ही है। हैजा जल प्रदूषण तथा निम्न स्वच्छता के कारण ही होता है। हैपेटाइटिस अशुद्ध जल पीने से ही होता है। शुद्ध जलापूर्ति एवं मल निस्तारण की उचित व्यवस्था करके अनेकों उदर रोग, पैचिश, मरोड़, दस्त आदि को दूर किया जा सकता है। इससे ५० प्रतिशत जनसंख्या में २५ प्रतिशत मृत्यु दर कम की जा सकती है। सिस्टोमाइसिस जिससे लगभग २००मिलियन लोगों को त्वचा सम्बन्धी रोग होते हैं, केवल प्रदूषित जल में खेलने,

कार्य करने तथा स्नान करने से हो जाता है। पानी की शुद्ध जलापूर्ति द्वारा इस रोग की प्रक्रिया को ही समाप्त किया जा सकता है। कृमि रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, पीतज्वर, गुनिया वार्म जो पानी से होने वाले रोग हैं उन पर भी नियन्त्रण किया जा सकता है क्योंकि इनके सूक्ष्मजीवी जल में ही रहते व प्रजनन करते हैं।

शुद्ध जलापूर्ति व स्वच्छता की उपलब्धता उत्तम स्वास्थ्य के लिये अनिवार्य दशा है जबकि जलापूर्ति केवल सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये। इस प्रकार पानी स्वास्थ्य एवं विकास में सह सम्बन्ध होता है, इस तथ्य की पहचान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई कि, ''विकास में तीव्र गति लाने के लिये जल स्रोतों का व्यवस्थित प्रशासन सामाजिक व आर्थिक विकास की दशाऐं विकासशील देशों में मनुष्य मात्र के लिये अनिवार्य हैं। जब तक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत क्रियाऐं नहीं की जाती तब तक बेहतर मानव जीवन, मानवज्ञान में बढ़ोत्तरी तथा प्रसन्नता की उपलब्धता के बारे में नहीं सोचा जा सकता।''

सामाजिक व आर्थिक विकास की दृष्टि से बीमारियों के कारण मानव श्रम संसाधन की क्षति होती है, अयोग्यताऐं कार्य दिवसों को कम करती हैं, उत्पादन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जल सम्बन्धित रोग निवारण व नियन्त्रण पर आधारित संगोष्ठी में निष्कर्ष निकला कि, ''पानी की बढ़ती हुई मांग, घरेलू कृषि तथा औद्योगिक प्रयोग के लिये, पानी को और अधिक गहरे स्तर पर कर रहा है तथा जनसंख्या वृद्धि पीने की पानी की समस्या खड़ी कर रही है।''

(१) पानी की समस्या को हल करने हेतु भारत में १ अप्रैल १९८० को ''पानी का दशक कार्यक्रम'' लागू किया गया।

(२) केन्द्रीय सरकार ने ''पर्यावरण स्वच्छता कमेटी'' की १९४८-१९४९ में पहले ही स्थापना की थी।

(३) प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो बजट १.४६ करोड़ था उसे छठवीं पंचवर्षीय योजना में ४.०२ करोड़ कर दिया गया।

(४) संयुक्त राष्ट्र ने १९८१-९० दशक को अन्तर्राष्ट्रीय शुद्ध जलापूर्ति एवं स्वच्छता का वर्ष घोषित किया।

(५) भारत सरकार के नगर विकास मंत्रालय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना हेतु १९८०० करोड़ रूपये के बजट की संस्तुति की। परन्तु अन्य समस्याऐं होने के कारण भारत सरकार केवल रू० ६५५२ करोड़ ही दे पाई जो कि सम्पूर्ण नियोजन का ३.६२ प्रतिशत था।

वायु मनुष्य के भौतिक पर्यावरण का अभिन्न अंग है। यह सब प्रकार के जीवन का आधार है। जीवनदायिनी ऑक्सीजन की पूर्ति के अतिरिक्त वायु मानव शरीर को शीतलता प्रदान करती है। श्रवण और गंध की विशिष्ट इंद्रियों की क्रिया का माध्यम वायु-वाहित उद्दीपन है। कुछ रोगों के कारक भी वायु द्वारा संचारित होते हैं। अत: मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी वायु जिसे हम श्वांस द्वारा ग्रहण करते हैं, शुद्ध होना चाहिये। परन्तु ईधन के जलने, कारखानों तथा उद्योगों द्वारा छोड़ी गई गैसों, वाहनों के धुऐं, आणविक विस्फोट आदि कारणों से वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव तत्कालिक तथा विलम्बित दोनों है। तात्कालिक प्रभाव का शिकार श्वसन तन्त्र होता है विशेषकर फुफ्फुस (Lungs) जो तीव्र श्वसनी शोथ से ग्रस्त हो जाते हैं। वायु प्रदूषण के विलम्बित प्रभाव है -(१) चिरकारी श्वसनीय शोथ तथा (२) फुफ्फुस कैन्सर। वायु प्रदूषण के अन्य दुष्प्रभाव हैं :- वनस्पति और प्राणी जीवन का विनाश, धातुओं का क्षय, इमारतों को हानि, बेचैनी, थकान, सिरदर्द, हृदय व रक्त संचार में शिथिलता आदि।

मलिन आवासों के निवासियों पर वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव अधिक पड़ता है क्योंकि मलिन आवासों के भौतिक पर्यावरण में अशुद्ध वायु की उपस्थिति अपेक्षाकृत

अधिक होती है। अधिकांश मलिन बस्तियां कारखानों के समीप बनी होती हैं जिनसे निकली अशुद्ध वायु वहां के निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त मलिन बस्तियाँ भीड़ भरे तथा तंग स्थानों पर बनी होती हैं। मलिन आवासों में भीड़ भाड़ अधिक होने के कारण इनके कमरों में शुद्ध व ताजी हवा नहीं आती है तो कमरे की हवा धीरे - धीरे दूषित हो जाती है और ऐसी स्थिति बन सकती है कि लोग कमरे में बेचैनी महसूस करने लगें। मनुष्य के शरीरों से निकलने वाली गर्मी, श्वसन और पसीने के रूप में निकली आर्द्रता में वृद्धि, वायु की हलचल में कमी तथा नाक, मुंह, गले और श्वसन पथ से निकले जीवाणु इस स्थिति को और हानिप्रद बना देते हैं। इससे इन तंग व भीड़ भरे मलिन आवासों में रहने वालों को बेचैनी के साथ ही सिरदर्द, निद्रालुता और काम में मन न लगना तथा वायु के सम्पर्क से फैलने वाले रोगों के ग्राही बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस प्रकार मलिन आवासीय भौतिक पर्यावरण में अशुद्ध वायु का वहां के निवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

बहुत तीव्र अथवा तेज ध्वनि को शोर कहते हैं। मनुष्य लगातार बढ़ रहे तीव्र ध्वनियुक्त पर्यावरण में रहता है। शोर की परिभाषा है, ''गलत समय में गलत स्थान पर गलत आवाज।''[1] स्वास्थ्य के लिये खतरे के रूप में शोर की भूमिका की विवेचना के लिये 'ध्वनि प्रदूषण' शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई डेसिबल है। ८५ से ९५ डेसिबल शोर सहने लायक तथा १२० डेसिबल या उससे अधिक का शोर सहनशक्ति से बाहर होता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत मोटरगाड़ियाँ, रेल, बस, हवाई जहाज, रॉकेट, सिनेमा, रेडिया, ट्रांजिस्टर, लाउडस्पीकर, कारखाने और मशीनें, सामाजिक क्रियाकलाप जैसे - त्यौहार तथा हंसी खुशी में

---

1. Park, K. (2002), Community Health Science, M/s Banarsidas Bhanot Publishers, jabalpur, Page - 59

पटाखे छुड़ाना, चुनाव व हड़ताल में धूमधड़ाका करना, पॉप म्यूजिक, मेले, देवी जागरण तथा नमाज आदि धार्मिक उत्सवों में लाउडस्पीकरों का अंधाधुंध उपयोग करना आदि हैं। शोर से न केवल हमारे श्रवणयन्त्र को क्षति पहुंचती है बल्कि बोलने में बाधा, एकाग्र न हो पाना, अनिद्रा, उद्योगों में दुर्घटनाऐं, शारीरिक परिवर्तन जैसे रक्तचाप में वृद्धि, मानसिक तनाव, झुँझलाहट आदि भी उत्पन्न होते हैं। शोर से कानों के अलावा मस्तिष्क, केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र तथा आमाशय पर भी बुरे प्रभाव पड़ते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसन्धानों से पता चलता है कि ८५ डेसिबल से ऊपर की ध्वनि के प्रभाव में लम्बे समय तक रहने से व्यक्ति बहरा हो सकता है, १२० डेसिबल की ध्वनि से अधिक तीव्र शोर गर्भवती महिलाओं तथा उनके शिशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, १०० डेसिबल ध्वनि कान की तन्त्रिकाओं को नष्ट कर देती है तथा १२० डेसिबल से श्रवणशक्ति का स्थायी ह्रास होता है। १५० डेसिबल ध्वनि कान के पर्दे फाड़ सकती है, १७० डेसिबल ध्वनि त्वचा को जला सकती है, १८० डेसिबल ध्वनि मनुष्य को पागल बना सकती है और उसे मौत के मुंह में धकेल सकती है। व्यक्ति की पाचनशक्ति, हृदयतन्त्रिका तथा रक्त वाहिनियाँ संकुचित हो जाती है तथा व्यक्ति की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।''[1]

ग्रामों की अपेक्षा नगरों में तथा नगरों की अपेक्षा महानगरों में ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता अधिक पाई जाती है। महानगरों में शोर से स्कूली छात्र, श्रमिक वर्ग, मलिन बस्तियों में रहने वाले, रेललाइनों तथा हवाई अड्डे के नज़दीक रहने वाले, बैण्ड व आर्केस्ट्रा बजाने वाले अधिक प्रभावित होते हैं। इसका सर्वाधिक असर प्रायः मलिन आवासों में रहने वाले सब्जी विक्रेताओं, हाथ ठेले वालों, कारखानों में लगे मजदूर वर्ग तथा रेल पटरियों के किनारे रहने वाले लोगों पर पड़ता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार- ''कारखानों में कार्यरत श्रमिकों में २० प्रतिशत श्रमिक ध्वनि जनित श्रवण रोगों से प्रभावित है।''[2]

1. Gupta M.L. and Sharma D.D. (2000), Sociology, Sahitya Bhavan Publications, Agra, Page - 119.
2. Gupta M.L. and Sharma D.D., (2000), Sociology, Sahitya Bhavan Publications, Agra, page - 120.

लकड़ी व विभिन्न प्रकार के ईंधनों (पेट्रोल, कोयला, मिट्टी का तेल) की भट्टियों, कारखानों, बिजली घरों, मोटरगाड़ियों, रेलगाड़ियों आदि में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइ आक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड तथा अन्य यौगिकों के सूक्ष्म कण धुऐं के रूप में वातावरण को प्रदूषित करते हैं। मोटरगाड़ियाँ या ऑटोमोबाइल एक्सहॉस्ट के धुऐं को सबसे बड़ा प्रदूषणकारी माना जाता है। इससे कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें धुआं बनकर पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। बड़े - बड़े नगरों में कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, धातु के कण, विभिन्न प्रकार के फ्लुओराइड, कभी - कभी रेडियोसक्रिय पदार्थो के कण, कोयले के अज्वलनशील खनिज आदि आस पास बनी श्रमिक बस्तियों की वायु को इतना प्रदूषित कर देते हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। धुऐं का एक रूप धूम्रपान क्रिया से निकलने वाला धुआं भी है जिसका प्रभाव धूम्रपान करते समय समीप बैठे लोगों पर भी उतना ही असर डालता है। कारखानों की चिमनियों से निकले धुऐं में मौजूद सल्फर डाइआक्साइड मनुष्य की श्वांसनली में खराश उत्पन्न करती है तथा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। मोटर गाड़ियों, औद्योगिक संयन्त्रों, घर के चूल्हों तथा सिगरेट के धुऐं से कार्बन मोनोक्साइड तथा कार्बन डाइआक्साइड वायु में मिलती है जो श्वसन की क्रिया में रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर आक्सीजनवाही कार्य रोक देती हैं। शरीर की सभी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन नहीं मिलने के कारण थकान, सिरदर्द, काम करने की अनिच्छा, दृष्टि संवेदनशीलता में कमी तथा हृदय व रक्त संचार में शिथिलता आदि विकार उत्पन्न होते हैं। मलिन बस्तियाँ अधिकांशत: कारखानों, स्टेशनों आदि के समीप ही बनी होती हैं। इसलिये वहां का पर्यावरण अपेक्षाकृत अधिक प्रदूषित होता है।

वस्तुओं को देखने के लिये प्रकाश अत्यन्त आवश्यक है। प्रकाश के अभाव में मनुष्य के देखने की शक्ति प्रभावित होती है। इसलिये सही दृष्टि के लिये अच्छी प्रकाश व्यवस्था आवश्यक है। उचित तथा उपयुक्त प्रकाश देखनेकी क्रिया को सरल बनाता है। उपयुक्त प्रकाश के लिये आवश्यक है कि प्रकाश पर्याप्त हो जिससे नेत्रों पर अनावश्यक जोर न पड़े। प्रकाश का वितरण समान हो, चका चौंध युक्त प्रकाश न हो तथा प्रकाश का स्रोत स्थिर होना चाहिये। साथ ही मकान चारों ओर से अत्यधिक घिरा हुआ नहीं होना चाहिये। परन्तु मलिन आवासों में मकान संकरी गलियों में तथा पास - पास बने होते हैं। इसके अतिरिक्त वहां जनसंख्या घनत्व भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। जिससे वहां प्राकृतिक प्रकाश का सर्वाधिक अभाव होता है। इसके कारण वहां के निवासियों में बायोलॉजिक रिदिम्स ऑफ टेम्परेचर, शारीरिक थकान तथा दृष्टिहीनता आदि स्वास्थ्य समस्याऐं जन्म लेती हैं। यही कारण है कि मलिन आवासों के निवासियों की नेत्र ज्योति खुले में रहने वाले लोगों की तुलना में शीघ्र कम हो जाती है।''[1]

यदि आवास में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाता है तो ऐसे आवासों में अंधेरे, सीलन, नमी आदि की भी समस्या होती है। यह तो सर्वविदित है कि अनेक प्रकार के विषाणु, जीवाणु, फफूँद, मक्खी - मच्छर आदि रोग वाहक जीव अंधेरे तथा नमीयुक्त स्थानों पर तीव्रगति से पनपते हैं तथा मनुष्य में संक्रामक रोगों का संचार करते हैं।

आर्द्रता अथवा नमी वायु मण्डल में सदैव उपस्थित रहती है। परन्तु मलिन आवासों का पर्यावरण ऐसा होता है कि वहां नमी कुछ ज्यादा ही होती है। बारिश के दिनों में तो स्थिति और बिगड़ जाती है क्योंकि मलिन आवासों में अधिकांश मकान कच्चे बने होते हैं तथा शुद्ध वायु के आवागमन के लिये उचित वायु संचारण व्यवस्था (रोशनदान, खिड़की आदि)का अभाव होता है। जिससे बारिश के दिनों में सीलन

---

1. Wurtman, R.J., (1970). .....

और बढ़ जाती है। मलिन आवासों का पर्यावरण संकरी गलियों के कारण ताजी हवा को आने तथा अशुद्ध हवा को बाहर जाने में बहुत बाधा पहुंचाता है। इसके कारण मलिन आवासों में आर्द्रता घटती - बढ़ती रहती है। परिणामत: दैनिक तापमान तथा उमस को समायोजित करना कठिन हो जाता है जिसके कारण जीना दूभर हो जाताहै क्योंकि इसका मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। ऐसे नमीयुक्त स्थानों पर ही फंफूदी तथा कवक जमते हैं तथा अनेक रोगों के जीवाणु, विषाणु तथा कीटाणु पोषित होते हैं। जो वहां के निवासियों को शनै: शनै: रोगग्रस्त कर देते हैं।

प्रस्तुत सारणी मलिन आवासों के निवासियों के स्वास्थ्य पर भौतिक पर्यावरण के तत्वों यथा - जल, वायु, धुआं, ध्वनि, प्रकाश व आर्द्रता के प्रभावों के स्तरों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती हैं :-

तालिका संख्या ८-१

मानव स्वास्थ्य पर भैतिक पर्यावरण के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण

क्र० सं०	मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव	कम	सामान्य	अधिक	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	पीने के पानी का प्रभाव	३२ (१०.६७%)	६९ (२३%)	१९९ (६६.३३%)	३०० (१००%)
२.	अस्वच्छ वायु का प्रभाव	५६ (१८.६७%)	४५ (१५%)	१९९ (६६.३३%)	३०० (१००%)
३.	धुऐं का प्रभाव	४९ (१६.३३%)	६२ (२०.६७%)	१८९ (६३%)	३०० (१००%)
४.	ध्वनि का प्रभाव	५७ (१९%)	४५ (१५%)	१९८ (६६%)	३०० (१००%)
५.	कम प्रकाश का प्रभाव	५३ (१७.६७%)	४५ (१५%)	२०२ (६७.३३%)	३०० (१००%)
६.	आर्द्रता का प्रभाव	३६ (१२%)	७५ (२५%)	१८९ (६३%)	३०० (१००%)

प्रसंगाधीन तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं से जब पीने के पानी का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में जानकारी की गई तब विदित हुआ कि सर्वाधिक १९९ उत्तरदाता ६६.३३ प्रतिशत मानते थे कि स्वास्थ्य पर पीने के पीने के पानी का प्रभाव अधिक पड़ता है, ६९ उत्तरदाता २३प्रतिशत मानते थे कि स्वास्थ्य पर प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ३२ उत्तरदाता १०.६७ प्रतिशत मानते थे कि पीने के पानी का स्वास्थ्य पर प्रभाव कम पड़ता है।

इसी प्रकार जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि अस्वच्छ वायु का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है, तब ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक १९९ उत्तरदाता ६६.३३ % मानते थे कि स्वास्थ्य पर अशुद्ध वायु का प्रभाव अधिक पड़ता है, ४५ उत्तरदाता १५% मानते थे कि प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ५६ उत्तरदाता १८.६७ % मानते थे कि अस्वच्छ वायु का स्वास्थ्य पर प्रभाव कम पड़ता है।

जब उत्तरदाताओं में धुऐं का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन किया गया तब ज्ञात हुआ कि १८९ उत्तरदाता ६३ % मानते थे कि धुऐं का स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ६२ उत्तरदाता २०.६७ % मानते थे कि धुऐं का प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ४९ उत्तरदाता १६.३३ % मानते थे कि धुऐं का स्वास्थ्य पर प्रभाव कम पड़ता है।

तीव्र ध्वनि का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है, जब उत्तरदाताओं से पूछा गया तो विदित हुआ कि १९८ उत्तरदाता ६६ % मानते थे कि स्वास्थ्य पर तीव्र ध्वनि का प्रभाव अधिक पड़ता है, ४५ उत्तरदाता १५% मानते थे कि स्वास्थ्य पर प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ५७ उत्तरदाता १९ % मानते थे कि तीव्र ध्वनि का स्वास्थ्य पर कम प्रभाव पड़ता है।

उत्तरदाताओं का अनुपयुक्त प्रकाश के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के स्तर सम्बन्धी अध्ययन करने पर पता चला कि २०२ उत्तरदाता मानते थे कि अनुपयुक्त प्रकाश का स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार ४५ उत्तरदाता १५ % मानते थे कि अनुपयुक्त प्रकाश का स्वास्थ्य पर प्रभाव सामान्य तथा ५३ उत्तरदाताओं १७.६७ % के अनुसार कम पड़ता है।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि आर्द्रता का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है, तब विदित हुआ कि १८९ उत्तरदाता ६३ % मानते थे कि आर्द्रता का स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ७५ उत्तरदाता २५ % मानते थे कि प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ३६ उत्तरदाता १२ % मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर आर्द्रता का कम प्रभाव पड़ता है।

२- जैवकीय पर्यावरण :-

मनुष्य के जैवकीय पर्यावरण में अनेक प्रकार के जीवाणु, विषाणु, संधिपाद जैसे - मच्छर, मक्खी, खटमल, कॉकरोच आदि, कृन्तक जैसे - चूहे आदि, कृमि जैसे - गोल कृमि, फीता कृमि, हुकवर्म, लिवरफ्लूक आदि सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ जीवाणु तथा अन्य मनुष्य के स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुंचाते है। परन्तु कुछ ऐसे हैं जो मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते और रोगों को फैलाते हैं। भारत में कुल मौतों में ५० प्रतिशत मौतें संधिपाद वाहित रोगों से होती है। पुराने समय में अकेला मलेरिया ही प्रतिवर्ष ८ लाख लोगों की मृत्यु का कारण बनता था। सौभाग्य से इस रोग को अब काफी नियन्त्रित कर लिया गया है। मलेरिया रोग मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर गंदे और दूषित जल में पैदा होते हैं। खुली नालियों, फूलदानों, कूलरों में जमा पानी आदि तथा तालाबों, पोखरों आदि के पानी में इनकी तीव्र वृद्धि होती है। मलिन बस्तियों में मच्छरों को पनपने का स्वर्णिम अवसर मिलता है क्योंकि यहां अंधेरे तथा

नम स्थानों एवं टूटी नालियों, गंदे पोखरों, गड्ढों आदि की कोई कमी नहीं होती है। इन स्थानों पर मच्छरों की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है जो वहां के निवासियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

मनुष्य के निकट सम्पर्क वाला सबसे सामान्य और जाना माना कीट मक्खी है। मक्खी का सम्बन्ध गन्दगी से है तथा इसे अस्वच्छता का अभिसूचक माना जाता है। मक्खी अनेक रोगों के संचारण के लिये जानी जाती है तथा सभी गंदगी से होने वाले रोग हैं। कुछ मुख्य है :- हैजा, अतिसार, पेचिश, जठरान्त्रशोथ, टाइफाइड, अमीबायसिस, कंजक्टीवाइटिस, रोहे आदि। मक्खी अपने पैरों, शरीर और रोम युक्त टाँगों पर संक्रमण ले जाती है। साथ ही मक्खी में बार - बार वमन करने तथा मलोत्सर्ग की भी आदत होती है। खाद्य पदार्थ पर बैठकर, वमन करके तथा मलोत्सर्ग द्वारा मक्खी रोगों को फैलाती है। मक्खियाँ भी गंदी बस्तियों में सर्वाधिक पाई जाती हैं। मलिन आवासों के निवासी अधिकतर खुले में शौचक्रिया करते हैं तथा स्वच्छता की अनदेखी करते हैं। इसके साथ ही मलिन बस्तियों में न तो मल-निस्तारण की उचित सुविधा उपलब्ध हैं और न ही कूड़े करकट के निस्तारण की/मलिन बस्तियों में जहाँ-जहाँ कूड़े के ऊँचे-ऊँचे ढेर लगे रहते हैं तथा नालियाँ भी या तो होती नहीं हैं, अगर हैं भी तो खुली तथा गन्दगी से परिपूर्ण होती हैं। मक्खियाँ मनुष्य तथा पशुओं के मल और कूड़े के ढेर में बैठती हैं और फिर खाद्य पदार्थो पर बैठकर उन्हें दूषित कर देती हैं, जिन्हें खाकर मनुष्य अनेक रोगों का शिकार होता है तथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मानव स्वास्थ्य को कॉकरोच तथा खटमल भी प्रभावित करते हैं। कॉकरोच अंधेरे तथा नमीयुक्त स्थानों खासकर रसोईघर में रहते हैं। कॉकरोच भोजन आदि में गिरकर भोजन को विषाक्त कर देते हैं। इसी प्रकार खटमल गन्दे स्थानों पर तेजी से फैलते है। मलिन आवासों में प्राय: सीलन तथा नमी बनी ही रहती है तथा यहाँ के

निवासियों में स्वच्छता के प्रति उदासीनता पायी जाती है जिससे उनके बिस्तरों, चारपाई, पलंग आदि में खटमल बहुतायात से पाये जाते हैं। खटमल मानवरक्त चूसते हैं जिससे मलिन आवासों के निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

भारत में विशेषकर ग्रामीण एवं नगर के मलिन आवासों में निवास करने वाले नागरिकों के बच्चों में कृमिरोग अधिक पाये जाते हैं। ये कृमि कई प्रकार के होते हैं, यथा - टेपवार्म, राउण्ड वार्म, पिनवार्म इत्यादि। ये कृमि आंतों में अण्डे देते हैं। कुछ समय में कृमि मलत्याग के साथ बाहर आ जाते हैं। जब कृमि के अण्डे लार्वा के रूप में विकसित होते हैं तब वे तरूण बन जाते हैं। प्रत्येक कृमि की अलग - अलग जीवन प्रक्रिया होती है। ये कृमि मानव शरीर में विविध मार्गो से घुसते हैं जिनकी पहचान सूक्ष्मदर्शी यंत्र से की जाती है।

कृमियों की उपस्थिति उन लोगों की आंतों में पाई जाती है जिनकी व्यक्तिगत स्वच्छता निम्न कोटि की होती है। पानी की कमी में हरी पत्तियों वाली साग भाजियों को अच्छे ढंग से साफ न करना कृमि रोग का एक कारण है। जब कोई व्यक्ति या बच्चे खुले में शौच करने जाते हैं तब उनके द्वारा त्यागा मल खेतों की साग भाजी में संक्रमण करता है। जब ये साग भाजी सही ढंग से बिना साफ किये प्रयोग में लाई जाती है तब कृमियों के अण्डे आंतों में पहुंच जाते हैं। शौच के बाद अच्छी तरह से हाथों को साफ न करने से अन्य वस्तुऐं व्यक्ति के द्वारा संक्रमित हो जाती हैं। नंगे पैर रहना कृमि रोगों के विस्तार का एक कारण है। यदि किसी बच्चे या स्त्री द्वारा मिट्टी खाई जाये जैसा कि प्रसव के दौरान प्राय: होता है, तब भी कृमि आंतों में पहुंच जाते हैं। एक दीर्घ प्रक्रिया के बाद ये कृमि रक्त में मिल जाते हैं तथा फेफड़ों में घुस जाते हैं और रक्त का शोषण करते रहते हैं।

---

1. Kolch S.N., (1985) A Study of Prevalence and Nature of Helminthic Infection in Urban PopulationArround the Urban Health Care, LLRM Medical College, M.D. Thesis of S.P.M. Meerut University.

कृमि रोगों का संक्रमण मलिन आवासों के निवासियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला मुख्य खतरा है। वर्तमान में ४५.७५ % लोग जो मलिन आवासों में रहते हैं, कृमि रोग से पीड़ित हैं। कोच (१९८५) ने अपने एक नगरीय अध्ययन में पाया कि ४७ % लोग कृमि रोगों से पीड़ित थे, उस क्षेत्र में जो नगर स्वास्थ्य केन्द्र की सेवा परिधि में स्थित था। उनके अनुसार, "मलिन आवासों के निम्न आय वर्ग के लोगों में कृमि रोग की दर ५८ % थी।"[1] इसी प्रकार विभिन्न अध्ययन जो कलकत्ता, मुम्बई आदि में तथा अन्य स्थानों पर हुऐ, से विदित होता है कि मलिन आवासों के निवासियों में कृमि रोग से पीड़ित होने की दर अपेक्षाकृत रूप से अधिक थी। श्री मुरली (१९९५) ने भी अपने शोध अध्ययन में पाया कि मलिन आवासों में अनेक प्रकार के रोगों का कारण कृमि रोग था। उसके अनुसार, "कृमि रोग का सम्बन्ध परिवार के आकार से था। उसने पाया कि छोटे परिवारों में कृमि रोग दर कम २६.०६% थी जबकि बड़े आकार के परिवारों में कृमि रोग दर ५२.८८ % थी। उसने निरक्षरता से भी कृमि रोग का सम्बन्ध स्थापित करते हुऐ व्याख्या की और बताया कि २९.४५ % निरक्षरों के विरूद्ध ४५.४८ % साक्षर लोग कृमि रोग से मुक्त थे तथा घर के शौचालय में शौच करने जाते थे।"[2] उपरोक्त के अलावा कृमि रोग का मुख्य कारण मानव मल का उचित निस्तारण न होना भी है। खुले में शौच करने से कृमि रोगों की संभावना बढ़ जाती है। डॉ० निमेष (१९९६) के अनुसार, "मलिन आवासों के अधिकतर निवासी २८९ (७२%) खुले में शौच के लिये जाते थे। उनके पेट में कृमि रोग पाया गया।"[3] सुस्पष्ट है कि मलिन आवासों के निवासियों में कृमि रोग की अधिकता होती है।

अग्रलिखित सारणी में मानव स्वास्थ्य पर जैवकीय पर्यावरण के विभिन्न तत्वों यथा - मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, खटमल, चूहे तथा कृमियों के प्रभावों के स्तरों पर प्रकाश डाला गया है :-

---

1. Kolch S.N., (1985) A Study of Prevalence and Nature of Helminthic Infection in Urban PopulationArround the Urban Health Care, LLRM Medical College, M.D. Thesis of S.P.M. Meerut University.
2. Murli R., (1995), A Study of Prevalence of Intestinal Parasites in Urban Slum-dwellers - A Study for Health Education. Associate Protessor of S.P.M. Medical College, Medras.
3. निमेष, आर. पी., (1996), अनुसूचित जातियों का स्वास्थ्य व्यवहार, झाँसी नगर के सन्दर्भ में पी.एच.डी. थीसिस, बु.वि.वि., झाँसी

तालिका संख्या - ८.२

मानव स्वास्थ्य पर जैवकीय पर्यावरण के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण

क्र० सं०	जैवकीय पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव	कम	सामान्य	अधिक	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	मच्छरों का प्रभाव	४६ (१५.३३%)	३८ (१२.६७%)	२१६ (७२%)	३०० (१००%)
२.	मक्खियों का प्रभाव	२३ (७.६७%)	४२ (१४%)	२३५ (७८.३३%)	३०० (१००%)
३.	तिलचट्टों तथा खटमलों का प्रभाव	५५ (१८.३३%)	४३ (१४.३३%)	२०२ (६७.३४%)	३०० (१००%)
४.	चूहों का प्रभाव	२६ (८.६६%)	४४ (१४.६७%)	२३० (७६.६७%)	३०० (१००%)
५.	कृमियों का प्रभाव	३३ (११%)	५८ (१९.३३%)	२०९ (६९.६७%)	३०० (१००%)

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि मानव स्वास्थ्य पर मच्छरों का कितना प्रभाव पड़ता है,तब पता चला कि २१६ उत्तरदाता ७२ % मानते थे कि मच्छरों का स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ४६ उत्तरदाता १५.३३ % मानते थे कि मच्छरों का स्वास्थ्य पर कम प्रभाव पड़ता है तथा ३८ उत्तरदाता १२.६७ % मानते थे कि मच्छरों का स्वास्थ्य पर सामान्य प्रभाव पड़ता है।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि मानव स्वास्थ्य पर मक्खियों का कितना प्रभाव पड़ता है, तब विदित हुआ कि २३५ उत्तरदाता ७८.३३ % मानते थे कि मक्खियों का स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ४२ उत्तरदाता १४ % मानते थे कि

स्वास्थ्य पर मक्खियों का सामान्य प्रभाव पड़ता है तथा २३ उत्तरदाता ७.६७ % मानते थे कि मक्खियों का मानव स्वास्थ्य पर कम प्रभाव पड़ता है।

उत्तरदाताओं का मानव स्वास्थ्य पर कॉकरोच (तिलचट्टा) तथा खटमलों के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी अध्ययन करने पर विदित हुआ कि २०२ उत्तरदाता ६७. ३४ % मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर तिलचट्टों तथा खटमलों का अधिक प्रभाव पड़ता है, ५५ उत्तरदाता १८.३३ % मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर तिलचट्टों तथा खटमलों का कम प्रभाव पड़ता है जबकि ४३ उत्तरदाताओं १४.३३ % का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर तिलचट्टों तथा खटमलों का सामान्य प्रभाव पड़ता है।

उत्तरदाताओं का चूहों द्वारा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के स्तर सम्बन्धी अध्ययन किया गया तब ज्ञात हुआ कि २३० उत्तरदाता ७६.६७ % मानते थे कि चूहों का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ४४ उत्तरदाता १४.६७ % मानते थे कि चूहों का स्वास्थ्य पर सामान्य प्रभाव पड़ता है तथा २६ उत्तरदाता ८.६६ % मानते थे कि चूहों का मानव स्वास्थ्य पर कम प्रभाव पड़ता है।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि कृमियों का मानव स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है, तब ज्ञात हुआ कि २०९ उत्तरदाता ६९.६७ % मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर कृमियों का अधिक प्रभाव पड़ता है, ५८ उत्तरदाता १९.३३ % मानते थे कि कृमियों का स्वास्थ्य पर सामान्य प्रभाव पड़ता है तथा ३३ उत्तरदाता ११ % मानते थे कि कृमियों का मानव स्वास्थ्य पर कम प्रभाव पड़ता है।

३. मनोवैज्ञानिक पर्यावरण :-

मनोवैज्ञानिक पर्यावरण को परिभाषित करना कठिन है ; विशेषकर स्वदेश में जहाँ सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पक्ष में सामाजिक रहन-सहन के स्तर तथा सामाजिक मूल्यों की व्यवस्था पायी जाती है। फिर भी ''मनोवैज्ञानिक पर्यावरण को

उन कारकों के रूप में पारिभाषित किया जा सकता है। जो क्रमश: वैयक्तिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की देखभाल तथा सामुदायिक कुशलक्षमता जो मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को तैयार करती है तथा सामाजिक समूहों की संरचना तथा कार्यो को रूप प्रदान करती है।"[1] इसके अलावा मनोसामाजिक पर्यावरण वृहत् रूप में व्यक्ति तथा व्यक्तियों के बीच निरन्तर अन्तर्क्रिया करता रहता है, क्योंकि वह परिवार, समूह, समुदाय, जाति तथा राष्ट्र का सदस्य होता है। व्यक्ति तथा समूह के सदस्यों के बीच मधुरता तथा कटुता दोनों ही होती है। इन दोनों स्थितियों में व्यक्ति भाग लेता है अर्थात् सहयोग व संघर्ष दोनों में। इस प्रकार एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप तनावों तथा संघर्षो का जन्म होता हे। जिससे व्यक्ति व समूह के बीच समस्या उत्पन्न हो जाती है और साथ ही नाना प्रकार की स्वास्थ्य समस्याऐं भी अनायास ही उत्पन्न हो जाती हैं।मलिन आवासों में स्थान की कमी तथा अशिक्षा के कारण छोटी-छोटी बातों पर मारपीट होती रहती है। प्रथाऐं, धारणाऐं, विश्वास, परम्पराऐं, सांस्कृतिक मूल्य, आदतें, धर्म, शिक्षा, जीवनशैली, सामूहिक जीवन आदि सभी व्यक्ति, समूह तथा परिवार के मध्य अन्त: क्रियात्मक सम्बन्धों को निरन्तर गतिमान रखते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक व्यक्ति के स्वास्थ्य को सकारात्मक तथा नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। एक अनुकूल सामाजिक पर्यावरण स्वास्थ्यवर्द्धन करता है और व्यक्ति को अवसर भी प्रदानकरता है ताकि वह सम्पूर्ण की प्राप्ति कर सके और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। इसलिये प्रथाऐं तथा परम्पराऐं स्वास्थ्य के अनुकूल होती हैं और उन्हें महत्व भी देना चाहिये। समाज के लिये लाभकर व्यवहार जैसे- सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन देना चाहिये जो सामाजिक परिवर्तन के कारण कम हो चुका है।

मनोसामाजिक पर्यावरण व्यक्ति के स्वास्थ्य और कुशलक्षमता को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप - गरीबी, नगरीकरण

---

1. World Health Organization, (1976), Techn. Rep. Serial no. 587.

जनसंख्यावृद्धि, देशान्तर और दबावपूर्ण सामाजिक परिस्थितियाँ जैसे-रोजगार से निष्कासन, अपंग शिशु का जन्म आदि की घटनाऐं व्यक्ति में चिन्ता, अवसाद, क्रोध, कुण्ठा इत्यादि भावनाऐं भौतिक लक्षणों जैसे - सिरदर्द,घबराहट, पसीना छूटना आदि के द्वारा प्रस्फुटित होती है। ये भावनात्मक दशाऐं अथवा परिस्थितियाँ हमारी स्नायु-ग्रन्थियों में स्वत: ही परिवर्तन लाती हैं। खासकर स्नायु व्यवस्था में, जो एक लम्बे अर्से तक यदि अन्त: क्रिया में रहीं तो व्यक्तित्व सम्बन्धी कारक मानव-सावयव के विभिन्न अंगों में परिवर्तन ले आते हैं। जिसके परिणमस्वरूप अल्सर, अस्थमा, उच्च-रक्तचाप, हृदय सम्बन्धी रोग, मानसिक विकार और सामाजिक तौर पर विचलनयुक्त व्यवहार जैसे - आत्म हत्या, अपराध, हिंसा, मद्यपान आदि उत्पन्न होते हैं। प्रारम्भिक हृदय रोग व्यक्ति की जीवनशैली तथा मनोसामाजिक दबावों से सम्बन्धित होता है। अनेक देशों में नवयुवकों में मृत्यु का कारक सड़क दुर्घटनाऐं हैं जो व्यक्ति की मनोसामाजिक स्थितियों से सम्बन्धित हैं जैसे- निराशा, चिन्ता, कुण्ठा आदि जो वाहन चलाते समय ध्यान को भंग कर देते हैं।''[१] ''आज व्यक्ति को अपनी स्वयं की बीमारियों के लिये अभिकर्ता के रूप में जाना जाता है। उसके स्वास्थ्य की दशा अधिकाशंत: उसके द्वारा की गई क्रियाओं से अधिक तथा बाह्य संक्रामक अभिकर्ताओं से कम निर्धारित होती है। उदाहरण के लिऐ -फेफड़े के कैंसर का चिकित्सकीय कारक किसी रासायनिक सिगरेट के धूम्रपान में सम्भव है लेकिन इसका मुख्य कारण व्यक्ति का मनोसामाजिक व्यवहार ही है। मनोसामाजिक दृष्टिकोण से धूम्रपान मानव-सावयव के असमायोजन के रूप में जाना जाता है। जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षीकरण, त्रुटिपूर्ण विवेचन तथा त्रुटिपूर्ण व्यवहार किया जाता है।''[२] संक्रामक रोग विज्ञानी भौतिक अथवा जैवकीय

---

1. Park J.E., (2000), Preventive and Social Medicine, Chapter - Concept of Health and Disease, page - 30, 19th Edition, Jabalpur.
2. Suchman E.A., (1970), Arch. Env. Health, 20:105.

पर्यावरण के साथ-साथ मनोसामाजिक पर्यावरण को भी स्वास्थ्य समस्याओं के लिये उत्तरदायी मानते हैं। इसलिये व्यक्ति और पर्यावरण के मध्य उचित सन्तुलन ही व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है और उसे उत्पादक एवं संतुष्टिपूर्ण जीवन व्यतीत करने योग्य बनाता है।

व्यक्ति की जीवनशैली का उसके स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जीवन शैली का तात्पर्य लोगों द्वारा जीवन जीने का ढंग या तरीका है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मनुष्य को स्वस्थ जीवनशैली बनानी चाहिये। जीवनशैली हमारे मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का अहम हिस्सा है। श्री विंगगार्ड डी० एल० (१९८२: ७६५) ने वार्षिक संक्रामक रोग विज्ञान से सम्बन्धित जरनल में लिखा है कि, ''जीवनशैली व्यक्ति के जीने की कला होती है। जो सामाजिक मूल्यों, मनोवैज्ञानिक धारणाओं तथा क्रियाओं का परावर्तित रूप है। इसमें व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक प्रतिमान तथा मनोवैज्ञानिक आदतों, जैसे - धूम्रपान, मद्यपान का समावेश होता है। जिसे व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है जीवन शैली व्यक्ति अपने माता - पिता, समवय समूहों, मित्रों, सहोदरों तथा जनसंपर्क के माध्यमों के साथ अन्तर्क्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित करता है। व्यक्ति की जीवनशैली और उसके स्वास्थ्य में गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। क्योंकि स्वास्थ्य व्यक्ति की जीवनशैली का परिणाम तथा उसका निर्णायक तत्व है।''[1]आदत कार्य करने की अभ्यस्त विधि है। एक बार पड़ जाने पर आदतें स्थायी हो जाती हैं और मानव व्यवहार को प्रभावित करती है। आदतें बनती हैं तथा कई प्रकार की हो सकती हैं ; जैसे - भोजन, नींद, कार्य, धूम्रपान, शराब और मादक पदार्थ सम्बन्धी आदतें। आदतें अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। अच्छी आदतें व्यक्ति के स्वास्थ्य में वृद्धि करती हैं तथा बुरी आदतें

---

1. Wingguard, D.L. (1982:765), Annual Journal of the Science of Infectious Disease.

स्वास्थ्य का नाश करती हैं। मनुष्य को अपनी आदतों का दास नहीं होना चाहिये, उसे उनका स्वामी बनना चाहिये। आदतों का मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ गहरा सम्बन्ध होता है। स्वास्थ्य बहुत हद तक बहुत सी अच्छी आदतों का ही परिणाम है। लोगों को अच्छी आदतें डालकर अपने स्वास्थ्य की जिम्मेवारी स्वयं वहन करना चाहिये। स्वास्थ्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। अत: स्वास्थ्य रक्षा हेतु स्वस्थ आदतों का होना अति आवश्यक है। आदतें मनुष्य में निरन्तर अभ्यास के कारण पड़ जाती हैं। भविष्य में ये आदतें ही मानव प्रकृति का रूप धारण कर लेती है। अत: बचपन से ही बालक में स्वस्थ आदतें बड़े होने पर स्वस्थ जीवन का आनन्द प्रदान करती हैं। गन्दी तथा अस्वस्थ आदतों के कारण ही व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है। उसका स्वास्थ्य अधिकांशत: उसकी आदतों पर ही निर्भर रहता है।

मानव के स्वास्थ्य पर आदतों के साथ ही उसकी धारणाओं का भी प्रभाव पड़ता है। भारत में कुपोषण अथवा सन्तुलित आहार न लेने का एक मनोवैज्ञानिक कारण व्यक्ति की भोजन सम्बन्धी धारणाऐं भी है। हिन्दुओं में माँस, मछली, अण्डे आदि आवश्यक भोज्य पदार्थो का सेवन सभी लोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे लोग लहसुन-प्याज नहीं खाते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि रोग दैवीय कारणों से होता है तथा देवी-देवताओं को खुश करके रोगों से बचा जा सकता है। कुछ लोग मद्यपान तथा धूम्रपान की आदतों को मनोवैज्ञानिक धारणाओं के वशीभूत होकर अपना लेते हैं, खासकर पुरूष वर्ग। मद्यपान तथा धूम्रपान मनोवैज्ञानिक समस्या है। गत ३०-४० वर्षो में शराब की खपत बढ़ी है तथा शराब पीना शुरू करने की आयु भी घटी है। मद्यपान की आदत का मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नशाखोरी के परिणाम बहुआयामी है। नशाखोरी से एक ओर अपराध, हत्या, चोरी, वैयक्तिक विघटन, वेश्यावृत्ति, परिवार की उपेक्षा आदि कुप्रभाव उत्पन्न होते हैं वहीं

दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य के लिये भी मद्यपान हानिकारक है। इससे यकृत का सिरोसिस, कैंसर, मनोविक्षिप्तता आदि रोग उत्पन्न होते है। साथ ही शराबी व्यक्ति अपने आस - पास के सामाजिक तथा मानसिक परिवेश को भी प्रभावित करता है। चूंकि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से मद्यपान करता है इसलिये इसका प्रभाव बालमन पर भी पड़ता ही है। इसी प्रकार धूम्रपान करने वालों के भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धूम्रपानकरने से व्यक्ति को फेफड़े , मुंह तथा आंतों का कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। साथ ही गर्भवती महिला द्वारा गर्भावस्था के समय धूम्रपान करने से गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है।

स्वच्छता के दो पहलू हैं :- (१) व्यक्तिगत और (२) वातावरण सम्बन्धी व्यक्तिगत स्वच्छता का विषय है : स्वास्थ्य (शारीरिक तथा मानसिक) और उसका रख रखाव स्वास्थ्य का उन्नयन तथा रख रखाव व्यक्तियों, परिवारों तथा समुदायों को उनकी पूरी स्वास्थ्य क्षमता को विकसित करने में सहायक है। व्यक्तिगत स्वच्छता सम्पूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण घटक है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों की स्वच्छता तथा देख भाल सम्मिलित है, जैसे - त्वचा की देखभाल, त्वचा की स्वच्छता तथा स्नान, बालों की देखभाल, दांतों की देखभाल आंखों की देखभाल, कानों की देख भाल, पैरों की देख भाल, आहार, विश्राम तथा निद्रा एवं व्यायाम आदि। व्यक्तिगत स्वच्छता का मनुष्य के स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ रहने से चित्त प्रसन्न रहता है, रोगाणु पास नहीं आते हैं, साथ ही शरीर में स्फूर्ति एवं प्रफुल्लता बनी रहती है। अतः प्रत्येक विवेकशील प्राणी को स्वस्थ रहने के लिये व्यक्तिगत स्वच्छता का खास ख्याल रखना चाहिये।

मनुष्य में स्वयं के तथा परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी होनी चाहिये। इसमें स्वस्थ आदतों का निर्माण और स्वास्थ्य में सहायक अन्य सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण तथा व्यक्तिगत घटक शामिल हैं। स्वास्थ्य का रख

रखाव मात्र व्यक्तिगत व्यवहार पर ही निर्भर नहीं है, परिवार और समाज भी व्यक्तिगत कार्यों और रूचियों को काफी प्रभावित करते हैं। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति चेतन होना चाहिये न कि लापरवाही बरतनी चाहिये।

प्रस्तुत तालिका मानव स्वास्थ्य पर मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के प्रभाव के स्तरों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या - ८.३

मानव स्वास्थ्य पर मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण

क्र० सं०	मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव	कम	सामान्य	अधिक	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	जीवन शैली का प्रभाव	३७ (१२.३३%)	६८ (२२.६७%)	१९५ (६५%)	३०० (१००%)
२.	आदतों का प्रभाव	४५ (१५%)	४८ (१६%)	२०७ (६९%)	३०० (१००%)
३.	धारणाओं का प्रभाव	४६ (१५.३३%)	५२ (१७.३३%)	२०२ (६७.३४%)	३०० (१००%)
४.	व्यक्तिगत स्वच्छता का प्रभाव	४६ (१५.३३%)	४२ (१४%)	२१२ (७०.६७%)	३०० (१००%)
५.	स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना का प्रभाव	५४ (१८%)	३४ (११.३३%)	२१२ (७०.६७%)	३०० (१००%)
६.	मद्यपान का प्रभाव	३६ (१२%)	४४ (१४.६६%)	२२० (७३.३४%)	३०० (१००%)
७.	धूम्रपान का प्रभाव	३२ (१०.६७%)	४४ (१४.६६%)	२२४ (७४.६७%)	३०० (१००%)

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के अन्तर्गत जीवन शैली का कितना प्रभाव पड़ता है, तब ज्ञात हुआ कि १९५ उत्तरदाता ६५ % मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर जीवन शैली का प्रभाव अधिक पड़ता है, ६८ उत्तरदाता २२.६७% मानते थे कि जीवन शैली का स्वास्थ्य पर सामान्य प्रभाव पड़ता है तथा ३७ उत्तरदाता १२.३३ % मानते थे कि जीवन शैली का मानव स्वास्थ्य पर कम प्रभाव पड़ता है।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि आदतों का मानव स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है, तब पता चला कि २०७ उत्तरदाता ६९ % मानते थे कि आदतों का स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ४८ उत्तरदाताओं १६% का मानना था कि स्वास्थ्य पर आदतों का प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ४५ उत्तरदाता १५% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर आदतों का कम प्रभाव पड़ता है।

धारणाओं का मानव स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकीर उत्तरदाताओं से करने पर पता चला कि २०२ उत्तरदाता ६७.३४% मानते थे कि धारणाओं का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ५२ उत्तरदाताओं १७. ३३% का मानना था कि स्वास्थ्य पर धारणाओं का प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ४६ उत्तरदाता १५.३३% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर धारणाओं का कम प्रभाव पड़ता है।

व्यक्तिगत स्वच्छताकी भावना का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के स्तर की जानकरी उत्तरदाताओं से करने पर ज्ञात हुआ कि २१२ उत्तरदाता ७०.६७% मानते थे कि व्यक्तिगत स्वच्छता का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव सामान्य तथा ४२ उत्तरदाताओं १४% के मतानुसार कम पड़ता है।

इसी प्रकार स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी उत्तरदाताओं से करने पर ज्ञात हुआ कि २१२ उत्तरदाता ७०.६७% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना का प्रभाव अधिक पड़ता है, ५४ उत्तरदाता १८% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना का प्रभाव कम पड़ता है तथा ३४ उत्तरदाताओं ११.३३% का मानना था कि स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना का मानव स्वास्थ्य पर सामान्य प्रभाव पड़ता है।

४- सामाजिक पर्यावरण :-

मनुष्य के पर्यावरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उसका सामाजिक पर्यावरण होता है। सामाजिक पर्यावरण के अन्तर्गत सामाजिक सम्बन्धों, संगठनों, संस्थाओं तथा सामाजिक ढांचे का समावेश होता है। प्रत्येक समाज की अपनी अलग संरचना तथा व्यवस्था होती है जिसमें समय - समय पर परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक समाज के पृथक मूल्य, लोकरीतियां, परम्पराऐं, प्रतिमान आदि होते हैं क्योंकि प्रत्येक समाज का पृथक सामाजिक पर्यावरण होता है। मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन पर उसके सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था तथा आय, रहन - सहन का स्तर, जनसंख्या घनत्व, आवासीय दशाऐं तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता आदि मानव के सामाजिक पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं तथा मानव स्वास्थ्य भी इनसे अछूता नहीं है। मनुष्य का सामाजिक पर्यावरण उसके भौतिक तथा जैवकीय पर्यावरण से भी जुड़ा रहता है। अनेक स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ निर्धनता, बेकारी तथा कम आय है। कुपोषण, ट्यूबरकुलोसिस (टी०बी०), कैंसर, अधिक शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुष्ठ रोग आदि सामाजिक पर्यावरण में असन्तुलन से ही उत्पन्न होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (१९८६) में प्रस्तुत शोध पत्र

में बताया गया है कि, ''पर्यावरणीय स्वास्थ्य की अवधारणा में दो मुख्य मुद्दों को उठाया गया है; 'अपूर्ण मानव' और अपूर्ण 'अपूर्ण पर्यावरण' इतिहास तर्क प्रस्तुत करता है कि मानव द्वारा सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन द्वारा दीर्घ जीवन व्यतीत किया जा सकता है तथा जीवन में गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है।''[१] समकालीन समाजविज्ञानों के विकास ने प्रगट किया है कि मानव स्वास्थ्य मात्र जैवकीय घटना नहीं है अपितु स्वास्थ्य मनोसामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारकों की घटना है। स्वास्थ्य के निर्धारण में हमें उपरोक्त कारकों का विचार अवश्य करना चाहिये।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (१९९६) ने स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को महत्वपूर्ण बताया है, जो इस प्रकार हैं - ''कृषि, पशुधन, भोजन, उद्योग, शिक्षा, आवास तथा सार्वजनिक कार्य, संचार आदि।''[२] सामाजिक पर्यावरण के विषय में लिखते हुऐ श्री डोनेल्ड सी०ए० (१९७८) ने बताया है कि, ''मानव स्वास्थ्य का सामाजिक पक्ष मानव के संख्यात्मक तथा गुणात्मक पारस्परिक सहयोग तथा बाह्य रूप से समुदाय के साथ सहभागिता से सम्बन्धित होता है।''[३] इसी प्रकार किमिच डी०ई० (१९८४:३०-३२) ने बताया है कि, ''मानव स्वास्थ्य का उन्नयन तथा रख रखाव समाज तथा समुदाय के व्यक्तियों के साथ मधुर तथा एकीकृत सम्बन्ध पर निर्भर है।''[४] श्री फिलीनवोम जी०जी० (१९८४) के अनुसार, ''मानव के स्वास्थ्य की जड़ सकारात्मक भौतिक पर्यावरण में होती है जो व्यक्ति के सामाजिक पर्यावरण से सम्बन्धित होता है।''[५] स्पष्ट है कि मानव स्वास्थ्य पर सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है।

---

1. World Health Organization, (1986), Concept of Health Behavior Research, Regional health Paper, No. 13, New Delhi.
2. World Health Organization, (1996), health for All, C., No. -1
3. Donald, C.A., (1978), Social Health in Conceptslization and Measerment of Health, For Adult in the Health In sonse Study, Santa Monarica, C.A. Rend Corporation, Vol. -4.
4. Kimich D.E., (1984), Journal School Health, 54(1), 30-32.
5. Filinvom G.G., (1984), The Wellbeing of Elderly, World health Organization, Offset Press, No. - 84.

अशिक्षा अथवा निरक्षरता अनेक समस्याओं के लिये उत्तरदायी है चाहे वे समस्याऐं सामाजिक हों अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी। अशिक्षित व्यक्ति स्वयं के, परिवार के तथा समाज अथवा राष्ट्र के उत्तम स्वास्थ्य के प्रति उदासीन रहता है। अशिक्षा के कारण ही व्यक्ति रोगों को दैवीय प्रकोप समझता है तथा उनका उचित चिकित्सीय इलाज न कराकर तंत्र - मंत्र तथा झाड़ - फूंक वालों के चंगुल में फंस जाता है तथा कभी - कभी तो उचित इलाज के अभाव में दम भी तोड़ देता है। इतना ही नही अशिक्षित व्यक्ति अपनी पर्यावरणीय स्वच्छता की भी परवाह नहीं करता है जिसके कारण अनेक संक्रामक रोग बड़ी तेजी से फैलते हैं और इनके सर्वाधिक शिकार निरक्षर अनपढ़ व्यक्ति ही होते हैं। अशिक्षा अन्ध विश्वास तथा जादू - टोना को बढ़ावा देती है। श्री सिंह एवं सिंह (२०००:२०७) ने भी अशिक्षा के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों के बारे में लिखा है कि, ''अशिक्षा ने व्यक्ति को कूपमण्डूक बना रखा है। अशिक्षित व्यक्ति न तो रोग की गंभीरता को समझ सकता है और न ही उसका समुचित उपचार ही करा पाताहै। अस्तु, वह अस्वस्थ तथा बीमार बना रहता है।''[1] इस प्रकार अशिक्षा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव डालती है क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य के महत्व को कम आंकता है तथा रोग उत्पन्न करने वाले कारकों तथा पर्यावरण स्वच्छता के महत्व से अनभिज्ञ होता है।

मनुष्य के स्वास्थ्य पर उसके व्यवसाय तथा उसकी आमदनी का भी प्रभाव पड़ता है। खासकर कारखानों तथा फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य पर उनके व्यवसाय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। कार्य स्थल का पर्यावरण तथा जोखिमपूर्ण कार्यो से एवं लगातार प्रदूषित पर्यावरण में रहने से व्यक्ति का स्वास्थ्य स्तर घटता ही है। हालांकि सरकार ने भारतीय फैक्टरी अधिनियम, १९७६ में कर्मचारियों के स्वास्थ्य स्तर को बनाये रखने के लिये औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षात्मक उपाय

---

1. Singh V.N. and Singh Janmejay, (2000), Urban Sociology, Vivek Prakashan, jawahar Nagar, Delhi, page - 207.

उपाय करने तथा कार्य स्थल के पर्यावरण को स्वास्थ्य के अनुकूल बनाने के निर्देश स्पष्ट तौर पर दिये हैं। परन्तु अनेक श्रमिक प्राय: असुरक्षित पर्यावरण में ही काम करते हैं जो उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। व्यवसायिक पर्यावरण मशीनों, रसायनों, धुऐं, धूल एवं विषैली गैसों व हानिकारक अवशिष्टों से युक्त रहता है, ऐसे वातावरण में अधिक देर तक रहने से वहां कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है तथा वे श्वसन सम्बन्धी विभिन्न रोगों, दृष्टि संवेदनशीलता, कैंसर, त्वचा शोथ आदि रोगों की चपेट में आ जाते हैं। कोयले की धूल में लगातार कार्य करने से इन्हें एन्थ्रेकोसिस, सिलिका की धूल में सिलिकोयसिस, एसबेस्टास धूल में एसबेस्टोसिस, गन्ने के रेशों में बेगासोसिस तथा कपास के रेशों में लगातार कार्य करने से इन्हें बाइसिनोसिस रोग हो जाते हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोक्साइड, बेन्जीन, सीसा, रेडियम आदि के लगातार सम्पर्क में रहने से भी इन श्रमिकों का स्वास्थ्य स्तर गिरता है। इस प्रकार मनुष्य क्या व्यवसाय करता है, इसका उसके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार व्यक्ति की आय का भी उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है। निम्न आय वर्ग के व्यक्ति को दो समय भोजन भी नहीं मिलता है ऐसे में उनके द्वारा पौष्टिक आहार लेने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। निम्न आय वर्ग की गर्भवती महिलाओं की दशा तो और भी दयनीय है। श्री सिंह एवं सिंह (२०००:२०४) के अनुसार - "७० प्रतिशत गर्भवती महिलायें (निम्न आय वर्ग वाली) आज भी खून की कमी से पीड़ित हैं तथा पांच औरतों में से चार गर्भावस्था के दौरान फीके खून की बीमारी से पीड़ित होती हैं। यह दर विश्व में सबसे ऊँची है।"[1] आय का प्रभाव व्यक्ति के पोषण स्तर पर भी पड़ता है। भारत में निम्न आय वर्ग का व्यक्ति प्राय: कुपोषित ही होता है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यवसाय तथा आय का प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर अवश्य ही पड़ता है।

---

1 Singh V.N. and Singh Janmejay, (2000), Uraban Sociology, Vivek Prakashan, Jawahar Nagar, Delhi, Page-204.

मनुष्य के स्वास्थ्य पर उसके रहन - सहन के स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। यदि रहन - सहन का स्तर अच्छा है तो मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी परन्तु रहन -सहन का स्तर यदि निम्न है तो जाहिर सी बात है कि उस परिवार में बीमार व्यक्तियों की संख्या अधिक ही होगी। ऐसे बीमार परिवार की अर्थव्यवस्था घाटे में चलती है तथा जितने अधिक सदस्य बीमार होंगे उस परिवार की आर्थिक दशा उतनी ही शोचनीय तथा दयनीय होती जायेगी। अनेक आवश्यकताओं की चीजों को त्याग दिया जाता है यहां तक कि बच्चों के लिये दूध घी भी नहीं खरीदा जाता है। आय का अधिकांश भाग इलाज कराने में व्यय होता है। इन सबका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। ऐसे बीमार परिवार का रहन सहन का स्तर निरन्तर गिरता जाता है। आर्थिक - सामाजिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि समाज में इनका आदर तथा सम्मान भी नहीं होता है फलत: वे मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। श्री पार्क (२००२:२३) ने रहन - सहन के स्तर तथा मानव स्वास्थ्य के सह सम्बन्ध को बताया है कि, ''रहन - सहन के स्तर तथा जनस्वास्थ्य का निकट सम्बन्ध है। जहां रहन - सहन का स्तर उच्च है वहां क्षय, अतिसार, पेचिस, हैजा और कुष्ठ रोग कम होते हैं; जन्म और मृत्यु दर कम होती है; पोषण स्तर बेहतर होता है और लोगों की आयु अधिक होती है।''[१] स्पष्ट है कि निम्न रहन सहन का स्तर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (१९७५) के अनुसार जीवन स्तर के अन्तर्गत नौ तत्व आते हैं, भोजन, शिक्षा, व्यवसाय, कार्य दशायें, आवास, सामाजिक सुरक्षा, वस्त्र, मनोरंजन, आराम तथा मानव अधिकार जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते है।''[२]

---

1. park J.E., (2000), The Textbook on Preventive and Social Medicine M/s banarsidas Bhonot Publishers, jabalpur, Page-23.
2. W.H.O. (1975), Promoting Health in Human Environment, Jeneva.

जनसंख्या वृद्धि तथा अधिक जनसंख्या घनत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं। नगरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है जिसके कारण मलिन बस्तियों की उत्पत्ति होती है तथा मलिन बस्तियों में कम स्थान पर अधिक लोग रहने लगते हैं अर्थात् मलिन बस्तियों में जनसंख्या घनत्व अन्य स्थानों की तुलना में सर्वाधिक होता हैं। जन घनत्व बढ़ने से वहां के निवासियों के समक्ष स्वास्थ्य समस्याऐं खड़ी हो जाती है। अनेक संक्रामक रोगों के जीवाणु मनुष्य के खांसने तथा छींकने से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। ऐसे पर्यावरण में जहां अधिक भीड़ भाड़ होती है वहां इस प्रकार के रोग बड़ी आसानी से फैलते हैं। अधिक जन धनत्व के परिणाम स्वरूप मलिन आवासों में उचित तापक्रम, प्रकाश, शोर, संवातन, आर्द्रता, घनीय स्थान आदि का सर्वथा अभाव होता है जिसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है।

मनुष्य जिस घर में रहता है अगर वह स्वच्छ तथा साफ - सुथरा हो तो उसका स्वास्थ्य स्तर ऊँचा रहता है। परन्तु यदि आवासीय दशाऐं निम्न कोटि की हों तो इसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। मलिन आवासों की दशा तो निम्न स्तर की ही होती है। वहां मकान कच्चे तथा टूटे - फूटे होते हैं जहाँ शुद्ध हवा, जल, रोशनी, मलजल निस्तारण, कूड़े करकट के निस्तारण आदि का सर्वथा अभाव होता है। घरों के सामने तथा गलियों में यत्र तत्र गन्दगी का ही साम्राज्य होता है। नाली तो होती ही नहीं हैं तथा सब ओर गन्दा पानी फैला रहता है। ऐसे स्थानों पर लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत कर लेते हैं, कहना तकलीफदेह है। इस सबके फलस्वरूप वहां के निवासी अनेक रोगों हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, संक्रामक रोगों आदि से ग्रसित रहते हैं जो उनके स्वास्थ्य का ह्रास ही करते हैं।

स्वतन्त्रता के पश्चात् यह आशा की जाती थी कि देश की जनता का इलाज सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क होगा। परन्तु जैसे - जैसे समय व्यतीत होता गया चिकित्सा के सरकारी केन्द्रों की दशा जर्जर होती गयी। यहाँ दवाइयों, डाक्टरों, नर्सो

आदि सभी का अभाव है। मरीजों के साथ डाक्टरों के रूखे और उपेक्षापूर्ण व्यवहार में इतनी वृद्धि हो गयी है कि सामान्य मरीज वहां जाना पसन्द नहीं करता है, परिणामस्वरूप बीमारियाँ बढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त यहां जनसंख्या वृद्धि के कारण भी अस्पतालों की कमी बनी रहती है। जहां अस्पताल हैं वहाँ डाक्टर नहीं है और जहां डाक्टर हैं वहां दवाइयां नहीं है। इस सबका निर्धनों तथा मलिन बस्तियों के निवासियों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि धनी व्यक्ति तो मंहगे अस्पतालों में अपना इलाज करा ही लेते हैं।

प्रस्तुत सारणी में मानव स्वास्थ्य पर सामाजिक पर्यावरण के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है :-

तालिका संख्या - ८.४

मानव स्वास्थ्य पर सामाजिक पर्यावरण के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण

क्र० सं०	सामाजिक पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव	कम	सामान्य	अधिक	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	अशिक्षा का प्रभाव	५१ (१७%)	२६ (८.६६%)	२२३ (७४.३४%)	३०० (१००%)
२.	व्यवसाय तथा आय का प्रभाव	५३ (१७.६७%)	५१ (१७%)	१९६ (६५.३४%)	३०० (१००%)
३.	रहन सहन के स्तर का प्रभाव	३६ (१२%)	७४ (२४.६७%)	१९० (६३.३३%)	३०० (१००%)
४.	जनसंख्या घनत्व का प्रभाव	५२ (१७.३३%)	२४ (८%)	२२४ (७४.६७%)	३०० (१००%)
५.	आवासों की निम्न दशा का प्रभाव	३१ (१०.३३%)	४४ (१४.६७%)	२२५ (७५%)	३०० (१००%)
६.	स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभाव	५३ (१७.६७%)	२४ (८%)	२२३ (७४.३३%)	३०० (१००%)

प्रस्तुत तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जब उत्तरदाताओं से मानव स्वास्थ्य पर अशिक्षा के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी जानकारी की गई तब ज्ञात हुआ कि २२३ उत्तरदाता ७४.३४ % मानते थे कि अशिक्षा का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ५१ उत्तरदाता १७ % इस प्रभाव को कम मानते थे तथा २६ उत्तरदाता ८.६६ % मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर अशिक्षा का सामान्य प्रभाव पड़ता है।

उत्तरदाताओं से मानव स्वास्थ्य पर जनसंख्या घनत्व के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि २२४ उत्तरदाता ७४.६७% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर जनसंख्या घनत्व का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार ५२ उत्तरदाताओं १७.३३ % का मानना था कि जनसंख्या घनत्व का प्रभाव कम पड़ता है तथा २४ उत्तरदाता ८% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर जनसंख्या घनत्व का प्रभाव सामान्य पड़ता है।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि आवासों की निम्न दशा का मानव स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है, तब विदित हुआ कि २२५ उत्तरदाताओं ७५ % का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर आवासों की निम्न दशा का अधिक प्रभाव पड़ता है, ४४ उत्तरदाता १४.६७ % मानते थे कि आवासों की निम्न दशा का प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ३१ उत्तरदाता १०.३३ % मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर आवासों की निम्न दशा का प्रभाव कम पड़ता है।

इसी तरह से जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि स्वास्थ्य सेवाओं का मानव स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है, तब पता चला कि २२३ उत्तरदाताओं ७४.३३ % का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है, ५३ उत्तरदाताओं १७.६७ % का मानना था कि स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभाव कम

पड़ता है तथा २४ उत्तरदाता ८ % मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य प्रभाव पड़ता है।

५. सांस्कृतिक पर्यावरण :-

सांस्कृतिक पर्यावरण में व्यक्ति व समुदाय के विचार, मूल्य, विश्वास, प्रथाऐं, परम्पराऐं, आदतें तथा जनरीतियों का समावेश होता है जो समदुाय के स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सांस्कृतिक पर्यावरण के कारण कभी - कभी रोगों को पूरे स्थान विशेष पर फैलते पाया गया है। जो वहां.के निवासियों की संस्कृति से यानि जन सोच, अनुभूतियों तथा प्रत्यक्षीकरण से सम्बन्धित होता है। उदाहरण स्वरूप - देवताओं की पूजा पाठ से बीमारियां दूर हो जाती हैं। ग्रामों की भांति नगरों में भी लोग अपने बच्चों को रोगों से दूर रखने तथा रोग होने पर दूर करने के लिये ओझाओं से झड़वाने जाते हैं जो किसी पुराने मन्दिर-मस्जिद के समीप के स्थानों पर झाड़फूँक का कार्य करते हैं तथा 'प्रसाद' चढ़ाने के नाम पर धन कमाते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की रोगों के सम्बन्ध में धारणा होती है कि अनेक रोग दैवीय प्रकोप, निषेधों को तोड़ने, पुराने पापों का फल, बुरी नजर लगने, बुरी आत्मा के शरीर में प्रवेश करने आदि के कारण होते हैं। यहीं कारण है कि लोग तंत्र-मंत्र, जादू - टोने तथा झाड़ फूंक द्वारा रोगों का इलाज करवाना पसंद करते हैं। हमारे समाज के सांस्कृतिक पर्यावरण में अनेक प्रथाऐं व परम्पराऐं ऐसी हैं जिनका मानव स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है, जैसे - भोजन की आदत। श्री पार्क एवं पार्क (१९८५:६६) ने बताया है कि, ''भारत में भोजन की आदतों पर सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की खुराक स्थानीय दशाओं तथा सांस्कृतिक उपादानों से प्रभावित होती है, जैसे - धर्म, प्रथा, विश्वास तथा मूल्यों आदि से। यहीं कारण है कि शाकाहारियों को हिन्दू समाज में उच्च स्थान दिया गया है।

भोजन के प्रतिमान भी संस्कृति के अनुसार भिन्न - भिन्न पाये जाते है। उदाहरण के लिये - हिन्दू गौमांस तथा मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते हैं क्योंकि ये उनके धर्म के विरूद्ध है।'''[1] भोजन से सम्बन्धित समाज में कुछ भ्रान्तियां व गलत धारणायें भी पायी जाती है। लोगों का विश्वास है कि मांस, मछली, अण्डे गर्म भोजन होते हैं, तथा शरीर को गर्मी देते हैं । इसी प्रकार भोजन में मिलावट करने सम्बन्धी भ्रान्तियाँ तथा गलत धारणाऐं पायी जाती है। यद्यपि इसका उद्देश्य आर्थिक लाभ होता है परन्तु समाज में व्याप्त भ्रान्तियाँ ऐसी हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक भोजन पर प्रभाव डालती हैं ; जैसे- लोगों में विश्वास है कि यदि शुद्ध दूध को बिना पानी मिलाये गर्म किया जाये तो उस गाय/भैंस का दूध सूख जायेगा जिसका दूध गर्म किया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे धर्म में विश्वास किया जाता है कि मनुष्य को व्रत- उपवास करना चाहिये। मुसलमान धर्मी भी रमजान के दिनों में उपवास करते हैं। जबकि हिन्दू अनेक अवसरों पर, ये उपवास धर्म के अंग माने जाते है। इसकी वजह से गर्भवती, रोगी स्त्रियों को भी उपवास रखने पड़ते हैं जो गर्भस्थ शिशु के लिये कभी-कभी खतरा पैदा कर देते हैं। साथही मुसलमानों का विश्वास है कि एक ही बर्तन में साथ-साथ खाने से बन्धुत्व तथा भाईचारा बढ़ता है, परन्तु इसके कारण संक्रामक रोग भी फैलते देखे जा सकते हैं। जिसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

हिन्दू संस्कृति में अनेक परम्पराओं को भी उचित स्थान दिया गया है । सभी परम्पराऐं समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिये बनाई गयी थीं परन्तु आज अनेक ऐसी परम्पराऐं हैं जो मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं कही जा सकती हैं। हिन्दू स्त्रियाँ प्राय: पति के द्वारा छोड़ी गयी थाली का ही भोजन ग्रहण करती हैं तथा पुरूषों को पहले भोजन कराकर बचा खुचा भोजन ग्रहण करती हैं। इसके कारण भारतीय महिलाओं में कुपोषण की दर अपेक्षाकृत अधिक पायी जाती

1. Park J.E and Park K., (1985), Textbook of Preventive and Social Medicine, M/s Banarsidas Bhanot Publishers, Jabalpur, Page - 66

है। इसी प्रकार सद्य: प्रसूता माँ का प्रथम दूध नवजात बच्चों को नहीं पिलाकर जमीन में फैंक दिया जाता है जबकि नवजात शिशु के लिए यही प्रथम दुग्ध अनेक जीवनदायी पोषक तत्वों से युक्त होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव स्वास्थ्य पर उसके सांस्कृतिक पर्यावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है।

प्रस्तुत तालिका मानव स्वास्थ्य पर सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रभाव पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या - ८.५

मानव स्वास्थ्य पर सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण

क्र० सं०	सांस्कृतिक पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव	कम	सामान्य	अधिक	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	सांस्कृतिक विश्वासों का प्रभाव	५७ (१९%)	४१ (१३.६७%)	२०२ (६७.३३%)	३०० (१००%)
२.	अन्ध विश्वासों का प्रभाव	४० (१३.३३%)	७८ (२६%)	१८२ (६०.६७%)	३०० (१००%)
३.	सोच का प्रभाव	४८ (१६%)	६२ (२०.६७%)	१९० (६३.३३%)	३०० (१००%)
४.	भ्रान्तियों का प्रभाव	५९ (१९.६७%)	४० (१३.३३%)	२०१ (६७%)	३०० (१००%)
५.	जादू- टोनों का प्रभाव	६३ (२१%)	४२ (१४%)	१९५ (६५%)	३०० (१००%)
६.	परम्पराओं का प्रभाव	५८ (१९.३३%)	४४ (१४.६७%)	२०४ (६८%)	३०० (१००%)
७.	गलत धारणाओं का प्रभाव	५८ (१९.३३%)	३६ (१२%)	२०६ (६८.६७%)	३०० (१००%)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि जब उत्तरदाताओं का स्वास्थ्य पर सांस्कृतिक विश्वासों के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी अध्ययन किया गया तब ज्ञात हुआ कि २०२ उत्तरदाता ६७.३३ प्रतिशत मानते थे कि सांस्कृतिक विश्वासों का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ५७ उत्तरदाता १९% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर सांस्कृतिक विश्वासों का कम प्रभाव पड़ता है तथा ४१ उत्तरदाता १३.६७% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर सांस्कृतिक विश्वासों का सामान्य प्रभाव पड़ता है।

उत्तरदाताओं का मानव स्वास्थ्य पर अन्धविश्वासों के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि १८२ उत्तरदाताओं ६०.६७% का मानना था कि अन्धविश्वासों का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ७८ उत्तरदाता २६% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर अन्धविश्वासों का प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ४० उत्तरदाताओं १३.३३% का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर अन्धविश्वासों का प्रभाव कम पड़ता है।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि मानव स्वास्थ्य पर सोच (Thinking) का कितना प्रभाव पड़ता है, तब ज्ञात हुआ कि १९० उत्तरदाता ६३.३३% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर सोच का अधिक प्रभाव पड़ता है, ६२ उत्तरदाताओं २०.६७% का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर सोच का प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ४८ उत्तरदाता १६% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर सोच का कम प्रभाव पड़ता है।

जब उत्तरदाताओं से मानव स्वास्थ्य पर भ्रान्तियों के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी जानकारी की गई तब ज्ञात हुआ कि २०१ उत्तरदाता ६७% मानते थे कि भ्रान्तियों का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ५९ उत्तरदताओं १९. ६७% का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर भ्रान्तियों का कम प्रभाव पड़ता है तथा

४० उत्तरदाताओं १३.३३% मानना था कि भ्रान्तियों का मानव स्वास्थ्य पर सामान्य प्रभाव पड़ता है।

जब उत्तरदाताओं का स्वास्थ्य पर जादू-टोनों के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी अध्ययन किया गया तब ज्ञात हुआ कि १९५ उत्तरदातओं ६५% का मानना था कि जादू-टोने का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ६३ उत्तरदाताओं २१% का मानना था कि जादू-टोने का प्रभाव सामान्य पड़ता है तथा ४२ उत्तरदाताओं १४% का मानना था कि जादू-टोने का प्रभाव सामान्य पड़ता है।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि परम्पराओं का मानव स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है, तब ज्ञात हुआ कि २०४ उत्तरदाताओं ६८% का मानना था कि परम्पराओं का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ५२ उत्तरदाता १७.३३% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर परम्पराओं का प्रभाव कम पड़ता है तथा ४४ उत्तरदाता १४.६७% मानते थे कि परम्पराओं का प्रभाव सामान्य पड़ता है।

इसी तरह से जब उत्तरदाताओं से मानव स्वास्थ्य पर गलत धारणाओं के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी जानकारी की गई तो विदित हुआ कि २०६ उत्तरदाता ६८.६७% मानते थे कि गलत धारणाओं का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ५८ उत्तरदाताओं १९.३३% का मानना था कि गलत धारणाओं का मानव स्वास्थ्य पर कम प्रभाव पड़ता है तथा ३६ उत्तरदाता १२% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर गलत धारणाओं का प्रभाव सामान्य पड़ ता है।

६. पर्यावरणीय स्वच्छता :-

मनुष्य को चारों ओर से घेरने वाले वातावरण को ही-पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण के अन्तर्गत सभी भौतिक, अभौतिक तत्व तथा सजीव-निर्जीव तत्व आते हैं। स्वच्छता का अर्थ है- स्वास्थ्य की सुरक्षा का विज्ञान। विश्व स्वास्थ्य

संगठन (WHO) द्वारा पर्यावरण स्वच्छता की परिभाषा इस प्रकार की गई है, " मनुष्य के भौतिक वातावरण के उन सभी घटकों का नियंत्रण जो उसके शारीरिक विकास, स्वास्थ्य और अस्तित्व पर हानिकर प्रभाव डालते हैं, पर्यावरणीय स्वच्छता के अन्तर्गत आता है।"[1] बीमारियों के पर्यावरणीय कारकों का नियन्त्रण ही पर्यावरणीय स्वच्छता कहलाता है। मनुष्य पर्यावरणीय स्वच्छता द्वारा अनेक रोगों पर नियन्त्रण तथा रोकथाम हेतु प्रभावकारी कदम उठा सकता है। इसी प्रकार पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति उदासीनता बरतने से अनेकानेक रोग व्यापक रूप से बड़ी तेजी से फैलकर मानव स्वास्थ्य के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत सारी संक्रामक बीमारियों का प्रभावी नियन्त्रण पर्यावरणीय स्वच्छता द्वारा किया जा सकता है। मलिन आवासों में पर्यावरणीय स्वच्छता का दर्शन मुश्किल से ही होता है। गन्दी बजबजाती नालियाँ, कूड़े - करकट के यत्र - तत्र बिखरे ढेर, सड़कों तथा गलियों पर फैली गन्दगी, गड्ढों आदि में जमा गन्दा पानी, दुर्गन्धयुक्त वातावरण आदि सभी मलिन बस्तियों के खराब पर्यावरणीय स्वच्छता व्यवस्था को दर्शाते हैं। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मलिन बस्तियों के निवासियों का स्वास्थ्य स्तर कैसा होगा क्योंकि पर्यावरणीय स्वच्छता व मानव स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। मानव के अनेक रोगों का कारण पर्यावरणीय अस्वच्छता ही है।

घर, कारखाने, बाजार आदि से निकलने वाला वर्ज्य तरल पदार्थ ही गन्दा जल होता है। जिसे नालियों की उचित व्यवस्था द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हुऐ नगरों के बाहर ले जाया जाता है। यह वर्ज्य तरल पदार्थ मल-मूत्र, पशुशालाओं से निकले गन्दे पानी, घरों तथा कारखानों से निकले अवशिष्ट का द्रवीय मिश्रण होता है। इस गन्दे जल का निष्कासन बहुत ही आवश्यक है। यदि इस गन्दे जल का भली प्रकार निष्कासन नहीं होगा तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो

जायेंगे क्योंकि गन्दगी पर मक्खी-मच्छर व अनेक प्रकार के कीटाणु हो जायेंगे। यह जल पक्की नालियों द्वारा निष्कासित होना चाहिये तथा नालियाँ ढ़ँकी होनी चाहिये, जिससे आसपास का वातावरण दूषित होने से बचा रहे। प्राय: घर का गन्दा पानी, गुसलखाने का गन्दा पानी नालियों द्वारा बाहरी नाली में मिल जाता है जिससे विभिन्न प्रकार के रोगाणु इनमें पनपते हैं। मलिन आवासों में तो नालियों की उचित व्यवस्था होती ही नहीं है। अगर कहीं-कहीं नालियां हैं भी उचित सफाई के अभाव में इनमें बहुत गन्दगी एकत्र हो जाती है। अनेक लोग घर का कचरा, पॉलीथिन, काँच, कपड़े आदि सभी वस्तुऐं नाली में बहा देते हैं जो यहाँ-वहाँ फँसकर गन्दे पानी के निष्कासन को बाधित कर देते हैं। फलस्वरूप गन्दा पानी सड़कों तथा गलियों में फैलता है। इस गन्दे पानी में अनेक रोगाणु पैदा होते हैं तथा मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं।

कचरा फेंका गया रद्दी पदार्थ है। घर, सड़कों की झाड़न, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा कृषि कार्यो से निकले अवशिष्ट को 'ठोस कचरा' कहते हैं। मनुष्य के क्रिया कलापों के फलस्वरूप अनेक चीजें कूड़े करकट के रूप में फैंकी जाती हैं, जैसे - कागज, कपडे, पॉलिथिन, प्लास्टिक, चमड़ा, काँच, रसोईघर का अवशिष्ट, टूटी वस्तुऐं आदि पदार्थ व धातुऐं आदि। मनुष्य के पर्यावरण में कचरे का ढेर स्वास्थ्य के लिये खतरा है। कूड़े-करकट के ढेर में कचरा सड़ता है तथा उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और बाद में भोज्य पदार्थो पर बैठकर रोग फैलाती हैं। कूड़े का ढेर चूहों और कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है तथा कचरे में रहने वाले जीवाणु धूल द्वारा तथा मक्खियों द्वारा मनुष्य के भोजन में पहुँच सकते हैं। कूड़े के ढेर से आसपास के जलस्रोतों के प्रदूषित होने की संभावना बढ़ जाती है तथा मिट्टी भी प्रदूषित होती है। कूड़े के ढेर में कचरा सड़ने पर दुर्गन्ध

फैलती है। चूँकि अन्य स्थानों की अपेक्षा मलिन बस्तियों में यत्र-यत्र कूड़े के ढेर लगे ही रहते हैं क्योंकि उनका निस्तारण नहीं किया जाता है। जिसके कारण वहाँ के निवासियों को अपने संक्रामक रोगों के चपेट में आने का खतरा अपेक्षाकृत बढ़ जाता है।

मानव मल-मूत्र संक्रमण का प्रमुख स्रोत हैं इसमें रोगजनक जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, परजीवी और उनके अंडे होते हैं। अत: खुले स्थानों पर शौच करने का पूर्ण प्रतिबन्ध स्वास्थ्य की दृष्टि से अनिवार्य है। परन्तु भारत में जहाँ अधिकांश जनसंख्या खुले स्थानों पर ही मल त्याग करती है, ऐसा सोचना भी सम्भव नहीं है। ग्रामीण इलाकों में तो लोग मैदानों में ही शौचकर्म करते हैं परन्तु नगरों में भी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग शौचालय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण सड़क किनारे ही मलत्याग को बाध्य होते हैं। मानव मल टाइफाइड और पैराटाइफाइड ज्वर, अतिसार एवं पेचिश, आंत्र कृमि जैसे-गोलकृमि एवं अंकुशकृमि, हैजा, विषाणुज यकृत शोथ तथा अन्य अनेक रोगों के संक्रमणों का कारण बनता है। भारत में अधिकाधिक मलिन आवासीय जनसंख्या इन संक्रमणें से ग्रस्त है। इसके अतिरिक्त खुले स्थानों पर शौचक्रिया करने से मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, भोजन का प्रदूषण तथा मक्खियों की बाढ़ आदि दुष्प्रभाव भी उत्पन्न होते हैं।

गन्दे पानी के उचित निष्कासन के लिये पक्की तथा ढँकी नालियाँ आवश्यक हैं तथा समय समय पर इनकी उचित सफाई भी अत्यावश्यक है। अधिकांश मलिन बस्तियाँ अन्य स्थानों की अपेक्षा निचली भूमि पर बनी होती हैं तथा वहाँ नालियों की उचित व्यवस्था भी नहीं होती है। घरों से निकला गन्दा पानी यहाँ-वहाँ फैला रहता है। वर्षा ऋतु में मलिन बस्तियों की दशा नारकीय हो जाती है। निचले स्थानों पर बनी होने के कारण पूरे नगर का गन्दा पानी तथा बारिश का

पानी इनके घरों में घुस जाता है। इसके अलावा नालियों की व्यवस्था न होने पर गन्दा पानी मलिन बस्तियों में जमा होकर सड़ता रहता है क्योंकि इसमें कूड़ा-करकट, गन्दगी आदि मिली रहती है। यह जमा पानी मनुष्य के स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव छोड़ता है। इस पानी में अनेक रोगाणु होते हैं। मक्खी तथा मच्छर आदि इन स्थानों पर अधिक संख्या में वातावरण को दूषित तथा गन्दा करते हैं। इस जमा हुए गन्दे पानी के कारण वहाँ के निवासियों को हैजा, टाइफाइड, पैचिश, यकृतशोथ, कृमिरोग आदि अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है।

मलिन बस्तियों में सँकरी गलियों में छोटे-छोटे तथा अधिकतर कच्चे आवास बने होते हैं। इन आवासों में रहने वाले लोग अपने घरों का कूड़ा-कचरा गलियों में ही इधर-उधर फैंक देते हैं। इनमें बड़ी मात्रा में पॉलीथिन भी शामिल होती है। यहाँ की गलियों में यदि नियमित साफ-सफाई तथा कूड़े को निस्तारण होता रहे तो गलियाँ स्वच्छ रह सकती हैं। परन्तु नगरपालिका की उदासीनता तथा लोगों की कूड़ा गलियों में ही यहाँ-वहाँ फैंकने की प्रवृत्ति से यह समस्या बढ़ जाती है और मलिन बस्तियों में यत्र-यत्र कूड़े-करकट, के ऊँचे-ऊँचे ढेर लग जाते हैं। इन ढेरों पर मक्खी-मच्छर, कीड़े-मकोड़े, चूहे, सुअर आदि घूमते रहते हैं। मक्खियाँ इन ढेरों से उड़कर मनुष्य के खाद्य पदार्थों में बैठती हैं तथा भोजन को दूषित करके मनुष्य में अनेक रोगों का संचार करती हैं। इन कूड़े के ढेरों से दुर्गन्ध भी वातावरण में फैलती है। इस दुर्गन्धयुक्त वातावरण में रहने से मनुष्य के स्वास्थ्य को व्यापक क्षति पहुंचती है।

अग्रलिखित तालिका मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय स्वच्छता के प्रभाव के स्तरों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :-

तालिका संख्या - ८.६

मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय स्वच्छता के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी विवरण

क्र० सं०	पर्यावरणीय स्वच्छता का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव	कम	सामान्य	अधिक	योग आवृत्ति (प्रतिशत)
१.	गन्दी नालियों का प्रभाव	२८ (९.३३%)	५२ (१७.३३%)	२२० (७३.३४%)	३०० (१००%)
२.	कूड़ा करकट के विलम्ब से निस्तारण का प्रभाव	४५ (१५%)	४० (१३.३३%)	२१५ (७१.६७%)	३०० (१००%)
३.	सड़क किनारे मलत्याग का प्रभाव	४७ (१५.६७%)	४५ (१५%)	२०८ (६९.३३%)	३०० (१००%)
४.	पानी के जमाव/भराव का प्रभाव	१९ (६.३३%)	११ (३.६७%)	२७० (९०%)	३०० (१००%)
५.	प्रतिदिन गलियों की सफाई न होने का प्रभाव	४९ (१६.३३%)	३७ (१२.३३%)	२१४ (७१.३४%)	३०० (१००%)
६.	दुर्गन्धयुक्त वातावरण का प्रभाव	४३ (१४.३३%)	३० (१०%)	२२७ (७५.६७%)	३०० (१००%)

प्रस्तुत तालिका के अध्ययन से विदित होता है कि उत्तरदाताओं से मानव स्वास्थ्य पर गन्दी नालियों के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी जानकारी करने पर पता चला कि २२० उत्तरदाताओं ७३.३४% का का मानना था कि गन्दी नालियों का स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ५२ उत्तरदाता १७.३३% मानते थे कि गन्दी नालियों का मानव स्वास्थ्य पर सामान्य प्रभाव पड़ता है तथा २८ उत्तरदाताओं ९.३३% का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर गन्दी नालियों का प्रभाव कम पड़ता है।
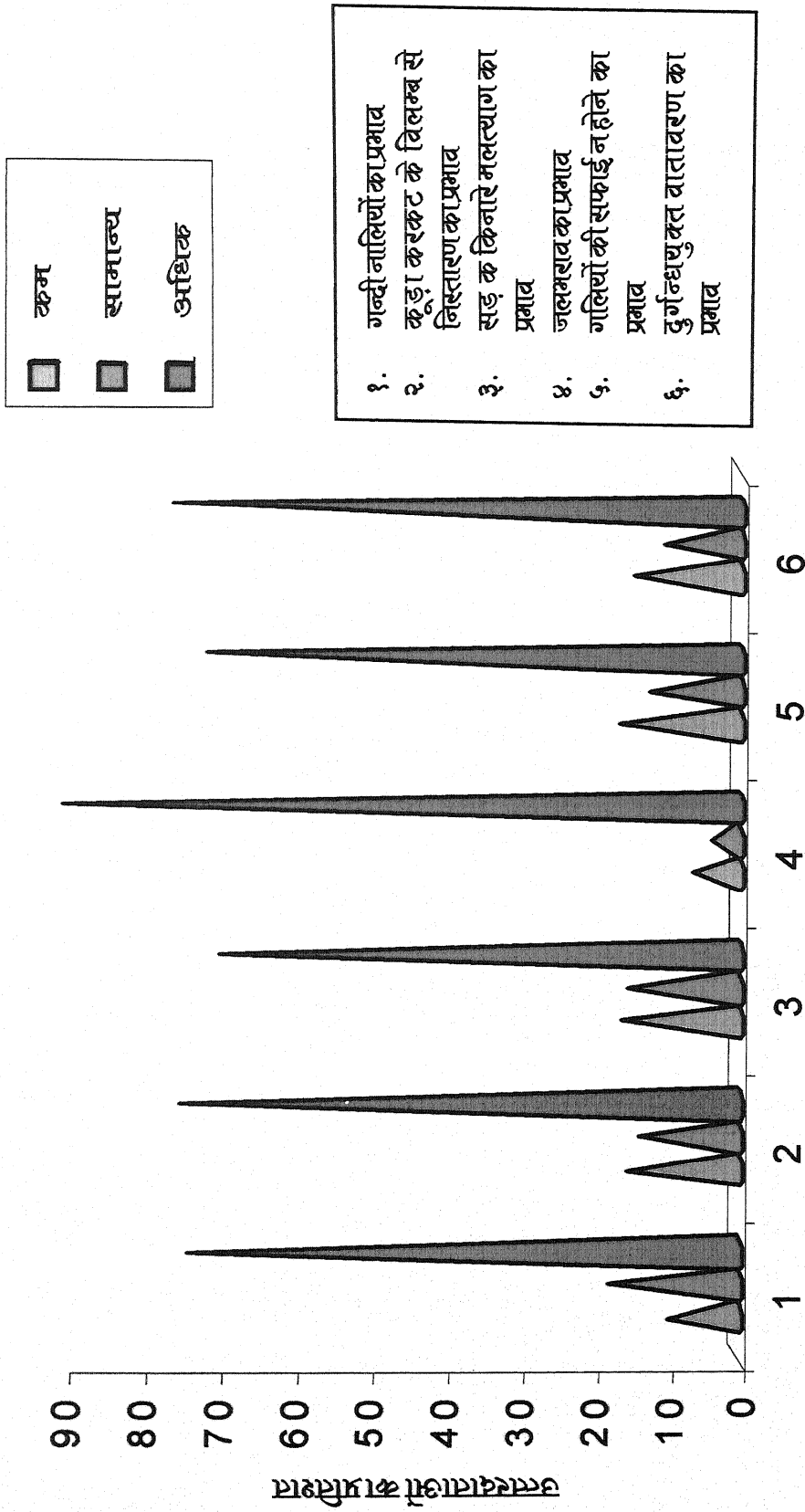
उत्तरदाताओं के स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय अस्वच्छता के प्रभाव सम्बन्धी विवरण

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि कूड़े-करकट के विलम्ब से निस्तारण का मानव स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है तब ज्ञात हुआ कि २१५ उत्तरदाता ७१.६७% मानते थे कि कूड़े करकट के विलम्ब से निस्तारण का मानव स्वास्थ्य परअधिक प्रभाव पड़ता है, ४५ उत्तरदाताओं १५% का मानना था कि कूड़े करकट के विलम्ब से निस्तारण का कम प्रभाव पड़ता है तथा ४० उत्तरदाता १३.३३% मानते थे कि कूड़े करकट के विलम्ब से निस्तारण का मानव स्वास्थ्य पर सामान्य असर पड़ता है।

उत्तरदाताओं का मानव स्वास्थ्य पर सड़क किनारे मल-त्याग के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि २०८ उत्तरदाता ६९.३३% मानते थे कि सड़क किनारे मलत्याग का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ४७ उतरदाता १५.६७% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर इसका कम प्रभाव पड़ता है तथा ४५ उत्तरदाताओं १५% का मानना था कि सड़क किनारे मल त्याग का मानव स्वास्थ्य पर सामान्य प्रभाव पड़ता है।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि घरों तथा बस्ती में पानी के जमाव/भराव का मानव स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है तब ज्ञात हुआ कि २७० उत्तरदाता ९०% मानते थे कि घरों में पानी के जमाव/भराव का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव अधिक प्रभाव पड़ता है, १९ उत्तरदाताओं ६.३३% का मानना था कि घरों तथा बस्ती में पानी के जमाव/भराव का मानव स्वास्थ्य पर कम प्रभाव पड़ता है तथा ११ उत्तरदाता ३.६७% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव सामान्य पड़ता है।

जब उत्तरदाताओं में मानव स्वस्थ्य पर प्रतिदिन गलियों की सफाई न होन के प्रभाव के स्तर सम्बन्धी जानकारी की गयी तब विदित हुआ कि २१४ उत्तरदाता ७१.३४% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर प्रतिदिन गलियों की सफाई न होने का अधिक

प्रभाव पड़ता है, ४९ उत्तरदाताओं १६.३३% का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर इसका कम प्रभाव पड़ता है तथा ३७ उत्तरदाता १२.३३% मानते थे कि प्रतिदिन गलियों की सफाई न होने का मानव स्वास्थ्य पर सामान्य प्रभाव पड़ता है।

इसी प्रकार जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि मानव स्वास्थ्य पर दुर्गन्ध युक्त वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है, तब ज्ञात हुआ कि २२७ उत्तरदाताओं ७५.६७% का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर दुर्गन्धयुक्त वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है, ४३ उत्तरदाता १४.३३% मानते थे कि दुर्गन्धयुक्त वातावरण का कम प्रभाव पड़ता है तथा ३० उत्तरदाताओं १०% का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर दुर्गन्धयुक्त वातावरण का प्रभाव सामान्य पड़ता है।

****

अध्याय-९

निष्कर्ष, सुझाव, कठिनाईयाँ एवं समाधान

---

* निष्कर्ष
* सुझाव
* कठिनाईयाँ एवं समाधान

अध्याय-९

निष्कर्ष, सुझाव, कठिनाईयाँ एवं समाधान

निष्कर्ष :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं से सम्बन्धित था जिसके अध्ययनार्थ शोधकर्त्री ने उत्तर प्रदेश के झाँसी जनपद के झाँसी नगर-क्षेत्र की तीन मलिन बस्तियों (तालपुरा, खुशीपुरा एवं मुकरयाना) को अध्ययनक्षेत्र के रूप में चुना। मलिन बस्ती तालपुरा के १३०३ परिवारों में से १३० परिवार, मलिन बस्ती खुशीपुरा के ११५१ परिवारों में से ११५ परिवार तथा मलिन बस्ती मुकरयाना के ५५० परिवारों में से ५५ परिवार अर्थात् कुल ३०० परिवारों का चयन ''उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली'' द्वारा किया गया। ताकि समग्र में से विभिन्न धर्मो, पृष्ठभूमियों, जातियों, आयुवर्गो, लिंग, शैक्षिक स्तरों, वैवाहिक स्तरों के सूचनादाताओं का चयन संभव हो सके। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन व क्षेत्रीय कार्य पूर्व परीक्षित व संरचित ''साक्षात्कार अनुसूची'' द्वारा साक्षात्कार की प्रत्यक्ष पूछताछ प्रणाली एवं असहभागी अवलोकन प्रविधि द्वारा किया गया। प्रस्तुत शोधकार्य ''अन्वेषणात्मक शोध प्रारचना'' पर आधारित था। इस शोधकार्य के निष्कर्ष अग्रलिखित हैं :-

१. मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक जनांकिकीय विशेषताओं सम्बन्धी निष्कर्ष :-

मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में सामाजिक जनांकिकीय विशेषताऐं निम्नलिखित पाई गयीं :-

(१) आयुवर्ग - मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक ७४ उत्तरदाता २४.६७% ५० वर्ष से ऊपर वाले आयु वर्ग के थे।

(२) लिंग - चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २२७ उत्तरदाता ७५.६७ % पुरूष वर्ग के थे।

(३) शैक्षिक स्तर - १८५ उत्तरदाता ६१.६६ % अशिक्षित थे।.

(४) व्यवसाय - २४३ उत्तरदाताओं ८१ % का व्यवसाय मजदूरी था।

(५) मासिक आय - ११९ उत्तरदाताओं ३९.६७ % की सभी स्रोतों से प्राप्त मासिक आय रू० १००१- रू० १५०० थी।

(६) जाति - सर्वाधिक १३० उत्तरदाता ४३.३४ % अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के थे।

(७) वैवाहिक स्तर - चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २७० उत्तरदाता ९० % विवाहित थे।

(८) विवाह के समय आयु- चयनित उत्तरदाताओं में से १२७ पुरूषों ४२.३४ % की विवाह के समय आयु १९-२१ वर्ष थी तथा १६८ स्त्रियों ५६% की विवह के समय आयु १६-१८ वर्ष थी।

(९) बच्चों की संख्या- चयनित उत्तरदाताओं में से १०८ उत्तरदांताओं ३६% के पांच से अधिक बच्चे थे। १०३ उत्तरदाताओं ३४.३३% के बच्चों की संख्या ४-५ थी तथा ८९ उत्तरदाताओं २९.६७ % के बच्चों की संख्या ०-३ थी।

(१०) मकान का स्वरूप - सर्वाधिक १८२ उत्तरदाताओं ६०.६७% का मकान कच्चा था।

(११) मकान का स्वामित्व - १५८ उत्तरदाता ५३.६७ % सरकारी भूमि पर अवैध रूप से झोपड़पट्टी बनाकर रह रहे थे।

(१२) <u>मकान में कमरे</u> -२१८ उत्तरदाता ७२.६७ % मात्र एक कमरे के आवासों में रह रहे थे।

(१३) <u>मकान में उपलब्ध सुविधाऐं</u> - मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से १५५ उत्तरदाताओं ५१.६७ % के आवासों में विद्युत, रसोईघर, स्नानगृह, शौचालय तथा आंगन में से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जबकि ७३ उत्तरदाताओं २४.३३ % के पास मात्र एक सुविधा, ३२ उत्तरदाताओं १०.६७ % के पास दो, १७ उत्तरदाताओं ५.६७ % के पास तीन, १७ उत्तरदाताओं ५.६७ % के पास चार तथा मात्र ६ उत्तरदाताओं २% के पास ही उपरोक्त पांचों सुविधाऐं उपलब्ध थीं।

(१४) <u>जलापूर्ति स्रोत</u>- २२६ उत्तरदाताओं ७५.३३ % का जलापूर्ति स्रोत हैण्डपम्प था।

२. मलिन बस्तियों की उत्पत्ति तथा विकास के लिये उत्तरदायी कारकों सम्बन्धी निष्कर्ष :-

१. सामाजिक कारक -

(अ) <u>अशिक्षा</u> - चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २४४ उत्तरदाताओं ८१.३३% का विचार था कि मलिन आवासों की उत्पत्ति एवं विकास में अशिक्षा का अधिक प्रभाव पड़ता था।

(ब) <u>जनसंख्या वृद्धि</u> - २५८ उत्तरदाताओं ८६% की राय थी कि जनसंख्या वृद्धि का मलिन बस्तियों की उत्पत्ति तथा विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

(स) <u>नगरीकरण</u> - २१७ उत्तरदाता ७२.३४% मानते थे कि नगरीकरण का मलिन बस्तियों के जन्म तथा वृद्धि पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

(द) <u>मकानों की अनुपलब्धता</u> - २६८ उत्तरदाताओं ८९.३३% के अनुसार मकानों की अनुपलब्धता का मलिन बस्तियों की वृद्धि पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

(य) <u>रहन- सहन का निम्न स्तर</u> - २४८ उत्तरदाता ८२.६७% मानते थे कि मलिन बस्तियों के उद्भव तथा विकास पर रहन - सहन के निम्न स्तर का अधिक प्रभाव पड़ता था।

२. आर्थिक कारक -

(अ) औद्योगीकरण - औद्योगीकरण- चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २७९ उत्तरदाता ९३% मानते थे कि मलिन बस्तियों के जन्म तथा विकास पर औद्योगीकरण का अधिक प्रभाव पड़ता था।

(ब) निर्धनता- २८५ उत्तरदाताओं ९५% का विचार था कि मलिन बस्तियों के उद्भव तथा विकास पर निर्धनता का अधिक प्रभाव पड़ता था।

(स) व्यवसायिक केन्द्र - २१५ उत्तरदाता ७१.६७% मानते थे कि अगर कोई क्षेत्र विशेष व्यवसायिक केन्द्र है तो इसका मलिन बस्तियों के उद्भव तथा विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

(द) सस्ती आवासीय सुविधा - २६४ उत्तरदाताओं ८८% के दृष्टिकोण से मलिन बस्तियों में उपलब्ध सस्ती आवासीय सुविधा का मलिन बस्तियों की उत्पत्ति तथा विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

(य) ग्रामीण बेकारी- २१८ उत्तरदाताओं ७२.६७% की राय थी कि ग्रामीण बेकारी का मलिन बस्तियों के जन्म तथा विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

३. सांस्कृतिक कारक -

(अ) क्षेत्रीयता की भावना - मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २३३ उत्तरदाता ७७.६७% मानते थे कि क्षेत्रीयता की भावना का मलिन आवासों के जन्म तथा वृद्धि पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

(ब) सांस्कृतिक पृथकता- २५१ उत्तरदाताओं ८३.६७% की राय थी कि सांस्कृतिक पृथकता का मलिन आवासों के उद्भव तथा विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

(स) समान कर्मकारिता- २८४ उत्तरदाता ९४.६७% मानते थे कि एक समान कर्मकारिता अथवा समान व्यवसायिक समूह की भावना होने का मलिन बस्तियों की उत्पत्ति पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

(द) सामुदायिकता की भावना - २५८ उत्तरदाताओं ८६% का विचार था कि सामुदायिकता की भावना का मलिन बस्तियों की उत्पत्ति पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

४. मनोवैज्ञानिक कारक -

(अ) नगरीय आकर्षण- मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २५१ उत्तरदाताओं ८३.६७% का विचार था कि मलिन बस्तियों के जन्म तथा विकास पर नगरीय आकर्षण का प्रभाव अधिक पड़ता था।

(ब) निम्न दशा में रहने का दृष्टिकोण- २३४ उत्तरदाताओं ७८% का मानना था कि मलिन आवासों की वृद्धि पर लोगों के निम्न दशा में रहने के दृष्टिकोण का प्रभाव अधिक पड़ता था।

(स) देशान्तरगमन की इच्छा- २१२ उत्तरदाताओं ७०.६७% की राय थी कि मलिन आवासों के जन्म तथा वृद्धि पर देशान्तरगमन की इच्छा का प्रभाव अधिक पड़ता था।

(द) कार्यस्थल आवासीय सामीप्यता की भावना- २५९ उत्तरदाताओं ८६.३३% का मानना था कि मलिन बस्तियों के जन्म तथा विकास पर कार्यस्थल आवासीय सामीप्यता की भावना का प्रभाव अधिक पड़ता था।

५. अन्य कारक -

(अ) सरकार की उपेक्षा - मलिन बस्तियों से चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २७६ उत्तरदाताओं ९२% का विचार था कि मलिन बस्तियों की उत्पत्ति तथा विकास पर सरकार की उपेक्षा का अधिक प्रभाव पड़ता था।

(ब) नगरनियोजन का अभाव - २५५ उत्तरदाताओं ८५% का मानना था कि मलिन बस्तियों के उद्भव तथा विकास पर नगर नियोजन के अभाव का अधिक प्रभाव पड़ता था।

(स) <u>वित्तीय संसाधनों की कमी</u>- २३४ उत्तरदाताओं ७८.३४% का विचार था कि मलिन बस्तियों के जन्म तथा विकास पर वित्तीय संसाधनों की कमी का प्रभाव अधिक पड़ता था।

(द) <u>आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन की मंदगति</u>- २८७ उत्तरदाताओं ९५.६७ % की राय थी कि मलिन बस्तियों की उत्पत्ति तथा विकास पर आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन की मन्द गति का अधिक प्रभाव पड़ता था।

३. मलिन आवासों के शोध अध्ययन में निरूपित समस्याओं सम्बन्धी निष्कर्ष :-

मलिन आवासों के निवासी अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं जो निम्नलिखित हैं :-

१. पारिवारिक समस्याऐं :-

(अ) <u>परिवार का बड़ा आकार</u>- चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से १५० उत्तरदाता ५०% स्वीकार करते थे कि उनके परिवार का आकार बड़ा था।

(ब) <u>परिवारिक विघटन</u>- १९३ उत्तरदाताओं ६४.३४% ने स्वीकार किया कि उनके यहां पारिवारिक विघटन की समस्या अधिक थी।

(स) <u>स्त्रीहिंसा</u>- स्त्रीहिंसा के सन्दर्भ में १५८ उत्तरदाताओं ५२.६७% का विचार था कि उनके यहाँ स्त्रीहिंसा की समस्या अधिक थी।

(द) <u>पर्याप्त आवास की कमी</u>- २५६ उत्तरदाताओं ८५.३४% की राय थी कि उनके यहां पर्याप्त आवास की कमी की समस्या अधिक थी।

(य) <u>भोजन तथा बस्त्रों की कमी</u>- चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २१८ उत्तरदाताओं ७२.६७% ने स्वीकारा कि उनके यहाँ भोजन तथा वस्त्रों की कमी की समस्या अधिक थी।

(र) <u>गोपनीयता का अभाव</u>- २४० उत्तरदाताओं ८०% के अनुसार उनके घरों में गोपनीयता के अभाव की समस्या अधिक थी।

२. मनोवैज्ञानिक समस्याऐं -

(अ) <u>मद्यपान</u>- चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से ७८% उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि वे मद्यपान करते थे। इनमें से ८८ उत्तरदाता २९.३३% अक्सर तथा ७६ उत्तरदाता २५.३३% कभी- कभी मद्यपान करते थे।

(ब) <u>धूम्रपान</u> - चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से ७९% उत्तरदाता धूम्रपान करते थे। इसमें से १७३ उत्तरदाता ५७.६७% प्रतिदिन धूम्रपान करते थे।

(स) <u>धूतक्रीड़ा</u> - मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से ८२.३३% जुआ खेलते थे, इनमें से १०८ उत्तरदाता ३६% अक्सर तथा ८९ उत्तरदाता २९.६६% कभी - कभी जुआ खेलते थे।

(द) <u>बाल आवारापन</u>- चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से ८१.३३% उत्तरदाताओं के बच्चों में बिना काम के इधर-उधर घूमने की प्रवृत्ति पायी गयी, जिसमें से ११८ उत्तरदाताओं ३९.३३% ने स्वीकार किया कि उनके बच्चे कभी-कभी तथा ६७ उत्तरदाताओं २२.३३% के बच्चे प्रतिदिन ही बिना कार्य के इधर-उधर घूमा करते थे।

(य) <u>बस्ती के लोगों द्वारा गलत कार्यो में भागीदारी</u>- ३०० उत्तरदाताओं में से ७७.६७% उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उनकी बस्ती के लोग गलत कार्यो में भागीदारी करते थे, इनमें १४८ उत्तरदाताओं ४९.३३% के अनुसार कभी - कभी तथा ४४ उत्तरदाताओं १४.६७% के अनुसार प्रतिदिन ही उनकी बस्ती के लोग गलत कार्यो में हिस्सा लेते थे।

(र) <u>मादक पदार्थो का सेवन</u>- मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में मादक पदार्थो के सेवन सम्बन्धी अध्ययन से ज्ञात हुआ कि २०६ उत्तरदाता ६८.

६६% तम्बाकू का सेवन करते थे। २०५ उत्तरदाताओं ६८.३३% ने स्वीकार किया कि वे गुटका खाते थे। ६१ उत्तरदाता २०.३३% गांजे का सेवन करते थे, १०० उत्तरदाता ३३.३४% भांग खाते थे तथा ६५ उत्तरदाता २१.६७% अफीम का सेवन किया करते थे।

३. सामाजिक समस्यायें -

(अ) अपराधीवृत्ति की समस्या- मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से १६१ उत्तरदाताओं ५३.६७% ने स्वीकार किया कि उनकी बस्ती में अपराधीवृत्ति की समस्या सामान्य थी।

(ब) बाल अपराध की समस्या - ३०० उत्तरदाताओं में से ६५% उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उनकी बस्ती में बाल अपराध की समस्या थी।

(स) दहेज की समस्या - २०२ उत्तरदाताओं ६७.३४% के अनुसार उनकी बस्ती में दहेज की समस्या अधिक थी।

(द) विस्थापन की समस्या - १७० उत्तरदाताओं ५२.६७% ने स्वीकार किया कि उनकी बस्ती में विस्थापन की समस्या अधिक थी।

(य) वृद्धजनों की समस्या - १५८ उत्तरदाता ५२.६७% मानते थे कि उनकी बस्ती में वृद्धजनों की समस्या अधिक थी।

(र) सामाजिक सुरक्षा की समस्या - ३०० उत्तरदाताओं में से १३६ उत्तरदाताओं ४५.३४% ने स्वीकार किया कि उनकी बस्ती में सामाजिक सुरक्षा की समस्या अधिक थी।

४. आर्थिक समस्याऐं -

(अ) <u>कम आमदनी</u>- मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २४२ उत्तरदाताओं ८४% ने स्वीकार किया कि उनके यहां कम आय की समस्या अधिक थी।

(ब) <u>निर्धनता</u>- चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २६७ उत्तरदाता ८९% का मानना था कि उनके यहां निर्धनता की समस्या अधिक थी।

(स) <u>ॠणग्रस्तता</u> - ३०० उत्तरदाताओं में से २१६ उत्तरदाताओं ७२% ने स्वीकार किया कि उनके यहां ॠणग्रस्तता की समस्या अधिक थी।

(द) <u>बेरोजगारी</u> - २७८ उत्तरदाताओं ९२.६७% के अनुसार उनके यहां बेरोजगारी की समस्या अधिक थी।

(य) <u>अधिक खर्च की समस्या</u> - ३०० उत्तरदाताओं में से २७७ उत्तरदाताओं ९२.३४% ने स्वीकार किया कि उनके यहां अधिक व्यय की समस्या अधिक थी।

(र) <u>बचत न कर पाने की समस्या</u>- २१९ उत्तरदाताओं ७३% ने स्वीकार किया कि उनके यहां बचत न कर पाने की समस्या अधिक थी।

५. पर्यावरणीय स्वच्छता की समस्या-

(अ) <u>अशुद्ध वायु</u> - चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से १५८ उत्तरदाताओं ५२.६७% ने स्वीकार किया कि वे लोग अपनी बस्ती में अशुद्ध वायु में सांस लेते थे।

(ब) <u>अशुद्ध जलापूर्ति</u> - १७१ उत्तरदाताओं ५७% ने स्वीकार किया कि वे अपनी बस्ती में अशुद्ध जल पीने को मजबूर थे।

(स) <u>गलियों में प्रकाश का अभाव</u> - २१३ उत्तरदाताओं ७१% ने स्वीकार किया कि उनकी बस्ती में रात्रि में खम्भों में प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट लाइट) की सुविधा नहीं थी।

(द) <u>कूड़ा निस्तारण की समस्या</u> - ३०० उत्तरदाताओं में से १५८ उत्तरदाताओं ५२.६७ % के अनुसार उनकी बस्ती में कूड़े करकट का निस्तारण कभी नहीं होता था।

(य) <u>जलभराव/सीलन की समस्या</u>- २४२ उत्तरदाताओं ८०.६७% ने स्वीकार किया कि उनकी बस्ती में जलभराव तथा सीलन की समस्या थी।

(र) <u>शोर शराबे की समस्या</u> - चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से १३६ उत्तरदाताओं ४५.३३% ने स्वीकार किया कि उनकी बस्ती में शोरशराबे की समस्या अधिक थी।

६. जनसंख्यात्मक समस्याऐं -

(अ) <u>जनधिक्य का पोषण स्तर पर प्रभाव</u> - मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से १९४ उत्तरदाताओं ६४.६७% ने स्वीकार किया कि जनाधिक्य का उनके पोषण स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

(ब) <u>जनाधिक्य का जनघनत्व पर प्रभाव</u> - २६४ उत्तरदाताओं ८८% का मानना था कि जनसंख्या वृद्धि का जनघनत्व पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(स) <u>जनाधिक्य का प्रवजन दर पर प्रभाव</u> - ११३ उत्तरदाता ३७.६७% का मानना था कि जनाधिक्य का प्रवजन दर पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(द) <u>जनाधिक्य का आश्रित भार पर प्रभाव</u>- २४२ उत्तरदाता ८०.६७% मानते थे कि जनाधिक्य का आश्रित भार पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

(य) <u>जनाधिक्य का पर्यावरणीय स्वच्छता पर प्रभाव</u> - २४८ उत्तरदाताओं ८२.६७% ने स्वीकार किया कि जनाधिक्य का पर्यावरणीय स्वच्छता पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

(र) <u>बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव</u> - जनाधिक्य का १९८ उत्तरदाता ६६% स्वीकार करते थे कि जनाधिक्य का उनके बच्चों की शिक्षा पर अधिक प्रभाव पड़ता था।

४. मलिन आवासों के निवासियों का विकास योजनाओं के सम्बन्ध में ज्ञान, धारणा व आचरण सम्बन्धी निष्कर्ष :-

मलिन आवासों के चयनित उत्तरदाताओं का विकास योजनाओं के सम्बन्ध में अध्ययन करने पर निम्न तथ्य सामने आये:-

१. योजनाओं की जानकारी -

(अ) <u>आवासीय योजनाऐं</u> - मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की जानकारी १९३ उत्तरदाताओं ६४.३३% की नहीं थी जबकि १८५ उत्तरदाताओं ६१.६७% को निर्मल भारत अभियान योजना की जानकारी नहीं थी।

(ब) <u>गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम</u> - चयनित उत्तरदाताओं में से १९५ उत्तरदाताओं ६५% को स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार ऋण योजना की जानकारी नहीं थी, १६० उत्तरदाता ५३.३३% बैंक ऋण योजना से अनभिज्ञ थे, १८६ उत्तरदाताओं ६२% को स्वयं सहायता समूह योजना की जानकारी नहीं थी तथा १७३ उत्तरदाता ५७. ६७% रोजगार परक प्रशिक्षण योजना के बारे में नहीं जानते थे जबकि २४६ उत्तरदाताओं ८२% को राशन व्यवस्था की जानकारी थी।

(स) <u>सामाजिक कल्याण योजनाऐं</u> :- १७४ उत्तरदाताओं ५८% को विधवा पेंशन योजना की जानकारी थी, १९१ उत्तरदाता ६३.६७% वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में जानते थे जबकि १७९ उत्तरदाता ५९.६७% विकलांग पेंशन योजना से अनभिज्ञ थे तथा १९६ उत्तरदाताओं ६५.३३% को बालिका समृद्धि योजना की जानकारी नहीं थी।

(द) <u>अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण योजनाऐं</u> - २०३ उत्तरदाता ६७. ६७% मातृत्व लाभ योजना की जानकारी नहीं रखते थे १८२ उत्तरदताओं ६०.

६७% को बालिका विवाह सहायता योजना की जानकारी नहीं थी जबकि २०९ उत्तरदाता ६९.६७% छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानते थे, २६५ उत्तरदाताओं ८८.३३% को नि:शुल्क शिक्षा योजना की जानकारी थी तथा २२८ उत्तरदाताओं ७६% को नि:शुल्क पुस्तक सुविधा योजना की जानकारी थी।

(य) पर्यावरण सुधार योजनाऐं - १७३ उत्तरदाताओं ५७.६७% को सुलभ शौचालय योजना की जानकारी थी। १५३ उत्तरदाता ५१% शौचालय निर्माण योजना के बारे में जानते थे, १९७ उत्तरदाताओं ६५.६७ % को खड़ण्जा निर्माण योजना की जानकारी थी, २११ उत्तरदाता ७०.३३% नाली निर्माण योजना के बारे में जानते थे तथा २८० उत्तरदाताओं ९३.३३% को शुद्ध जलापूर्ति योजना की जानकारी थी।

(र) स्वास्थ्य योजनाऐं - १९५ उत्तरदाताओं ६५% को परिवार नियोजन कार्यक्रम की जानकारी थी जबकि १८३ उत्तरदाताओं ६१% में शिशु संजीवन कार्यक्रम की जानकारी का अभाव था, १६३ उत्तरदाता ५४.३३% सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम से अनभिज्ञ थे। २२१ उत्तरदाता ७३.६७% संक्रामक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के बारे में जानते थे तथा २१८ उत्तरदाताओं ७२.६७% को आंगनवाड़ी योजना की जानकारी थी।

२. योजनाओं की बैठक में भाग लेना :-

मलिन आवासों के चयनित ३०० में से १४२ उत्तरदाता ४७.३४% विकास योजनाओं की बैठक में कभी भी भाग नहीं लेते थे जबकि ९७ उत्तरदाता ३२.३३% कभी - कभी तथा ६१ उत्तरदाता २०.३३% अक्सर विकास योजनाओं की बैठक में भाग लेते थे। १३५ उत्तरदाता ४५% बैठक में भाग लेने के लिये अपने पड़ोसियों को कभी नहीं कहते थे जबकि ८० उत्तरदाता २६.६७% कभी - कभी तथा ५५ उत्तरदाता

१८.३३% अक्सर ही अपने पड़ोसियों को विकास योजनाओं की बैठक में भाग लेने को कहते थे। २०२ उत्तरदाताओं ६७.३३% ने स्वीकार किया कि वे बैठक में प्राप्त जानकारी दूसरे को कभी नहीं बताते थे जबकि ६० उत्तरदाता २०% कभी - कभी तथा ३८ उत्तरदाता १२.६७% अक्सर बैठक में प्राप्त जानकारी दूसरे को बताते थे। २०५ उत्तरदाताओं ६८.३३% ने स्वीकार किया कि वे योजनाओं का लाभ उठाने के लिये किसी को प्रेरित नहीं करते थे।

३. योजनाओं से संतुष्टि :-

मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से १७५ उत्तरदाता ५८.३४% योजनाओं से कम संतुष्ट थे। १८२ उत्तरदाताओं ६०.६७% ने स्वीकार किया कि इन विकास योजनाओं का भविष्य में क्रियान्वयन अधिक रखा जाना चाहिये। इसी प्रकार १९३ उत्तरदाताओं ६४.३४% की विकास योजनाओं के सम्बन्ध में राय सकारात्मक थी।

४. योजनाओं का लाभ :-

(अ) <u>आवासीय योजनाऐं</u> :- २४२ उत्तरदाताओं ८०.६७% ने वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना का लाभ नहीं उठाया था तथा २३६ उत्तरदाताओं ७८.६७% को निर्मल भारत अभियान योजना का लाभ नहीं मिला था।

(ब) <u>गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम</u> - २५२ उत्तरदाता ८४% स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के लाभ से वंचित थे, २१३ उत्तरदाताओ ७१% को बैंक ऋण योजना का लाभ नहीं मिला था, २४१ उत्तरदाता ८०.३३% स्वयं सहायता समूह योजना से लाभान्वित नहीं हो सके थे, २२७ उत्तरदाताओं ७५.६७ को रोजगारपरक प्रशिक्षण योजना का लाभ नहीं मिला था जबकि १५८ उत्तरदाता ५२.६७% राशन व्यवस्था के लाभ से भी वंचित थे।

(स) <u>सामाजिक कल्याण योजनाऐं</u> - २८० उत्तरदाता ९३.३३% विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे थे, २८९ उत्तरदाताओं ९६.३३% को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला था, २९२ उत्तरदाताओं ९७.३३% को विकलांग पेंशन का लाभ नहीं मिला था तथा २७५ उत्तरदाताओं ९१.६७% ने बालिका समृद्धि योजना का लाभ नहीं उठाया था।

(द) <u>अनुसूचित जाति - जनजाति कल्याण योजनाऐं</u> :- २६७ उत्तरदाता ८९% मातृत्व लाभ योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गये थे, २३७ उत्तरदाताओं ७९% को बालिका विवाह सहायता योजना का लाभ नहीं मिला था, १९७ उत्तरदाताओं ६५.६७% ने छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं उठाया था। १७८ उत्तरदाता ५९.३३% नि:शुल्क शिक्षा योजना से लाभान्वित हुऐ थे तथा १५९ उत्तरदाताओं ५३% ने नि:शुल्क पुस्तक सुविधा योजना का लाभ उठाया था।

(य) <u>पर्यावरण सुधार योजनाऐं</u> - २०८ उत्तरदाता ६९.६७ % सुलभ शौचालय योजना का लाभ नहीं ले रहे थे, २७४ उत्तरदाताओं ९१.३३% को शौचालय निर्माण योजना का लाभ नहीं मिला था, १७४ उत्तरदाताओं ५८% ने खड़ण्जा निर्माण योजना का लाभ नहीं उठाया था, १७७ उत्तरदाताओं ५९% को नाली निर्माण योजना का लाभ नहीं मिला था तथा १६८ उत्तरदाता ५६% शुद्ध जलापूर्ति योजना के लाभ से वंचित थे।

(र) <u>स्वास्थ्य योजनाऐं</u> - १५३ उत्तरदाताओं ५१% ने परिवार नियोजन कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया था, १९२ उत्तरदाता ६४% शिशु संजीवन कार्यक्रम के लाभ से वंचित थे, १९९ उत्तरदाताओं ६६.३३ % को सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का लाभ नहीं मिला था तथा १८७ उत्तरदाताओं ६२.३३% ने संक्रामक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया था जबकि १७४ उत्तरदाता ५८ % आंगनबाड़ी योजना से लाभान्वित हो रहे थे।

५. कठिनाईयाँ :-

(अ) <u>अशिक्षा</u> - चयनित ३०० उत्तरदाताओं से २६८ उत्तरदाताओं ८९.३३% ने स्वीकार किया कि विकास योजनाओं का लाभ उठाने में अशिक्षा एक कठिनाई थी।

(ब) <u>उचित सूचना, शिक्षा एवं संचार का अभाव</u> - २५७ उत्तरदाता ८५.६७% मानते थे योजनाओं का लाभ उठाने में उचित सूचना, शिक्षा एवं संचार का अभाव एक कठिनाई थी।

(स) <u>सुविधा शुल्क की मांग</u> - २३३ उत्तरदाताओं ७७.६७ ने स्वीकार किया कि सुविधा शुल्क की माँग विकास योजनाओं का लाभ उठाने में आने वाली एक कठिनाई थी।

(द) <u>कर्मचारियों का असहयोग एवं दुर्व्यवहार</u> - २१९ उत्तरदाता ७३% कर्मचारियों के असहयोग एवं दुर्व्यवहार को एक कठिनाई मानते थे।

(य) <u>जटिल प्रक्रिया</u> - २०७ उत्तरदाता ६९% जटिल प्रक्रिया को एक कठिनाई मानते थे।

(र) <u>विलम्ब से लाभ मिलना</u> - २०४ उत्तरदाता ६८% मानते थे कि विलम्ब से लाभ मिलना भी एक कठिनाई थी।

(ल) <u>सामुदायिक नेतृत्व का अभाव</u> -१८४ उत्तरदाताओं ६१.३३% ने स्वीकार किया कि विकास योजनाओं का लाभ उठाने में सामुदायिक नेतृत्व का अभाव एक कठिनाई थी।

(व) <u>बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति में लापरवाही</u> - १५७ उत्तरदाताओं ५२.३३% के विचार से योजनाओं का लाभ उठाने में आने वाली एक कठिनाई बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति में लापरवाही बरतना भी थी।

६. सुझाव :-

(अ) शिक्षा का प्रसार - २७४ उत्तरदाताओं ९१.३३% ने स्वीकार किया कि योजनाओं का लाभ उठाने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिये शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिये।

(ब) उचित सूचना, शिक्षा एवं संचार के साधनों का प्रयोग - २६४ उत्तरदाता ८८% सुझाव देते थे कि योजनाओं का लाभ उठाने के लिये उचित सूचना, शिक्षा एवं संचार के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

(स) सुविधा शुल्क की समाप्ति - २४० उत्तरदाताओं ८०% के दृष्टिकोण से सुविधाशुल्क की समाप्ति होनी चाहिये।

(द) कर्मचारियों का सहयोगी व्यवहार- २३३ उत्तरदाताओं ७७.६७% ने सुझाव दिया था कि कर्मचारियों का व्यवहार सहयोगात्मक होना चाहिये।

(य) प्रक्रिया को सरल बनाना - योजनाओं का लाभ उठाने में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिये २०५ उत्तरदाताओं ६८.३३% का सुझाव था कि प्रक्रिया को सरल बनाया जाये।

(र) लाभ शीघ्रातिशीघ्र मिलना - २११ उत्तरदाता ७०.३३% मानते थे कि लाभ शीघ्रता से मिलना चाहिये।

(ल) सक्षम सामुदायिक नेतृत्व - १९१ उत्तरदाताओं ६३.६७% का सुझाव था कि योजनाओं का लाभ उठाने के लिये सक्षम सामुदायिक नेतृत्व होना चाहिये।

(व) बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति में लापरवाही न बरतना - विकास योजनाओं का लाभ उठाने में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु १५६ उत्तरदाताओं ५२% का सुझाव था कि बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति में लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिये।

७- <u>प्रभाव -</u>

(अ) <u>सामाजिक जीवन पर प्रभाव</u> - चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से १२६ उत्तरदाताओं ४२% ने स्वीकार किया कि विकास योजनाओं का उनके सामाजिक जीवन पर प्रभाव कम तथा १०८ उत्तरदाताओं ३६% के अनुसार बिल्कुल नहीं पड़ा था।

(ब) <u>आर्थिक जीवन पर प्रभाव</u> - १५० उत्तरदाता ५०% मानते थे कि उनके आर्थिक जीवन पर विकास योजनाओं का कम प्रभाव पड़ा था।

(स) <u>आवासीय व्यवस्था पर प्रभाव</u> - २६० उत्तरदाताओं ८६.६७% ने स्वीकार किया कि उनकी आवासीय व्यवस्था पर विकास योजनाओं का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था।

(द) <u>स्वास्थ्य पर प्रभाव</u> - ११९ उत्तरदाता ३९.६७% मानते थे कि विकास योजनाओं का स्वास्थ्य पर प्रभाव कम पड़ता था जबकि ९१ उत्तरदाताओं ३०.३३% के अनुसार सामान्य प्रभाव पड़ता था।

(य) <u>पर्यावरणीय स्वच्छता पर प्रभाव</u> - १९२ उत्तरदाताओं ६४% का विचार था कि विकास योजनाओं का पर्यावरणीय स्वच्छता पर कम प्रभाव पड़ता था।

५. मलिन आवासों के निवासियों के स्वास्थ्य पर पर्यावरण के प्रभाव सम्बन्धी निष्कर्ष :-

मलिन आवासों के निवासियों के स्वास्थ्य पर विभिन्न पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव सम्बन्धी विवरण निम्नलिखित था :-

१. भौतिक पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव :-

(अ) <u>अशुद्ध पानी का प्रभाव</u> - चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक १९९ उत्तरदाता ६६.३३% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर अशुद्ध पानी का प्रभाव अधिक पड़ता है।

(ब) अस्वच्छ वायु का प्रभाव - मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से १९९ उत्तरदाताओं ६६.३३% ने स्वीकार किया कि मानव स्वास्थ्य पर अशुद्ध वायु का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(स) धुऐं का प्रभाव - १८९ उत्तरदाताओं ६३% का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर धुऐं का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(द) ध्वनि का प्रभाव - १९८ उत्तरदाताओं ६६% की राय थी कि मानव स्वास्थ्य पर तीव्र ध्वनि का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(य) कम प्रकाश का प्रभाव - ३०० उत्तरदाताओं में से २०२ उत्तरदाताओं ६७.३३% के मतानुसार कम प्रकाश का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(र) आर्द्रता का प्रभाव - १८९ उत्तरदाता ६३% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर आर्द्रता का अधिक प्रभाव पड़ता है।

२. जैवकीय पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव :-

(अ) मच्छरों का प्रभाव - मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २१६ उत्तरदाताओं ७२% ने स्वीकार किया कि मच्छरों का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(ब) मक्खियों का प्रभाव - २३५ उत्तरदाताओं ७८.३३% का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर मक्खियों का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(स) तिलचट्टों तथा खटमलों का प्रभाव - २०२ उत्तरदाताओं ६७.३४% का विचार था कि तिलचट्टों तथा खटमलों का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(द) चूहों का प्रभाव-३०० उत्तरदाताओं में से २३० उत्तरदाताओं ७६.६७% ने स्वीकार किया कि मानव स्वास्थ्य पर चूहों का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(य) कृमियों का प्रभाव - २०९ उत्तरदाताओं ६९.६७% की राय थी कि मानव स्वास्थ्य पर कृमियों का अधिक प्रभाव पड़ता है।

३. मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव -

(अ) जीवन शैली का प्रभाव - मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से १९५ उत्तरदाताओं ६५% का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर जीवन शैली का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(ब) आदतों का प्रभाव - २०७ उत्तरदाताओं ६९% के मतानुसार मानव स्वास्थ्य पर उसकी आदतों का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(स) धारणाओं का प्रभाव - २०२ उत्तरदाता ६७.३४% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर धारणाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(द) व्यक्तिगत स्वच्छता का प्रभाव - २१२ उत्तरदाताओं ७०.६७% का विचार था कि मानव स्वास्थ्य पर व्यक्तिगत स्वच्छता का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(य) स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना का प्रभाव - चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २१२ उत्तरदाता मानते थे कि स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(र) मद्यपान का प्रभाव - २२० उत्तरदाताओं ७३.३४% की राय थी कि मानव स्वास्थ्य पर मद्यपान का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(ल) धूम्रपान का प्रभाव - २२४ उत्तरदाताओं ७४.६७% का विचार था कि मानव स्वास्थ्य पर धूम्रपान का अधिक प्रभाव पड़ता है।

४. सामाजिक पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव :-

(अ) अशिक्षा का प्रभाव - मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २२३ उत्तरदाताओं ७४.३४% ने स्वीकार किया कि अशिक्षा का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(ब) व्यवसाय तथा आय का प्रभाव - १९६ उत्तरदाताओं ६५.३४% का विचार था कि व्यवसाय तथा आय का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(स) रहन - सहन के स्तर का प्रभाव - १९० उत्तरदाताओं ६३.३३% के दृष्टिकोण से रहन - सहन के स्तर का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(द) जनसंख्या घनत्व का प्रभाव - २२४ उत्तरदाताओं ७४.६७% के मतानुसार जनसंख्या घनत्व का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(य) आवासों की निम्न दशा का प्रभाव - २२५ उत्तरदाताओं ७५% के अनुसार आवासों की निम्न दशा का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(र) स्वाथ्स्य सेवाओं का प्रभाव - २२३ उत्तरदाताओं ७४.३३% के विचार से मानव स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है।

५. सांस्कृतिक पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव :-

(अ) सांस्कृतिक विश्वासों का प्रभाव - मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २०२ उत्तरदाताओं ६७.३३% की राय थी कि सांस्कृतिक विश्वासों का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(ब) अन्धविश्वासों का प्रभाव - १८२ उत्तरदाता ६०.६७% मानते थे कि अन्धविश्वासों का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(स) सोच का प्रभाव - १९० उत्तरदाताओं ६३.३३% ने स्वीकार किया कि सोच का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(द) भ्रान्तियों का प्रभाव - २०१ उत्तरदाताओं ६७% का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर भ्रान्तियों का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(य) जादू - टोनों का प्रभाव - १९५ उत्तरदाताओं ६५% ने स्वीकार किया कि जादू टोनों का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(र) परम्पराओं का प्रभाव - २०४ उत्तरदाता ६८% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर परम्पराओं का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(ल) गलत धारणाओं का प्रभाव - २०६ उत्तरदाताओं ६८.६७% का मानना था कि गलत धारणाओं का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

६- पर्यावरणीय अस्वच्छता का स्वास्थ्य पर प्रभाव :-

(अ) गन्दी नालियों का प्रभाव - मलिन आवासों के चयनित ३०० उत्तरदाताओं में से २२० उत्तरदाताओं ७३.३४% ने स्वीकार किया कि गन्दी नालियों का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(ब) कूड़े के विलम्ब से निस्तारण का प्रभाव - २१५ उत्तरदाताओं ७१.६७% का विचार था कि मानव स्वास्थ्य पर कूड़ा करकट के विलम्ब से निस्तारण का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(स) सड़क किनारे मलत्याग का प्रभाव - २०८ उत्तरदाता ६९.३३% मानते थे कि सड़क किनारे मलत्याग का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(द) जल भराव का प्रभाव - २७० उत्तरदाताओं ९०% के दृष्टिकोण से पानी के जमाव /भराव का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

(य) अस्वच्छ गलियों का प्रभाव - २१४ उत्तरदाता ७१.३४% मानते थे कि मानव स्वास्थ्य पर प्रतिदिन गलियों की सफाई न होने का अधिक प्रभाव पड़ता है।

(र) दुर्गन्धयुक्त वातावरण का प्रभाव - २२७ उत्तरदाताओं ७५.६७% का मानना था कि मानव स्वास्थ्य पर दुर्गन्धयुक्त वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है।

सुझाव

शोधार्थिनी द्वारा मलिन आवासों के निवासियों का जो अध्ययन किया गया, उसमें ऐसी कई समस्यायें अवलोकन एवं सर्वेक्षण में ज्ञात हुई जिनका तात्कालिक प्रभाव से समाधान वांछित है। शोधार्थिनी की दृष्टि से परिवार का बड़ा आकार, पारिवारिक विघटन, स्त्री हिंसा, भोजन तथा वस्त्रों की कमी, गोपनीयता का

अभाव, मद्यपान, धूम्रपान, धूतक्रीड़ा, बाल आवारापन, गलत कार्यों में भागीदारी, मादक द्रव्यों का सेवन, अपराधी वृत्ति, बाल - अपराध, दहेज, विस्थापन, वृद्धजनों की समस्या, सामाजिक असुरक्षा, अशिक्षा, कम आय, निर्धनता, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, अतिव्यय, अशुद्ध वायु तथा जलापूर्ति, स्ट्रीट लाईट का अभाव, कूड़ा निस्तारण तथा जल भराव व सीलन की समस्या एवं शोर शराबे की समस्या आदि मलिन आवासों के निवासियों की समस्याऐं तथ्यों के रूप में प्रकाश में आयीं, जिनके समाधान के लिये निम्न सुझाव प्रस्तुत हैं :-

१. शिक्षा -

मलिन बस्तियों के अधिकांश निवासियों में शिक्षा का अभाव है। इन क्षेत्रों में रहने वालों के लिये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये। इसमें अच्छे आवास का महत्व, छोटे परिवार के लाभ, शिक्षित परिवार के लाभ, साफ - सफाई का महत्व, बच्चों का पोषण जैसे विषय भी सम्मिलित होना चाहिये। इन क्षेत्रों की महिलाओं की शिक्षा के लिये अलग से योजना बनायी जानी चाहिये। इस शिक्षा में किताबी ज्ञान से अधिक व्यावहारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना चाहिये। बच्चों की शिक्षा के लिये समाज में जागरूकता लायी जानी चाहिये।

२. आर्थिक स्थिति -

मलिन बस्तियों के अधिकतर निवासी निर्धनता, ऋणग्रस्तता एवं बेरोजगारी से ग्रसित हैं। इनमें से अधिकतर दैनिक वेतनभोगी मजदूर वर्ग के हैं। इनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रशिक्षण सहित सरकार की ओर से आर्थिक सहायता नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु देना सुनिश्चित किया जाये।

३. पर्यावरण स्वच्छता -

मलिन बस्तियों में सफाई की व्यवस्था के लिये गलियों में नियमित झाडू लगनी चाहिये एवं कूड़ा उठना चाहिये। इसके लिये नियुक्त सफाई कर्मियों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये एवं दण्ड का प्रावधान भी किया जाना चाहिये। कूड़ा डालने के लिये नियत स्थानों पर लोहे के कूड़ा घर रखा जाना चाहिये। नगर के नाले तथा नालियों की उचित सफाई समय - समय पर होना चाहिये। माह में कम से कम दो बार इन क्षेत्रों की गलियों में कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव होनां चाहिये।

नगर की मलिन बस्तियों में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। स्ट्रीट लाइट के लिये बिजली से जलने वाले बल्बों के स्थान पर सोलर एनर्जी से जलने वाले लैम्प अधिक अच्छे रहते हैं तथा उनमें देखभाल व रख रखाव की समस्या कम होती है।

झाँसी नगर ऐतिहासिक नगर है। यहां पुराने आवासीय क्षेत्रों में प्राचीन झड़ाऊ शौचालय हैं तथा अनेक मलिन आवासों में किसी भी प्रकार के शौचालय नहीं हैं। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा को बढ़ाना चाहिये। यदि नगर निगम बनवाने में असमर्थ हो तो ''शुलभ इण्टरनेशनल'' वालों को जगह की व्यवस्था करें, शेष कार्य वह स्वयं कर लेते हैं तथा अपने खर्चे लोगों से नाममात्र सुविधा शुल्क लेकर वहन करते हैं। इन मलिन बस्ती क्षेत्रों से झड़ाऊ शौचालयों को एकदम समाप्त कर देना चाहिये।

४. चिकित्सा -

झाँसी नगर में सरकार द्वारा ६ हैल्थ पोस्टों का निर्माण कराया गया है किन्तु इनमें से एक भी मलिन बस्ती क्षेत्र में नहीं है। अत: इन मलिन बस्तियों के निवासियों की स्वास्थ्य समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य विभाग को तत्काल हैल्थ पोस्टों का स्थानान्तरण अविकसित वार्डो में कर देना चाहिये।

५. मलिन बस्ती उन्मूलन -

नगर के प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक 'मास्टर योजना' होनी चाहिये और क्षेत्रों का विकास इसी योजना के अनुसार होना चाहिये। नगर निगम के अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया जाये, उनमें आवश्यक संशोधन किया जाये जिससे कि भविष्य में मलिन बस्तियों के बनने में किसी प्रकार का प्रोत्साहन न मिले। पंचवर्षीय योजनाओं में अलग से मलिन बस्तियों के निवासियों के आवासों के निर्माण के लिये धन आवंटित किया जाये तथा इन आवासों के निर्माण की संख्या निर्धारित कर इसे दृढ़ता से व्यावहारिक रूप में परिणित किया जाना चाहिये। इन आवासों का आवंटन इन्हीं लोगो को किया जाये तथा अन्य वर्ग के लोगों द्वारा इनमें निवास करने पर सजा एवं अर्थदण्ड का प्रावधान जिला प्रशासनिक इकाई द्वारा किया जाये।

६. योजनाओं का लाभ -

झाँसी नगर में मलिन बस्तियों के सुधार एवं विकास के लिये अनेक योजनाऐं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं परन्तु इनका समुचित लाभ अशिक्षा एवं अजागरूकता के कारण मलिन बस्तियों के निवासियों को नहीं मिल पा रहा है। अतः सरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों को मलिन बस्तियों के निवासियों तक पहुंचाने के लिये कार्यक्रमों के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक सहभागिता हेतु कड़ाई बरती जानी चाहिये। साथ ही इन योजनाओं का भरपूर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिये।

अन्य सुझाव :-

मलिन बस्तियों के अधिकांश निवासी मद्यपान, धूम्रपान, जुआ, मादक द्रव्यों का सेवन आदि व्यसनों से ग्रस्त होते हैं। जिसके फलस्वरूप धन का अपव्यय तो होता ही है, साथ ही शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की भी हानि होती है। इनमें से अधिकतर नशेबाज व्यक्ति अपराधी कार्यो को भी अंजाम देते हैं क्योंकि मलिन बस्तियों में

अपराधियों को आश्रय तो मिलता ही है साथ ही फलने - फूलने का अवसर भी मिलता है। इस पर रोक लगाने के लिये आबकारी विभाग को कड़े कदम उठाते हुऐ इन मलिन बस्ती क्षेत्रों में बनी शराब के ठेकों की दुकानों तथा मादक द्रव्यों की उपलब्धता तथा जुऐ के अड्डों को तत्काल बन्द कराना चाहिये। इसके साथ ही मलिन बस्तियों के निवासियों को मद्यपान, धूम्रपान, जुआ, मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाली समस्याओं तथा हानियों से अवगत कराया जाना चाहिये ताकि इनका सुधार इनकी स्वयं की प्रेरणा द्वारा सम्भव हो सके।

मलिन बस्तियाँ अधिकतर घने इलाकों में बनी होती हैं जहां प्राय: खुले स्थानों का अभाव होता है। यहां ऐसा स्थान नहीं होता है जहां बस्ती के लोग इकट्ठे होकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें तथा लोग सांस्कृतिक गतिविधियों में सरलता से भाग ले सकें। अत: इन मलिन बस्तियों में खुले स्थानों, सांस्कृतिक केन्द्रों, बच्चों के लिये पार्कों आदि की व्यवस्था नगर निगम को करानी चाहिये।

कठिनाईयाँ एवं समाधान

शोध अध्ययन करते समय शोधकर्त्री को कतिपय कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि उन कठिनाईयों का समाधान शोधकर्त्री द्वारा कर लिया गया था। इन कठिनाईयों एवं उनके समाधानों का उल्लेख निम्नवत् है :-

१- प्रस्तुत शोध अध्ययन ''मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक - आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याऐं'' ३०० परिवारों, जो कि झाँसी नगर की मलिन बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे, से सम्बन्धित था। इन ३०० परिवारों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली द्वारा तीन मलिन बस्ती क्षेत्रों से किया गया था। इस प्रकार निदर्शित परिवारों का आकार कम था अर्थात् पर्याप्त निदर्शन का अभाव था। इसी कारण से इस शोध अध्ययन के परिणाम सामुदायिक

अध्ययनों के क्षेत्र में ही सत्य साबित हो सकते हैं। परन्तु शोधकर्त्री द्वारा ऐसे निदर्शितों का चयन किया गया जो समग्र का समुचित प्रतिनिधित्व करते थे। इसलिये इस शोध अध्ययन के परिणाम समान सामाजिक - आर्थिक स्थितियों वाले मलिन बस्ती क्षेत्रों में भी सत्य साबित हो सकते हैं।

२. शोधकर्त्री के सामने शोध अध्ययन से सम्बन्धित साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान उद्देश्यपूर्ण निदर्शन से चुने गये उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण के समय घर पर नहीं मिलना भी एक कठिनाई थी। परन्तु शोधकर्त्री द्वारा चयनित अनुपस्थित उत्तरदाताओं के स्थान पर समान विशेषताओं वाले उत्तरदाताओं का चयन करके शोधकार्य पूर्ण किया गया। साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान चयनित कुछ उत्तरदाताओं द्वारा साक्षात्कार देने से मना कर देना भी एक कठिनाई बनकर शोधकर्त्री के सामने आयी। परन्तु शोधकर्त्री द्वारा उनके सम्बन्धियों से हस्तक्षेप कराकर राजी कर लिया गया।

३. चूँकि शोध अध्ययन मलिन आवासों के निवासियों की समस्याओं से सम्बन्धित था, अत: शोध अध्ययन हेतु बनाई गयी साक्षात्कार अनुसूची पर्याप्त लम्बी थी। साक्षात्कार के दौरान कई उत्तरदाता थोड़े समय बाद ऊबने लगे तथा कई उत्तरदाता भावावेश में अधिक समय लगाने लगे, जिससे शोधकर्त्री को दोनों स्थितियों में कठिनाई का सामना करना पड़ा। परन्तु शोधकर्त्री द्वारा धैर्यपूर्वक उत्तरदाताओं की बातों में रूचि लेकर तथा उनकी प्रशंसा करके एवं साक्षात्कार प्रक्रिया को रोचक बनाकर इन कठिनाईयों का उचित समाधान किया गया।

४. शोधकर्त्री के सम्मुख एक कठिनाई यह भी आयी कि प्रस्तुत शोध अध्ययन में तथ्य संकलन का कार्य पूर्णतया निदर्शित उत्तरदाताओं की सूचनाओं पर आधारित था एवं प्राथमिक सूचनाओं के लिये उत्तरदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता से सही परिणाम पाना मुश्किल था क्योंकि कई उत्तरदाता सही सूचना नहीं दे पाये तथा

व्यक्तिगत मामलों में तथ्यों को छिपाया। परन्तु शोधकर्त्री द्वारा उत्तरदाताओं की दी गई सूचनाओं की पुष्टि स्वयं उत्तरदाताओं से तथा उनके पास - पड़ोसियों से की गई एवं उन्हें प्रशंसनीय वाक्य यथा - ''आपने बिल्कुल ही नई बात बताई है,'' ''आपके अनुभव बहुमूल्य हैं, आदि कहकर उन्हें यथार्थ सूचनाऐं देने हेतु प्रेरित किया गया।''

५- तथ्यों के संकलन के समय द्वैतीयक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों के सन्दर्भ में भी शोधकर्त्री को कठिनाई का सामना करना पड़ा। सम्बन्धित सरकारी विभागों के कर्मचारी तथा अधिकारी वर्ग शोध अध्ययन में अपेक्षित आंकड़ों तथा दस्तावेजों को गोपनीय बताकर आसानी से उपलब्ध नहीं कराते थे। परन्तु शोधकर्त्री द्वारा सम्बन्धित कार्यालयों के लिपिकों के साथ कुछ देर बैठकर, चाय - पानी करके तथा पारस्परिक सम्पर्को द्वारा सम्बन्धित आंकड़े व दस्तावेजों को प्राप्त किया गया।

****

BIBLIOGRAPHY

* Abrams Charms, (1969), Revolution in Landuses.
* Agarwal Bharat, (1981), Bhartiya Samaj: Ateet Se Vartmaan Tak, Manmohandas Pustak Mandir PVT. Limited, Bharatpur (Raj.) Page - 103.
* Agarwal G.K., (1986), Human Society, Agra Book Store, Agra, Page - 179.
* Agnihotri Vidyadhar, (1954), Housing Conditions of Factory Workers in Kanpur.
* Ahuja Ram, (1997), Indian Social Problems, Rawat Publications, Page - 276.
* Aldrich, Brain C. and Sandhu R.S., (1995), The Global Context of Third World Housing Poverty.
* Alhans D.N., Fundamental of Statistics, Page - 56.
* All India Census Report, (1971), Registrar General of India, New Delhi- Page 480.
* Ansari P.N., (1999), Housing Situation: The Malaise and Some Suggestions, Yojana, March.
* Bergel E.E., (1955), Urban Sociology, Mac- Graw Hill Book Company Inc., New York, Page - 418.
* Besin H.F., (1962), Review of Literature in Practical Sciences, Mac Millan Company Pvt. Limited, Madras, Page- 40
* Beyer (1965), Housing and Society, Mac millan Company Pvt. Limited, New York.
* Bhagoliwal T.N., (1992), Shram Arthashastra Evam Audyogik Sambandh, Sahitya Bhavan.

* Bhargava Gopal, (2001), Development of India's Urban, Rural and Regional Planning in 21st Century, Gyan. Publishing House, Page- 77-78.
* Blumer H. and Hruser O, (1933), Movies, Delinquency and Crime, The Mac millan Company, New York.
* Bodington, Statistics and its Application to commerce, Page- 140.
* Borge G.P., (1963), Review of Literature in Research of Social Sciences, Jain Brothers and Sons, Publishers and Distributors Bombay, Page- 48.
* Burgess Park, (1967), The City, The University Press of Chicago, Page - 55-56.
* C.A. Moser, (1961), Survey Methods in Social Investigation, Hieneman, London, Page- 3
* Carr, Lowell J., (1955), Analytical Sociology, Harper, New York.
* Census (1961), Special Volume on Madras Slums, Government of India.
* Chandramauli M., (1981), Housing in India: An Interview in "A Place to live;" Allied Publishers, Bombay.
* Charles Abrams, (1970), The Slum: Its Origin, in Slums and Urbanisation, Ed. A.R. Desai and S.D. Pillai, Popular Prakashan, Mumbai, Page - 55-75.
* Charles J. Stokes, (1962), A Theory of Slums, Land Economics, A Quarterly Journal of Planning, Housing and Public Utilities Medicine, Volume-38.
* Concept of World Health Organisation of Health, (1948), Cited from Park K.'s Community Health Sciences, M/s Banarsidas Bhanot, Publishers, Jabalpur, Page- 25.

* Conference on Home Building and Home Ownership, Washington, D.C., (1931), abstract from David R. Hunter's The Slum: Challenge and Response, Page- 14.
* Conar L.R., (1936), A Statistics in Theory and Practice, Page- 178.
* Desai A.R. and Pillai S.D., (1970), Slums and Urbanisation, Popular Prakashan, Bombay.
* Document on Sixth Five Year Plan (1980-85), Government of India.
* Document on National Building Organisation (1981), Government of India.
* Document on National Building Organisation, (1990), Government of India.
* Document of UNESCO on Education in Whole world, (1998).
* Document of National Building Organisation, Cited from Ansari P.N., Housing Situation: The Malaise and Some Suggestions, Yojana, March (1999), Volume- 43.
* Document of Town and Country Planning Organisation Ministry of Urban Affairs, Government of India.
* Donald C.A., (1978), Social Health in Conceptsitisation, and Measurement of Health, For Adult in the Health Study, Santa Morarica, C.A. Rend Corporation, Vol.-4.
* Dr. Amar Narain Agrawal, In Gupta M.L. and Sharma D.D., (2000), Sociology, Sahitya Bhavan, Agra, Page- 109.
* Dr. D.H. Mehta, (1991), in Singh R.B. and Goyal D.D., Nagariya Samajshastra, Page- 416-417.
* Dr. Kumar, (1992), Urban Sociology, Laxmi Narain Agrawal Educational Publishers, Agra-3, Page - 239.

* Dr. Radhakamal Mukherjee, (1951), Indian Working Class, Hind Kitab Limited.
* Fillinvom G.G., (1984), The Wellbeing of Elderly, World Health Organisation, Offset Press, Serial No. 84.
* Fuller, Richard C. and Myres, Richard R., (1941), The Natural History of A Social Problems and Social Policy, American Book Company, New York.
* Frank Yaton.
* Gandhi N. and Shah N., The Issues at Stake, Theory and Practice in the contemporary women's Movement in India, Page- 32.33.
* Geddes Patrik, (1953), Town and Country Planning, London.
* George A. Lundberg, (1951), Social Research, Longmans, Green and Company, New York, Page- 16.
* Gomathinayugam V., (1969), Social Welfare, March.
* Gupta M.L. and Sharma D.D., (2001), Sociology, Sahitya Bhavan Agra, Page- 105.
* Hansraj, Theory and Practice in Social Research, Page- 69.
* Herbert Gans, (1962), The Urban Villagers, New York, The Free Press of Glencoe, Page- 15.
* Hiraskar G.K., In "Kanpur Nagar Main Avas Vikas- Ek Bhougolik Adhdhyan," Ph.D. Thesis by Raj Kumar Udyan (1997).
* Homar Hoyat, (1939), The Structure and Growth of Residential Neighbourhood in American Cities, Washington D.C., Federal Housing Administration, Page- 75-77.
* Harace Secrist, Social Survey and Research, Page- 273.
* Hsin Pao Young, Fact Finding with Rural People, Page- 36-37.

* H.W. Zorbaugh, (1929), The Gold Cost and The Slum, The university Press of chicago, Chicago, Page- 132.
* India, 2002, Page- 303.
* India Today, Jan. 31, 1988.
* Jahoda, Duetach and W. Cook, Research Methods in Social Investigation, Page- 270.
* James B. Conant, (1961), Slums and Suburbs, Mac-Graw Hill Book Company Inc., New York, Page- 7.
* James Ford, (1936), Slums and Housing, Housing Conditions Policy, Harvard University Press, Cambridge, Page- 11.
* Jeet Krishna Singh, (1977), Criminology, Publication, new Building, Aminabad- Lucknow.
* John R. Seeley, (1959), The Slums, Its Nature : use and Users, Journal of the American Institute of Planners, Volume- XV, No. - 1, Feb- 1959.
* Jules Heari Poincare.
* Karlingar F.N., (1964), The Foundation of Behavioural Research, Renehardt and Vinston Press Hault, New York, Page- 4.
* Kimich D.E., (1984), Journal School Health, 54 (1) Page 30.32.
* K.L. Ackoff, Design of Social Research, Page- 5.
* Kolch S.N., (1985), A Study of Prevalence and Nature of Helminthic Infection in Urban Population Arround the Urban Health Care, L.L.R.M. Medical College, M.D. Thesis of S.P.M. Meerut University.
* Kumar Anand, (2000), Urban Sociology, Vimal Prakashan Mandir, Agras-3, Page- 303.
* Lavaniyan S.M., (1967), Indian Social Problems, Krishna Book Store Prakashan, Shikohabad, (U.P.) Page - 203.

* Leo F. Schonore, On the Special Pattern of Cities in Two American City, In the Study of Urbanisation, Ed. Phillip Schonore, Macmillan House, New York, Page- 266.
* Madan G.R., (2002), Indian Social Problems, Volume- 1, Sixth Edition, Allied Publishers Pvt. Limited, New Delhi, Page- 5.
* Marshell B. Clinard, (1966), Slums and Community Development Experiment in Self Help, The Free Press London, Collier Macmillan Ltd., Page -4.
* Merton and Nisbet, (1971), Contemporary Social Problems, Harcourt Brace, New York.
* Miles L. Colean, (1953), Renewing Our Cities, The Twentieth Century Fund, New York, Page -22.
* Mishra P.K., (1997), Manav Samaj Ki Ruprekha, Vikas Publications, Jawahar Nagar, New Delhi, Page- 37.
* M.K. Ghosh and S.C. Chaturvedi, (1950), Statistics: Theory and Practice, Page- 94.
* Mukherjee R.N., (2001), Social Research and Statistics, Vivek Prakashan, Jawahar Nagar, New Delhi, Page- 279.
* Mumford L., (1938), Culture of Cities, New York.
* Mumford L., (1970), The Slum : its Origin, in (Ed) Desai and Pillai, Slum and Urbanisation, Popular Prakashan, Bombay.
* Murli R., (1995), A Study of Prevalence of Intestinal Parasites in Urban Slum dwellers: A Study for Health Education, Associate Professor of S.P.M. Medical College, Madras.
* National Herald, October 3, (1952).
* Neumeyer M.H., (1953), Social Problems and the Changing Society, D. Van Nortrand Company Inc.

* Nimesh R.P., (1996), Health Behaviour of Schedule Castes, with Special Reference of Jhansi city, Ph.D. Thesis, Bundelkhand University, Jhansi.
* Ninth Five Year Plan, 1997-2000, Volume-1, Page- 27.
* Pahl I., A Refuge For Bettered Women, Page- 32.
* Park J.E., (1970), Text Book of Preventive and Social Medicine, M/s Banarsidas Bhanot Publishers, Jabalpur.
* Park K. (2002), Community Health Sciences, M/s Banarsidas Bhanot Publishers, Jabalpur, Page 59.
* Parmar S.K., (1972), 'Vital Statistics' Illustrated Weekly of India, May 28, 1972.
* Pauline V. Young, (1960), Scientific Social Survey and Research, Asia Publishing House, Bombay, Page- 44.
* Prominent Facts on Housing, (1990), Document of National Building Organisation, Government of India.
* Prominent Facts on Housing, (1997), National Building Organisation, Ministry of Urban Affairs, Government of India.
* Purushottam Roy, (1991), Main Elements in Social Research Saraswati Prakashan, Darbhanga (Bihar), Page- 110.
* Raab, Earl and Selznick G.J., (1959), Major Social Problems, Row Peterson and Company Illinoise.
* Rajkumar Udyan, (1997), Kanpur Nagar Main Avas- Vikas Ek Bougolik Adhdhyan, Ph.D. Thesis (Unpulished).
* Ramchandran and Padamnabha A., (1967), Economics and Social Rents and Subsidies for Low Income Group Households in Greater Bombay, Bombay.
* Rath N. and Dandekar V.M., (1971), Poverty in India, Indian School of Political Economy, Bombay.

* Reinhardt, James M., Meadows Paul and Gillete, John M., (1952), Social Problems and Social Policy, American Book Company, New York.
* Report of the Cawnpore Labour Enquiry Committee, 1938.
* Report of Health Survey and Development Committee, (1946), Cited from Singh V.N. and Singh Janmejay's Urban Sociology, (2000), Vivek Prakashan, New Delhi, Page- 203.
* Report of the National Planning Committee on Housing (1948), Page - 56.
* Report, U.N., (1952), Urban Land Policies, United Nations Secretariate, Document, ST/SCA/9, April, 1952.
* Report of the Untied Nations Conference on the Human Environment, (1972).
* Report on National Committee of Environmental Planning and co-ordination, June 23, 1977.
* Report of Kolkata Municipal Corporation, (1982).
* Report of Vohra Committee, (1985).
* Report on Statistical Survey of Absenteeism Pattern Among Coal-Workers, (1990).
* Report of National Sample Survey, (1995).
* Report on Royal Commission on Labour (1999).
* Reuter M.R. and Heardt P.R., (1960), An Introduction to Sociology, Mac-Graw Hill Book Company, New York, Page- 320.
* Robert E. Chanddock, (1925), Principles and Methods of Statistics, Houghton Miffin Company, Boston, Page- 43.
* Sanadhdhya Kriti, (2002), Jhansi Nagar Ki Malin Bastiyon Ke Nivasiyon Ka Samajik - Arthik Adhdhyan.

* Saraswat Ramesh P., (1993), Indian Social System, Bhadouriya Publications and Book Centre Pvt. Ltd., Itawa, Page 157.
* Satyendra K. and Bhatnagar P.K., (1992), Research Design in Social Sciences: Social Conditions and Problems, Jagannath Publishers Pvt. LTd., Darbhanga (Bihar), IInd Ed., Page- 89.
* Saxena S.C., (1993), Shram Samasyain Evam Samajik Suraksha, Rastogi Publication.
* Seminar on Slums, (1957), Quoted by Gupta M.L. and Sharma D.D., (2001), Sociology, Sahitya Bhavan Publications, Agra, Page- 107.
* Sen P.K., (1969), Slums and Bustees in Calcutta, In Desai and Pillai : Slums and Urbanisation.
* Shri Jagjivan Ram, Industrial Housing in India.
* Shri Shivram, IN Saxena S.C., (1993), Shram Samasyain Evan Samajik Suraksha, Rastogi Publication.
* Shrivastava Rajmanilal, (1990), Shram Arthshatra, Oriental Publications House.
* Singh S.D., (1980), Vaigyanik Samajik Anusandhan Evam Sarvekshan Ke Mool Tatva, Kamal Prakashan, Indore, Page- 59.
* Singh S.D. and K.P. Pothen, (1982), Slum Children of India, Deep and Deep Publications, New Delhi.
* Singh S.P., (1975), Interrelations in An Organisation, Alok Prakashan Pvt. Ltd., Jaipur (Raj.), Page- 15.
* Singh V.N. and Singh Janmejay, (1988), Nagariya Samajshatra, Vivek Prakashan, Jawahar Nagar, Delhi- 7, Page - 138.
* Society for Social Medicine, (1966), Evidence Submitted to the Royal Commission of Education, Britt J., Pre. Soc. Med., 20, Page- 158.

* Sttaufer Sammual, (1962), Review : A Major Step of Investigation in Social Sciences, American Sociological Review, Volume- 23, Page- 73.
* Suchman E.A., (1970), Arch. Env. Health, Volume- 20, Page- 105.
* Suneet, (1999), Bharatvarsha Main Audyogik Shramikon Ke Liye Avas Vyavastha Ki Vartmaan Isthiti Ka Adhdhyan, Ph.D. Thesis (Unpublished).
* Survey of Kolkata Metropolition Development Authority, (1977), Kolkata, West Bengal.
* Task Force on Planning Commission, Government of India.
* The Hindustan Times, 21 June 1993 and December, 1993.
* The Mysore Slum Areas Improvement and Clearance Act, (1973), Government of Karnataka, 1974, Page- 4.
* The Slum Area Act, (1956), Government of India.
* Thomas Carson, Mac Gronck, (1941), Elementary Social Statistics, Page- 224.
* Tilara K.S., (1990), Practical Sociology: Problems and Social Acts, Prakashan Kendra Lucknow (U.P.), Page- 132.
* Times of India, November 21, 1969 and June 25, 1971.
* Tomar R.B. Singh and Goyal D.D., (1997), Nagariya Samajvigyan, Shri Ram Mehra and Company, Agra, Page- 410.
* Town and Country Planning Organisation, Ministry of Urban Development, Govt. of India. Handbook of Housing Statistics, Part-1, 1996.
* Training Programme on Tackling Urban Slums Backgrond Material, Held on 17-21 November, 1999.

* Turner D.L. and Mangin K.K., (1968), The Fundamental of Transit Planning For Cities, Proceedings National Conference on City Planning.
* UNESCO Document, Quoted by Nels Anderson in Urban Community From Urban Land Policies, (1952), New York, Page- 410.
* United Nations Report on Housing Programmes in Asian Cities, 2000.
* V.M. Palmer, (1928), Field Study in Sociology, University of Chicago Press, Chicago, Page- 57.
* Wales, Mary E. and Furfey, Paul H., (1961), Social Problems and Social Action (IIIrd Ed.), Prantice Hall, Engle wood Cliffs, New Jersey.
* World Health Organisation, (1975), Promoting Health in Human Environment, Jeneva.
* World Health Organisation, (1976), Techn. Rep., Serial No. 587.
* World Health Organisation, (1986), Concept of Health Behaviour Research, Regional Health Paper, No. 13, New Delhi.
* World Health Organisation, (1996), Health For All, S. No. 1.
* William Goode and Paul K. Hatt, (1952), Methods in Social Research, Mac-Graw Hill Book Company, Inc., New York, Page- 209.
* Wingguard D.L,. (1982), Annual Journal of The Science of Infectious Disease, Page- 765.
* World Bank, (1992), The Housing Indicators programmes, Washington D.C., The World Bank, 1992.
* Wurtman R.J., (1970), Quoted by Park J.E. in Text book of Preventive and Social Medicine, M/s Banarsidas Bhanot Publishers, Jabalpur.

साक्षात्कार अनुसूची

विषय :- मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का एक समाज शास्त्रीय अध्ययन (झाँसी नगर के विशेष सन्दर्भ में)

अनुसूची संख्या - शोधकर्ता-

१. उत्तरदाताओं से सम्बन्धित वैयक्तिक सूचनाएं -

१.१ उत्तरदाता का नाम -

१.२ पता -

१.३ आयु -

पुरूष		स्त्री	
१. २१-२५ वर्ष	☐	१. २१-२५ वर्ष	☐
२. २६-३० वर्ष	☐	२. २६-३० वर्ष	☐
३. ३१-३५ वर्ष	☐	३. ३१-३५ वर्ष	☐
४. ३६-४० वर्ष	☐	४. ३६-४० वर्ष	☐
५. ४१-४५ वर्ष	☐	५. ४१-४५ वर्ष	☐
६. ४६-५० वर्ष	☐	६. ४६-५० वर्ष	☐
७. ५० वर्ष के ऊपर	☐	७. ५० वर्ष के ऊपर	☐

१.४ लिंग -

पुरूष ☐ स्त्री ☐

१.५ शैक्षिक स्तर -

पुरूष		स्त्री	
१. अशिक्षित	☐	१. अशिक्षित	☐
२. साक्षर	☐	२. साक्षर	☐
३. प्राथमिक	☐	३. प्राथमिक	☐
४. जू०हा०स्कूल	☐	४. जू०हा०स्कूल	☐
५. हा०स्कूल	☐	५. हा०स्कूल	☐
६. इण्टर	☐	६. इण्टर	☐
७. बी०ए०	☐	७. बी०ए०	☐
८. एम०ए०	☐	८. एम०ए०	☐

१.६ व्यवसाय -

१. मजदूरी	☐	२. सर्विस	☐
३. भिक्षाटन	☐	४. परम्परागत व्यवसाय	☐
५. अन्य	☐		

१.७ सभी स्रोतों से प्राप्त मासिक आय-

१. रू० ५००/-
२. रू० ५०१- रू० १०००
३. रू० १००१- रू १५००
४. रू० १५०१-रू० २०००
५. रू० २००१- रू० २५००
६. रू० २५०१-रू० ३०००
७. रू० ३००१- रू० ३५००
८. रू० ३५०१-रू० ४०००
९. रू० ४००१ -रू० ४५००
१०. रू० ४५०१- रू० ५०००
११. रू० ५००१- रू० ५५००
१२. रू० ५५०१- रू० ६०००

१.८ जाति एवं धर्म

१. सामान्य जाति
२. पिछड़ी जाति
३. अनुसूचित जाति-जनजाति
४. मुसलमान
५. ईसाई
६. सिख

१.९ विवाह स्तर -

१. विवाहित
२. अविवाहित
३. विधुर/विधवा

१.१० विवाह के समय आयु -

पति	पत्नी
१. १२-१५ वर्ष	१. १२-१५ वर्ष
२. १६-१८ वर्ष	२. १६-१८ वर्ष
३. १९-२१ वर्ष	३. १९-२१ वर्ष
४. २२-२४ वर्ष	४. २२-२४ वर्ष
५. २५-२७ वर्ष	५. २५-२७ वर्ष
६. २८-३० वर्ष	६. २८-३० वर्ष

१.११ बच्चों की संख्या -

१. ०-३ बच्चे
२. ४-५ बच्चे
३. ५ से अधिक बच्चे

१.१२ मकान की स्थिति -

१. कच्चा
२. पक्का
३. मिश्रित

१.१३ मकान का स्वामित्व-

१. स्वयं का
२. किराये का
३. अवैध रूप से बनी झोपड़ पट्टी

१.१४ कमरों की संख्या -

१. एक कमरे का मकान
२. दो कमरे का मकान
३. तीन कमरे का मकान
४. चार कमरे का मकान
५. पाँच कमरे का मकान

१.१५ मकान में उपलब्ध (विद्युत, रसोईघर, स्नानगृह, शौचालय तथा आँगन की) सुविधायें

१.	पाँचों सुविधा सम्पन्न आवास	☐	२.	चार सुविधा सम्पन्न आवास	☐
३.	तीन सुविधा सम्पन्न आवास	☐	४.	दो सुविधा सम्पन्न आवास	☐
५.	एक सुविधा सम्पन्न आवास	☐	६.	सभी सुविधाओं से रहित आवास	☐

१.१६ जलापूर्ति का स्रोत -

१. नल ☐ २. हैण्ड पम्प ☐ ३. अन्य ☐

२.१ सामाजिक कारकों का मलिन आवासों के विकास के स्तरों पर प्रभाव सम्बन्धी सूचनाऐं -

		कम	सामान्य	अधिक	नहीं	अज्ञात
१.	अशिक्षा का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐	☐
२.	जनसंख्या वृद्धि का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐	☐
३.	नगरीकरण का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐	☐
४.	मकानों की अनुपलब्धता का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐	☐
५.	रहन-सहन के निम्न स्तर का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐	☐

२.२ आर्थिक कारकों का मलिन आवासों के विकास के स्तरों पर प्रभाव सम्बन्धी सूचनाऐं -

		कम	सामान्य	अधिक	नहीं	अज्ञात
१.	औद्योगीकरण का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐	☐
२.	निर्धनता का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐	☐
३.	व्यावसायिक केन्द्र का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐	☐
४.	सस्ती आवासीय सुविधा का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐	☐
५.	ग्रामीण बेकारी का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐	☐

२.३ सांस्कृतिक कारकों का मलिन आवासों के विकास के स्तरों पर प्रभाव सम्बन्धी सूचनाऐं -

		कम	सामान्य	अधिक	नहीं	अज्ञात
१.	क्षेत्रीयता की भावना का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है।	☐	☐	☐	☐	☐

		कम	सामान्य	अधिक	नहीं	अज्ञात
२.	सांस्कृतिक पृथकता का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है।					
३.	एक समान कर्मकारिता का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है।					
४.	सामुदायिकता का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है।					
५.	सामुदायिकता का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है।					

२.४ मनोवैज्ञानिक कारकों का मलिन आवासों के विकास के स्तरों पर प्रभाव सम्बन्धी सूचनाऐं -

		कम	सामान्य	अधिक	नहीं	अज्ञात
१.	नगरीय आकर्षण का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?					
२.	निम्न दशा में रहने के दृष्टिकोण का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?					
३.	देशान्तरगमन की इच्छा का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?					
४.	कार्यस्थल आवासीय सामीप्यता की भावना का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है।					

२.५ अन्य कारकों का मलिन आवासों के विकास के स्तरों पर प्रभाव सम्बन्धी सूचनाऐं -

		कम	सामान्य	अधिक	नहीं	अज्ञात
१.	सरकार की उपेक्षा का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?					
२.	नगर नियोजन के अभाव का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?					
३.	आवासीय योजनाओं हेतु वित्तीय संसाधनों के अभाव का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?					
४.	आवासीय योजनाओं के अक्रियान्वयन का किस स्तर तक प्रभाव पड़ता है?					

३.१ मनोवैज्ञानिक समस्याऐं -

	कभी-कभी	अक्सर	प्रतिदिन	बिल्कुल नहीं
१. आप मद्यपान कितना करते हो?				
२. आप धूम्रपान कितना करते हो?				
३. आप जुआ कितना खेलते हो?				

	कभी-कभी	अक्सर	प्रतिदिन	बिल्कुल नहीं
४. आपके बच्चे बिना कार्य के इधर-इधर कितना घूमते हैं?				
५. आपके पड़ोसी गलत कार्यो मे कितना भाग लेते हैं?				

६. आप निम्नलिखित मादक पदार्थो का सेवन कितना करते हो?

मादक पदार्थ -	कभी -कभी	अक्सर	प्रतिदिन	बिल्कुल नहीं
१. तम्बाकू				
२. गुटका				
३. गांजा				
४. भांग				
५. अफीम				

३.२ पारिवारिक समस्याऐं -

	कम	सामान्य	अधिक	नहीं	अज्ञात
१. आप अपने परिवार के आकार को कितना बड़ा मानते हो?					
२. आपके यहाँ पर्याप्त आवास की समस्या कितनी है?					
३. आपके यहां भोजन तथा वस्त्रों की कितनी समस्या हैं?					
४. आप अपने परिवार को कितना टूटता हुआ मानते हो?					
५. आप अपने यहां स्त्री हिंसा कितना मानते हो?					
६. आप अपने आवास में गोपनीयता के अभाव की कितनी समस्या मानते हो?					

३.३ सामाजिक समस्याऐं -

	कम	सामान्य	अधिक	नहीं	अज्ञात
१. आपकी बस्ती में अपराधी वृत्ति की कितनी समस्या है ?	☐	☐	☐	☐	☐
२. आपकी बस्ती में बाल अपराध की कितनी समस्या है ?	☐	☐	☐	☐	☐
३. आपकी बस्ती में दहेज की कितनी समस्या है?	☐	☐	☐	☐	☐

	कम	सामान्य	अधिक	नहीं	अज्ञात
४. आपकी बस्ती में विस्थापन की कितनी समस्या है?	☐	☐	☐	☐	☐
५. आपके घर में वृद्धजनों की कितनी समस्या है?	☐	☐	☐	☐	☐
६. आपके घर में सामाजिक सुरक्षा की कितनी समस्या है?	☐	☐	☐	☐	☐

३.४ आर्थिक समस्याऐं -

	कम	सामान्य	अधिक	नहीं	अज्ञात
१. आप अपने यहां कम आमदनी की समस्या को कितना मानते हो?	☐	☐	☐	☐	☐
२. आप अपनी निर्धनता की समस्या को कितना मानते हो?	☐	☐	☐	☐	☐
३. आपके परिवार में ऋणग्रस्तता की स्थिति कैसी है?	☐	☐	☐	☐	☐
४. आपके परिवार में बेरोजगारी की दशा कितनी है?	☐	☐	☐	☐	☐
५. आपके यहां अधिक व्यय की समस्या कितनी है।	☐	☐	☐	☐	☐
६. आपके यहां बचत न कर पाने की समस्या कितनी है?	☐	☐	☐	☐	☐

३.५ पर्यावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी समस्याऐं -

	शुद्ध	अशुद्ध	अज्ञात
१. आप अपनी बस्ती में किस प्रकार की वायु में सांस लेते हो?	☐	☐	☐
२. आपको किस प्रकार का जल पीने को मिलता है?	☐	☐	☐

	नहीं	अशुद्ध	अज्ञात
३. क्या आपकी बस्ती में गलियों में रात्रि में खम्भों में हाँ प्रकाश व्यवस्था होती है?	☐	☐	☐

४. क्या आपकी बस्ती में जल भराब/सीलन की समस्या है?

५. आपकी बस्ती में कूड़े करकट का निस्तारण कब होता है?

रोजाना	१५ दिनमें	१महीने में	कभी नहीं

६. आपकी बस्ती में शोर शराबे की समस्या कितनी है?

कम	अधिक	बहुत अधिक

३.६ जनसंख्यात्मक समस्याऐं -

आपके जीवन पर जनाधिक्य का कितना प्रभाव पड़ता है?

	कम	सामान्य	अधिक	नहीं	अज्ञात
१. पोषण स्तर पर					
२. जनघनत्व पर					
३. प्रवजन दर पर					
४. आश्रित भार पर					
५. पर्यावरण स्वच्छता पर					
६. शिक्षा पर					

४.१ क्या आप निम्नलिखित योजनाओं के विषय में जानते हैं

	हाँ	नहीं	अज्ञात
१. आवासीय योजनायें -			
१. बाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना			
२. निर्मल भारत अभियान योजना			
३. अन्य			
२ - गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम -			
१. स्वर्ण जयन्ती रोजगार ऋण योजना			
२. बैंक ऋण योजना			
३. स्वयं सहायता समूह योजना			
४. रोजगार परक प्रशिक्षण योजना			
५. राशन व्यवस्था			
३ - सामाजिक कल्याण योजनाऐं -			
१. विधवा पेंशन योजना			
२. वृद्धावस्था पेंशन योजना			
३. विकलांग पेंशन योजना			
४. बालिका समृद्धि योजना			
४ - अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण योजनाऐं -			
१. मातृत्व लाभ योजना			

२. बालिका विवाह सहायता योजना
३. छात्रवृत्ति योजना
४. नि:शुल्क शिक्षा योजना
५. नि:शुल्क पुस्तक सुविधा योजना

५ - पर्यावरणीय सुधार योजनाऐं -

१. सुलभ शौचालय योजना
२. शौचालय निर्माण योजना
३. खड़ण्जा निर्माण योजना
४. नाली निर्माण योजना
५. शुद्ध जलापूर्ति योजना

६ - स्वास्थ्य योजनाऐं -

१. परिवार नियोजन कार्यक्रम
२. शिशु संजीवन कार्यक्रम
३. सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम
४. संक्रामक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम
५. आंगनवाड़ी योजना

	कभी-कभी	अक्सर	कभी नही
४.२ आप विकास योजनाओं की बैठक में कितना भाग लेते हो?			
४.३ आप विकास योजनाओं की बैठक में भाग लेने के लिये अपने पड़ोसियों को कितना कहते हो?			
४.४ आप इन बैठकों में प्राप्त जानकारी को किसी अन्य को कितना बताते हो?			

	हाँ	नहीं	अज्ञात
४.५ क्या आप इन योजनाओं से लाभ उठाने के लिये किसी को प्रेरित करते हैं?			

	कम	सामान्य	अधिक	अज्ञात
४.६ आप इन योजनाओं से कितना संतुष्ट हैं?				
४.७ इन योजनाओं का क्रियान्वयन भविष्य में कितना रखा जाये?				

	अच्छी	उत्तमअति	उत्तम	सर्वोत्तम	बुरी
४.८ इन योजनाओं के सम्बन्ध में आपकी राय क्या है?					

४.९ आप निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा लाभान्वित हुऐ हैं?

	हाँ	नहीं	अज्ञात
१. आवासीय योजनाऐं			
१. बाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना			

		हाँ	नहीं	अज्ञात
२.	निर्मल भारत अभियान योजना	☐	☐	☐
३.	अन्य	☐	☐	☐
२ -	**गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम**			
१.	स्वर्ण जयन्ती रोजगार ऋण योजना	☐	☐	☐
२.	बैंक ऋण	☐	☐	☐
३.	स्वयं सहायता समूह योजना	☐	☐	☐
४.	रोजगार परक प्रशिक्षण योजना	☐	☐	☐
५.	राशन व्यवस्था	☐	☐	☐
३ -	**सामाजिक कल्याण योजनाऐं**			
१.	विधवा पेंशन योजना	☐	☐	☐
२.	वृद्धावस्था पेंशन योजना	☐	☐	☐
३.	विकलांग पेंशन योजना	☐	☐	☐
४.	बालिका समृद्धि योजना	☐	☐	☐
४ -	**अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण योजनाऐं -**			
१.	मातृत्व लाभ योजना	☐	☐	☐
२.	बालिका विवाह सहायता योजना	☐	☐	☐
३.	छात्रवृत्ति योजना	☐	☐	☐
४.	नि:शुल्क शिक्षा योजना	☐	☐	☐
५.	नि:शुल्क पुस्तक सुविधा योजना	☐	☐	☐
५ -	**पर्यावरणीय सुधार योजनाऐं**			
१.	मातृत्व लाभ योजना	☐	☐	☐
२.	बालिका विवाह सहायता योजना	☐	☐	☐
३.	छात्रवृत्ति योजना	☐	☐	☐
४.	नि:शुल्क शिक्षा योजना	☐	☐	☐
५.	नि:शुल्क पुस्तक सुविधा योजना	☐	☐	☐
५ -	**पर्यावरणीय सुधार योजनाऐं**			
१.	सुलभ शौचालय योजना	☐	☐	☐
२.	शौचालय निर्माण योजना	☐	☐	☐
३.	खड़ण्जा निर्माण योजना	☐	☐	☐
४.	नाली निर्माण योजना	☐	☐	☐
५.	शुद्ध जलापूर्ति योजना	☐	☐	☐

६ - स्वास्थ्य योजनाऐं

१.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	☐	☐	☐
२.	शिशु संजीवन कार्यक्रम	☐	☐	☐
३.	सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम	☐	☐	☐
४.	संक्रामक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	☐	☐	☐
५.	आंगनवाड़ी योजना	☐	☐	☐

४.१० इन योजनाओं से लाभ उठाने में आपको कौन-कौन सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा-

कठिनाईयों		हाँ	नहीं	अज्ञात
१.	अशिक्षा	☐	☐	☐
२.	उचित सूचना, शिक्षा एवं संचार का अभाव	☐	☐	☐
३.	सुविधा शुल्क की मांग	☐	☐	☐
४.	कर्मचारियों का असहयोग एवं दुर्व्यवहार	☐	☐	☐
५.	जटिल प्रक्रिया	☐	☐	☐
६.	विलम्ब से लाभ मिलना	☐	☐	☐
७.	सामुदायिक नेतृत्व का अभाव	☐	☐	☐
८.	बैंको द्वारा ऋण स्वीकृति में लापवाही	☐	☐	☐

४.११ उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने व योजनाओं का भर-पूर लाभ उठाने के लिये आपके पास कौन-कौन से सुझाव हैं-

सुझाव		हाँ	नहीं	अज्ञात
१.	शिक्षा का प्रसार	☐	☐	☐
२.	उचित सूचना, शिक्षा व संचार के साधनों का प्रयोग	☐	☐	☐
३.	सुविधा शुल्क की समाप्ति	☐	☐	☐
४.	कर्मचारियों द्वारा सहयोग करना	☐	☐	☐
५.	प्रक्रिया को सरल बनाना	☐	☐	☐
६.	लाभ शीघ्रता से मिलना	☐	☐	☐
७.	सक्षम सामुदायिक नेतृत्व	☐	☐	☐
८.	बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति में लापरवाही न बरतना	☐	☐	☐

४.१२ उपरोक्त विकास योजनाओं के कारण आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है-

		कम	सामान्य	अधिक	नहीं	अज्ञात
१.	सामाजिक जीवन पर	☐	☐	☐	☐	☐
२.	आर्थिक जीवन पर	☐	☐	☐	☐	☐

३.	आवासीय व्यवस्था पर	☐	☐	☐	☐	☐
४.	स्वास्थ्य पर	☐	☐	☐	☐	☐
५.	पर्यावरणीय स्वच्छता पर	☐	☐	☐	☐	☐

५.१२ भौतिक पर्यावरण का मलिन आवासों के निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन-

		हाँ	नहीं	अज्ञात
१.	क्या आपके स्वास्थ्य पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐

		कम	सामान्य	अधिक	अज्ञात
२.	आपके घर में उपलब्ध पीने का पानी का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
३.	मलिन बस्तियों में उपलब्ध अस्वच्छ वायु का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
४.	धुऐं का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
५.	ध्वनि का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
६.	कम प्रकाश का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
७.	आर्द्रता का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐

५.२ मलिन आवासों के निवासियों के स्वास्थ्य पर जैवकीय पर्यावरण के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन-

		हाँ	नहीं	अज्ञात
१.	क्या आपके स्वास्थ्य पर जैवकीय पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐

		कम	सामान्य	अधिक	अज्ञात
२.	मच्छरों का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
३.	मक्खियों का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
४.	कॉकरोच तथा खटमलों का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है	☐	☐	☐	☐
५.	चूहों का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
६.	कृमियों का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐

५.३ मलिन आवासों के निवासियों के स्वास्थ्य पर मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन-

		हाँ	नहीं	अज्ञात
१.	क्या आपके स्वास्थ्य पर मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐

		कम	सामान्य	अधिक	अज्ञात
२.	जीवन शैली का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?				
३.	आदतों का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?				
४.	धारणाओं का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?				
५.	व्यक्तिगत स्वच्छता का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?				
६.	स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है।				
७.	मद्यपान का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है।				
८.	धूम्रपान का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है।				

५.४ सामाजिक पर्यावरण के मलिन आवासों के निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन-

		हाँ	नहीं	अज्ञात
१.	क्या आपके स्वास्थ्य पर सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है?			

		कम	सामान्य	अधिक	अज्ञात
२.	अशिक्षा का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?				
३.	व्यवसाय तथा आय का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?				
४.	रहन सहन के स्तर का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?				
५.	जनसंख्या घनत्व का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?				
६.	आवासों की निम्न दशा का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?				
७.	स्वास्थ्य सेवाओं का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?				

५.५ सांस्कृतिक पर्यावरण के मलिन आवासों के निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन-

		हाँ	नहीं	अज्ञात
१.	क्या आपके स्वास्थ्य पर सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है?			

	कम	सामान्य	अधिक	अज्ञात
२. सांस्कृतिक विश्वासों का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
३. अन्धविश्वासों का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
४. सोच (Thinking) का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
५. भ्रान्तियों का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
६. जादू टोनों का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
७. परम्पराओं का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
८. गलत धारणाओं का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐

५.६ पर्यावरणीय स्वच्छता के मलिन आवासों के निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन-

	हाँ	नहीं	अज्ञात
१. क्या आपके स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय स्वच्छता का प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐

	कम	सामान्य	अधिक	अज्ञात
२. गन्दी नालियों का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
३. कूड़े करकट के विलम्ब से निस्तारण का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
४. सड़क किनारे मल त्याग का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
५. पानी के जमाव/भराव का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
६. प्रतिदिन गलियों की सफाई न होने से स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐
७. दुर्गन्धयुक्त वातावरण का स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?	☐	☐	☐	☐

दिनांक-

शोधार्थी के हस्ताक्षर